

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 301] No. 301] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2015/भाद्र 11, 1937

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2015/BHADRA 11, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिसूचना मुम्बई, 02 सितम्बर 2015

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2015-16/ 013. - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:—

अध्याय-I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- 1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।
 - (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से नब्बेवें दिन को प्रवृत्त होंगे:
 परंतु यह कि विनियम 23 के उप-विनियम (4) और विनियम 31क के उपबंध (प्रावधान) इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएँ

- 2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
 - (क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है;
 - (ख) "सहयुक्त" से ऐसी कोई एंटिटी अभिप्रेत होगी जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (6) के अधीन या लागू लेखा मानकों के अधीन सहयुक्त हो:

3733 GI/2015 (1)

परंतु यह कि यह परिभाषा पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) द्वारा निर्गमित उन यूनिटों पर लागू नहीं होगी जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों, जिनके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के उपबंध लागृ होंगे;

- (ग) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है;
- (घ) "निदेशक बोर्ड" या "न्यासी बोर्ड" से सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी का निदेशक बोर्ड या न्यासी बोर्ड, जो भी लागू हो, अभिप्रेत होगा;
- (ङ) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" या "प्रबंध निदेशक" या "प्रबंधक" से कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत होगा;
- (च) "मुख्य वित्तीय अधिकारी" या "पूर्णकालिक वित्त निदेशक" या "वित्त प्रमुख (फाइनेंस हेड)", चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, से वह व्यक्ति अभिप्रेत होगा जो सूचीबद्ध एंटिटी के वित्त-संबंधी कृत्य का प्रमुख तथा उस कृत्य का निर्वहन करने वाला व्यक्ति हो, जैसा इसके द्वारा इन विनियमों के अधीन अपनी फाइलिंग में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रकट किया गया हो:
- (छ) "समिति" से निदेशक बोर्ड की समिति या इस प्रकार गठित कोई अन्य समिति अभिप्रेत होगी;
- (ज) "निर्धारित प्रतिभूतियों" से विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ, असंपरिवर्तनीय ऋण (नॉन-कन्वर्टिबल डैट) प्रतिभूतियाँ, असंपरिवर्तनीय मोचनीय (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल) अधिमानी (प्रेफरेंस) शेयर, बेमीयादी ऋण लिखत (पर्पेचुअल डैट इंस्टूमेंट), बेमीयादी असंचयी (पर्पेचुअल नॉन क्यूम्यूलेटिव) अधिमानी शेयर, भारतीय निक्षेपागार रसीदें (डिपॉज़िटरी रिसीट्स / आईडीआर), प्रतिभूत ऋण लिखत (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्टूमेंट), पारस्परिक निधि द्वारा निर्गमित (इश्यूड) की गई यूनिटें और कोई अन्य प्रतिभूतियाँ, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ, अभिप्रेत हैं;
- (झ) "वित्तीय वर्ष" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (41) में इसके लिए नियत है;
- (ञ) "वैश्विक निक्षेपागार रसीदों" (ग्लोबल डिपॉज़िटरी रिसीट्स) से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (44) में यथा परिभाषित वैश्विक निक्षेपागार रसीदें अभिप्रेत हैं;
- (ट) "छमाही" से वित्तीय वर्ष के अप्रैल या अक्तूबर महीने के पहले दिन को प्रारंभ होने वाली छह महीनों की अवधि अभिप्रेत है;
- (ठ) "छमाही परिणामों" से इन विनियमों के अनुसार किसी छमाही की बाबत तैयार किए गए वित्तीय परिणाम अभिप्रेत हैं;
- (ड) "नियंत्री कंपनी" (होल्डिंग कंपनी / धारिता कंपनी) से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (46) में यथा परिभाषित नियंत्री कंपनी अभिप्रेत है;
- (ढ) "भारतीय निक्षेपागार रसीदों" (इंडियन डिपॉज़िटरी रिसीट्स) से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (48) में यथा परिभाषित भारतीय निक्षेपागार रसीदें अभिप्रेत हैं;
- (ण) "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (51) में यथा परिभाषित मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अभिप्रेत है;
- (त) "सूचीबद्ध एंटिटी" से वह एंटिटी अभिप्रेत है जिसने, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में, स्वयं द्वारा निर्गमित की गई निर्धारित प्रतिभूतियों को या स्वयं द्वारा प्रबंधित स्कीमों के अधीन निर्गमित की गई निर्धारित प्रतिभूतियों को, एंटिटी और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के बीच हुए सूचीबद्धता करार (लिस्टिंग एग्रीमेंट) के अनुसार, सूचीबद्ध कराया हो;

- (थ) "सूचीबद्धता करार" (लिस्टिंग एग्रीमेंट) से वह करार अभिप्रेत होगा जो, निर्धारित प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) की शर्तों का अनुपालन करने के लिए, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और उस एंटिटी के बीच किया जाता है;
- (द) "मुख्य-बोर्ड" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के विनियम 106ढ के उप-विनियम (1) के खंड (क) में यथा परिभाषित मुख्य-बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ध) "शुद्ध-मालियत" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (57) में यथा परिभाषित शुद्ध-मालियत (शुद्ध मूल्य / नेटवर्थ) अभिप्रेत है;
- (न) "असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ", भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सुचीबद्धता) विनियम, 2008 के विनियम 2(1)(ङ) के अधीन यथा परिभाषित हैं;
- (प) "असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों", "बेमीयादी ऋण लिखत" / "नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत' और "बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2013 में उनके लिए नियत है;
- (फ) "प्रस्ताव दस्तावेज" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (भ), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ञ), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2013 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ठ), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के विनियम 2 के खंड (द) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूत ऋण लिखतों [सिक्योरिटाइज्ड डैट इन्स्टूमेंट्स] का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ठ), जो लाग हो, के अधीन उसके लिए नियत है:
- (ब) "संप्रवर्तक" (प्रोमोटर) तथा "संप्रवर्तक समूह" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के क्रमश: खंड (यक) तथा (यख) में उनके लिए नियत है;
- (भ) "जनता" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 2 के खंड (घ) के अधीन यथा परिभाषित जनता अभिप्रेत है;
- (म) "सार्वजनिक शेयरधारिता" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 2 के खंड (ङ) के अधीन यथा परिभाषित सार्वजनिक शेयरधारिता अभिप्रेत है;
- (य) "तिमाही" से वित्तीय वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्तूबर या जनवरी के पहले दिन से प्रारंभ होने वाली तीन महीनों की अवधि अभिप्रेत है;
- (यक) "तिमाही परिणामों" से इन विनियमों के अनुसार किसी तिमाही की बाबत तैयार किए गए वित्तीय परिणाम अभिप्रेत हैं;
- (यख) "संबद्ध पक्षकार" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (76) के अधीन या लागू लेखा मानकों के अधीन यथा परिभाषित संबद्ध (संबंधित) पक्षकार अभिप्रेत है: परंतु यह कि यह परिभाषा पारस्परिक निधियों द्वारा निर्गमित उन यूनिटों के लिए लागू नहीं होगी जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों;
- (यग) "संबद्ध पक्षकार संव्यवहार" से सूचीबद्ध एंटिटी और संबद्ध पक्षकार के बीच संसाधनों, सेवाओं या बाध्यताओं का अंतरण (ट्रांसफर) अभिप्रेत है, इस बात का विचार किए बिना कि कीमत प्रभारित की गई है या नहीं और संबद्ध पक्षकार के साथ

- "संव्यवहार" (ट्रांजेक्शन) का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसमें संविदा के अंतर्गत एक संव्यवहार या संव्यवहारों का समूह सम्मिलित है:
- परंतु यह कि यह परिभाषा पारस्परिक निधियों द्वारा निर्गमित उन यूनिटों के लिए लागू नहीं होगी जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों;
- (यघ) "नातेदार" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (77) और तदधीन विहित नियमों के अधीन परिभाषित नातेदार अभिप्रेत है:
 - परंतु यह कि यह परिभाषा पारस्परिक निधि द्वारा निर्गमित उन यूनिटों के लिए लागू नहीं होगी जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों;
- (यङ) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (यच) "प्रतिभूति विधियों" से अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, निक्षेपागार अधिनियम, 1996, कंपनी अधिनियम, 1956 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंध (प्रावधान), और उनके अधीन बनाए गए नियम, विनियम, परिपत्र या मार्गदर्शक सिद्धाँत अभिप्रेत हैं;
- (यछ) "प्रतिभूत ऋण लिखतें" भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूत ऋण लिखतों [सिक्योरिटाइज्ड़ डैट इंस्ट्रूमेंट्स] का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 में यथा परिभाषित हैं;
- (यज) "सर्विसर" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूत ऋण लिखतों [सिक्योरिटाइज्ड डैट इंन्सट्र्मेंट्स] का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (न) के अधीन यथा परिभाषित सर्विसर अभिप्रेत है;
- (यझ) "लघु एवं मध्यम उद्यम" या "एसएमई" से वह एंटिटी अभिप्रेत होगी जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के अध्याय Xख के उपबंधों के अनुसार विनिर्दष्ट प्रतिभूतियाँ निर्गमित की हों;
- (यञ) "एसएमई एक्सचेंज" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के विनियम 106ढ के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के अधीन यथा परिभाषित एसएमई एक्सचेंज अभिप्रेत है;
- (यट) "स्टॉक एक्सचेंज" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के अधीन यथा परिभाषित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है;
- (यठ) "विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (यञ) के अधीन यथा परिभाषित 'इक्विटी शेयर' और 'संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ' अभिप्रेत हैं;
- (यड) "समनुषंगी" (सब्सिडयरी) से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (87) के अधीन यथा परिभाषित समनुषंगी अभिप्रेत है।
- (2) इन विनियमों में उपयोग किए गए तथा अपरिभाषित, किंतु अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और/या उनके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, ऐसे अधिनियमों या नियमों या विनियमों अथवा उनके किसी कानुनी उपांतर (परिवर्तन) या उनकी पुनःअधिनियमिति में क्रमश: उनके लिए नियत हों।

विनियमों का लागू होना

- 3. जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, ये विनियम उस सूचीबद्ध एंटिटी के प्रति लागू होंगे जिसने निम्नलिखित निर्धारित प्रतिभूतियों में से किन्हीं निर्धारित प्रतिभृतियों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध कराया हो:
 - (क) मुख्य-बोर्ड या एसएमई एक्सचेंज में या संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म) पर सूचीबद्ध विनिर्दिष्ट प्रतिभृतियाँ;

- (ख) असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़), असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर), बेमीयादी ऋण लिखत (पर्पेचुअल डैट इंस्ट्रूमेंट), बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पर्पेचुअल नॉन क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर);
- (ग) भारतीय निक्षेपागार रसीदें (डिपॉज़िटरी रिसीट्स);
- (घ) प्रतिभूत ऋण लिखतें (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रमेंट);
- (ङ) पारस्परिक निधियों द्वारा जारी की गई यूनिटें;
- (च) कोई अन्य प्रतिभृतियाँ, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ।

अध्याय- II

सूचीबद्ध एंटिटी के प्रकटीकरणों और बाध्यताओं को विनियमित करने वाले सिद्धाँत प्रकटीकरणों और बाध्यताओं को विनियमित करने वाले सिद्धाँत

- 4. (1) जिस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी ने प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराया हो, वह सूचीबद्ध एंटिटी इन विनियमों के अधीन प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र्स) और अपनी बाध्यताओं का पालन निम्नलिखित सिद्धाँतों के अनुसार करेगी:
 - (क) लेखा तथा वित्तीय प्रकटीकरण के लागू मानकों के अनुसार जानकारी तैयार की जाएगी और प्रकट की जाएगी।
 - (ख) सूचीबद्ध एंटिटी वित्तीय विवरण तैयार करते समय सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के_हित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित लेखा मानकों को भाषा और भाव की दृष्टि से कार्यान्वित करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि वार्षिक लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, सक्षम तथा अर्हित लेखापरीक्षक द्वारा की जाए।
 - (ग) सूचीबद्ध एंटिटी दुर्व्यपदेशन से विरत रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) तथा निवेशकों को उपलब्ध कराई गई जानकारी भ्रामक न हो।
 - (घ) सूचीबद्ध एंटिटी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) तथा निवेशकों को पर्याप्त और समयबद्ध रूप से जानकारी उपलब्ध कराएगी।
 - (ङ) सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि इन विनियमों के उपबंधों तथा तदधीन जारी परिपत्रों के अधीन किए गए प्रसार पर्याप्त, यथार्थ, सुस्पष्ट, समयबद्ध हों और सरल भाषा में प्रस्तुत किए गए हों।
 - (च) जानकारी को प्रसारित करने के माध्यम ऐसे होंगे जो निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को सुसंगत जानकारी तक समान रूप से, सामयिक रूप से तथा किफायती रूप से पहुँच उपलब्ध कराएँगे ।
 - (छ) सूचीबद्ध एंटिटी लागू विधियों, जिनमें प्रतिभूति विधियाँ सम्मिलित हैं, के सभी उपबंधों का और ऐसे अन्य मार्गदर्शक सिद्धाँतों (गाइडलाइन्स) का भी पालन करेगी, जो बोर्ड तथा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए जाएँ तथा जो लागु हों।
 - (ज) सूचीबद्ध एंटिटी सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के हित को ध्यान में रखते हुए भाषा और भाव की दृष्टि से विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण करेगी और अपनी बाध्यताओं का पालन करेगी।
 - (झ) फाइलिंग, रिपोर्टों, विवरणों, दस्तावेजों और जानकारी, जो घटना आधारित होती हैं या जिन्हें आवधिक रूप से दाखिल किया जाता है, में सुसंगत जानकारी अंतर्विष्ट होगी ।
 - (ञ) आवधिक फाइलिंग, रिपोर्टों, विवरणों, दस्तावेजों और जानकारी संबंधी रिपोर्टों में ऐसी जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो निवेशकों को नियमित समय-अंतरालों पर सूचीबद्ध एंटिटी के प्रदर्शन पर नज़र रखने में समर्थ बनाएगी और जो निवेशकों को सूचीबद्ध एंटिटी की वर्तमान स्थिति का आकलन करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराएगी।
- (2) जिस सूचीबद्ध एंटिटी ने अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया हो, वह सूचीबद्ध एंटिटी अध्याय-IV में यथा विनिर्दिष्ट कंपनी शासन संबंधी उपबंधों का पालन करेगी, जिन्हें इस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा कि नीचे यथा उल्लिखित सिद्धाँतों के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

- (क) शेयरधारकों के अधिकार: सूचीबद्ध एंटिटी शेयरधारकों के निम्नलिखित अधिकारों का संरक्षण करने और उनके प्रयोग को सुगम बनाने का प्रयास करेगी:
 - (i) कारपोरेट संबंधी मूलभूत परिवर्तनों से संबंधित विनिश्चयों (निर्णयों), में भाग लेने का, और विनिश्चयों (निर्णयों) के बारे में पर्याप्त जानकारी रखने का अधिकार ।
 - (ii) शेयरधारकों की साधारण बैठकों में प्रभावी रूप से भाग लेने और उनमें मतदान करने का अवसर।
 - (iii) नियमों, जिनमें मतदान संबंधी प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं जिनसे शेयरधारकों की साधारण बैठकें संचालित होती हों, की जानकारी।
 - (iv) उपयुक्त सीमाओं के अध्यधीन, निदेशक बोर्ड से प्रश्न पूछने, साधारण बैठकों की कार्यसूची में मदों को रखवाने, और संकल्प का प्रस्ताव रखने का अवसर।
 - (v) कंपनी शासन संबंधी मुख्य निर्णयों, जैसे निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नामांकन और चुनाव, में शेयरधारक की प्रभावी सहभागिता।
 - (vi) सभी शेयरधारकों, जिनमें संस्थागत निवेशक (विनिधानकर्ता) सम्मिलित हैं, द्वारा स्वामित्व अधिकारों का प्रयोग ।
 - (vii) शेयरधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था।
 - (viii) छोटे शेयरधारकों का ऐसे अनुचित कार्यों से संरक्षण, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले नियंत्रक (कंट्रोलिंग) शेयरधारकों द्वारा किए जाएँ या उनके हित में किए जाएँ और उसके प्रभावी समाधान ।
- (ख) सामयिक जानकारी: सूचीबद्ध एंटिटी शेयरधारकों को पर्याप्त तथा सामयिक जानकारी उपलब्ध कराएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किंतु जो इस तक ही सीमित नहीं होंगे:
 - (i) साधारण बैठकों की तारीख, उनके स्थान तथा उनकी कार्यसूची, से संबंधित पर्याप्त एवं सामयिक जानकारी, और साथ ही उन मुद्दों के संबंध में पूर्ण एवं सामयिक जानकारी जिन पर बैठक में चर्चा की जानी हो।
 - (ii) पूँजी संरचनाएँ (कैपिटल स्ट्रक्चर) और इंतजाम, जिनके कारण कुछ शेयरधारकों के पास इतना नियंत्रण (कंट्रोल) आ जाए कि वह उनके इक्विटी स्वामित्व के आनुपातिक रूप में न हो।
 - (iii) प्रत्येक श्रृंखला (सीरीज़) एवं वर्ग के शेयरों से जुड़े अधिकार, जो निवेशकों को, उनके द्वारा शेयर अर्जित किए जाने से पहले, प्रकट किए जाएँगे।
- (ग) समान व्यवहार: सूचीबद्ध एंटिटी सभी शेयरधारकों, जिनमें छोटे (माइनॉरिटी) तथा विदेशी शेयरधारक सम्मिलित हैं, के साथ समान व्यवहार को निम्नलिखित प्रकार से सुनिश्चित करेगी:
 - (i) किसी वर्ग के समान श्रृंखलाओं (सीरीज़) के सभी शेयरधारकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा ।
 - (ii) कंपनी शासन संबंधी मुख्य निर्णयों, जैसे निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नामांकन और चुनाव, में शेयरधारक की प्रभावी सहभागिता को सुकर बनाया जाएगा।
 - (iii) विदेशी शेयरधारकों द्वारा मताधिकारों के प्रयोग को सुकर बनाया जाएगा।
 - (iv) सूचीबद्ध एंटिटी एक ढाँचा तैयार करेगी, ताकि अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) तथा अनुचित स्व-लेनदेन (सेल्फ-डीलिंग) से बचा जा सके।
 - (v) शेयरधारकों की साधारण बैठकों हेतु प्रक्रिया एवं क्रियाविधि ऐसी होगी कि सभी शेयरधारकों के साथ समान व्यवहार हो।
 - (vi) सुचीबद्ध एंटिटी की प्रक्रियाएँ मतदान को अनावश्यक रूप से कठिन या खर्चीला नहीं बनाएँगी।
- (घ) कंपनी शासन (कारपोरेट गवर्नेंस) में हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की भूमिका: सूचीबद्ध एंटिटी अपने हितधारकों के अधिकारों को पहचानेगी और सूचीबद्ध एंटिटी तथा हितधारकों के बीच सहयोग को, निम्नलिखित प्रकार से, बढ़ावा देगी:
 - (i) सूचीबद्ध एंटिटी हितधारकों के उन अधिकारों का सम्मान करेगी जिन्हें विधि द्वारा या पारस्परिक करारों द्वारा निर्धारित किया गया हो ।
 - (ii) हितधारकों के पास अपने अधिकारों के हनन हेतु प्रभावी प्रतितोष अभिप्राप्त करने का अवसर होगा।
 - (iii) हितधारक सामयिक तथा नियमित आधार पर सुसंगत, पर्याप्त और विश्वसनीय जानकारी तक पहुँच रखेंगे, ताकि वे कंपनी शासन (कारपोरेट गवर्नेंस) संबंधी प्रक्रिया में भाग लेने में समर्थ हो सकें ।

- (iv) सूचीबद्ध एंटिटी पर्दाफाश किए जाने (विसल ब्लोअर) संबंधी एक ऐसी प्रभावी व्यवस्था तैयार करेगी, जिसके जरिए हितधारक, जिनमें वैयक्तिक कर्मचारी तथा उनके प्रतिनिधि निकाय (रिप्रेज़ेन्टेटिव बॉडीज़) सम्मिलित हैं, अवैध या अनैतिक व्यवहार से संबंधित अपनी चिंता खुलकर बता सकें।
- (ङ) प्रकटीकरण और पारदर्शिता: सूचीबद्ध एंटिटी, निम्नलिखित प्रकार से, सभी तात्विक (महत्त्वपूर्ण) विषयों के संबंध में सामयिक तथा यथार्थ प्रकटीकरण सुनिश्चित करेगी, जिनमें सूचीबद्ध एंटिटी की वित्तीय स्थिति, उसका कार्य-निष्पादन, उसका स्वामित्व, तथा उसका संचालन सम्मिलित है:
 - (i) विहित लेखा मानकों, वित्तीय तथा गैर-वित्तीय प्रकटीकरण के अनुसार जानकारी को तैयार किया जाएगा तथा प्रकट किया जाएगा
 - (ii) जानकारी को प्रसारित करने के माध्यम ऐसे होंगे जो उपयोक्ताओं (यूज़र्स) को सुसंगत जानकारी तक समान रूप से, सामयिक रूप से तथा किफायती रूप से पहुँच उपलब्ध कराएँगे।
 - (iii) बैठक के कार्यवृत्त बनाते समय विसम्मति प्रकट करने वाली राय, यदि कोई हो, को भी स्पष्ट रूप से लेखबद्ध किया जाएगा ।
- (च) निदेशक बोर्ड की जिम्मेदारियाँ: सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ होंगी:

(i) जानकारी का प्रकटीकरण:

- (1) निदेशक बोर्ड के सदस्य तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक बोर्ड को यह प्रकट करेंगे कि क्या उनका, प्रत्यक्षतः, अप्रत्यक्षतः, या परव्यक्तियों (थर्ड पार्टी) की ओर से, ऐसे किसी संव्यवहार या विषय में तात्विक हित है, जो सीधे सूचीबद्ध एंटिटी को प्रभावित करता हो।
- (2) निदेशक बोर्ड तथा ज्येष्ठ (विरिष्ठ) प्रबंध-मंडल का संचालन ऐसा होगा कि वे हितधारकों (स्टेकहोल्डर) के प्रति कार्य-संबंधी पारदर्शिता की अपेक्षाओं पर खरे उतर सके और साथ ही साथ जानकारी की गोपनीयता भी बनी रहे, ताकि विनिश्चय (निर्णय) लेने की बेहतर प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके।

(ii) निदेशक बोर्ड के प्रमुख कृत्य:

- (1) कारपोरेट संबंधी कार्यनीति, मुख्य कार्य योजनाओं, जोखिम नीति, वार्षिक बजटों तथा कारबार संबंधी योजनाओं की समीक्षा और उनके संबंध में मार्गदर्शन करना, कार्य-निष्पादन संबंधी उद्देश्य तय करना, कार्यान्वयन तथा कारपोरेट संबंधी कार्य-निष्पादन का अनुश्रवण करना, और प्रमुख पूंजीगत व्ययों, अर्जनों तथा निर्निहितीकरणों (डाइवेस्टमेंट) पर निगरानी रखना।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी के संचालन संबंधी पद्धतियों की प्रभावकारिता का अनुश्रवण करना और उनमें यथा आवश्यक परिवर्तन करना ।
- (3) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का चयन करना, उन्हें प्रतिकर देना, उनका अनुश्रवण करना और, जब भी आवश्यक हो, उन्हें प्रतिस्थापित करना और उत्तरवर्ती योजना पर निगरानी रखना।
- (4) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा निदेशक बोर्ड के पारिश्रमिक को सूचीबद्ध एंटिटी तथा उसके शेयरधारकों के दीर्घावधिक हितों के अनुसार करना।
- (5) निदेशक बोर्ड में नामांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना, ताकि निदेशक बोर्ड में अलग-अलग विचार, अनुभव, ज्ञान, नजरिया रखने वाले व्यक्तियों की और साथ ही महिला-पुरुष दोनों की मौजूदगी सुनिश्चित हो सके।
- (6) प्रबंध-मंडल, निदेशक बोर्ड के सदस्यों तथा शेयरधारकों के संभावित हित-विरोधों [जिनमें कारपोरेट की आस्तियों (कारपोरेट असेट्स) तथा संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों का दुरुपयोग सम्मिलित है] का अनुश्रवण करना तथा उनका प्रबंध करना।
- (7) सूचीबद्ध एंटिटी की लेखा एवं वित्त संबंधी रिपोर्टिंग प्रणालियों, जिनमें स्वतंत्र लेखापरीक्षा सम्मिलित है, की सत्यिनष्ठा को सुनिश्चित करना, और यह सुनिश्चित करना कि समुचित नियंत्रण प्रणालियाँ, विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन, वित्त संबंधी एवं कार्य-संबंधी नियंत्रण प्रणालियाँ निर्धारित हैं, और विधि तथा संबद्ध मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।
- (8) प्रकटीकरण तथा संसूचनाओं की प्रक्रिया पर निगरानी रखना।
- (9) निदेशक बोर्ड के मूल्यांकन संबंधी ढाँचे का अनुश्रवण करना तथा उसकी समीक्षा करना ।

(iii) अन्य जिम्मेदारियाँ:

- (1) निदेशक बोर्ड सूचीबद्ध एंटिटी को कार्यनीति संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करेगा, प्रबंधन का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करेगा और सूचीबद्ध एंटिटी तथा शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह रहेगा।
- (2) निदेशक बोर्ड कारपोरेट कल्चर तथा मूल्य (वैल्यूज़) निर्धारित करेगा जिसके अनुसार पूरे ग्रुप (समूह) के अधिकारी व्यवहार करेंगे।
- (3) निदेशक बोर्ड के सदस्य पूरी जानकारी के आधार पर, सद्भावपूर्वक, सम्यक् तत्परता तथा सतर्कता के साथ, और सूचीबद्ध एंटिटी तथा शेयरधारकों के हित में कार्य करेंगे।
- (4) निदेशक बोर्ड निदेशकों, जो बने रहते हैं, के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निदेशक बोर्ड के सदस्यों को अद्यतन जानकारी मिलती रहे।
- (5) जहाँ निदेशक बोर्ड के विनिश्चय (निर्णय) भिन्न-भिन्न शेयरधारक समूहों को भिन्न-भिन्न रूप से प्रभावित कर सकते हों, वहाँ निदेशक बोर्ड सभी शेयरधारकों के साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार करेगा।
- (6) निदेशक बोर्ड नैतिकता के उच्च स्तर बनाए रखेगा और हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के हितों को ध्यान में रखेगा।
- (7) निदेशक बोर्ड कारपोरेट मामलों के संबंध में निष्पक्ष स्वतंत्र विवेकबुद्धि का प्रयोग करेगा।
- (8) निदेशक बोर्ड, निदेशक बोर्ड के गैर-कार्यपालक सदस्यों (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव मेंबर) की पर्याप्त संख्या नियत करने पर विचार करेगा, जो उन कार्यों, जहाँ हित-विरोध की संभावना हो, के संबंध में स्वतंत्र विवेकबुद्धि का प्रयोग करने में सक्षम हो।
- (9) निदेशक बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि, सही रूप से सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप अधिक-आशावाद की स्थिति उत्पन्न न हो जाए, जिसके कारण या तो महत्त्वपूर्ण जोखिमों की पहचान न की जा सके या सुचीबद्ध एंटिटी के लिए अति जोखिम की आशंका पैदा हो जाए।
- (10) निदेशक बोर्ड इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह पीछे हट (स्टेप बैक) सके, ताकि वह एग्ज़िक्यूटिव मैनेजमेंट (प्रबंध-मंडल) के लिए सहायक हो सके, और इस प्रकार: कार्यनीति (स्ट्रेटजी), कार्यनीति संबंधी पहल (जैसे कि अर्जन), जोखिम उठाने की क्षमता, एक्सपोज़र तथा सूचीबद्ध एंटिटी के मुख्य कार्यक्षेत्रों को चुनौती दी जा सके।
- (11) निदेशक बोर्ड की समितियों का गठन हो जाने पर, उनके मुख्य कार्यों को, उनकी संरचना को, और उनकी कार्य करने संबंधी प्रक्रियाओं को निदेशक बोर्ड द्वारा भली-भाँति निर्धारित किया जाएगा और प्रकट किया जाएगा।
- (12) निदेशक बोर्ड के सदस्य स्वयं अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी रूप से पूरा करने में समर्थ होंगे।
- (13) अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु, निदेशक बोर्ड के सदस्यों की सटीक, सुसंगत तथा सामयिक जानकारी तक पहुँच होगी।
- [14) निदेशक बोर्ड और ज्येष्ठ (विरिष्ठ) प्रबंध-मंडल की व्यवस्था ऐसी होगी कि स्वतंत्र निदेशक, निदेशक बोर्ड के सदस्य के रूप में और साथ ही निदेशक बोर्ड की सिमिति के सदस्य के रूप में, अपनी भूमिका प्रभावी रूप से अदा कर सकें।
- (3) सिद्धाँतों और सुसंगत विनियमों के बीच किसी संदिग्धता या विषमता की दशा में, इस अध्याय में विनिर्दिष्ट सिद्धाँत अभिभावी होंगे ।

अध्याय-III

सूचीबद्ध एंटिटी की सामान्य बाध्यताएँ

अनुपालन की साधारण बाध्यताएँ

5. सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि सूचीबद्ध एंटिटी के साथ व्यौहार करने वाले मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, निदेशक, संप्रवर्तक या कोई अन्य व्यक्ति इन विनियमों के अधीन उसे (उन्हें) सौंपी गई जिम्मेदारियों या बाध्यताओं, यदि कोई हों, का अनुपालन करे (करें)।

अनुपालन अधिकारी और उसकी बाध्यताएँ

- 6. (1) सुचीबद्ध एंटिटी अनुपालन अधिकारी के रूप में एक अर्हित (क्वालीफाइड) कंपनी सचिव को नियुक्त करेगी ।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी का अनुपालन अधिकारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा -

- (क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचीबद्ध एंटिटी के प्रति लागू विनियामक उपबंध (प्रावधान) भाषा और भाव की दृष्टि से अनुरूप हों।
- (ख) नियमों, विनियमों और बोर्ड, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) तथा निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़) के अन्य निदेशों की अनुपालना के संबंध में समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट रीति से इन प्राधिकरणों के साथ समन्वय करने और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए।
- (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही प्रक्रियाएँ अपनायी जाएँ, जिनके परिणामस्वरूप इन विनियमों के अधीन सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा दाखिल की गई जानकारी, दाखिल किए गए विवरणों और दाखिल की गई रिपोर्टों में सटीकता, प्रामाणिकता और व्यापकता आएगी।
- (घ) निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) द्वारा शिकायतें दर्ज किए जाने के प्रयोजनार्थ सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए शिकायत निवारण प्रभाग (डिवीजन) के ई-मेल पते का अनुश्रवण (को मॉनीटर) करने के लिए:

परंतु यह कि इस विनियम की अपेक्षाएँ पारस्परिक निधियों द्वारा जारी उन यूनिटों के मामले में लागू नहीं होंगी जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों, किंतु वे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के उपबंधों (प्रावधानों) के अनुसार विनियमित होंगी।

शेयर अंतरण अभिकर्ता (शेयर ट्रांसफर एजेंट)

- 7. (1) सूचीबद्ध एंटिटी शेयर अंतरण अभिकर्ता को नियुक्त करेगी या आंतरिक रूप से शेयर अंतरण सुविधा का प्रबंध करेगी:
 परंतु यह कि शेयर अंतरण की आंतरिक सुविधा के मामले में, जब कभी सूचीबद्ध एंटिटी की प्रतिभूतियों के धारकों की कुल संख्या
 एक लाख से अधिक हो जाए, तब सूचीबद्ध एंटिटी या तो बोर्ड के पास प्रवर्ग (श्रेणी) || के शेयर अंतरण अभिकर्ता के रूप में
 रजिस्टर होगी या बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को नियुक्त करेगी ।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि कागज़ी और इलेक्ट्रॉनिक शेयर अंतरण सुविधा संबंधी सभी क्रियाकलाप या तो आंतरिक रूप से किए जाएँ या बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता द्वारा किए जाएँ।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक छमाही की समाप्ति के एक महीने के भीतर, अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र एक्सचेंज को प्रस्तुत करेगी, जो सूचीबद्ध एंटिटी के अनुपालन अधिकारी और शेयर अंतरण अभिकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि दोनों, जहाँ कहीं भी लागू हो, द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित होगा, जिसके अंतर्गत यह प्रमाणित किया जाए कि उप-विनियम (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया गया है।
- (4) शेयर अंतरण अभिकर्ता में किसी बदलाव या नए शेयर अंतरण अभिकर्ता की नियुक्ति के मामले में, सूचीबद्ध एंटिटी मौजूदा शेयर अंतरण अभिकर्ता, नए शेयर अंतरण अभिकर्ता और सूचीबद्ध एंटिटी के बीच एक त्रिपक्षीय करार करेगी, उस रीति से जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए:
 - परंतु यह कि यदि शेयर अंतरण की मौजूदा सुविधा का आंतरिक रूप से प्रबंध किया जाता हो, तो ऊपर उल्लिखित करार सूचीबद्ध एंटिटी और नए शेयर अंतरण अभिकर्ता के बीच किया जाएगा।
- (5) सूचीबद्ध एंटिटी, उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट ऐसी नियुक्ति की सूचना करार किए जाने के सात दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को देगी ।
- (6) उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट करार निदेशक बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाएगा: परंतु यह कि इस विनियम की अपेक्षाएँ पारस्परिक निधियों द्वारा जारी उन यूनिटों के प्रति लागू नहीं होंगी जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सुचीबद्ध हों।

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्तियों के साथ सहयोग

8. सूचीबद्ध एंटिटी, जहाँ कहीं भी लागू हो, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्तियों, जैसे साख निर्धारण एजेंसियों, निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ताओं, डिबेंचर न्यासियों आदि के साथ सहयोग करेगी और उन्हें अधिनियम, विनियमों और उसके अधीन जारी किए गए परिपत्रों के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं के भीतर और प्रक्रियाओं के अनुसार सही तथा यथोचित जानकारी प्रस्तुत करेगी:

परंतु यह कि इस विनियम की अपेक्षाएँ पारस्परिक निधियों द्वारा जारी यूनिटों जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों के प्रति लागू नहीं होंगी, जिनके संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के उपबंध (प्रावधान) लागू होंगे।

दस्तावेज रखना

- दस्तावेज रखे जाने के संबंध में सूचीबद्ध एंटिटी की एक नीति होगी, जो उसके निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगी, ऐसे दस्तावेजों को कम से कम दो श्रेणियों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा,
 - (क) वे दस्तावेज जो हमेशा रखे जाएँगे;
 - (ख) वे दस्तावेज जो सुसंगत संव्यवहारों के पूरा होने के बाद कम से कम 8 वर्षों की अवधि तक रखे जाएँगे:

परंतु यह कि सूचीबद्ध एंटिटी खंड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में रख सकेगी ।

जानकारी दाखिल करना

- 10. (1) सूचीबद्ध एंटिटी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास रिपोर्टें, विवरण, दस्तावेज, फाइलिंग और कोई अन्य जानकारी बोर्ड या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर दाखिल करेगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी उप-विनियम (1) के अनुपालन हेतु अपेक्षित अवसंरचना लगाएगी।

इंतजाम की स्कीम

11. सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि इंतजाम (अरेन्जमेंट) / समामेलन (अमैलगमेशन) / विलयन (मर्जर) / पुनर्गठन (रिकंस्ट्रक्शन) / पूंजी घटाव आदि की कोई स्कीम, जो किसी न्यायालय या अधिकरण को प्रस्तुत की जानी हो, किसी भी प्रकार से प्रतिभूति विधियों के उपबंधों (प्रावधानों) का या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) की अपेक्षाओं का अतिक्रमण न करे, उन पर अभिभावी न हो (ओवरराइड न करे) या उन्हें सीमित न करे:

परंतु यह कि यह विनियम पारस्परिक निधि द्वारा निर्गमित उन यूनिटों के लिए लागू नहीं होगा जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों ।

लाभांश या ब्याज का भुगतान अथवा मोचन या चुकौती

- 12. सूचीबद्ध एंटिटी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान करने संबंधी सुविधाओं में से किसी सुविधा का उपयोग, अनुसूची-l में विनिर्दिष्ट रीति से, निम्नलिखित के भुगतान हेतु करेगी:
 - (क) लाभांश;
 - (ख) ब्याज:
 - (ग) मोचन या चुकौती की रकम:

परंतु यह कि जहाँ भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग संभव न हो, वहाँ 'सममूल्य पर देय' वारंट या चैक जारी किए जा सकेंगे:

परंतु यह और कि जहाँ लाभांश के रूप में देय रकम एक हजार पाँच सौ रुपये से अधिक हो, वहाँ 'सममूल्य पर देय' वारंट या चैक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाएँगे ।

शिकायत निवारण व्यवस्था

- 13. (1) सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए यथोचित कदम उठाए जाएँ।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि वह स्कोर्स के प्लेटफॉर्म पर अथवा बोर्ड के ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या सिस्टम (प्रणाली) पर रजिस्ट्रीकृत हो, जैसा समय-समय पर अनिवार्य किया जाएगा, ताकि बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति से निवेशकों की शिकायतों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दूर किया जा सके।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से इक्कीस दिनों के भीतर, तिमाही आधार पर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास विवरण दाखिल करेगी, जिसके अंतर्गत तिमाही के प्रारंभ में लंबित निवेशक (विनिधानकर्ताओं) शिकायतों की

संख्या, तिमाही के दौरान प्राप्त निवेशक शिकायतों की संख्या, तिमाही के दौरान निपटाई गई निवेशक शिकायतों की संख्या बताई जाएगी तथा उन निवेशक शिकायतों की संख्या बताई जाएगी जिनका तिमाही की समाप्ति तक निवारण न हो पाया हो ।

(4) उप-विनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट विवरण सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड के समक्ष, तिमाही आधार पर, रखा जाएगा ।

मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को अदा की जाने वाली फीस तथा अन्य प्रभार

14. सूचीबद्ध एंटिटी ऐसी समस्त फीस या प्रभार, जो लागू हों, बोर्ड या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को अदा करेगी।

अध्याय- IV

उस सुचीबद्ध एंटिटी की बाध्यताएँ जिसने अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभृतियों को सुचीबद्ध कराया हो

लागू होना

- **15.** (1) इस अध्याय के उपबंध उस सूचीबद्ध एंटिटी के प्रति लागू होंगे जिसने अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (किन्हीं मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों) में, या तो मुख्य-बोर्ड या एसएमई एक्सचेंज में या संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म) पर सूचीबद्ध कराया हो।
- (2) विनियम 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 में और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) तथा अनुसूची-V के पैरा ग, घ एवं ङ में यथा विनिर्दिष्ट कंपनी शासन (कारपोरेट गवर्नेंस) संबंधी उपबंध (प्रावधान) -
 - (क) उस सूचीबद्ध एंटिटी के संबंध में लागू नहीं होंगे, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को जिसकी समादत्त इक्विटी शेयर पूँजी दस करोड़ रुपये से अधिक न हो और शुद्ध-मालियत (नेट वर्थ) पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक न हो:
 - परंतु यह कि जहाँ इस विनियम के परंतुक में विनिर्दिष्ट विनियमों के उपबंध (प्रावधान) किसी सूचीबद्ध एंटिटी के प्रति बाद वाली तारीख को लागू होते हों, वहाँ ऐसी सूचीबद्ध एंटिटी उस तारीख से छह महीनों के भीतर उन विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी, जिस तारीख से ये उपबंध (प्रावधान) सूचीबद्ध एंटिटी के प्रति लागू हो जाते हों।
 - (ख) उस सूचीबद्ध एंटिटी के संबंध में लागू नहीं होंगे जिसने अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया हो:

परंतु यह कि उन अन्य सूचीबद्ध एंटिटियों के लिए, जो कंपनियाँ न हों, किंतु निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हों या अन्य कानूनों के तहत विनियमों के अध्यधीन हों, विनियम 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) और अनुसूची-V के पैरा ग, घ एवं ङ में यथा विनिर्दिष्ट कंपनी शासन (कारपोरेट गवर्नेंस) संबंधी प्रावधान (उपबंध) उस हद तक लागू होंगे कि उनसे उनके संबंधित कानूनों और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धाँतों (गाइडलाइन्स) या निदेशों का उल्लंघन (अतिक्रमण) न हो।

(3) उपरोक्त उप-विनियम (2) के होते हुए भी, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू रहेंगे, जहाँ कहीं भी वे लागू हों।

परिभाषाएँ

- 16. (1) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
 - (क) "नियंत्रण" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अधीन उसके लिए नियत है;
 - (ख) "स्वतंत्र निदेशक" से वह गैर-कार्यपालक निदेशक अभिप्रेत है, जो सूचीबद्ध एंटिटी के नामनिर्देशिती (नामिती / नॉमिनी) निदेशक से भिन्न हो:
 - (i) जो निदेशक बोर्ड की राय में, निष्ठावान व्यक्ति हो और जो सुसंगत विशेषज्ञता तथा अनुभव रखता हो;
 - (ii) जो सूचीबद्ध एंटिटी या उसकी नियंत्री (होल्डिंग), समनुषंगी (सब्सिडियरी) या सहयुक्त (असोसिएट) कंपनी का संप्रवर्तक न हो या न रहा हो;
 - (iii) जो सूचीबद्ध एंटिटी, उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयक्त कंपनी के संप्रवर्तकों या निदेशकों से संबंध न रखता हो;

- (iv) जिसका, ठीक पहले के दो वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक का पारिश्रमिक प्राप्त करने के अलावा, सूचीबद्ध एंटिटी, उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों, या निदेशकों के साथ कोई महत्त्वपूर्ण (तात्विक) धनीय (आर्थिक) संबंध न हो या न रहा हो;
- (v) जिसके किसी भी नातेदार का सूचीबद्ध एंटिटी, उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों, या निदेशकों के साथ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान या ठीक पहले के दो वित्तीय वर्षों के दौरान कोई धनीय (आर्थिक) संबंध न हो या न रहा हो अथवा जो उसके या उनके साथ कोई संव्यवहार न करता हो या जिसने उसके या उनके साथ कोई संव्यवहार न किया हो, जो उसके सकल व्यापारावर्त (टर्नओवर) या उसकी कुल आय के दो प्रतिशत या उससे अधिक अथवा पचास लाख रुपये अथवा ऐसी उच्चतर रकम जो समय-समय पर विहित की जाए, जो भी कम हो, के बराबर हो;
- (vi) जो, न तो स्वयं, और न ही उसका (उसके) कोई नातेदार
 - (क) वित्तीय वर्ष, जिसमें उसे नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव रखा गया हो, से ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी वित्तीय वर्ष में सूचीबद्ध एंटिटी या उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक हो या रहा हो अथवा का कर्मचारी हो या रहा हो;
 - (ख) वित्तीय वर्ष, जिसमें उसे नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव रखा गया हो, से ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी वित्तीय वर्ष में.—
 - (1) सूचीबद्ध एंटिटी या उसकी नियंत्री (होल्डिंग), समनुषंगी (सब्सीडियरी) या सहयुक्त कंपनी के पेशेवर कंपनी सचिवों या लेखापरीक्षकों की फर्म या लागत लेखापरीक्षकों का; या
 - (2) किसी विधिक (लीगल) या परामर्शी फर्म का, जो सूचीबद्ध एंटिटी, उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के साथ कोई ऐसा संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) करता हो या जिसने सूचीबद्ध एंटिटी, उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के साथ कोई ऐसा संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) किया हो, जो ऐसी फर्म के सकल व्यापारावर्त (टर्नओवर) का दस प्रतिशत या उससे अधिक हो,
 - कर्मचारी या स्वत्वधारी (प्रॉपराइटर) या भागीदार हो या रहा हो;
 - (ग) अपने नातेदारों के साथ मिलकर, सूचीबद्ध एंटिटी की कुल मतदान शक्ति का दो प्रतिशत या उससे अधिक धारण करता हो; या
 - (घ) जो किसी लाभ न कमाने वाले (नॉन-प्रॉफिट) उस संगठन का मुख्य कार्यपालक या निदेशक, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, हो जो सूचीबद्ध एंटिटी, उसके संप्रवर्तकों, निदेशकों में से किसी संप्रवर्तक या निदेशक, उसकी नियंत्री (होल्डिंग), समनुषंगी (सब्सिडयरी) या सहयुक्त कंपनी से अपनी प्राप्तियों या कार्पस का पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्त करता हो या जो सूचीबद्ध एंटिटी की कुल मतदान शक्ति का दो प्रतिशत या उससे अधिक धारण करता हो;
 - (ङ) जो सूचीबद्ध एंटिटी का सामग्री प्रदाता (मटीरियल सप्लायर), सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) या ग्राहक या पट्टाकर्ता या पट्टेदार हो;
- (vii) जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष की हो।
- (ग) "महत्त्वपूर्ण समनुषंगी" से वह समनुषंगी अभिप्रेत होगी, जिसकी आय या शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) ठीक पहले के लेखावर्ष में सुचीबद्ध एंटिटी और उसकी समानुषंगियों की क्रमश: समेकित आय या शुद्ध-मालियत के बीस प्रतिशत से अधिक हो।

स्पष्टीकरण: सूचीबद्ध एंटिटी 'महत्त्वपूर्ण' समनुषंगी का निर्धारण करने के संबंध में नीति बनाएगी।

(घ) "ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल" से सूचीबद्ध एंटिटी के वे अधिकारी/कार्मिक अभिप्रेत होंगे जो उसके मुख्य प्रबंधन दल (जिसमें निदेशक बोर्ड सम्मिलित नहीं है) के सदस्य हों, और सामान्यत: इसमें कार्यपालक निदेशकों से एक स्तर नीचे के प्रबंध-मंडल के सभी सदस्य समाविष्ठ होंगे, जिनमें सभी कार्यों के प्रमुख सम्मिलित हैं।

निदेशक बोर्ड

- 17. (1) सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड की संरचना निम्नानुसार होगी:
 - (क) निदेशक बोर्ड में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का उपयुक्त समावेश होगा जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक होगी और निदेशक बोर्ड में कम से कम पचास प्रतिशत गैर-कार्यपालक निदेशक होंगे;
 - (ख) जहाँ निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष गैर-कार्यपालक निदेशक हो, वहाँ निदेशक बोर्ड में कम से कम एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे और जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी में कोई नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष न हो, वहाँ निदेशक बोर्ड में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे:

परंतु यह कि जहाँ नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध एंटिटी का संप्रवर्तक हो अथवा किसी संप्रवर्तक से संबद्ध हो अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से संबद्ध हो, जो निदेशक बोर्ड के स्तर के या निदेशक बोर्ड से एक स्तर नीचे के प्रबंध-मंडल से जुड़े ओहदों पर हो, वहाँ सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनार्थ, पद "संप्रवर्तक से संबद्ध हो" का निम्नलिखित अर्थ होगा:

- (i) यदि संप्रवर्तक एक सूचीबद्ध एंटिटी है, तो स्वतंत्र निदेशकों से भिन्न उसके निदेशक, उसके कर्मचारी या उसके नामिती उससे संबद्ध समझे जाएंगे:
- (ii) यदि संप्रवर्तक एक असूचीगत (अनिलिस्टिड) एंटिटी है, तो उसके निदेशक, उसके कर्मचारी या उसके नामिती उससे संबद्ध समझे जाएंगे।
- (2) निदेशक बोर्ड एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगा, और किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम समय-अंतराल एक सौ बीस दिनों का होगा।
- (3) निदेशक बोर्ड सूचीबद्ध एंटिटी पर लागू समस्त विधियों के संबंध में सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा तैयार की गई अनुपालन रिपोर्टों और साथ ही अननुपालनों के संबंध में सुधार लाने के लिए सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा उठाए गए कदमों की समय-समय पर समीक्षा करेगा।
- (4) सूचीबद्ध एंटिटी का निदेशक बोर्ड स्वयं का यह समाधान करेगा कि निदेशक बोर्ड और ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल की नियुक्ति हेतु सुव्यवस्थित उत्तराधिकार संबंधी योजनाएँ बनाई गई हैं।
- (5) (क) निदेशक बोर्ड सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड और ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल के सभी सदस्यों के लिए आचार संहिता निर्धारित करेगा।
 - (ख) आचार संहिता में स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को यथोचित रूप से सम्मिलित किया जाएगा, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित है।
- (6) (क) निदेशक बोर्ड, गैर-कार्यपालक निदेशकों (जिनमें स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित हैं) को देय, समस्त फीस या प्रतिकर (कॉम्पन्सेशन), यदि कोई हो, की सिफारिश करेगा और साधारण बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करेगा।
 - (ख) साधारण बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन अभिप्राप्त करने की अपेक्षा गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान करने के प्रति लागू नहीं होगी, यदि वह केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना बैठक शुल्क का भुगतान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमाओं के भीतर किया गया हो।
 - (ग) खंड (क) में उल्लिखित शेयरधारकों के अनुमोदन में, उन स्टॉक ऑप्शनों की अधिकतम संख्या हेतु सीमाएँ विनिर्दिष्ट होंगी जो, किसी वित्तीय वर्ष में और कुल मिलाकर, गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदान किए जा सकेंगे।
 - (घ) स्वतंत्र निदेशक किसी स्टॉक ऑप्शन के हकदार नहीं होंगे।
- (7) निदेशक बोर्ड के समक्ष रखी जाने वाली न्यूनतम जानकारी अनुसूची-॥ के भाग-क में विनिर्दिष्ट है।
- (8) मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी निदेशक बोर्ड को अनुसूची-II के भाग-ख में यथा विनिर्दिष्ट अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र देंगे।
- (9) (क) सूचीबद्ध एंटिटी जोखिम का आकलन करने तथा उसे कम करने संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में निदेशक बोर्ड के सदस्यों को जानकारी देने की प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगी।

- (ख) निदेशक बोर्ड सूचीबद्ध एंटिटी के लिए जोखिम प्रबंधन योजना बनाने, उसे कार्यान्वित करने और उसका अनुश्रवण करने के लिए जिम्मेदार होगा ।
- (10) स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन संपूर्ण निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा:

परंतु यह कि उपरोक्त मुल्यांकन में वे निदेशक भाग नहीं लेंगे जिनका मुल्यांकन किया जाना हो।

लेखापरीक्षा समिति

- **18.** (1) प्रत्येक सूचीबद्ध एंटिटी विचारार्थ विषयों के अनुसार, निम्नलिखित के अध्यधीन, अर्हित एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगी:
 - (क) लेखापरीक्षा समिति में सदस्यों के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे।
 - (ख) लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों में से दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।
 - (ग) लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्यों को वित्त-संबंधी ज्ञान होगा और कम से कम एक सदस्य को लेखा (अकाउंटिंग) या संबंधित वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता होगी।

स्पष्टीकरण (1).- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, "वित्त-संबंधी ज्ञान" से आधारभूत वित्तीय विवरणों, अर्थात् तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखे, तथा नकदी प्रवाहों के विवरण, को पढ़ने और समझने की योग्यता अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण (2).- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, सदस्य को लेखा (अकाउंटिंग) या संबंधित वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाला माना जाएगा यदि उसका वित्त या लेखा (अकाउंटिंग) में अनुभव हो, अथवा उसके पास लेखे (अकाउंटिंग) के पेशे का अपेक्षित प्रमाणीकरण हो, अथवा कोई ऐसा अन्य तुल्य अनुभव या ज्ञान हो जिससे व्यक्ति की वित्तीय विशेषज्ञता का पता चलता हो, जिसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी या अन्य ज्येष्ठ अधिकारी (जिनके पास वित्त संबंधी अन्वेक्षा की जिम्मेदारियाँ हों) के पद पर हो या रह चुका हो।

- (घ) लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा और वह शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित रहेगा ।
- (ङ) कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (च) लेखापरीक्षा समिति अपने विवेक से वित्त निदेशक (फाइनेंस डायरेक्टर) या वित्त संबंधी कृत्य के प्रमुख, आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख और कानूनी लेखापरीक्षा के प्रतिनिधि और ऐसे किन्हीं अन्य अधिकारियों आदि को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करेगी:

परंतु यह कि कभी-कभी लेखापरीक्षा समिति सूचीबद्ध एंटिटी के किसी अधिकारी (एग्ज़िक्यूटिव) आदि की उपस्थिति के बिना बैठक कर सकेगी ।

- (2) सूचीबद्ध एंटिटी निम्नलिखित प्रकार से लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का संचालन करेगी:
 - (क) लेखापरीक्षा समिति एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगी और दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का समय नहीं बीतेगा ।
 - (ख) लेखापरीक्षा समिति की बैठक के लिए कोरम या तो लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य या उसके एक-तिहाई सदस्य, जो भी अधिक हो, का होगा, जिसमें कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे।
 - (ग) लेखापरीक्षा समिति के पास अपने कर्तव्यों के भीतर किसी क्रियाकलाप का अन्वेषण करने, किसी कर्मचारी से जानकारी मंगाने, बाहर से कानूनी (विधिक) या अन्य पेशेवर सलाह अभिप्राप्त करने और सुसंगत विशेषज्ञता-रखने वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने, यदि वह आवश्यक समझे, की शक्तियाँ होंगी।
- (3) लेखापरीक्षा समिति की भूमिका वही होगी और लेखापरीक्षा समिति द्वारा उसी जानकारी की समीक्षा की जाएगी, जैसा अनुसूची-II के भाग-ग में विनिर्दिष्ट है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

- 19. (1) निदेशक बोर्ड नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन निम्नानुसार करेगा:
 - (क) समिति में कम से कम तीन निदेशक समाविष्ट होंगे;

- (ख) समिति के सभी निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक होंगे; और
- (ग) निदेशकों में से कम से कम पचास प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।
- (2) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा:
 - परंतु यह कि सूचीबद्ध एंटिटी के अध्यक्ष, चाहे कार्यपालक हो या गैर-कार्यपालक, को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा और वह ऐसी समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा ।
- (3) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित हो सकेगा; हालाँकि, यह विनिश्चय अध्यक्ष करेगा कि प्रश्नों के उत्तर कौन देगा।
- (4) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका वही होगी जो अनुसूची-॥ के भाग-घ में विनिर्दिष्ट है ।

हितधारक संबंध समिति

- **20.** (1) सूचीबद्ध एंटिटी हितधारक (स्टेकहोल्डर) संबंध समिति का गठन करेगी, ताकि वह विशेष रूप से शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य प्रतिभृति धारकों की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था पर ध्यान दे सके।
- (2) समिति का अध्यक्ष गैर-कार्यपालक निदेशक होगा।
- (3) निदेशक बोर्ड इस समिति के अन्य सदस्यों के संबंध में विनिश्चय (निर्णय) करेगा।
- (4) हितधारक संबंध समिति की भूमिका वही होगी जो अनुसूची-॥ के भाग-घ में विनिर्दिष्ट है।

जोखिम प्रबंधन समिति

- 21. (1) निदेशक बोर्ड जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगा।
- (2) जोखिम प्रबंधन समिति के अधिकांश सदस्य निदेशक बोर्ड के सदस्य होंगे।
- (3) जोखिम प्रबंधन समिति का अध्यक्ष निदेशक बोर्ड का सदस्य होगा और सूचीबद्ध एंटिटी के ज्येष्ठ अधिकारी आदि समिति के सदस्य हो सकेंगे।
- (4) निदेशक बोर्ड जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका तथा जिम्मेदारी को निर्धारित करेगा और समिति को जोखिम प्रबंधन योजना का अनुश्रवण तथा उसकी समीक्षा करने संबंधी कार्य और ऐसे अन्य कार्य सौंप सकेगा, जैसा वह ठीक समझे ।
- (5) इस विनियम के उपबंध (प्रावधान) उन शीर्ष 100 सूचीबद्ध एंटिटियों के प्रति लागू होंगे, जिनका निर्धारण, ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बाजार पूँजीकरण के आधार पर किया जाएगा ।

सतर्कता संबंधी व्यवस्था

- **22.** (1) सूचीबद्ध एंटिटी निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता संबंधी व्यवस्था बनाएगी, ताकि वे वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट कर सकें।
- (2) सतर्कता संबंधी व्यवस्था (विजील मैकेनिज्म) निदेशक (निदेशकों) या कर्मचारी (कर्मचारियों) या किसी अन्य व्यक्ति (जो इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं) को पीड़ित किए जाने के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगी और साथ ही समुचित या असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच भी प्रदान करेगी।

संबद्ध पक्षकार संव्यवहार

- 23. (1) सूचीबद्ध एंटिटी संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों की महत्ता के संबंध में और संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के साथ व्यौहार करने के संबंध में नीति बनाएगी।
 - स्पष्टीकरण.- संबद्ध पक्षकार के साथ किसी संव्यवहार को महत्त्वपूर्ण समझा जाएगा यदि किया जाने वाला (किए जाने वाले) संव्यवहार अलग-अलग या वित्तीय वर्ष के दौरान हुए पिछले संव्यवहारों के साथ मिलकर, सूचीबद्ध एंटिटी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध एंटिटी के वार्षिक समेकित व्यापारावर्त (टर्नओवर) के दस प्रतिशत से अधिक हो जाता हो (हो जाते हों)।
- (2) सभी संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के संबंध में लेखापरीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।
- (3) लेखापरीक्षा समिति सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्रदान कर सकेगी, अर्थात्-

- (क) लेखापरीक्षा समिति सूचीबद्ध एंटिटी के संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों से संबंधित नीति के अनुरूप बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करेगी और ऐसा अनुमोदन उन संव्यवहारों (ट्रांजेक्शन्स) के संबंध में लागू होगा जो बार-बार होते हों;
- (ख) लेखापरीक्षा समिति ऐसे बहुप्रयोजनीय अनुमोदन की आवश्यकता के संबंध में और इस संबंध में कि ऐसा अनुमोदन सूचीबद्ध एंटिटी के हित में है, अपना समाधान करेगी;
- (ग) बहुप्रयोजनीय अनुमोदन में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट (का उल्लेख) होगा:
 - (i) संबद्ध पक्षकार का (के) नाम, संव्यवहार का स्वरूप, संव्यवहार की अवधि, संव्यवहारों की अधिकतम मात्रा;
 - (ii) सूचक आधार कीमत (इंडिकेटिव बेस प्राइस)/वर्तमान संविदागत कीमत और कीमत में उतार-चढ़ाव का फार्मुला, यदि कोई हो; और
 - (iii) ऐसी अन्य शर्तें जो लेखापरीक्षा समिति ठीक समझे:
 - परंतु यह कि जहाँ संबद्ध पक्षकार संव्यवहार की आवश्यकता की पूर्वकल्पना न की जा सकती हो और उपरोक्त ब्यौरे उपलब्ध न हों, वहाँ लेखापरीक्षा समिति ऐसे संव्यवहारों के लिए बहुप्रयोजनीय अनुमोदन इस बात के अध्यधीन प्रदान कर सकेगी कि उनका मूल्य एक करोड़ रुपये प्रति संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) से अधिक न हो;
- (घ) लेखापरीक्षा समिति दिए गए प्रत्येक बहुप्रयोजनीय अनुमोदन के अनुसरण में सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा किए गए संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के ब्यौरों की समीक्षा, कम से कम तिमाही आधार पर, करेगी;
- (ङ) ऐसे बहुप्रयोजनीय अनुमोदन एक वर्ष तक की अवधि के लिए वैध रहेंगे और एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् नए अनुमोदनों की अपेक्षा होगी ।
- (4) सभी महत्त्वपूर्ण (तात्विक) संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के संबंध में संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित होगा और संबद्ध पक्षकार ऐसे संकल्पों के संबंध में होने वाले मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, इस बात का विचार किए बिना कि एंटिटी किसी विशिष्ट संव्यवहार में संबद्ध पक्षकार है या नहीं।
- (5) उप-विनियम (2), (3) एवं (4) के उपबंध निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे:
 - (क) दो सरकारी कंपनियों के बीच हुए संव्यवहार;
 - (ख) नियंत्री (धारिता) कंपनी (होल्डिंग कंपनी) और उसकी पूर्णतया स्वामित्व वाली समनुषंगी (सब्सिडयरी) के बीच हुए संव्यवहार, जिसके लेखे ऐसी नियंत्री (धारिता) कंपनी के साथ समेकित किए जाते हों और साधारण बैठक में अनुमोदन हेतु शेयरधारकों के समक्ष रखे जाते हों।

स्ष्टीकरण.- खंड (क) के प्रयोजनार्थ, "सरकारी कंपनी (कंपनियों)" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (45) में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी अभिप्रेत है ।

- (6) इस विनियम के उपबंध समस्त भावी संव्यवहारों (ट्रांजेक्शन्स) के प्रति लागू होंगे।
- (7) इस विनियम के प्रयोजनार्थ, संबद्ध पक्षकारों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली सभी एंटिटियाँ मतदान में हिस्सा नहीं लेंगी, इस बात का विचार किए बिना कि एंटिटी किसी विशिष्ट संव्यवहार में पक्षकार (पार्टी) है या नहीं ।
- (8) सभी मौजूदा महत्त्वपूर्ण (तात्विक) संबद्ध पक्षकार संविदाएँ या इंतजाम जो इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले किए गए हों और जो ऐसी तारीख के पश्चात् भी जारी रह सकेंगे, इन विनियमों की अधिसूचना के बाद होने वाली पहली साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए रखे जाएँगे ।

सूचीबद्ध एंटिटी की समनुषंगी (सब्सिडयरी) की बाबत कंपनी शासन संबंधी अपेक्षाएँ

- 24. (1) सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक भारत में निगमित असूचीगत (अनलिस्टिड) महत्त्वपूर्ण समनुषंगी (सब्सिडयरी) के निदेशक बोर्ड में निदेशक होगा ।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी की लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों, विशिष्टतया, असूचीगत समनुषंगी द्वारा किए गए निवेशों (विनिधानों) की भी समीक्षा करेगी ।
- (3) असूचीगत समनुषंगी के निदेशक बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड की बैठक में रखे जाएँगे ।

- (4) असूचीगत (अनलिस्टिड) समनुषंगी (सब्सीडियरी) का प्रबंध-मंडल असूचीगत समनुषंगी द्वारा किए गए सभी महत्त्वपूर्ण संव्यवहारों और इंतजामों के विवरण से सचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड को समय-समय पर अवगत कराएगा।
- स्पष्टीकरण.- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्द "महत्त्वपूर्ण संव्यवहार या इंतजाम" से कोई ऐसा पृथक संव्यवहार या इंतजाम अभिप्रेत होगा जो ठीक पहले के लेखा वर्ष हेतु असूचीगत महत्त्वपूर्ण (तात्विक/मटिरियल) समनुषंगी की, यथास्थिति, कुल आमदनी या कुल खर्चों या कुल आस्तियों (असेट्स) या कुल दायित्वों के दस प्रतिशत से अधिक हो या अधिक होने की संभावना हो ।
- (5) सूचीबद्ध एंटिटी, अपनी साधारण बैठक में विशेष संकल्प पारित किए बिना, अपनी महत्त्वपूर्ण समनुषंगी के शेयरों का व्ययन नहीं करेगी जिसके परिणामस्वरूप उसकी शेयरधारिता (चाहे उसकी स्वयं की या अन्य समनुषंगियों के साथ मिलाकर) पचास प्रतिशत से कम हो जाए या वह समनुषंगी पर नियंत्रण रखना बंद नहीं करेगी, उन मामलों को छोड़कर जहाँ ऐसा निर्निहितीकरण (डाइवेस्टमेंट) न्यायालय/अधिकरण (ट्रायब्युनल) द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित इंतजाम की स्कीम के अधीन किया गया हो।
- (6) वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर महत्त्वपूर्ण समनुषंगी की आस्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक की आस्तियों का विक्रय करने, व्ययन करने और उन्हें पट्टे पर देने के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा, जब तक कि विक्रय/व्ययन / पट्टा न्यायालय/अधिकरण (ट्रायब्युनल) द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित इंतजाम की स्कीम के अधीन न किया गया हो ।
- (7) जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी की सूचीबद्ध समनुषंगी हो, जो स्वयं एक नियंत्री (धारिता) कंपनी हो, वहाँ इस विनियम के उपबंध सूचीबद्ध समनुषंगी के प्रति लागू होंगे, जहाँ तक उसकी समनुषंगियों का संबंध हो ।

स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में बाध्यताएँ

- 25. (1) कोई व्यक्ति सात से अधिक सूचीबद्ध एंटिटियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवारत नहीं रहेगा:

 परंतु यह कि कोई व्यक्ति, जो किसी सूचीबद्ध एंटिटी में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में सेवारत हो, तीन से अधिक सूचीबद्ध एंटिटियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवारत नहीं रहेगा।
- (2) स्वतंत्र निदेशक का अधिकतम कार्यकाल कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन, इस संबंध में, समय-समय पर, बनाए गए नियमों के अनुसार होगा ।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी के स्वतंत्र निदेशक, गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंध-मंडल के सदस्यों के बिना, एक वर्ष में कम से कम एक बैठक करेंगे और सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठक में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे।
- (4) उप-विनियम (3) के अधीन निर्दिष्ट (उल्लिखित) बैठक में स्वतंत्र निदेशक, अन्य बातों के साथ-साथ -
 - (क) समग्र रूप से गैर-स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करेंगे;
 - (ख) कार्यपालक निदेशकों और गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, सूचीबद्ध एंटिटी के अध्यक्ष के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करेंगे:
 - (ग) सूचीबद्ध एंटिटी के प्रबंध-मंडल और निदेशक बोर्ड के बीच जानकारी के आदान-प्रदान की गुणवत्ता (क्वॉलिटी), मात्रा और समयबद्धता का आकलन करेंगे जो निदेशक बोर्ड के लिए उनके कर्तव्यों का प्रभावी रूप से और युक्तियुक्त रूप से पालन करने के लिए आवश्यक हो।
- (5) स्वतंत्र निदेशक को, केवल सूचीबद्ध एंटिटी की ऐसी लोप या करण त्रुटियों की बाबत दायी ठहराया जाएगा जो उसकी जानकारी में हुई हों, जो निदेशक बोर्ड की प्रक्रियाओं के कारण हुई हों, और जो उसकी सहमित या मौनानुकुलता से हुई हों या जहाँ उसने इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों (प्रावधानों) की बाबत तत्परतापूर्वक कार्य न किया हो।
- (6) जो स्वतंत्र निदेशक सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड से त्यागपत्र देता है या जिसे सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड से हटाया जाता है, उस स्वतंत्र निदेशक के स्थान पर सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा नया स्वतंत्र निदेशक शीघ्रातिशीघ्र, किंतु निदेशक बोर्ड की ठीक अगली बैठक या इस प्रकार पद रिक्त होने की तारीख से तीन महीनों के अपश्चात्, जो भी बाद में हो, लाया जाएगा:
- परंतु यह कि जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी अपने निदेशक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों संबंधी अपेक्षा को, ऐसे त्यागपत्र या इस प्रकार हटाए जाने से हुए रिक्त पद को भरे बिना, पूरा करती हो, वहाँ नए स्वतंत्र निदेशक को लाए जाने की अपेक्षा लागू नहीं होगी ।
- (7) सूचीबद्ध एंटिटी स्वतंत्र निदेशकों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सूचीबद्ध एंटिटी के बारे में परिचित कराएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:

- (क) उद्योग (इंडस्ट्री) का स्वरूप, जिसमें सूचीबद्ध एंटिटी अपना कामकाज करती हो;
- (ख) सूचीबद्ध एंटिटी का कारबार (बिजनेस) मॉडल;
- (ग) स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका, उनके अधिकार, उनकी जिम्मेदारियाँ; और
- (घ) कोई अन्य सुसंगत जानकारी।

निदेशकों और ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल के संबंध में बाध्यताएँ

- **26.** (1) कोई निदेशक, जिन सभी सूचीबद्ध एंटिटियों में वह निदेशक हो, की दस से अधिक सिमितियों में सदस्य नहीं होगा या पाँच से अधिक सिमितियों में अध्यक्ष नहीं होगा, जिसका अवधारण निम्नानुसार किया जाएगा:
 - (क) सभी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों, चाहे सूचीबद्ध हो या नहीं, की समितियों की अधिकतम संख्या, जिनमें निदेशक अपनी सेवाएँ दे सकेगा, को सम्मिलित किया जाएगा और अन्य सभी कंपनियों (जिनमें सम्मिलित हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन कंपनियाँ) को सम्मिलित नहीं किया जाएगा;
 - (ख) अधिकतम संख्या का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ, केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता और सदस्यता पर ही विचार किया जाएगा ।
- (2) प्रत्येक निदेशक सूचीबद्ध एंटिटी को यह सूचित करेगा कि वह दूसरी सूचीबद्ध एंटिटियों में कितनी समितियों में पद धारण करता है और सूचीबद्ध एंटिटी को इस संबंध में बदलाव होते ही सूचित करेगा ।
- (3) निदेशक बोर्ड के सभी सदस्य और ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल कार्मिक वार्षिक आधार पर निदेशक बोर्ड और ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल की आचार संहिता के अनुपालन की अभिपृष्टि करेंगे ।
- (4) गैर-कार्यपालक निदेशक उस सूचीबद्ध एंटिटी, जिसमें उन्हें निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव हो, में या तो उनके द्वारा या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिए हिताधिकारी (बेनिफिशियल) आधार पर धारित अपनी शेयरधारिता को, ऐसे निदेशक की नियुक्ति हेतु बुलाई जाने वाली साधारण बैठक की सूचना (के नोटिस) में प्रकट करेंगे।
- (5) ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल निदेशक बोर्ड को उन सभी महत्त्वपूर्ण (तात्विक), वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहारों (ट्रांजेक्शन्स) के संबंध में प्रकटीकरण करेगा, जहाँ उनका निजी हित हो और जिसके संबंध में सूचीबद्ध एंटिटी के साथ व्यापक हित-विरोध की संभावना हो ।

स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, हित-विरोध का संबंध सूचीबद्ध एंटिटी के शेयरों में व्यौहार (लेनदेन) करने, उन निकायों के साथ वाणिज्यिक व्यौहार करने से है, जिनके पास प्रबंध-मंडल और उनके नातेदारों आदि की शेयरधारिता हो ।

कंपनी शासन संबंधी अन्य अपेक्षाएँ

- **27**. (1) सूचीबद्ध एंटिटी, अपने विवेक से, अनुसूची- II के भाग-ङ में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।
- (2) (क) सूचीबद्ध एंटिटी कंपनी शासन के संबंध में तिमाही अनुपालन रिपोर्ट, बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में, तिमाही की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत करेगी।
 - (ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ किए जाने वाले समस्त महत्त्वपूर्ण (तात्विक) संव्यवहारों के ब्यौरे उप-विनियम (2) के खंड (क) में उल्लिखित रिपोर्ट के साथ प्रकट किए जाएँगे।
 - (ग) उप-विनियम (2) के खंड (क) में उल्लिखित रिपोर्ट पर या तो सूचीबद्ध एंटिटी के अनुपालन अधिकारी द्वारा या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे ।

मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) का सैद्धांतिक अनुमोदन

- 28. (1) सूचीबद्ध एंटिटी, प्रतिभूतियों का निर्गमन (को इश्यू) करने से पूर्व, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से निम्नलिखित रीति में 'सैद्धांतिक अनुमोदन' अभिप्राप्त करेगी:
 - (क) जहाँ प्रतिभूतियाँ केवल राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनलों वाले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों, वहाँ ऐसे सभी स्टॉक एक्सचेंजों से;
 - (ख) जहाँ प्रतिभूतियाँ राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनलों वाले किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न हों, वहाँ उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों से जिनमें निर्गमकर्ता (इश्युअर) की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है;

- (ग) जहाँ प्रतिभूतियाँ राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनलों वाले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में और जिस (जिन) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनल न हों उस (उन) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सुचीबद्ध हों, वहाँ राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनलों वाले सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से ।
- (2) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से सैद्धांतिक अनुमोदन अभिप्राप्त करने की अपेक्षा इंतजाम की स्कीम के अनुसरण में निर्गमित प्रतिभूतियों के लिए लागू नहीं होगी, जिसके लिए सूचीबद्ध एंटिटी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से विनियम 37 के अनुसार पहले से ही अनापत्ति पत्र अभिप्राप्त कर चुकी है।

पूर्व सूचना

- 29. (1) सूचीबद्ध एंटिटी निदेशक बोर्ड की बैठक के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को पूर्व सूचना देगी, जिसमें नीचे दिए गए किसी प्रस्ताव पर विचार किया जाना हो:
 - (क) वित्तीय परिणाम, अर्थात्, यथास्थिति, तिमाही, छमाही, या वार्षिक;
 - (ख) प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेने (बाय-बैक) का प्रस्ताव;
 - (ग) सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से स्वैच्छिक असूचीबद्धता का प्रस्ताव;
 - (घ) बाद वाले सार्वजनिक प्रस्ताव, साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू), अमरीकी निक्षेपागार रसीदें (एडीआर)/वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर)/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय (कन्वर्टिबल) बॉण्डों, अर्हित संस्था नियोजन (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन्स प्लेसमेंट), ऋण निर्गम (डैट इश्यू), अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) या किसी अन्य प्रकार से निधि (फंड) जुटाने और निर्गम कीमत के निर्धारण हेतु:

 परंतु यह कि वार्षिक साधारण बैठक या असामान्य साधारण बैठक या डाक मतपत्र के मामले में भी सूचना दी जाएगी जिसे और निधि (फंड) जुटाने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अभिप्राप्त करने हेतु आयोजित किए जाने का प्रस्ताव हो, जिसमें निर्गम का प्रकार इंगित किया जाएगा;
 - (ङ) लाभांश, संपरिवर्तनीय (कन्वर्टिबल) प्रतिभूतियों जिनमें संपरिवर्तनीय डिबेंचर सम्मिलित हैं के निर्गम या इक्विटी शेयरों में अभिदान करने के अधिकार से युक्त डिबेंचरों के निर्गम की घोषणा/सिफारिश अथवा लाभांश का भुगतान न करना (पासिंग ओवर);
 - (च) बोनस प्रतिभूतियों की घोषणा का प्रस्ताव जहाँ ऐसे प्रस्ताव की सूचना सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड को कार्यसूची (एजेंडा पेपर) के भागस्वरूप दी जाती है:

 परंतु यह कि यदि सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा बोनस की घोषणा निदेशक बोर्ड की बैठक की कार्यसूची में न हो, तो स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को पूर्व सुचना दी जानी अपेक्षित नहीं है।
 - (2) उप-विनियम (1) के अधीन अपेक्षित सूचना, कम से कम दो कार्य-दिवस पूर्व दी जाएगी, जिसमें सूचना की तारीख और बैठक की तारीख सम्मिलित नहीं होगी:
 - परंतु यह कि उप-विनियम (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट मद के संबंध में, जिस पर निदेशक बोर्ड की बैठक में चर्चा की जानी हो, सूचना कम से कम पाँच दिन पूर्व दी जाएगी (जिनमें सूचना की तारीख और बैठक की तारीख सम्मिलित नहीं होगी), और ऐसी सूचना में निदेशक बोर्ड की ऐसी बैठक की तारीख सम्मिलित होगी।
 - (3) सूचीबद्ध एंटिटी नीचे दिए गए किसी प्रस्ताव को निदेशक बोर्ड के समक्ष रखे जाने से कम से कम ग्यारह कार्य-दिवस पूर्व स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को सूचना देगी -
 - (क) अपनी किन्हीं प्रतिभूतियों, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, के रूप या स्वरूप में अथवा उसके धारकों के अधिकारों या विशेषाधिकारों में कोई परिवर्तन ।
 - (ख) जिस तारीख को डिबेंचरों या बॉण्डों पर ब्याज, अथवा मोचनीय (रिडीमेबल) शेयरों के या डिबेंचरों या बॉण्डों के मोचन (रिडेंप्शन) की रकम देय होगी, उस तारीख में कोई परिवर्तन ।

घटनाओं या जानकारी का प्रकटीकरण

- **30.** (1) प्रत्येक सूचीबद्ध एंटिटी किसी ऐसी घटना या जानकारी के प्रकटीकरण करेगी, जो सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड की राय में महत्त्वपूर्ण (तात्विक) हों।
- (2) अनुसूची- III के भाग-क के पैरा (क) में विनिर्दिष्ट घटनाओं को महत्त्वपूर्ण (तात्विक) घटनाएँ समझा जाना है और सूचीबद्ध एंटिटी ऐसी घटनाओं का प्रकटीकरण करेगी ।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी उप-विनियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट महत्ता (तात्विकता) के लागू मार्गदर्शक सिद्धाँतों के आधार पर, अनुसूची- III के भाग-क के पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट घटनाओं का प्रकटीकरण करेगी ।
- (4) (i) सूचीबद्ध एंटिटी घटनाओं/जानकारी की महत्ता (तात्विकता) के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगी:
 - (क) घटना या जानकारी का लोप, जिसके परिणामस्वरूप उस घटना या जानकारी में परिवर्तन हो जाने की संभावना हो या उसके न बने रहने की संभावना हो जिसके बारे में जनता को पहले से ही पता हो; या
 - (ख) घटना या जानकारी का लोप, जिसके परिणामस्वरूप बाजार से भारी प्रतिक्रिया आने की संभावना हो, यदि उक्त लोप का पता बाद में चले:
 - (ग) उस मामले में जहाँ ऊपर (क) एवं (ख) में दिए गए मानदंड लागू न हों, वहाँ घटना /जानकारी को महत्त्वपूर्ण (तात्विक) माना जाएगा यदि सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड की राय में, उस घटना/जानकारी को महत्त्वपूर्ण (तात्विक) माना जाता हो।
 - (ii) सूचीबद्ध एंटिटी महत्ता (तात्विकता) के निर्धारण के लिए, इस उप-विनियम में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर, एक नीति बनाएगी, जो उसके निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित होगी, जिसे उसके वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा।
- (5) सूचीबद्ध एंटिटी का निदेशक बोर्ड किसी घटना या जानकारी की महत्ता (तात्विकता) के निर्धारण के प्रयोजनार्थ और इस विनियम के अधीन स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रकटीकरण किए जाने के प्रयोजनार्थ एक या एक से अधिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को प्राधिकृत करेगा और ऐसे कार्मिक के संपर्क विवरण स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के साथ-साथ एंटिटी के वेबसाइट पर प्रकट किए जाएँगे।
- (6) सूचीबद्ध एंटिटी पहले स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को, अनुसूची- III के भाग-क में यथा विनिर्दिष्ट समस्त घटनाएँ, युक्तियुक्त रूप से यथासंभव शीघ्र और घटना के घटित होने या जानकारी मिलने से चौबीस घंटों के अपश्चात्, प्रकट करेगी:
 - परंतु यह कि यदि घटना के घटित होने या जानकारी मिलने के चौबीस घंटों के पश्चात् प्रकटीकरण किया जाता है, तो सूचीबद्ध एंटिटी, ऐसे प्रकटीकरणों के साथ विलंब का स्पष्टीकरण भी देगी:
 - परंतु यह और कि अनुसूची- III के भाग-क के पैरा (क) के उप-पैरा (4) में विनिर्दिष्ट घटनाओं के संबंध में प्रकटीकरण बोर्ड की बैठक समाप्त होने के तीस मिनटों के भीतर किया जाएगा।
- (7) सूचीबद्ध एंटिटी, इस विनियम में निर्दिष्ट (उल्लिखित) प्रकटीकरणों के संबंध में, प्रकटीकरण करेगी, और इस प्रकार नियमित आधार पर महत्त्वपूर्ण (तात्विक) घटनाक्रमों को अद्यतन रखेगी, जब तक सुसंगत स्पष्टीकरणों के साथ घटना का समाधान/समापन न हो जाए, और साथ ही सुसंगत स्पष्टीकरण भी दिए जाएँ।
- (8) सूचीबद्ध एंटिटी अपने वेबसाइट पर ऐसी समस्त घटनाएँ/जानकारी प्रकट करेगी जिसे इस विनियम के अधीन स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रकट किया जा चुका है, और ऐसे प्रकटीकरण सूचीबद्ध एंटिटी के वेबसाइट पर न्यूनतम पाँच वर्षों की अवधि तक डाले जाएँगे और तत्पश्चात् सूचीबद्ध एंटिटी की अभिलेखों संबंधी (आर्काइवल) नीति के अनुसार, जैसा उसके वेबसाइट पर प्रकट किया जाए।
- (9) सूचीबद्ध एंटिटी समनुषंगियों से संबंधित समस्त घटनाएँ/जानकारी, जो सूचीबद्ध एंटिटी के लिए महत्त्वपूर्ण (तात्विक) हैं/है, प्रकट करेगी।
- (10) सूचीबद्ध एंटिटी किन्हीं घटनाओं या जानकारी के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का सटीक और यथोचित उत्तर देगी:
 - परंतु यह कि स्टॉक एक्सचेंज युक्तियुक्त रूप से यथासाध्य शीघ्रता से जानकारी तथा स्पष्टीकरण का प्रसार करेगा (करेंगे) ।

- (11) सूचीबद्ध एंटिटी, स्वप्रेरणा से भी, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को सूचित की गई किसी घटना या जानकारी की पृष्टि कर सकेगी या उससे इंकार कर सकेगी ।
- (12) उन मामलों में जहाँ ऐसी घटना घटित हो या सूचीबद्ध एंटिटी के पास ऐसी जानकारी उपलब्ध हो, जिसका उल्लेख अनुसूची-III के भाग क के पैरा क या ख में न किया गया हो, किंतु जिसका उस पर महत्त्वपूर्ण (तात्विक) प्रभाव पड़ता हो, वहाँ सूचीबद्ध एंटिटी से यह अपेक्षित है कि वह उसके संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण करे।

विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की धारिता (होल्डिंग) और शेयरधारिता पैटर्न

- 31. (1) सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को, बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में, प्रत्येक वर्ग की प्रतिभूतियों के लिए पृथक् रूप से प्रतिभूतियों की धारिता (होल्डिंग) और शेयरधारिता पैटर्न को दर्शाने वाला विवरण, निम्नलिखित समय-सीमाओं के भीतर प्रस्तुत करेगी
 - (क) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में उसकी प्रतिभृतियों की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) से एक दिन पूर्व;
 - (ख) तिमाही आधार पर, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से इक्कीस दिनों के भीतर; और
 - (ग) सूचीबद्ध एंटिटी की किसी पूँजी पुनर्संरचना (कैपिटल रीस्ट्रक्चिरंग) के दस दिनों के भीतर, जिसके परिणामस्वरूप कुल समादत्त शेयर पूँजी के दो प्रतिशत से अधिक परिवर्तन हो जाता हो:

परंतु यह कि जिन सूचीबद्ध एंटिटियों ने अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध की हों, उन सूचीबद्ध एंटिटियों के मामले में, उपरोक्त विवरण प्रत्येक छमाही की समाप्ति से इक्कीस दिनों के भीतर छमाही आधार पर प्रस्तुत किए जाएँगे।

- (2) सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) और संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) की शेयरधारिता का शत-प्रतिशत गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में हो और उसे सतत आधार पर बनाए रखा जाए जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट हो।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में शेयरधारिता को बनाए रखने के संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों या निदेशों का अनुपालन करेगी ।

शेयरधारकों के वर्ग का प्रकटीकरण और पुन:वर्गीकरण हेतु शर्तें

- 31क. (1) संप्रवर्तक या संप्रवर्तक समूह के अंतर्गत आने वाली सभी एंटिटियों को राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनलों वाले उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों के वेबसाइट पर दिए हुए शेयरधारिता पैटर्न में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेटों के अनुसार, अलग से प्रकट किया जाएगा, जहाँ एंटिटी की विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों।
- (2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज, शेयरधारकों की स्थिति में परिवर्तन या उनके पुन:वर्गीकरण की अनुज्ञा (अनुमित), केवल संबंधित सूचीबद्ध एंटिटी या संबंधित शेयरधारकों से निवेदन (सभी संबद्ध सबूतों के साथ) प्राप्त होने पर और इस बात का समाधान हो जाने पर देगा कि इस विनियम में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया गया है।
- (3) एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध एंटिटियों के मामले में, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज एंटिटी / शेयरधारकों के आवेदन के संबंध में संयुक्त रूप से निर्णय (विनिश्चय) लेंगे, जैसा उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट है ।
- (4) पारेषण (ट्रांसमिशन) / उत्तराधिकार / विरासत के मामले में, उत्तराधिकारी को संप्रवर्तक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।
- (5) जब खुले प्रस्ताव के पश्चात् या किसी अन्य प्रकार से पिछले संप्रवर्तक के स्थान पर कोई नया संप्रवर्तक आ जाए, तो साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन और निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन पुन:वर्गीकरण की अनुमित दी जा सकेगी:
 - (क) ऐसा संप्रवर्तक, संप्रवर्तक समूह और सामान्य मित से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ एंटिटी की समादत्त इक्विटी पूँजी का दस प्रतिशत से अधिक धारण नहीं करेगा ।
 - (ख) ऐसा संप्रवर्तक औपचारिक या अनौपचारिक इंतजामों (अरेंजमेंट्स) के माध्यम से कोई विशेष अधिकार नहीं रखेगा । ऐसी एंटिटियों को विशेष अधिकार प्रदान करने वाले सभी शेयरधारिता करार (शेयरहोलिंडग एग्रीमेंट्स) समाप्त हो जाएँगे ।
 - (ग) ऐसे संप्रवर्तक और उनके नातेदार शेयरधारकों के अनुमोदन की तारीख से तीन वर्षों से अधिक की अविध के लिए मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में कार्य नहीं करेंगे:

परंतु यह कि शेयरधारकों की उक्त बैठक के संकल्प में ऐसे संप्रवर्तक के लिए विशेष रूप से अनुमोदन प्रदान किया जाना चाहिए कि वह मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में कार्य कर सकता है । (6) जहाँ एंटिटी का प्रबंधन पेशेवर तरीके से होने लगे और उसका कोई पहचान योग्य संप्रवर्तक न हो, वहाँ मौजूदा संप्रवर्तकों को, साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन, सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) के रूप में पुन:वर्गीकृत किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, एंटिटी को पेशेवर तरीके से प्रबंधित माना जा सकेगा, यदि -

- (i) कोई भी व्यक्ति या समूह सामान्य मित से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ कुल मिलाकर एंटिटी की एक प्रतिशत से अधिक समादत्त इक्विटी पूँजी धारण नहीं करेगा, जिसमें कन्वर्टीबल्स / बकाया वारंटों / निक्षेपागार रसीदों की कोई धारिता (होल्डिंग) सम्मिलित है ।
 - परंतु यह कि कोई पारस्परिक निधि, बैंक, बीमा कंपनी, वित्तीय संस्था, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक व्यक्तिगत रूप से एंटिटी की दस प्रतिशत तक समादत्त इक्विटी पूँजी का धारण कर सकेगा, जिसमें कन्वर्टीबल्स / बकाया वारंटों / निक्षेपागार रसीदों की कोई धारिता (होल्डिंग) सम्मिलित है ।
- (ii) पुन:वर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक और उनके नातेदार, केवल शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन और शेयरधारकों के अनुमोदन की तारीख से तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए, एंटिटी में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में कार्य कर सकेंगे।
- (iii) पुन:वर्गीकरण चाहने वाला संप्रवर्तक अपनी संप्रवर्तक समूह की एंटिटियों तथा सामान्य मित से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ, औपचारिक या अनौपचारिक इंतजामों (अरेंजमेंट्स) के माध्यम से कोई विशेष अधिकार नहीं रखेंगे। ऐसी आउटगोइंग एंटिटियों को विशेष अधिकार प्रदान करने वाले सभी शेयरधारिता करार (शेयरहोल्डिंग एग्रीमेंट्स) समाप्त हो जाएँगे।
- (7) उप-विनियम (5) तथा (6) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संप्रवर्तक का सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) के रूप में पन:वर्गीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:
 - (क) ऐसा संप्रवर्तक, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, एंटिटी के कामकाज पर, नियंत्रण नहीं रखेगा ।
 - (ख) संप्रवर्तक के पुन:वर्गीकरण के अनुसरण में सार्वजनिक शेयरधारिता के स्तर में बढ़ोतरी की गणना प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19क के अधीन न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की अपेक्षा, और इन विनियमों के उपबंधों (प्रावधानों) का अनुपालन करने हेतु नहीं की जाएगी।
 - (ग) पुन:वर्गीकरण की घटना स्टॉक एक्सचेंजों को, इन विनियमों के उपबंधों (प्रावधानों) के अनुसार, एक महत्त्वपूर्ण (तात्विक) घटना के रूप में प्रकट की जाएगी।
 - (घ) बोर्ड विनिर्दिष्ट मामलों में पुन:वर्गीकरण हेतु किसी शर्त में छूट दे सकेगा, यदि आउटगोइंग संप्रवर्तक या उसके साथ सामान्य मित से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा नियंत्रण न रखे जाने के संबंध में उसका समाधान हो जाए।
- (8) यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) स्वयं को संप्रवर्तक (प्रोमोटर) के रूप में पुन:वर्गीकृत करना चाहता हो, तो उससे यह अपेक्षित होगा कि वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के उपबंधों (प्रावधानों) के अनुसार खुला प्रस्ताव लाए।

विचलन (विचलनों) या फेरफार (वेरिएशन) का विवरण

- 32. (1) सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू), साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू), अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) आदि के संबंध में तिमाही आधार पर निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगी:
 - (क) प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट) या साधारण बैठक की सूचना (के नोटिस) में दिए गए व्याख्यात्मक विवरण, जो लागू हो, में उल्लिखित उद्देश्यों की तुलना में आगमों (प्रोसीड्स) के उपयोग में विचलनों, यदि कोई हों, को इंगित करते हए;
 - (ख) उसके द्वारा निधियों (फंड्स) का उसके प्रस्ताव दस्तावेज या साधारण बैठक की सूचना (नोटिस) के व्याख्यात्मक विवरण, जो लागू हो, में बताए गए अनुमानित उपयोग और निधियों के वास्तविक उपयोग के बीच प्रवर्ग के अनुसार फेरफार (पूँजीगत व्यय, विक्रय और विपणन, कार्यशील पूँजी आदि) को इंगित करते हुए।

- (2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरण उस समय तक दिया जाता रहेगा (दिए जाते रहेंगे) जब तक निर्गम संबंधी आगमों (प्रोसीड्स) का पुरी तरह से उपयोग न कर लिया जाए या जिस प्रयोजन से इन आगमों को जुटाया गया था उस प्रयोजन की पुर्ति न कर ली जाए।
- (3) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरण समीक्षा हेतु लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा (रखे जाएँगे) और ऐसी समीक्षा के पश्चात्, उसे (उन्हें) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
- (4) सूचीबद्ध एंटिटी उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट फेरफार का स्पष्टीकरण वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट में देगी।
- (5) सूचीबद्ध एंटिटी प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट्स) / प्रॉस्पेक्टस / नोटिस में कथित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण तैयार करेगी, जो सूचीबद्ध एंटिटी के कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित हो, और उसे लेखापरीक्षा समीति के समक्ष तब तक प्रस्तुत करेगी जब तक निर्गम के माध्यम से जुटाई गई पूरी धनराशि का उपयोग न कर लिया जाए।
- (6) जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी ने सार्वजनिक या साधिकार निर्गम के आगमों के उपयोग का अनुश्रवण करने के लिए अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी को नियुक्त कर लिया हो, वहाँ सूचीबद्ध एंटिटी अनुश्रवण एजेंसी से प्राप्त कोई टिप्पणी या रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत करेगी।
- (7) जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी ने सार्वजनिक या साधिकार निर्गम के आगमों के उपयोग का अनुश्रवण करने के लिए अनुश्रवण एजेंसी को नियुक्त कर लिया हो, वहाँ ऐसी एजेंसी की अनुश्रवण रिपोर्ट, उसके प्राप्त होने पर, वार्षिक आधार पर, लेखापरीक्षा समीति के समक्ष तत्परता से रखी जाएगी।

स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, "अनुश्रवण एजेंसी" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के विनियम 16 में विनिर्दिष्ट अनुश्रवण एजेंसी अभिप्रेत होगी।

(8) इस विनियम के प्रयोजनार्थ, जिस सूचीबद्ध एंटिटी ने अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया हो, उस सूचीबद्ध एंटिटी के मामले में "तिमाही" के किसी संदर्भ को, "छमाही" के रूप में पढ़ा जाएगा ।

वित्तीय परिणाम

- 33. (1) वित्तीय परिणामों को तैयार करते समय, सूचीबद्ध एंटिटी निम्नलिखित का अनुपालन करेगी:
 - (क) वित्तीय परिणाम प्रोद्भवन (अक्रूअल) लेखा नीति के आधार पर तैयार किए जाएंगे और जो सभी अवधियों के लिए अपनाई गई एकसमान लेखा पद्धतियों के अनुसार होंगे ।
 - (ख) तिमाही और वर्ष के प्रारंभ से वर्तमान तारीख तक के परिणाम, लेखा मानक 25 या भारतीय लेखा मानक 31 [एएस 25 / भारतीय लेखा मानक 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग)], जो लागू हो, में निर्धारित रेकग्निशन एवं मेज़रमेंट प्रिंसिपल्स के अनुसार तैयार किए जाएँगे, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में या भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेन्ट संस्थान द्वारा, जो भी लागू हो, विनिर्दिष्ट है।
 - (ग) एकल (स्टैन्ड अलोन) वित्तीय परिणाम और समेकित वित्तीय परिणाम भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाएँगे:
 - परंतु यह कि उपरोक्त के अलावा, सूचीबद्ध एंटिटी इंटरनेशनल एकाउंटिंग स्टैण्डर्डस बोर्ड द्वारा अधिसूचित इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैण्डर्डस के अनुसार भी वित्तीय परिणाम प्रस्तुत कर सकेगी ।
 - (घ) सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि तिमाही या वार्षिक आधार पर स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत की गई सीमित समीक्षा या लेखापरीखा रिपोर्टें केवल उस लेखापरीक्षक द्वारा दी जानी हैं जो स्वयं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की समकक्ष पुनर्विलोकन (पीयर रीव्यू) प्रक्रिया से गुजरे हों और जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण करता हो ।
 - (ङ) सूचीबद्ध एंटिटी अनुसूची-IV के भाग-क में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण करेगी।
- (2) वित्तीय परिणामों का अनुमोदन और उनका अधिप्रमाणीकरण सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:
 - (क) प्रस्तुत िकए गए ितमाही वित्तीय परिणाम निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित िकए जाएँगे: परंतु यह िक निदेशक बोर्ड के समक्ष वित्तीय परिणाम रखते समय, सूचीबद्ध एंटिटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी यह प्रमाणित करेगा िक वित्तीय परिणामों में कोई मिथ्या या भ्रामक कथन (विवरण) अथवा

- आँकड़े अंतर्विष्ट न हों और उनमें किसी महत्त्वपूर्ण (तात्विक) तथ्य का लोप न हो जाए, जो उनमें अंतर्विष्ट कथनों (विवरणों) या आँकड़ों को भ्रामक बना देता हो ।
- (ख) स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए गए वित्तीय परिणामों पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, या पूर्णकालिक निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे अथवा उनमें से सभी के अनुपस्थित होने की दशा में उन पर सूचीबद्ध एंटिटी के किसी अन्य निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे जो निदेशक बोर्ड द्वारा वित्तीय परिणामों पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो ।
- (ग) सीमित समीक्षा रिपोर्ट, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, निदेशक बोर्ड के समक्ष उनकी बैठक में रखी जाएगी, जिसमें वित्तीय परिणामों को अनुमोदित किया जाता है ।
- (घ) वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएँगे और उप-विनियम (2) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट रीति से उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी निम्नलिखित रीति से वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करेगी:
 - (क) सूचीबद्ध एंटिटी, अंतिम तिमाही के सिवाय, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को तिमाही और वर्ष के प्रारंभ से वर्तमान तारीख तक के एकल वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करेगी ।
 - (ख) यदि सूचीबद्ध एंटिटी की समनुषंगियाँ हों, तो उप-विनियम (3) के खंड (क) में दी गई अपेक्षा के अलावा, सूचीबद्ध एंटिटी तिमाही / वर्ष के प्रारंभ से वर्तमान तारीख तक के वित्तीय परिणाम भी निम्नलिखित के अध्यधीन, प्रस्तुत कर सकेगी:
 - (i) सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगी कि सूचीबद्ध एंटिटी वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में तिमाही / वर्ष के प्रारंभ से वर्तमान तारीख तक के समेकित वित्तीय परिणाम अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत करने का विकल्प चुनती है या नहीं और इस विकल्प को वित्तीय वर्ष के दौरान बदला नहीं जाएगा:
 - परंतु यह कि यह विकल्प उस सूचीबद्ध एंटिटी पर भी लागू होगा जिससे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पहली बार समेकित वित्तीय परिणाम तैयार किया जाना अपेक्षित है, तिमाही की बाबत वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें सूचीबद्ध एंटिटी पहली बार समनुषंगी का अर्जन करे।
 - (ii) यदि सूचीबद्ध एंटिटी बाद के किसी वर्ष में अपना विकल्प बदलती है, तो यह चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार पिछले वर्ष के तुल्य आँकड़े प्रस्तुत करेगी।
 - (ग) तिमाही और वर्ष के प्रारंभ से वर्तमान तारीख तक के वित्तीय परिणाम, निम्नलिखित के अध्यधीन, या तो लेखापरीक्षित हो सकते हैं या अलेखापरीक्षित हो सकेगा:
 - (i) यदि सूचीबद्ध एंटिटी अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करने का विकल्प चुनती है, तो वे सूचीबद्ध एंटिटी के कानूनी लेक्षापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा किए जाने के अध्यधीन होंगे और उनके साथ सीमित समीक्षा रिपोर्ट लगाई जाएगी:
 - परंतु यह कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, यह सीमित समीक्षा किसी पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जा सकेगी।
 - (ii) यदि सूचीबद्ध एंटिटी लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करने का विकल्प चुनती है, तो उनके साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट लगाई जाएगी ।
 - (घ) सूचीबद्ध एंटिटी वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों के साथ, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से साठ दिनों के भीतर, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और या तो प्ररूप क (अनमॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु), या प्ररूप ख (मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु) प्रस्तुत करेगी:
 - परंतु यह कि यदि सूचीबद्ध एंटिटी की समनुषंगियाँ हों, तो वह, वार्षिक लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करते समय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ वार्षिक लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणाम भी प्रस्तुत करेगी और या तो प्ररूप क (अनमॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु), या प्ररूप ख (मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु) प्रस्तुत करेगी।
 - (ङ) सूचीबद्ध एंटिटी पूरे वित्तीय वर्ष के परिणामों के साथ अंतिम तिमाही की बाबत लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भी प्रस्तुत करेगी, एक नोट के साथ यह कथन करते हुए कि अंतिम तिमाही के आँकड़े पूरे वित्तीय वर्ष की बाबत लेखापरीक्षित आँकड़ों

और वर्ष के प्रारंभ से वर्तमान तारीख तक के प्रकाशित आँकड़ों (चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक) के बीच के शेष आँकड़े (बैलेंसिंग फिगर) हैं।

- (च) सूचीबद्ध एंटिटी छमाही के अपने एकल (स्टैन्ड अलोन) या समेकित वित्तीय परिणामों के भागस्वरूप, एक नोट के माध्यम से, छमाही की समाप्ति पर आस्तियों और दायित्वों का विवरण भी प्रस्तुत करेगी ।
- (4) वित्तीय परिणामों के लागू फॉर्मेट और प्ररूप क (अनमॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु) एवं प्ररूप ख (मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु) बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट रीति में होंगे ।
- (5) इस विनियम के प्रयोजनार्थ, जिस सूचीबद्ध एंटिटी ने अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया हो, उस सूचीबद्ध एंटिटी के मामले में "तिमाही" के किसी संदर्भ को, "छमाही" के रूप में पढ़ा जाएगा और वर्ष के प्रारंभ से वर्तमान तारीख तक वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने की अपेक्षा उस सूचीबद्ध एंटिटी के लिए लागू नहीं होगी, जिसने अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया हो।
- (6) उप-विनियम (3) के खंड (घ) के अनुसार प्रस्तुत किए गए प्ररूप ख और उसके साथ संलग्न वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, की समीक्षा स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) तथा अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति द्वारा अनुसूची-VIII में यथा विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी।
- (7) सूचीबद्ध एंटिटी बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेश पर, अनुसूची-VIII में विनिर्दिष्ट रीति से, मॉडिफाइड ओपिनियन के सुधार के लिए और/या संशोधित प्रोफॉर्मा वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने के लिए, आवश्यक कदम उठाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट

- **34**. (1) सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक साधारण बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार उसके अनुमोदित होने तथा उसे अपना लिए जाने के इक्कीस कार्य-दिवसों के भीतर, प्रस्तुत करेगी।
- (2) वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा:
 - (क) लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, अर्थात् तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखे आदि;
 - (ख) उसके कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण;
 - (ग) नकदी प्रवाह विवरण जो लेखा मानक-3 या भारतीय लेखा मानक 7, जो लागू हो, में यथा निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धित (इनडायरेक्ट मेथड) के अधीन ही प्रस्तुत किए गए, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में या भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेन्ट संस्थान द्वारा, जो भी लागू हो, विनिर्दिष्ट है;
 - (घ) निदेशकों की रिपोर्ट;
 - (ङ) प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट या तो निदेशकों की रिपोर्ट के भागस्वरूप या उसके अतिरिक्त;
 - (च) बाजार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार गणित) के आधार पर शीर्ष सौ सूचीबद्ध एंटिटियों हेतु, बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में कारबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट), जिसमें पर्यावरण, समाज और शासन (गवर्नेंस) के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा की गई पहलों का विवरण दिया गया हो:
 - परंतु यह कि बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों से भिन्न सूचीबद्ध एंटिटियाँ और जिन सूचीबद्ध एंटिटियों ने एसएमई एक्सचेंज में अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराया हो वे सूचीबद्ध एंटिटियाँ, यथा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में स्वैच्छिक आधार पर इन कारबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्टों को सिम्मिलित कर सकेंगी।
 - (3)वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य प्रकटीकरणों के साथ-साथ इन विनियमों की अनुसूची-V में यथा विनिर्दिष्ट अन्य अपेक्षाएँ भी अंतर्विष्ट होंगी।

वार्षिक सूचना ज्ञापन

35. सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट रीति से वार्षिक सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करेगी।

शेयरधारकों को दस्तावेज एवं जानकारी

- 36. (1) सूचीबद्ध एंटिटी शेयरधारकों को निम्नलिखित रीति में वार्षिक रिपोर्ट भेजेगी:
 - (क) उन सभी शेयरधारकों को पूरी वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियाँ, जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ अपना ईमेल पता (अपने ईमेल पते) दर्ज कराया हो (कराए हों);
 - (ख) उन शेयरधारकों को समस्त दस्तावेजों की मुख्य बातों से युक्त विवरण की कागजी प्रति, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित है, जिन्होंने इस प्रकार दर्ज न कराया हो;
 - (ग) उन शेयरधारकों को पूरी वार्षिक रिपोर्टों की कागजी प्रतियाँ (हार्ड कॉपी), जो इनके लिए निवेदन करें।
 - (2) सूचीबद्ध एंटिटी उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट (उल्लिखित) वार्षिक रिपोर्ट, प्रतिभूतियों के धारकों को, वार्षिक साधारण बैठक से कम से कम इक्कीस दिन पहले भेजेगी।
 - (3) नए निदेशक की नियुक्ति या किसी निदेशक की पुनर्नियुक्ति की दशा में, शेयरधारकों को निम्नलिखित जानकारी आवश्यक उपलब्ध कराई जानी चाहिए:
 - (क) निदेशक का संक्षिप्त विवरण (रिज़्यूमे);
 - (ख) विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उसकी विशेषज्ञता का स्वरूप;
 - (ग) निदेशकों के बीच के परस्पर संबंधों का प्रकटीकरण;
 - (घ) उन सूचीबद्ध एंटिटियों के नाम, जिनमें वह व्यक्ति निदेशक पद और बोर्ड की समितियों की सदस्यता भी धारण करता हो; और
 - (ङ) गैर-कार्यपालक निदेशकों की शेयरधारिता।

इंतजाम की स्कीम का प्रारूप (ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) एवं इंतजाम की स्कीम

- 37. (1) विनियम 11 के उपबंधों (प्रावधानों) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इंतजाम की स्कीम (स्कीम ऑफ अरेन्जमेंट) चलाने की इच्छुक या इंतजाम की स्कीम में शामिल सूचीबद्ध एंटिटी, इंतजाम की स्कीम का प्रारूप, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 तथा 101 या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-234 तथा धारा 66, जो भी लागू हो, के अधीन किसी न्यायालय या अधिकरण (ट्रायब्युनल) के समक्ष दाखिल किए जाने का प्रस्ताव हो, स्टॉक एक्सचेंजों) के पास, किसी न्यायालय या अधिकरण (ट्रायब्युनल) के पास ऐसी स्कीम को दाखिल किए जाने से पूर्व, संप्रेक्षण पत्र या अनापत्ति पत्र अभिप्राप्त करने के लिए, बोर्ड या स्टॉक एक्सचेंजों (एक्सचेंजों) द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार, दाखिल करेगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 तथा 101 के अधीन या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-234 तथा धारा 66 के अधीन, जो भी लागू हो, किसी न्यायालय या अधिकरण (ट्रायब्युनल) के पास इंतजाम की कोई स्कीम तब तक दाखिल नहीं करेगी, जब तक कि वह स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से संप्रेक्षण पत्र या अनापत्ति पत्र अभिप्राप्त न कर ले।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी इंतजाम की स्कीम का अनुमोदन माँगते समय स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के संप्रेक्षण पत्र या अनापत्ति पत्र को न्यायालय या अधिकरण (ट्रायब्युनल) के समक्ष रखेगी:
 - परंतु यह कि स्टॉक एक्सचेंजों के 'संप्रेक्षण पत्र' या अनापत्ति पत्र की विधिमान्यता (वैधता) जारी करने की तारीख से छह महीने की होगी, जिसके भीतर इंतजाम की स्कीम का प्रारूप (ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) न्यायालय या अधिकरण (ट्रायब्युनल) को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) सूचीबद्ध एंटिटी ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित की जाएँ।

(5) न्यायालय या अधिकरण (ट्रायब्युनल) द्वारा स्कीम मंजूर किए जाने पर, सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को दस्तावेज, जो बोर्ड और/या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएँ, प्रस्तुत करेगी।

न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता

38. सूचीबद्ध एंटिटी प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2) तथा नियम 19क में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की अपेक्षाओं का अनुपालन, बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट रीति से, करेगी:

परंतु यह कि इस विनियम के उपबंध (प्रावधान) सार्वजनिक निर्गम लाए बिना संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म) पर सूचीबद्ध एंटिटियों पर लागू नहीं होंगे ।

प्रतिभूतियों हेतु प्रमाणपत्र या रसीदें / पत्र / सूचनापत्र (एडवाइस) जारी करना और अदावाकृत प्रतिभूतियों के साथ व्यौहार

- **39.** (1) सूचीबद्ध एंटिटी आबंटन, स्वीकृति या अधिकारों, अंतरणों (ट्रांसफर), सब-डिवीज़न, समेकन (कन्सोलिडेशन), नवीकरण (रिन्यूअल), विनिमय (एक्सचेंज) की बाबत पत्र / सूचनापत्रों के संबंध में, उनकी दूसरी प्रतियाँ जारी किए जाने के संबंध में या किसी अन्य प्रयोजन से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(3) का अनुपालन करेगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी सब-डिवीज़न, विभाजन (स्प्लिट), समेकन, नवीकरण, विनिमय, पृष्टांकनों (इन्डोर्समेंट), उनकी दूसरी प्रतियाँ जारी किए जाने या जिन मामलों में प्रमाणपत्र या रसीदें या सूचनापत्र खो गए हों या पुराने होकर जर्जर हो गए हों या फट गए हों, जो लागू हो, उन मामलों में नए प्रमाणपत्र या रसीदें या सूचनापत्र, जो लागू हो, जारी किए जाने के संबंध में प्रमाणपत्र या रसीदें या सूचनापत्र, जो लागू हो, ऐसा निवेदन किए जाने की तारीख से तीस दिनों की अविध के भीतर जारी करेगी।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी शेयर प्रमाणपत्र खो जाने तथा प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रति (डुप्लीकेट प्रमाणपत्र) जारी किए जाने संबंधी जानकारी, स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी मिलने के दो दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगी ।
- (4) सूचीबद्ध एंटिटी सार्वजनिक निर्गम या किसी अन्य निर्गम के अनुसरण में, कागजी रूप में या अन्य रूप में, निर्गमित की गई उन प्रतिभूतियों के संबंध में कार्यवाही करते समय अनुसूची-VI में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया-संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी, जो अदावाकृत रह गई हों और/या निलंब खाते (एस्क्रो अकाउंट) में पड़ी हुई हों, जो लागू हो।

प्रतिभूतियों का अंतरण या प्रेषण या प्रतिस्थापन (ट्रांसपोजिशन)

- **40.** (1) प्रतिभूति विधियों या कंपनी अधिनियम, 2013 और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में जैसा अन्यथा विनिर्दिष्ट है उसके सिवाय, सूचीबद्ध एंटिटी प्रतिभृतियों के अंतरण के लिए इस विनियम में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का भी पालन करेगी।
- (2) सूचीबद्ध एटिटी का निदेशक बोर्ड एक समिति को या अनुपालन अधिकारी को या निर्गम रजिस्ट्रार और/या शेयर अंतरण अभिकर्ता (अभिकर्ताओं) को प्रतिभृतियों के अंतरण की शक्ति प्रत्यायोजित कर (सौंप) सकेगा:
- परंतु यह कि निदेशक बोर्ड और/या प्रत्यायोजित (डेलिगेटेड) प्राधिकारी प्रतिभूतियों के अंतरण से संबंधित औपचारिकताओं को दो सप्ताह में कम से कम एक बार पुरा करेगा:
- परंतु यह और कि प्रत्यायोजित प्राधिकारी निदेशक बोर्ड को प्रत्येक बैठक में प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी रिपोर्ट देगा ।
- (3) समुचित दस्तावेजों की प्राप्ति पर, सूचीबद्ध एंटिटी अंतरिती (अंतरितियों) के नाम पर अपनी प्रतिभूतियों के अंतरण को रजिस्ट्रर करेगी और अंतरणों के संबंध में, प्रमाणपत्र या रसीदें या सूचनापत्र, जो लागू हो, जारी करेगी; अथवा, यथास्थिति, अंतरिती (ट्रांसफरी) या अंतरक (ट्रांसफरर) को, कोई मान्य आपत्ति या सूचना जारी करेगी, अंतरण हेतु ऐसे निवेदन के प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अविध के भीतर:
- परंतु यह कि सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि गैर-कागज़ी रूप में और कागज़ी रूप में धारित प्रतिभूतियों के संबंध में प्रेषण (ट्रांसिमशन) के निवेदनों पर कार्यवाही, विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात्, क्रमशः सात दिनों और इक्कीस दिनों के भीतर की जाएगी: परंतु यह और कि निवेशक (विनिधानकर्ता) के साथ किए गए समस्त पत्र-व्यवहार के संबंध में उचित रिकॉर्ड तारीखबद्ध रूप से इस प्रकार सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा रखे जाएँगे कि उनका सत्यापन भी किया जा सके।
- (4) सूचीबद्ध एंटिटी अंतरण को तब रजिस्टर नहीं करेगी, जब सक्षम प्राधिकारी का कोई कानूनी प्रतिषेध या उसका कोई कुर्की या प्रतिषेधात्मक आदेश उसे प्रतिभूतियों का अंतरण [अंतरिती (अंतरितियों) के नाम से] करने से अवरुद्ध करता हो ।

- (5) सूचीबद्ध एंटिटी अंतरिती (अंतरितियों) के नाम पर अपनी प्रतिभूतियों के अंतरण को तब रजिस्टर नहीं करेगी, जब अंतरक अंतरण के संबंध में आपत्ति व्यक्त करे:
 - परंतु यह कि अंतरक, आपत्ति व्यक्त करने के साठ कार्य-दिवसों के भीतर, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का प्रतिषेधात्मक आदेश सूचीबद्ध एंटिटी को दे दे ।
- (6) सूचीबद्ध एंटिटी, शेयरों के किसी अंतरण को रजिस्टर करने या अभिस्वीकृति देने से, इस आधार पर इंकार नहीं करेगी कि अंतरक या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से सूचीबद्ध एंटिटी का ऋणी है (हैं), किसी भी कारण से चाहे जो भी हो ।
- (7) सूचीबद्ध एंटिटी प्रतिभूतियों के अंतरण के संबंध में अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया-संबंधी सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी ।
- (8) यदि सूचीबद्ध एंटिटी ने पंद्रह दिनों के भीतर प्रतिभूतियों का अंतरण न किया हो या जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी अंतिरिती (अंतरितियों) को, पंद्रह दिनों की नियत समयावधि के भीतर, अंतरण के प्रति कोई वैध आपत्ति संसूचित करने में असफल रही हो, वहाँ सूचीबद्ध एंटिटी विलंब की अवधि के दौरान हुई अवसर-हानियों के लिए व्यथित पक्षकार को मुआवजा देगी:

परंतु यह कि उपरोक्त अंतरण में विलंब के कारण बीच की अवधि के दौरान, सूचीबद्ध एंटिटी सभी फायदे, जो प्रोद्भूत हुए हों, प्रतिभूतियों के धारक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 126, तथा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 के उपबंधों के अनुसार देगी:

परंतु यह और कि इस उप-विनियम के अधीन किसी दावे, मतभेद या विवाद की दशा में, उसे माध्यस्थम् (आर्बिट्रेशन) के लिए निर्देशित कर दिया जाएगा और माध्यस्थम् द्वारा उसका विनिश्चय (निर्णय) किया जाएगा, जैसा स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) की उप-विधियों (बाय-लॉज़) और/या विनियमों में उपबंधित है ।

- (9) सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि यथास्थिति, शेयर अंतरण अभिकर्ता और/या शेयर अंतरण की आंतरिक सुविधा के जिए, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक छमाही की समाप्ति के एक महीने के भीतर, एक पेशेवर कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) का प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत किया जाए कि सभी प्रमाणपत्र अंतरण, सब-डिवीज़न, समेकन, नवीकरण, विनिमय या कॉल्स / आबंटन धनराशि के पृष्ठांकन हेतु निवेदन दाखिल किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर जारी किए गए हैं।
- (10) सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि उप-विनियम (9) में उल्लिखित प्रमाणपत्र स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास साथ-साथ ही दाखिल किया जाए ।
- (11) प्रतिभृतियों के अंतरण के अतिरिक्त, इस विनियम के उपबंध निम्नलिखित के प्रति भी लागू होंगे:
 - (क) प्रतिभूतियों के मृत धारक (धारकों) का नाम हटाये जाने के प्रति, जहाँ प्रतिभूतियाँ प्रतिभूतियों के दो या दो से अधिक धारकों के नाम पर धारित हों:
 - (ख) कानूनी वारिस (वारिसों) को प्रतिभूतियों के प्रेषण (ट्रांसिमशन) के प्रति, जहाँ प्रतिभूतियों का मृत धारक प्रतिभूतियों का एकमात्र धारक रहा हो ;
 - (ग) प्रतिभूतियों के प्रतिस्थापन (ट्रांसपोजिशन) के प्रति, जहाँ नामों के उस क्रम में परिवर्तन हुआ हो, जिसमें कागज़ी प्रतिभूतियाँ प्रतिभूतियों के दो या दो से अधिक धारकों के नामों पर संयुक्त रूप से धारित हों ।

प्रतिभूतियों के संबंध में अन्य उपबंध

- **41.** (1) सूचीबद्ध एंटिटी अपने पूर्णतः संदत्त शेयरों पर और अंशतः संदत्त शेयरों की बाबत धारणाधिकार (लियन) का प्रयोग नहीं करेगी और साथ ही वह किसी धाराणाधिकार (लियन) का प्रयोग, ऐसे शेयरों की बाबत निर्धारित समय पर माँगी गई या देय धनराशि के संबंध में करने के सिवाय, नहीं करेगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी, किन्हीं शेयरों के संबंध में किस्तों (कॉल्स) के पूर्व कोई रकम अदा किए जाने के मामले में यह प्रावधान करेगी कि ऐसी रकम पर ब्याज मिल सकेगा किंतु उनके संबंध में लाभांश या लाभ में भाग लेने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा ।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी ऐसी किसी भी रीति से शेयर निर्गमित नहीं करेगी जो किसी व्यक्ति को इक्विटी शेयरों (जो पहले से ही सूचीबद्ध हों) पर अधिकारों की तुलना में मतदान या लाभांश के उच्चतर अधिकार प्रदान करे ।

- (4) सूचीबद्ध एंटिटी, पहली बार सूचीबद्ध एंटिटी के इक्विटी शेयरधारकों को सभी शेयरों (जिनमें समपहृत शेयर भी सिम्मिलित हैं), प्रतिभूतियों, अधिकारों, विशेषाधिकारों और फायदों का, आनुपातिक आधार पर अभिदान करने के लिए, निर्गम या प्रस्ताव करेगी, जब तक कि साधारण बैठक में शेयरधारक अन्यथा विनिश्चय (निर्णय) न कर लें।
- (5) जब तक कि निर्गम के निबंधनों में अन्यथा उपबंध (प्रावधान) न हो, तब तक सूचीबद्ध एंटिटी अपनी किन्हीं सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का चयन मोचन के लिए, आनुपातिक आधार पर या लॉट पर करने के सिवाय, नहीं करेगी ।

रिकॉर्ड तिथि (रिकॉर्ड डेट) या अंतरण बहियों (ट्रांसफर बुक्स) को बंद किए जाने की तारीख

- **42**. (1) सूचीबद्ध एंटिटी सभी स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ वह सूचीबद्ध हो, को निम्नलिखित प्रयोजनों से रिकॉर्ड तिथि (रिकॉर्ड डेट) सूचित करेगी:
 - (क) लाभांश की घोषणा;
 - (ख) साधिकार निर्गम या बोनस शेयरों का निर्गम;
 - (ग) डिबेंचरों या किसी अन्य संपरिवर्तनीय प्रतिभृति के संपरिवर्तन हेत् शेयरों का निर्गम;
 - (घ) डिबेंचरों या किसी अन्य संपरिवर्तनीय प्रतिभूति से जुड़े अधिकारों में से उद्भूत शेयर;
 - (ङ) कंपनी कार्रवाईयों (कारपोरेट एक्शन) जैसे विलयन (मर्जर), अविलयन (डी-मर्जर), विभाजन (स्प्लिट) और बोनस शेयर, जहाँ स्टॉक व्युत्पन्नियाँ (डेरिवेटिव्ज़) सूचीबद्ध एंटिटी के स्टॉक पर उपलब्ध हों या जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी के स्टॉक सूचकांक (इंडेक्स), जिस पर व्युत्पन्नियाँ उपलब्ध हों, का हिस्सा हों;
 - (च) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी रिकॉर्ड तिथि का प्रयोजन विनिर्दिष्ट करते हुए स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को रिकॉर्ड तिथि की सूचना (नोटिस) कम से कम सात कार्य-दिवस (सूचना देने की तारीख और रिकॉर्ड तिथि को छोड़कर) पहले देगी ।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी समस्त लाभांश और / या नकदी बोनस की सिफारिश या घोषणा इस प्रयोजनार्थ नियत रिकॉर्ड तिथि से कम से कम पाँच कार्य-दिवसों [जिनमें सूचना की तारीख और रिकॉर्ड तिथि (रिकॉर्ड डेट) सम्मिलित नहीं होगी] पूर्व करेगी ।
- (4) सुचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि दो रिकॉर्ड तिथियों (रिकॉर्ड डेट) के बीच कम से कम तीस दिनों का समय-अंतराल हो।
- (5) कागज़ी रूप में धारित प्रतिभूतियों के लिए, सूचीबद्ध एंटिटी, उप-विनियम (1) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु, रिकॉर्ड तिथि (रिकॉर्ड डेट) के स्थान पर अपनी अंतरण बहियों (ट्रांसफर बुक्स) के बंद होने की तारीखों की घोषणा करेगी:

परंतु यह कि सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी अंतरण बहियों के बंद होने की दो तारीखों के बीच कम से कम तीस दिनों का समय-अंतराल हो ।

लाभांश

- 43. (1) सूचीबद्ध एंटिटी केवल प्रति शेयर आधार पर लाभांश की घोषणा करेगी और उसे प्रकट करेगी ।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी, दावे के विधि द्वारा वर्जित हो जाने से पूर्व, अदावाकृत लाभांशों (वे लाभांश जिनका दावा न किया गया हो) को समपहृत नहीं करेगी और ऐसा समपहरण (यदि होता है) समुचित मामलों में निष्प्रभावी हो जाएगा।

शेयरधारकों द्वारा मतदान

- **44**. (1) सूचीबद्ध एंटिटी, सभी शेयरधारकों के संकल्पों के संबंध में, अपने शेयरधारकों को दूरस्थ_(रिमोट) ई-मतदान की सुविधा उपलब्ध कराएगी ।
- (2) उप-विनियम (1) के अनुसार शेयरधारकों को उपलब्ध कराई जाने वाली ई-मतदान की सुविधा कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 या उसमें किए गए संशोधनों के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करते हुए उपलब्ध कराई जाएगी।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में मतदान परिणामों से संबंधित ब्यौरे, अपनी साधारण बैठक की समाप्ति के अड़तालीस घंटों के भीतर, स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करेगी ।
- (4) सूचीबद्ध एंटिटी सभी मामलों में प्रतिभूतियों के धारकों को परोक्षी (प्राक्सी) के फॉर्म यह उल्लेख करते हुए भेजेगी कि धारक या तो प्रत्येक संकल्प के पक्ष में या के खिलाफ मत दे सके।

सूचीबद्ध एंटिटी के नाम में परिवर्तन

- 45. (1) सूचीबद्ध एंटिटी को, निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन, अपने नाम में परिवर्तन करने की अनुज्ञा होगी:
 - (क) नाम में पिछली बार हुए परिवर्तन के पश्चात् कम से कम एक वर्ष की समयावधि बीत गई हो;
 - (ख) पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि में हुई कुल आमदनी का कम से कम पचास प्रतिशत नए नाम से झलकने वाले नए क्रियाकलाप से आया हो; या
 - (ग) नए क्रियाकलाप / परियोजना (प्रोजेक्ट) में निवेश की गई रकम सूचीबद्ध एंटिटी की आस्तियों की कम से कम पचास प्रतिशत हो:

परंतु यह कि यदि किसी सूचीबद्ध एंटिटी ने अपने क्रियाकलापों में परिवर्तन किया हो, जो उसके नाम से जाहिर न होते हों, तो वह क्रियाकलापों के परिवर्तन से छह महीनों की अविध के भीतर, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित उन उपबंधों (प्रावधानों) का अनुपालन करते हुए अपने नाम में अपने क्रियाकलापों के अनुरूप परिवर्तन करेगी, जो नाम परिवर्तन के प्रति लागू हों।

स्पष्टीकरण.- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, -

- (i) सूचीबद्ध एंटिटी की 'आस्तियों' से अभिप्रेत हैं अचल आस्तियों (फिक्सड असेट्स), अग्रिमों (एडवांस), प्रक्रियाधीन कार्य / इन्वेंटरी, निवेशों, व्यापार प्राप्य (रिसीवेब्ल्स), नकदी एवं नकदी समतुल्यों का योग;
- (ii) 'अग्रिमों' में केवल वे रकमें सम्मिलित होंगी, जो नए नाम में झलकने वाले नए क्रियाकलाप से जुड़ी परियोजना (प्रोजेक्ट) को पूरा करने हेत् ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं (सप्लायर्स) को दी गई हों ।
- (2) उप-विनियम (1) में दी गई शर्तों के पूरा हो जाने पर, सूचीबद्ध एंटिटी कंपनी रजिस्ट्रार के पास नाम की उपलब्धता के लिए आवेदन दाखिल करेगी।
- (3) कंपनी रजिस्ट्रार से नाम की उपलब्धता के संबंध में पुष्टिकरण प्राप्त होने पर, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित उपबंधों (प्रावधानों) के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार के पास नाम परिवर्तन हेतु निवेदन दाखिल करने से पूर्व, सूचीबद्ध एंटिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र [जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि उप-विनियम (1) में दी गई शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है| प्रस्तुत करते हुए स्टॉक एक्सचेंज से अनुमोदन की माँग करेगी।

वेबसाइट

- 46. (1) सूचीबद्ध एंटिटी एक ऐसा वेबसाइट बनाए रखेगी जिसके अंतर्गत सूचीबद्ध एंटिटी के बारे में बुनियादी जानकारी अंतर्विष्ट होगी।(2) सूचीबद्ध एंटिटी अपने वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी प्रसारित करेगी:
 - (क) अपने कारबार के ब्यौरे;
 - (ख) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें;
 - (ग) निदेशक बोर्ड की विभिन्न समितियों की संरचना:
 - (घ) निदेशक बोर्ड और ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल कार्मिक की आचार संहिता;
 - (ङ) सतर्कता संबंधी व्यवस्था (विजिल मैकेनिज़्म) / पर्दाफाश किए जाने (विसल ब्लोअर) संबंधी नीति निर्धारित किए जाने के ब्यौरे:
 - (च) गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए जाने संबंधी मानदंड, यदि उन्हें वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट न किया गया हो;
 - (छ) संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के संबंध में कार्यवाही करने संबंधी नीति;
 - (ज) 'महत्त्वपूर्ण' ('तात्विक / मटिरियल') समनुषंगियों का निर्धारण करने संबंधी नीति;
 - (झ) स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए परिचय कार्यक्रमों के ब्यौरे, जिनमें निम्नलिखित ब्यौरे सम्मिलित हैं:-
 - (i) उन कार्यक्रमों की संख्या जिनमें स्वतंत्र निदेशक उपस्थित रहे (वर्ष के दौरान और वर्तमान तारीख तक संचयी आधार पर),

- (ii) ऐसे कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों ने कितने घंटे बिताए (वर्ष के दौरान और वर्तमान तारीख तक संचयी आधार पर), और
- (iii) अन्य संबद्ध ब्यौरे;
- (ञ) शिकायत निवारण हेतु ई-मेल का पता और अन्य संबद्ध ब्यौरे;
- (ट) सूचीबद्ध एंटिटी के उन नामनिर्दिष्ट पदधारियों की संपर्क संबंधी जानकारी जो निवेशक (विनिधानकर्ता) शिकायतों के संबंध में सहायता करने के लिए और उनका निपटारा करने के लिए जिम्मेदार हों;
- (ठ) वित्तीय जानकारी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:
 - (i) निदेशक बोर्ड की उस बैठक की सुचना (नोटिस) जिसमें वित्तीय परिणामों के संबंध में चर्चा की जाएगी;
 - (ii) वित्तीय परिणाम, निदेशक बोर्ड की उस बैठक की समाप्ति पर जिसमें वित्तीय परिणामों को अनुमोदित किया गया;
 - (iii) वार्षिक रिपोर्ट की पूरी प्रति जिसमें तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट, कंपनी शासन संबंधी रिपोर्ट आदि सम्मिलित है;
- (ड) शेयरधारिता स्वरूप (पैटर्न);
- (ढ) मीडिया कंपनियों और/या उनके सहयुक्तों के साथ किए गए करारों के ब्यौरे, आदि;
- (ण) विश्लेषक या संस्थागत निवेशक (विनिधानकर्ता) की बैठक की कार्यक्रम-सूची और सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों को दी गई प्रस्तुतियाँ (प्रेजेंटेशन्स), स्टॉक एक्सचेंज को देने के साथ-साथ;
- (त) पिछली बार नाम में परिवर्तन किए जाने की तारीख से, एक वर्ष की लगातार अवधि तक सूचीबद्ध एंटिटी का नया नाम और पुराना नाम;
- (थ) विनियम 47 के उप-विनियम (1) की मदें।
- (3) (क) सुचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि वेबसाइट की विषय-वस्तु सही हो।
 - (ख) सूचीबद्ध एंटिटी अपने वेबसाइट पर डाली गई सामग्री में होने वाले किसी परिवर्तन को, इस प्रकार सामग्री में होने वाले परिवर्तन की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर अद्यतन करेगी।

समाचारपत्रों में विज्ञापन

- 47. (1) सूचीबद्ध एंटिटी समाचारपत्र में निम्नलिखित जानकारी प्रकाशित करेगी:
 - (क) निदेशक बोर्ड की उस बैठक की सूचना (नोटिस) जिसमें वित्तीय परिणामों के संबंध में चर्चा की जाएगी;
 - (ख) वित्तीय परिणामों (विनियम 33 में यथा विनिर्दिष्ट) के साथ लेखापरीक्षक द्वारा अभिव्यक्त किया गया (किए गए) मॉडिफाइड ओपिनियन या रिज़र्वेशन, यदि कोई हो (हों):
 - परंतु यह कि यदि सूचीबद्ध एंटिटी ने एकल और समेकित दोनों वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए हों, तो सूचीबद्ध एंटिटी (1) व्यापारावर्त (टर्नओवर), (2) कर से पूर्व लाभ और (3) कर के पश्चात् लाभ के साथ समेकित वित्तीय परिणाम, एकल आधार पर, पाद टिप्पण के रूप में प्रकाशित करेगी; और उन स्थानों का संदर्भ देगी जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी के एकल परिणाम उपलब्ध हों, जैसे सूचीबद्ध एंटिटी और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) का वेबसाइट;
 - (ग) विनियम 32 के उप-विनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट विचलन (विचलनों) या फेरफार (फेरफारों) के तिमाही आधार पर विवरण, लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा किए जाने के पश्चात् और वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट में उसका स्पष्टीकरण:
 - (घ) विज्ञापन द्वारा शेयरधारकों को दी गईं सूचनाएँ (नोटिस) ।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी, उप-विनियम (1) में उल्लिखित, समाचारपत्र प्रकाशन में सूचीबद्ध एंटिटी और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के वेबसाइट के लिंक का उल्लेख करेगी, जहाँ और ब्यौरे उपलब्ध हों।

(3) सूचीबद्ध एंटिटी उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट जानकारी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत करने के साथ-साथ ही समाचारपत्र में भी प्रकाशित करेगी:

परंतु यह कि उप-विनियम (1) के खंड (ख) में उल्लिखित वित्तीय परिणाम, निदेशक बोर्ड की उस बैठक की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित किए जाएँगे, जिसमें वित्तीय परिणाम अनुमोदित किए गए हों ।

(4) उप-विनियम (1) में उल्लिखित जानकारी संपूर्ण भारत या काफी हद तक संपूर्ण भारत में परिचालन वाले एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में और उस क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित एक दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित की जाएगी, जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित हो:

परंतु यह कि इस विनियम की अपेक्षाएँ उन सूचीबद्ध एंटिटियों के मामले में लागू नहीं होंगी जिन्होंने अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया हो ।

लेखा मानक

48. सूचीबद्ध एंटिटी समय-समय पर सभी लागू और अधिसूचित लेखा मानकों का अनुपालन करेगी।

अध्याय-V

उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी की बाध्यताएँ जिसने अपनी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों या दोनों को सूचीबद्ध कराया हो

लागू होना

- 49. (1) इस अध्याय के उपबंध (प्रावधान) केवल उसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के प्रति लागू होंगे जिसने अपनी 'असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ' (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) और/या अपने 'असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर' (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर) क्रमशः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2013 के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराए हों।
- (2) इस अध्याय के उपबंध बैंकों द्वारा सूचीबद्ध "बेमीयादी ऋण लिखत (डैट इंस्ट्रूमेंट)" और "बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (नॉन-क्युम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर)" के प्रति भी लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1.- इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, "बैंक" से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कोई बैंक अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 2.- इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, यदि सूचीबद्ध एंटिटी ने अपने असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर सूचीबद्ध कराए हों, तो:

- (i) "ब्याज" के संदर्भ को लाभांश के रूप में भी पढ़ा जा सकेगा;
- (ii) डिबेंचर न्यासियों (डिबेंचर ट्रस्टीज़) और प्रतिभूति सृजन (सिक्यूरिटी क्रिएशन) (या आस्ति कवर या आस्तियों पर भार) से संबंधित उपबंध (प्रावधान) "असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों" के लिए लागू नहीं होंगे।

स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को सूचना

- **50.** (1) सूचीबद्ध एंटिटी उस तारीख से कम से कम ग्यारह कार्य-दिवस पहले स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को सूचना देगी, जिस तारीख से डिबेंचरों तथा बॉण्डों पर ब्याज देय होगा और मोचनीय (रिडीमेबल) शेयरों के या डिबेंचरों तथा बॉण्डों के मोचन (रिडेंप्शन) की रकम देय होगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी नई असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों, जिन्हें वह या तो सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के माध्यम से या निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) आधार पर सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव करती हो, के माध्यम से निधियाँ जुटाने के अपने आशय के बारे में, ऐसी प्रतिभूतियों के निर्गमन से पूर्व, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को सूचना देगी:

परंतु यह कि उपरोक्त सूचना निदेशक बोर्ड की बैठक से पूर्व दी जा सकेगी, जिसमें नई असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों के माध्यम से निधियाँ जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ।

(3) सूचीबद्ध एंटिटी अपने निदेशक बोर्ड की बैठक, जिसमें असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम की सिफारिश या घोषणा अथवा असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों के धारकों के अधिकारों या हितों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य विषय पर विचार किए जाने का प्रस्ताव हो, के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को कम से कम दो कार्य-दिवस पहले (सूचना देने की तारीख और बैठक की तारीख को छोड़कर) सूचना देगी।

सूचीबद्ध एंटिटी के कार्य-निष्पादन / प्रचालन को प्रभावित करने वाली जानकारी और/या कीमत संवदेनशील जानकारी का प्रकटीकरण

51. (1) सूचीबद्ध एंटिटी, सूचीबद्ध एंटिटी के कार्य-निष्पादन / प्रचालन को प्रभावित करने वाली समस्त जानकारी, कीमत संवेदनशील जानकारी या किसी कार्रवाई, जो असंपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के ब्याज या लाभांश के भुगतान अथवा असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या मोचनीय अधिमानी शेयरों के मोचन को प्रभावित करे, के बारे में स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को तत्परता से सूचित करेगी।

स्पष्टीकरण.- शब्दों 'तत्परता से सूचित करेगी' से तात्पर्य यह होगा कि स्टॉक एक्सचेंज को व्यावहारिक रूप से जितना शीघ्र संभव हो तथा बिना किसी विलंब के सूचित किया जाए और जानकारी किसी पर-व्यक्ति को दिए जाने से पहले इसे स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को दिया जाए ।

(2) उप-विनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिस सूचीबद्ध एंटिटी ने असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ और/या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर निर्गमित किए हों या जो इन्हें निर्गमित कर रही हो, वह सूचीबद्ध एंटिटी अनुसूची-III के भाग ख में यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण करेगी।

वित्तीय परिणाम

- 52. (1) सूचीबद्ध एंटिटी बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में छमाही आधार पर अलेखापरीक्षित या लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम तैयार करेगी और उन्हें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को छमाही की समाप्ति से पैंतालीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी वार्षिक और छमाही वित्तीय परिणामों को तैयार करने, के अनुमोदन, के अधिप्रमाणन और के प्रकाशन के संबंध में निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी:
 - (क) अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के साथ सूचीबद्ध एंटिटी के कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में व्यवसाय में लगे हुए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार की गई सीमित समीक्षा रिपोर्ट (लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट) होगी, जो बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फॉर्मेंट में होगी:

परंतु यह कि यदि सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को पहले ही से यह सूचना दे देती है कि वह स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को अपने वार्षिक लेखापरीक्षित परिणाम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से साठ दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगी, तो पिछली छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट सहित, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- (ख) छमाही परिणाम निदेशक बोर्ड द्वारा रिकार्ड में लिए जाएँगे और प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएँगे।
- (ग) वर्ष के लेखापरीक्षित परिणाम मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को उसी फॉर्मेट में प्रस्तुत किए जाएँगे जो छमाही वित्तीय परिणामों के लिए लागू हो ।
- (घ) यदि सूचीबद्ध एंटिटी पिछली छमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के साथ लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट (लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट) प्रस्तुत करने का विकल्प चुने, तो वह पूरे वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भी प्रस्तुत करेगी, जैसे ही वे निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिए जाएँ।
- (ङ) लेखापरीक्षा रिपोर्टों में जो मॉडिफाइड ओपिनियन (ओपिनियन्स) असंपरिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचरों के संबंध में ब्याज की अदायगी/लाभांश की अदायगी / सूचीबद्ध एंटिटी की मोचन करने या मूलधन चुकाने की हैसियत से संबंधित हो (हों), उस (उन) मॉडिफाइड ओपिनियन (ओपिनियन्स) पर उक्त अविध हेतु लेखे प्रकाशित करते समय निदेशक बोर्ड द्वारा समुचित रूप से और पर्याप्त रूप से ठीक किया जाएगा।
- (3) (क) वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और या तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु प्ररूप क, या मॉडिफाइड ओपिनियन सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु प्ररूप ख के साथ प्रस्तुत किए जाएँगे ।

- (ख) प्ररूप ख और उसके साथ खंड (क) के अनुसार प्रस्तुत की गई वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) और क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट रिव्यू किमटी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा सिमिति) द्वारा अनुसूची-VIII में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी।
- (ग) सूचीबद्ध एंटिटी बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेश पर, मॉडिफाइड ओपिनियन के सुधार के लिए और/या संशोधित प्रोफार्मा वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, जैसा अनुसूची-VIII में विनिर्दिष्ट है ।
- (घ) प्ररूप क एवं प्ररूप ख के लागू फॉर्मेट बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएँगे।
- (4) सुचीबद्ध एंटिटी, छमाही / वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रस्तृत करते समय, वित्तीय परिणामों के साथ निम्नलिखित मदों को प्रकट करेगी:
 - (क) साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) और साख निर्धारण में परिवर्तन (यदि कोई हो);
 - (ख) उपलब्ध आस्ति कवर (असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के मामले में);
 - (ग) ऋण-इक्विटी (डैट-इक्विटी) अनुपात;
 - (घ) असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों के लिए ब्याज / लाभांश की अदायगी हेतु / असंपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों / असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का मूलधन चुकाने हेतु पिछली नियत तारीख और क्या इसकी अदायगी की गई है या नहीं; और,
 - (ङ) असंपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के ब्याज/लाभांश / असंपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के देय ब्याज/लाभांश की रकम के साथ देय मुलधन और मोचन की रकम की अदायगी हेत् अगली नियत तारीख;
 - (च) कर्ज चुकौती (डैट सर्विस) कवरेज अनुपात;
 - (छ) ब्याज चुकौती (इंटरेस्ट सर्विस) कवरेज अनुपात;
 - (ज) बकाया मोचनीय अधिमानी शेयर (संख्या और मूल्य);
 - (झ) पूँजी मोचन आरक्षिति (कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व) / डिबेंचर मोचन आरक्षिति (डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व);
 - (ञ) शृद्ध-मालियत (नेट वर्थ);
 - (ट) कर के पश्चात् शुद्ध लाभ;
 - (ठ) आमदनी प्रति शेयर:

परंतु यह कि कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात, आस्ति कवर और ब्याज चुकौती कवरेज अनुपात के प्रकटीकरणों की अपेक्षा बैंकों या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों, जो भारतीय रिज़र्व बैंक से रजिस्ट्रीकृत हों, के लिए लागू नहीं होगी:

परंतु यह और कि इस उप-विनियम की अपेक्षा वित्तीय क्षेत्र (सेक्टर) की विनियमित एंटिटियों द्वारा निर्गमित अप्रतिभूत ऋण लिखतों के मामले में लागू नहीं होगी जो संबंधित विनियामकों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पूँजीगत अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु पात्र हों ।

- (5) उप-विनियम (4) के अधीन अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करते समय, सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी कि उसने विषय-वस्तु को ध्यान से देख लिया है ।
- (6) जिस सूचीबद्ध एंटिटी ने अपने असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर सूचीबद्ध कर दिए हों, वह सूचीबद्ध एंटिटी वित्त-संबंधी जानकारी के टिप्पणों के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण करेगी:
 - (क) छमाही के लाभ और वर्ष के संचयी लाभ:
 - (ख) छमाही की समाप्ति पर खुली आरक्षिति (फ्री रिज़र्व);
 - (ग) प्रतिभूति प्रीमियम खाता शेष (यदि मोचनीय अधिमानी शेयर का मोचन प्रीमियम पर किया जाना हो, तो ऐसा प्रीमियम प्रतिभूति प्रीमियम खाते से विनियोजित किया जा सकेगा):
 परंतु यह कि प्रतिभूति प्रीमियम खाता शेष संबंधी प्रकटीकरण केवल उस वर्ष किया जा सकेगा जिस वर्ष असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर मोचन के लिए देय हों;
 - (घ) असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों के संबंध में लाभांश के भुगतान का पिछला रिकॉर्ड (ट्रैक रिकॉर्ड):

परंतु यह कि यदि लाभांश किसी भी समय आस्थगित किया गया हो, तो भुगतान की वास्तविक तारीख प्रकट की जाएगी;

- (ङ) असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों के निबंधनों के अधीन किन्हीं प्रसंविदाओं का भंग:

 परंतु यह कि यदि सूचीबद्ध एंटिटी शेयरों के नए निर्गमन (इश्युएंस) की योजना बना रही है जिसका अंतिम उपयोग

 असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों के संबंध में चुकौती (सर्विसिंग) (चाहे लाभांश या मूलधन का मोचन) है, तो उसे

 प्रकट किया जाएगा जब भी सुचीबद्ध एंटिटी ऐसे निर्गमनों के संबंध में निर्णय लेती है।
- (7) सूचीबद्ध एंटिटी छमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंज को छमाही वित्तीय परिणामों के साथ, प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में कथित उद्देश्यों से असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों और असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों के निर्गम के आगमों (प्रोसीड्स) के उपयोग में हुए महत्त्वपूर्ण (तात्विक) विचलनों, यदि कोई हों, को इंगित करते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगी।
- (8) सूचीबद्ध एंटिटी, निदेशक बोर्ड की बैठक की समाप्ति के दो कलैंडर दिनों के भीतर, उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट वित्तीय परिणाम और विवरण, संपूर्ण भारत में या काफी हद तक संपूर्ण भारत में परिचालन वाले कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित करेगी ।

वार्षिक रिपोर्ट

- 53. सूचीबद्ध एंटिटी की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरणों के साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा:
 - (क) लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, अर्थात् तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखे आदि;
 - (ख) नकदी प्रवाह विवरण जो लेखा मानक-3 या भारतीय लेखा मानक 7, जो लागू हो, में यथा निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धित (इनडायरेक्ट मेथड) के अधीन ही प्रस्तुत किए गए, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में या भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेन्ट संस्थान द्वारा, जो भी लागू हो, विनिर्दिष्ट है;
 - (ग) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;
 - (घ) निदेशकों की रिपोर्ट;
 - (ङ) डिबेंचर न्यासियों के नाम उनके संपर्क संबंधी पूरे ब्यौरों के साथ;
 - (च) अनुसूची-V के पैरा क में यथा विनिर्दिष्ट संबद्ध पक्षकार संबंधी प्रकटीकरण।

आस्ति कवर

- **54.** (1) अपनी सूचीबद्ध असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों की बाबत, सूचीबद्ध एंटिटी शत-प्रतिशत आस्ति कवर बनाए रखेगी जो निर्गमित असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में मूलधन की रकम किसी भी समय चुकाने के लिए पर्याप्त हो ।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को तिमाही, छमाही, वर्ष के प्रारंभ से वर्तमान तारीख तक के और वार्षिक वित्तीय विवरणों, जो लागू हों, में अपनी प्रतिभूत सूचीबद्ध असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों की बाबत सृजित की गई और रखी गई जमानत का परिमाण और प्रकार प्रकट करेगी ।
- (3) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षा, वित्तीय क्षेत्र (सेक्टर) की विनियमित एंटिटियों द्वारा निर्गमित अप्रतिभूत ऋण प्रतिभूतियों के मामले में लागू नहीं होगी जो संबंधित विनियामकों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पूँजीगत अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु पात्र हों।

साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)

55. असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा अभिप्राप्त की गई प्रत्येक रेटिंग का पुनर्विलोकन बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा।

डिबेंचर न्यासियों को दस्तावेज और सूचना

- 56. (1) सूचीबद्ध एंटिटी डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) को तत्परता से निम्नलिखित भेजेगीः
 - (क) वार्षिक रिपोर्ट की प्रति (उसी समय जब यह जारी की जाए) के साथ जिस परियोजना (प्रोजेक्ट) के लिए निधियाँ जुटाई गई हों उसकी कार्यान्वयन अवधि के दौरान निधियों के उपयोग के संबंध में सूचीबद्ध एंटिटी के लेखापरीक्षकों के प्रमाणपत्र की प्रति:
 - परंतु यह कि कार्यशील पूँजी का वित्तपोषण करने के लिए या साधारण कारपोरेट प्रयोजनों से या पूँजी जुटाने के प्रयोजनों से निर्गमित डिबेंचरों या अधिमानी शेयरों के मामले में निधियों का पूर्णतया उपयोग होने तक या जिस प्रयोजन से ये निधियाँ

जुटाई गई थीं उस प्रयोजन के पूरा होने तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की जा सकेगी ।

- (ख) सभी नोटिसों, संकल्पों और परिपत्रों की प्रति:
 - (i) जो असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के नए निर्गम से संबंधित हों उसी समय जब वे असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के शेयरधारकों / धारकों को भेजी जाती हों;
 - (ii) जो असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के धारकों की बैठकों से संबंधित हों उसी समय जब इन्हें असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के धारकों को भेजी जाती हों या उनकी सूचना मीडिया में दी जाती हो, जिनमें बैठकों की कार्यवाहियों संबंधी सभी सूचनाएँ, संकल्प और परिपत्र सम्मिलित हैं;
- (ग) निम्नलिखित से संबंधित सूचनाएँ:
 - (i) रेटिंग में कोई संशोधन;
 - (ii) असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभृतियों के संबंध में समय पर ब्याज के भुगतान या मोचन (रिडेम्पशन) या दोनों में कोई चुक;
 - (iii) आस्तियों पर भार सुजित करने में असफलता;
- (घ) सूचीबद्ध असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों की बाबत शत-प्रतिशत आस्ति कवर बनाए रखे जाने संबंधी छमाही प्रमाणपत्र, पेशेवर कंपनी सचिव या पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा, छमाही वित्तीय परिणामों के साथः परंतु यह कि ऐसे छमाही प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना उन मामलों में लागू नहीं है जहाँ सुचीबद्ध एंटिटी बैंक या गैर-बैंककारी
 - वित्तीय कंपनी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक से रजिस्ट्रीकृत हो, हो या जहाँ बॉण्ड सरकारी गारंटी द्वारा प्रतिभृत हों ।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी डिबेंचर न्यासी को मांगी गई कोई ऐसी जानकारी भेजेगी और सुसंगत लेखा बहियों तक पहुँच उपलब्ध कराएगी, जैसी डिबेंचर न्यासी द्वारा अपेक्षा की जाए ।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी, डिबेंचर न्यासी की सहमति के अध्यधीन, उप-विनियम (1) में नियत जानकारी, इलैक्ट्रॉनिक रूप में / फैक्स से भेज सकेगी ।

स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य दस्तावेज

- **57.** (1) सूचीबद्ध एंटिटी ब्याज या मूलधन या दोनों के देय होने के दो दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी कि उसने असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभृतियों की बाबत ब्याज या मूलधन या दोनों का समय पर भृगतान कर दिया है।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को वार्षिक आधार पर यह कथन करते हुए वचन प्रस्तुत करेगी कि न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 के अनुसार डिबेंचर न्यासियों को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समस्त दस्तावेजों और सूचनाओं के संबंध में अनुपालन कर लिया गया है।
- (3) सुचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को कोई अन्य जानकारी बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट रीति तथा फॉर्मेट में भेजेगी ।

असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों और असंपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के धारकों को दस्तावेज एवं जानकारी

- 58. (1) सूचीबद्ध एंटिटी निम्नलिखित दस्तावेज भेजेगी:
 - (क) असंपरिवर्तनीय अधिमानी शेयर के उन सभी धारकों को पूरी वार्षिक रिपोर्टों की सॉफ्ट प्रतियाँ, जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ अपना ईमेल पता (अपने ईमेल पते) दर्ज कराया हो (कराए हों);
 - (ख) असंपरिवर्तनीय अधिमानी शेयर के उन धारकों को समस्त दस्तावेजों की मुख्य बातों से युक्त विवरण की कागजी प्रति, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट है, जिन्होंने इस प्रकार दर्ज न कराया हो;
 - (ग) संपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों और असंपरिवर्तनीय अधिमानी शेयर के उन धारकों को पूरी वार्षिक रिपोर्टों की कागजी प्रतियाँ (हार्ड कॉपी), जो इनके लिए निवेदन करें;
 - (घ) असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों और असंपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के धारकों को विनियम 52 के उप-विनियम (4) तथा (5) में यथा विनिर्दिष्ट छमाही संसुचना ।

- (2) सूचीबद्ध एंटिटी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों और असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों के धारकों की सभी बैठकों की सूचना (नोटिस) भेजेगी, जिसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख होगा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 में यथा उल्लिखित परोक्षी (प्राक्सी) की नियुक्ति संबंधी उपबंध (प्रावधान) ऐसी बैठक के लिए लागू होंगे।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों और असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों के धारकों को परोक्षी (प्राक्सी) के फॉर्म भेजेगी जो इस तरह से तैयार किए जाएँगे कि इन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के धारक या तो प्रत्येक संकल्प के पक्ष में या के खिलाफ मत दे सकें।

असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों और असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों की संरचना

- **59.** (1) स्टॉक एक्सचेंज (स्टॉक एक्सचेंजों), जहाँ असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर, जो लागू हों, सूचीबद्ध हों, के पूर्व अनुमोदन के बिना सूचीबद्ध एंटिटी निम्नलिखित में महत्त्वपूर्ण (तात्विक) परिवर्तन नहीं करेगी:
 - (क) कूपन, संपरिवर्तन (कन्वर्ज़न), मोचन (रिडेम्पशन) के रूप में, या अन्य रूप में डिबेंचर की संरचना में;
 - (ख) असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों की संरचना में असंपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के देय लाभांश, संपरिवर्तन, मोचन के रूप में, या अन्य रूप में।
- (2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज का अनुमोदन:
 - (क) असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के मामले में निदेशक बोर्ड और डिबेंचर न्यासी के अनुमोदन; और
 - (ख) अपेक्षानुसार उस वर्ग की प्रतिभूतियों के बहुसंख्यक धारकों की सहमित के अनुमोदन सिहत, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन किए जाने;

के पश्चात् ही दिया जाएगा।

रिकॉर्ड तिथि (रिकॉर्ड डेट)

- **60.** (1) सूचीबद्ध एंटिटी ब्याज, लाभांश के भुगतान और मोचन (रिडेम्पशन) की रकम या चुकौती की रकम के भुगतान के प्रयोजनों से या अन्य प्रयोजनों से रिकॉर्ड डेट (रिकॉर्ड डेट) नियत करेगी, जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को रिकॉर्ड तिथि की सूचना (नोटिस) कम से कम सात कार्य दिवस (सूचना देने की तारीख और रिकॉर्ड तिथि को छोड़कर) पहले देगी अथवा उतने दिनों पहले देगी जितने दिनों के लिए स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड तिथि का प्रयोजन विनिर्दिष्ट करने हेतु सहमत हो (हों) या जितने की अपेक्षा करे (करें)।

असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों और असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों के निबंधन

61. (1) सूचीबद्ध एंटिटी असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों के ब्याज या लाभांश का अथवा मोचन (रिडेम्पशन) की रकम का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी:

परंतु यह कि सूचीबद्ध एंटिटी कोई लाभांश घोषित या वितरित नहीं करेगी जहाँ उसने ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज के भुगतान में या उनके मोचन (रिडेम्पशन) में अथवा ऋण प्रतिभृतियों के निर्गम के निबंधनों के अनुसार प्रतिभृति के सुजन में चूक की हो:

परंतु यह और कि यह अपेक्षा वित्तीय क्षेत्र (सेक्टर) की विनियमित एंटिटियों द्वारा निर्गमित उन अप्रतिभूत ऋण प्रतिभूतियों के मामले में लागू नहीं होगी जो संबंधित विनियामकों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पूँजीगत अपेक्षाओं को पूरा करने के पात्र हों ।

- (2) सूचीबद्ध एंटिटी अदावाकृत ब्याज / लाभांश को समपहृत नहीं करेगी और ऐसा अदावाकृत ब्याज / लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अनुसार स्थापित 'विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि' (निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि) में अंतरित किया जाएगा ।
- (3) जब तक कि निर्गम के निबंधनों में अन्यथा उपबंध (प्रावधान) न हो, तब तक सूचीबद्ध एंटिटी अपनी किन्हीं सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का चयन मोचन के लिए, आनुपातिक आधार पर या लॉट पर करने के सिवाय, नहीं करेगी ।
- (4) सूचीबद्ध एंटिटी प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु विनियम 40 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी जिनमें अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया-संबंधी अपेक्षाएँ सम्मिलित हैं ।

वेबसाइट

62. (1) सूचीबद्ध एंटिटी एक ऐसा वेबसाइट बनाए रखेगी जिसमें सूचीबद्ध एंटिटी से संबंधित निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी:-

- (क) उसके कारबार के ब्यौरे;
- (ख) वित्तीय जानकारी जिसमें वार्षिक रिपोर्ट (जिसके अंतर्गत सम्मिलित हैं तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट आदि) शामिल हो की पूरी प्रति;
- (ग) सूचीबद्ध एंटिटी के उन नामनिर्दिष्ट अधिकारियों आदि की संपर्क संबंधी जानकारी जो निवेशक (विनिधानकर्ता) शिकायतों के संबंध में सहायता देने और उनका निपटारा करने के लिए जिम्मेदार हों;
- (घ) शिकायत निवारण हेतु ईमेल का पता और अन्य संबद्ध ब्यौरे;
- (ङ) डिबेंचर न्यासियों के नाम उनके संपर्क संबंधी पूरे ब्यौरों के साथ;
- (च) असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों या असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित जानकारी, रिपोर्ट, सूचनाएँ (नोटिस), कॉल लैटर्स, परिपत्र (सर्कुलर्स), कार्यवाहियाँ, आदि;
- (छ) समस्त जानकारी और रिपोर्टें जिनके अंतर्गत सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा दाखिल की गई अनुपालन संबंधी रिपोर्टें सम्मिलित हैं;
- (ज) निम्नलिखित घटनाओं के संबंध में जानकारी:
 - (i) निर्गमकर्ता (इश्यूअर) द्वारा ब्याज या मोचन की रकम के भुगतान में चूक;
 - (ii) आस्तियों पर भार सृजित करने में असफलता;
 - (iii) असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभृतियों को दी गई रेटिंग का संशोधन ।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट घटनाओं के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर सकेगी।
- (3) सुचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि वेबसाइट की विषय-वस्तु हर समय सही हो और अद्यतन हो।

अध्याय-VI

उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी की बाध्यताएँ जिसने अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों और या तो असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों या दोनों को सूचीबद्ध कराया हो

अध्याय IV और V का लागू होना

- 63. (1) जिस एंटिटी ने अपनी 'विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ' और 'असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ' (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) या 'असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर' (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर) या दोनों किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सुचीबद्ध कराए हों, वह एंटिटी इन विनियमों के अध्याय-IV के उपबंधों (प्रावधानों) द्वारा आबद्ध होगी।
- (2) जिस सूचीबद्ध एंटिटी का उल्लेख उप-विनियम (1) में किया गया है, वह एंटिटी अध्याय-V के निम्नलिखित विनियमों का भी अनुपालन करेगी:
 - (क) विनियम 50(2),(3);
 - (ख) विनियम 51;
 - (ग) विनियम 52(3),(4),(5) एवं (6);
 - (घ) विनियम 53;
 - (ङ) विनियम 54;
 - (च) विनियम 55;
 - (छ) विनियम 56;
 - (ज) विनियम 57;
 - (झ) विनियम 58;
 - (ञ) विनियम 59;
 - (ट) विनियम 60;
 - (ठ) विनियम 61:

परंतु यह कि जिस सूचीबद्ध एंटिटी ने इन विनियमों के अध्याय-IV के अधीन प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए स्टॉक एक्सचेंज को कोई जानकारी प्रस्तुत कर दी हो, उस सूचीबद्ध एंटिटी के लिए यह जरूरी नहीं होगा की वह इन विनियमों के उपबंधों (प्रावधानों) के अधीन कोई ऐसी जानकारी पुनःप्रस्तुत करे, किंतु इससे बोर्ड या स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य प्राधिकरण को सूचीबद्ध एंटिटी से ऐसी कोई जानकारी मँगाए जाने के संबंध में किसी विधि के अधीन प्रदान की गई किसी शक्ति पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

परंतु यह और कि जिस सूचीबद्ध एंटिटी ने अन्य अध्यायों का अनुपालन करते हुए किन्हीं बाध्यताओं को पूरा कर लिया हो, वह सूचीबद्ध एंटिटी इस अध्याय के अधीन उन्हीं शर्तों को अलग से पूरा नहीं करेगी ।

असूचीबद्धता

- 64. (1) यदि सूचीबद्ध एंटिटी की विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्ध (डीलिस्ट) हो जाती हैं, तो सूचीबद्ध एंटिटी इन विनियमों के अध्याय-V के सभी उपबंधों (प्रावधानों) का अनुपालन करेगी।
- (2) यदि सूचीबद्ध एंटिटी की असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ और असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं रहते, तो सूचीबद्ध एंटिटी इन विनियमों के अध्याय-IV के सभी उपबंधों (प्रावधानों) का अनुपालन करेगी ।

अध्याय-VII

उस सूचीबद्ध एंटिटी की बाध्यताएँ जिसने अपनी भारतीय निक्षेपागार रसीदों को सूचीबद्ध कराया हो

लागू होना

65. इस अध्याय के उपबंध उस सूचीबद्ध एंटिटी के प्रति लागू होंगे जिसकी प्रतिभूतियों के बाजार विनियामकों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ सिक्यूरिटीज़ कमीशन्स् के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हों, और जो कंपनी (विदेशी कंपनियों का रिजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 के नियम 13 के अधीन यथा परिभाषित "भारतीय निक्षेपागार रसीदें" (इंडियन डिपॉज़िटरी रिसीट्स) जारी करती हो।

परिभाषाएँ

- 66. (1) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
 - (क) "आईडीआर धारक (धारकों)" से भारतीय निक्षेपागार रसीदों का धारक (के धारक) अभिप्रेत होगा (होंगे) ।
 - (ख) "निक्षेपागार करार" (डिपॉज़िटरी एग्रीमेंट) से सूचीबद्ध एंटिटी और देशी निक्षेपागार (डोमेस्टिक डिपॉज़िटरी) के बीच करार अभिप्रेत होगा ।
 - (ग) "अपने देश" या "उद्भव के देश" से वह देश या मूल देश अभिप्रेत होगा जहाँ सुचीबद्ध एंटिटी निगमित और सुचीबद्ध हो।
 - (घ) "प्रतिभूति धारक" (सिक्यूरिटी होल्डर) से अपने देश में सूचीबद्ध एंटिटी की प्रतिभूति या के इक्विटी शेयरों का धारक अभिप्रेत होगा ৷

सुचीबद्ध एंटिटी की साधारण बाध्यताएँ

- **67.** (1) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के साथ किया जाने वाला और आईडीआर धारकों को भेजा जाने वाला समस्त पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में होगा।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी, सभी समयों पर, उद्भव के देश के नियमों / विनियमों / विधियों का अनुपालन करेगी।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी यह वचन देगी कि किसी विवाद की दशा में, चाहे वह स्टॉक एक्सचेंज के साथ हो या किसी निवेशक (विनिधानकर्ता) के साथ हो, जिसका संबंध भारत में प्रस्तावित या अभिदत्त या क्रय की गई भारतीय निक्षेपागार रसीदों से हो, भारत के सक्षम न्यायालयों, अधिकरणों (ट्रायब्युनल) और विनियामक प्राधिकरणों की अधिकारिता होगी।
- (4) सूचीबद्ध एंटिटी, समय-समय पर निवेशकों (विनिधानकर्ता) के हित में, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा मांगी गई कोई जानकारी, सतत् आधार पर, अग्रेषित करेगी।

(5) सूचीबद्ध एंटिटी के प्रति लागू इस अध्याय के उपबंधों तथा इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन किसी दावे, मतभेद या विवाद की दशा में, उसे माध्यस्थम् (आर्बिट्रेशन) के लिए निर्देशित कर दिया जाएगा और माध्यस्थम् द्वारा उसका विनिश्चय (निर्णय) किया जाएगा, जैसा स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) की उप-विधियों (बाय-लॉज़) और विनियमों में उपबंधित है।

महत्त्वपूर्ण (तात्विक) घटनाओं या जानकारी का प्रकटीकरण

- 68. (1) सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को तत्परता से उन समस्त घटनाओं की सूचना देगी जो महत्त्वपूर्ण (तात्विक) हों, वह समस्त जानकारी सूचित करेगी जो कीमत संवेदनशील हो, और/या जिसका सूचीबद्ध एंटिटी के कार्य-निष्पादन/प्रचालन पर प्रभाव पड़ता हो ।
- (2) उप-विनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सूचीबद्ध एंटिटी अनुसूची-III के भाग-ग में यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण करेगी ।

भारतीय निक्षेपागार रसीद का धारिता स्वरूप एवं शेयरधारिता के ब्यौरे

- **69.** (1) सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज के पास भारतीय निक्षेपागार रसीद (इंडियन डिपॉज़िटरी रिसीट) का धारिता पैटर्न (होल्डिंग पैटर्न) तिमाही आधार पर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट फॉर्मेंट में तिमाही की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, दाखिल करेगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज के पास निम्नलिखित ब्यौरे दाखिल करेगी जो उसके अपने देश या किसी अन्य देश, जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों, में सूचीबद्धता संबंधी प्राधिकरण (लिस्टिंग अथॉरिटी) या स्टॉक एक्सचेंज की प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन में दाखिल किए जाने अपेक्षित हों:
 - (क) शेयरधारिता पैटर्न;
 - (ख) किसी कारपोरेट पुनर्संरचना, जैसे विलयनों (मर्जर) / समामेलनों (अमैल्गमेशन) की दशा में इंतजाम के पहले और इंतजाम के बाद शेयरधारिता पैटर्न और पूँजी संरचना ।

आवधिक वित्तीय परिणाम

- **70.** (1) सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज के पास आवधिक वित्तीय परिणाम ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर और उतनी हद तक दाखिल करेगी जैसा उसके अपने देश की सूचीबद्धता संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार दाखिल किए जाने के संबंध में अपेक्षित हो।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी वित्तीय परिणामों को तैयार करने और उनमें प्रकटीकरण करने की बाबत अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी, जैसा अनुसूची-IV के भाग-ख में विनिर्दिष्ट है।

वार्षिक रिपोर्ट

- 71. (1) सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज के पास वार्षिक रिपोर्ट उसी समय प्रस्तुत करेगी जब यह उसके अपने देश में या अन्य देशों में, जहाँ ऐसी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों, प्रतिभूति धारक (सिक्यूरिटी होल्डर) को प्रकट की जाती हो ।
- (2) वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा :
 - (क) निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट;
 - (ख) तुलनपत्र;
 - (ग) लाभ और हानि लेखा;
 - (घ) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;
 - (ङ) सभी आवधिक और विशेष रिपोर्टें (यदि लागृ हों);
 - (च) कोई ऐसी अन्य रिपोर्ट जो प्रतिभृति धारकों को प्रतिवर्ष भेजी जानी अपेक्षित हो ।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय परिणामों को तैयार करने और उनमें प्रकटीकरण करने की बाबत अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी, जैसा अनुसूची-IV के भाग ख में विनिर्दिष्ट है ।

कंपनी शासन

72. (1) सूचीबद्ध एंटिटी अपने देश या अन्य देशों, जहाँ उसके इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों, में यथा लागू कंपनी शासन संबंधी उपबंधों (प्रावधानों) का अनुपालन करेगी ।

(2) सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेगी जिसके अंतर्गत उसके अपने देश और अन्य देशों जहाँ उसके इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों, में लागू कंपनी शासन संबंधी प्रावधानों और उनके अनुपालन की तुलना उन कंपनी शासन संबंधी अपेक्षाओं से हो, जो अन्य सूचीबद्ध एंटिटियों के प्रति विनियम 17 से विनियम 27 के अधीन लागू हैं।

भारतीय निक्षेपागार रसीद (आईडीआर) धारक को दस्तावेज और जानकारी

- 73. सूचीबद्ध एंटिटी आईडीआर धारकों को निम्नलिखित दस्तावेज उसी समय और उतने विस्तार तक प्रकट करेगी / भेजेगी जैसे वह अपने देश में या अन्य देशों में, जहाँ उसकी प्रतिभृतियाँ सूचीबद्ध हों, प्रतिभृति धारकों को प्रकट करती हो:
 - (क) उन सभी आईडीआर धारकों को वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियाँ, जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ अपना ई-मेल पता (अपने ई-मेल पते) दर्ज कराया हो (कराए हों);
 - (ख) वार्षिक रिपोर्ट की कागज़ी प्रति (हार्ड कॉपी) उन आईडीआर धारकों को, जो इसके लिए या तो देशी निक्षेपागार (डोमेस्टिक डिपॉज़िटरी) या अनुपालन अधिकारी के माध्यम से निवेदन करता हो;
 - (ग) किसी कारपोरेट पुनर्संरचना, जैसे विलयनों (मर्जर) / समामेलनों (अमैल्गमेशन) और अन्य स्कीमों, की दशा में इंतजाम के पहले और इंतजाम के बाद पूँजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न ।

आईडीआर धारकों के प्रति समान व्यवहार

- 74. (1) यदि सूचीबद्ध एंटिटी के इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयरों के रूप में अन्य प्रतिभूतियाँ उसके अपने देश से भिन्न देशों में स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में भी सूचीबद्ध हों, तो वह यह सुनिश्चित करेगी कि आईडीआर धारकों के साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा उसके अपने देश में प्रतिभृति धारकों के साथ होता है।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी कंपनी कार्रवाइयों (कारपोरेट एक्शन) (उन्हें छोड़कर जो भारतीय कानून द्वारा अनुज्ञात नहीं हैं) के संबंध में, वह आईडीआर धारकों के साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा उसके अपने देश में प्रतिभूति धारकों के साथ होता है।
- (3) अधिग्रहण (टेकओवर) अथवा उसके इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) या उन्हें क्रय द्वारा वापस लिए जाने (बाय-बैक) की दशा में, सूचीबद्ध एंटिटी, अपने देश में लागू कानून का अनुसरण करते हुए, आईडीआर धारकों के साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा उसके अपने देश में प्रतिभृति धारकों के साथ होता है।
- (4) सूचीबद्ध एंटिटी आईडीआर धारकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी [विशिष्ट रूप से भारतीय विधियों (कानूनों) तथा उसके अपने देश की विधियों के अधीन अनुमत सभी कंपनी (कारपोरेट) फायदों की बाबत] और समुचित रूप से सभी निवेशक (विनिधानकर्ता) शिकायतों का निवारण करेगी।

समाचारपत्रों में विज्ञापन

- 75. (1) सूचीबद्ध एंटिटी समाचारपत्र में निम्नलिखित जानकारी प्रकाशित कराएगी:
 - (क) आवधिक वित्तीय परिणाम जो प्रकट किए जाने अपेक्षित हों;
 - (ख) अपने आईडीआर धारकों को विज्ञापन द्वारा दिए जाने वाले नोटिस।
- (2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट जानकारी संपूर्ण भारत या काफी हद तक संपूर्ण भारत में परिचालन वाले एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में और भारत में एक हिन्दी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में जारी की जाएगी ।

भारतीय निक्षेपागार रसीदों के निबंधन

- 76. (1) सूचीबद्ध एंटिटी अपने देश या अन्य देशों में, जहाँ उसकी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों, लागू समय-सीमा, जो भी पहले हो, के अनुसार लाभांश अदा करेगी, ताकि उसके इक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियों के धारकों को लाभांश के भुगतान हेतु नियत तारीख को या उससे पहले आईडीआर धारकों तक लाभांश पहुँच जाए।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी, अपने देश में दावे के विधि द्वारा वर्जित हो जाने के पूर्व, अदावाकृत लाभांशों (वे लाभांश जिनका दावा न किया गया हो) को समपहृत नहीं करेगी, जैसा लागू हो, और ऐसा समपहरण (यदि होता है) समुचित मामलों में निष्प्रभावी हो जाएगा ।
- (3) भारतीय निक्षेपागार रसीदों (इंडियन डिपॉज़िटरी रिसीट्स) की द्विपथीय अदला-बदली (फंजिबिलिटी) उसी प्रकार से होगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

भारतीय निक्षेपागार रसीदों की संरचना

- 77. (1) सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि आईडीआर के अंडरलाइंग शेयर तुलनात्मक दृष्टि से उसी वर्ग के मौजूदा शेयरों से एक समान दर्जे के होंगे और भिन्न-भिन्न मानदंडों, यदि कोई हों, के आधार पर शेयरों के भिन्न-भिन्न वर्ग होने संबंधी तथ्य को सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी ऐसे पूर्णत: संदत्त अंडरलाइंग शेयरों पर, जिनके प्रति आईडीआर जारी की गई हों, और ऐसे अंशत: संदत्त अंडरलाइंग शेयरों की बाबत, जिनके प्रति आईडीआर जारी की गई हों, धाराणाधिकार (लियन) का प्रयोग नहीं करेगी और साथ ही वह किसी धाराणाधिकार (लियन) का प्रयोग, ऐसे अंडरलाइंग शेयरों की बाबत निर्धारित समय पर माँगी गई या देय धनराशि के संबंध में करने के सिवाय, नहीं करेगी।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी, अपने देश की विधियों और विनियमों के अधीन दी गई अपेक्षाओं के अध्यधीन, यह प्रावधान करेगी कि यदि किन्हीं अंडरलाइंग शेयरों, जिनके प्रति आईडीआर जारी की गई हों, के संबंध में कॉल्स के पूर्व कोई रकम अदा की जानी हो, तो ऐसी रकम पर ब्याज मिल सकेगा किंतु उनके संबंध में लाभांश या लाभ में भाग लेने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा।

रिकॉर्ड तिथि (रिकॉर्ड डेट)

- 78. (1) सूचीबद्ध एंटिटी, जहाँ उसके अपने देश या अन्य देशों, जहाँ उसकी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध की जा सकेंगी, में उससे ऐसा करना अपेक्षित हो, आईडीआर धारकों को लाभांशों के भुगतान या किन्हीं अन्य कंपनी (कारपोरेट) फायदों के वितरण के प्रयोजनार्थ रिकॉर्ड तिथि (रिकॉर्ड डेट) नियत करेगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी, रिकॉर्ड तिथि (रिकॉर्ड डेट) के प्रयोजन को विनिर्दिष्ट करते हुए, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को रिकॉर्ड तिथि (रिकॉर्ड डेट) की सूचना (नोटिस) कम से कम चार कार्य-दिवस पहले देगी ।

मतदान

- 79. (1) सूचीबद्ध एंटिटी, या तो प्रत्यक्षत: या एजेंट के माध्यम से, सभी मामलों में आईडीआर धारकों को परोक्षी (प्राक्सी) के फॉर्म यह उल्लेख करते हुए भेजेगी कि प्रतिभृति धारक या तो प्रत्येक संकल्प के पक्ष में या के खिलाफ मतदान कर सकेगा।
- (2) आईडीआर धारकों के मताधिकारों का प्रयोग निक्षेप करार (डिपॉजिट एग्रीमेंट) के अनुसार किया जाएगा ।

भारतीय निक्षेपागार रसीदों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)

- **80.** (1) सूचीबद्ध एंटिटी, यदि वह भारतीय निक्षेपागार रसीदों को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराने का विनिश्चय (निर्णय) करती है, तो वह आईडीआर धारकों के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार करेगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी भारतीय निक्षेपागार रसीदों की असूचीबद्धता संबंधी ऐसे मानदण्डों और शर्तों का अनुपालन करेगी, जैसा बोर्ड या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए ।
- (3) सुचीबद्ध एंटिटी, यदि अंडरलाइंग इक्विटी शेयर असुचीबद्ध हो जाते हैं, भारतीय निक्षेपागार रसीदों को असुचीबद्ध और रह कराएगी।

अध्याय-VIII

उस सूचीबद्ध एंटिटी की बाध्यताएँ जिसने अपने प्रतिभूत ऋण लिखतों [सिक्योरिटाइज्ड़ डैट इंस्ट्र्मेंट्स] को सूचीबद्ध कराया हो लागू होना

- 81. (1) इस अध्याय के उपबंध प्रतिभूत ऋण लिखतों [सिक्योरिटाइज्ड़ डैट इंस्ट्रूमेंट्स] को निर्गमित करने वाली विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी (स्पेशल पर्पज़ डिस्टिंक्ट एंटिटी) के प्रति लागू होंगे और विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी के न्यासी इन विनियमों के प्रत्येक उपबंध का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (2) पदों "आस्ति पूल", "क्लीन-अप कॉल ऑप्शन", "क्रेडिट वृद्धि (क्रेडिट एन्हांसमेंट)", "ऋण या प्राप्य (रिसीवेबल्स)", "निवेशक (विनिधानकर्ता)", "अर्थसुलभता प्रदाता (लिक्विडिटी प्रोवाइडर)", "बाध्यताधारी (ओबलाइज़र)", "प्रारंभकर्ता (ओरिजिनेटर)", "विनियमित क्रियाकलाप", "स्कीम", "प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन)", "प्रतिभूत ऋण लिखत", "सर्विसर", "विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी (स्पेशल पर्पज़ डिस्टिंक्ट एंटिटी)", "प्रायोजक" तथा "न्यासी" (ट्रस्टी) के वही अर्थ होंगे जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूत ऋण लिखतों [सिक्योरिटाइज्ड डैट इंस्टूमेंट्स] का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 के अधीन उनके लिए नियत हैं।

स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास सूचना और फाइलिंग

- 82. (1) सूचीबद्ध एंटिटी या तो सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के माध्यम से या निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के आधार पर (यदि वह ऐसी निजी स्थानन वाली ऋण प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव करती है) नए प्रतिभूत ऋण लिखत निर्गमित करने का अपना आशय, ऐसी प्रतिभूतियों के निर्गमन से पूर्व, स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी अपने न्यासी बोर्ड की बैठक, जिसमें प्रतिभूत ऋण लिखतों के निर्गम की सिफारिश या घोषणा अथवा प्रतिभूत ऋण लिखतों के धारकों के अधिकारों या हितों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य विषय पर विचार किए जाने का प्रस्ताव हो, के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को कम से कम दो कार्य-दिवस पहले (सुचना देने की तारीख और बैठक की तारीख को छोड़कर) सुचना देगी।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी ऐसे विवरण, रिपोर्टें या जानकारी, जिसमें स्कीमों से संबंधित वित्तीय जानकारी सम्मिलित है, स्टॉक एक्सचेंज को मासिक आधार पर महीने के अंत / भुगतान की वास्तविक तारीख से सात दिनों के भीतर, या तो स्वयं या सर्विसर के माध्यम से, उस फॉर्मेट में प्रस्तुत करेगी, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए:
- परंतु यह कि जहाँ प्राप्यों (रिसिवेबल्स) की आवधिकता मासिक न हो, वहाँ रिपोर्टिंग सुसंगत अवधियों के लिए की जाएगी।
- (4) सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को, या तो स्वयं या सर्विसर के माध्यम से, लोन लेवल की जानकारी, उधार लेने वालों (वैयक्तिक) के विवरण प्रकट किए बिना, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विनिर्दष्ट प्रकार से, उपलब्ध कराएगी ।

सूचीबद्ध एंटिटी के कार्य-निष्पादन / प्रचालन को प्रभावित करने वाली जानकारी और/या कीमत संवेदनशील जानकारी का प्रकटीकरण

- 83. (1) सूचीबद्ध एंटिटी, सूचीबद्ध एंटिटी के कार्य-निष्पादन / प्रचालन को प्रभावित करने वाली समस्त जानकारी और कीमत संवेदनशील जानकारी के बारे में स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को तत्परता से सूचित करेगी।
- (2) उप-विनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सूचीबद्ध एंटिटी अनुसूची-III के भाग-घ में यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण करेगी ।

स्पष्टीकरण.- शब्दों 'तत्परता से सूचित करेगी' से तात्पर्य यह होगा कि स्टॉक एक्सचेंज को व्यावहारिक रूप से जितना शीघ्र संभव हो तथा बिना किसी विलंब के सूचित किया जाए और यह कि जानकारी किसी पर-व्यक्ति को दिए जाने से पहले स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को दी जाएगी।

साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)

- **84.** (1) प्रतिभूत ऋण लिखतों [सिक्योरिटाइज्ड़ डैट इंस्ट्रूमेंट्स] के संबंध में सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा अभिप्राप्त की गई प्रत्येक रेटिंग का पुनर्विलोकन आवधिक रूप से, संभवत: वर्ष में एक बार, बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत साख निर्धारण एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
- (2) रेटिंग (रेटिंगों) में कोई भी संशोधन स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा प्रसारित किया जाएगा।

निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को जानकारी

- 85. (1) सूचीबद्ध एंटिटी अपने निवेशकों को, या तो स्वयं या सर्विसर के माध्यम से, लोन लेवल की जानकारी, उधार लेने वालों (वैयक्तिक) के विवरण प्रकट किए बिना उपलब्ध कराएगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी विनियम 84 के अनुसार आवधिक रूप से किए गए साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) के परिणामस्वरूप रेटिंग में संशोधन से संबंधित जानकारी अपने निवेशकों को उपलब्ध कराएगी।
- (3) उप-विनियम (1) एवं (2) में उल्लिखित जानकारी निवेशकों को इलेक्ट्रोनिक रूप में / फैक्स के माध्यम से भेजी जा सकेगी, यदि निवेशकों द्वारा ऐसी सहमति दी जाए ।
- (4) सूचीबद्ध एंटिटी शिकायत निवारण प्रभाग का ई-मेल पता और अन्य सुसंगत ब्यौरे अपने वेबसाइट पर और विभिन्न सामग्रियों / पुस्तिकाओं (पैम्फ्लेट्स) / इसके द्वारा निवेशक जागरूकता लाने के लिए शुरू किए गए विज्ञापन अभियानों में प्रमुखता से प्रदर्शित करेगी ।

प्रतिभूत ऋण लिखतों के निबंधन

86. (1) सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिभूत ऋण लिखतों [सिक्योरिटाइज्ड़ डैट इंस्ट्रूमेंट्स] की अवसंरचना में कूपन, संपरिवर्तन (कन्वर्ज़न), मोचन (रिडेम्पशन) के रूप में, या अन्य रूप में कोई महत्त्वपूर्ण (तात्विक) परिवर्तन, उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा, जहाँ प्रतिभूत ऋण लिखतें सूचीबद्ध हों, और सूचीबद्ध एंटिटी न्यासियों के अनुमोदन के पश्चात् ही मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को आवेदन करेगी।

- (2) सूचीबद्ध एंटिटी ब्याज / मोचन (रिडेम्पशन) का भुगतान समय के भीतर सुनिश्चित करेगी ।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि जहाँ क्रेडिट वृद्धि की व्यवस्था की गई हो, वहाँ यह प्रतिभूत ऋण लिखतों के लिए हर समय क्रेडिट वृद्धि उपलब्ध कराएगी ।
- (4) सूचीबद्ध एंटिटी अदावाकृत ब्याज तथा मूलधन को समपहृत नहीं करेगी और ऐसा अदावाकृत ब्याज तथा मूलधन, सात वर्षों की अवधि के पश्चात्, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009 के अधीन स्थापित निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।
- (5) जब तक कि निर्गम के निबंधनों में अन्यथा उपबंध (प्रावधान) न हो, तब तक सूचीबद्ध एंटिटी अपनी किन्हीं सूचीबद्ध प्रतिभूत ऋण लिखतों का चयन मोचन के लिए, आनुपातिक आधार पर या लॉट पर करने के सिवाय, नहीं करेगी, और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को उसके ब्यौरे तत्परता से प्रस्तुत करेगी।
- (6) सूचीबद्ध एंटिटी प्रतिभूत ऋण लिखतों की परिपक्वता (मैच्युरिटी) या उनके मोचन (रिडेम्पशन) तक अथवा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके असूचीबद्ध हो जाने तक सूचीबद्ध रहेगी:

परंतु यह कि इस उप-विनियम के उपबंध मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के उस अधिकार को निर्बंधित नहीं करेंगे जिसके अनुसार वह (वे) किसी भी समय और किसी ऐसे कारण से, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज लागू विधिक उपबंधों (कानूनी प्रावधानों) के अनुसार उचित समझे, प्रतिभूतियों को असूचीबद्ध, निलंबित कर सकता है (सकते हैं) या को हटा सकता है (सकते हैं)।

रिकॉर्ड तिथि (रिकॉर्ड डेट)

- 87. (1) सूचीबद्ध एंटिटी ब्याज के भुगतान और मोचन (रिडेम्पशन) की रकम या चुकौती की रकम के भुगतान या ऐसे अन्य प्रयोजनों से रिकॉर्ड तिथि (रिकॉर्ड डेट) नियत करेगी, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को रिकॉर्ड तिथि की सूचना (नोटिस) कम से कम सात कार्य दिवस (सूचना देने की तारीख और रिकॉर्ड तिथि को छोड़कर) पहले देगी अथवा उतने दिनों पहले देगी जितने दिनों के लिए स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड तिथि का प्रयोजन विनिर्दिष्ट करने हेतु सहमत हो या जितने की अपेक्षा करे।

अध्याय-∣X

उस सूचीबद्ध एंटिटी की बाध्यताएँ जिसने अपनी पारस्परिक निधि की यूनिटों को सूचीबद्ध कराया हो

लागू होना

- 88. (1) इस अध्याय के उपबंध (प्रावधान) उस पारस्परिक निधि स्कीम का प्रबंध करने वाली आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) के प्रति लागू होंगे, जिसकी यूनिटें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों।
- (2) इस अध्याय में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के उपबंध तथा उसके अधीन जारी किए गए निदेश सूचीबद्ध एंटिटी के संबंध में और उन स्कीमों के प्रति लागू होंगे जिनकी यूनिटें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों।

परिभाषाएँ

89. पदों "आस्ति प्रबंध कंपनी" (असेट मैनेजमेंट कंपनी), "शुद्ध आस्ति मूल्य" (नेट असेट वैल्यू), "स्कीम", "यूनिट" तथा "यूनिटधारक" (यूनिट होल्डर) के वही अर्थ होंगे जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के अधीन उनके लिए नियत हैं।

दस्तावेज प्रस्तुत करना

- 90. (1) सूचीबद्ध एंटिटी उन स्कीमों के दैनिक शुद्ध आस्ति मूल्य, मासिक पोर्टफोलियो, छमाही पोर्टफोलियो से संबंधित जानकारी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट फॉर्मेंट में और उसके अधीन जारी किए गए निदेशों के अनुसार सूचित करेगी, जिनकी यूनिटें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रकार से, निम्नलिखित के बारे में सूचित करेगी:

- (क) उन स्कीमों की यूनिट पूंजी में उतार-चढ़ाव, जिनकी यूनिटें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों;
- (ख) उस स्कीम की रेटिंग, जिसकी यूनिटें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों, और उसकी रेटिंग में होने वाले कोई परिवर्तन (जहाँ कहीं भी लागू हो);
- (ग) सूचीबद्ध एंटिटी और पारस्परिक निधि के खिलाफ लगने वाली शास्तियाँ (पेनल्टी) और महत्त्वपूर्ण (तात्विक) मुकदमे;
- (घ) ऐसे कोई प्रतिषेधात्मक आदेश, जो सूचीबद्ध एंटिटी को यूनिटधारकों के नाम से रजिस्ट्रीकृत यूनिटों का अंतरण (को ट्रांसफर) करने से अवरुद्ध करते हों।

स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के वेबसाइट पर प्रसार

91. सूचीबद्ध एंटिटी ऐसी जानकारी और ऐसे दस्तावेज मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को प्रसार करने हेतु प्रस्तुत करेगी, जिनका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तथा उसके अधीन जारी किए गए निदेशों के अनुसार सूचीबद्ध एंटिटी के वेबसाइट पर प्रसार किया जाना अपेक्षित हो।

अध्याय-X

मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के कर्तव्य और उनकी बाध्यताएँ

प्रसार

- 92. (1) सूचीबद्ध एंटिटी से, संबद्ध सूचनाएँ, जानकारी, फाइलिंग, रिपोर्टें, विवरण, दस्तावेज या इन विनियमों के अनुसार कोई अन्य जानकारी आदि प्राप्त हो जाने पर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उन्हें तुरंत अपने वेबसाइट पर प्रसारित करेगा (करेंगे) ।
- (2) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा प्रसार, जैसा उप-विनियम (1) में उल्लिखित है, इस प्रकार किया जाएगा कि वह व्यवस्थित हो, उपयोक्ता (यूज़र) के अनुकूल हो और जिसका सुगमता से संदर्भ लिया जा सके, जिसके अंतर्गत हाइपरलिंक देना भी शामिल है, ताकि उस तक आसानी से पहुँच उपलब्ध हो सके ।

अंतरणीयता

93. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज निक्षेपागारों के साथ समन्वय करेगा (करेंगे), ताकि सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा निर्गमित या प्रबंधित प्रतिभूतियों की बाबत रोक लगाने (फ्रीजिंग) / रोक हटाने (अनफ्रीजिंग), अवरूद्धता (लॉक-इन) / अवरूद्धता हटाने के संबंध में लागू विधियों अथवा बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

इंतजाम की स्कीम का प्रारूप (ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेन्जमेंट) एवं इंतजाम की स्कीम

- 94. (1) नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज, इंतजाम की स्कीमों का प्रारूप और बोर्ड द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर, विनियम 37 के उप-विनियम (1) के अनुसार, इन्हें बोर्ड द्वारा निर्धारित रीति से बोर्ड को भेज देगा ।
- (2) स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड को इंतजाम की स्कीम के प्रारूप (ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेन्जमेंट) के संबंध में अपना आपित पत्र या अनापित पत्र, इंतजाम की स्कीम के प्रारूप की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर या सूचीबद्ध एंटिटी से स्पष्टीकरणों के संबंध में समाधानप्रद (संतोषजनक) उत्तर प्राप्त होने और/या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से मांगी गई राय, यदि कोई हो, के प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर, जो लागू हो, अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिश्चित करने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा (करेंगे) कि इंतजाम की स्कीम के प्रारूप के संबंध में प्रतिभृति विधियों का अनुपालन किया गया है या नहीं।
- (3) स्टॉक एक्सचेंज, बोर्ड से टिप्पणियाँ प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर सूचीबद्ध एंटिटी को संप्रेक्षण पत्र (ऑबजर्वेशन लेटर) या अनापत्ति पत्र, ऐसी टिप्पणियों को संप्रेक्षण पत्र या अनापत्ति पत्र में उपयुक्त रूप से सम्मिलित करने के पश्चात् जारी करेगा (करेंगे):
- परंतु यह कि स्टॉक एक्सचेंजों के 'संप्रेक्षण पत्र' या अनापत्ति पत्र की विधिमान्यता (वैधता) जारी करने की तारीख से छह महीने की होगी ।
- (4) स्टॉक एक्सचेंज इंतजाम की स्कीम के अनुमोदन के समय न्यायालय या अधिकरण (ट्रायब्युनल) को, यथास्थिति, संप्रेक्षणों या आपत्तियों की सूचना देगा (देंगे) ।
- (5) न्यायालय या अधिकरण (ट्रायब्युनल) द्वारा स्कीम की मंजूरी दिए जाने पर, नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज विनियम 37 के उप-विनियम
- (5) के अनुसार सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के संबंध में बोर्ड को अपनी सिफारिशें भेजेगा ।

प्ररूप-ख के साथ संलग्न वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

95. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज विनियम 33 के उप-विनियम (3) के खंड (घ) तथा विनियम 52 के उप-विनियम (3) के खंड (क) के अनुसार प्रस्तुत प्ररूप-ख और उससे संलग्न वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की, अनुसूची-VIII में विनिर्दिष्ट रीति से, समीक्षा करेगा (करेंगे)।

शिकायत निवारण

96. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज समय-समय पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के धारकों की शिकायतों का निवारण करेगा (करेंगे) / के निवारण को सुकर बनाएगा (बनाएँगे) ।

अनुपालन / अननुपालन एवं प्रकटीकरणों की पर्याप्तता / यथार्थता का अनुश्रवण

- 97. (1) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा इन विनियमों के उपबंधों (प्रावधानों) के अनुपालन का अनुश्रवण (को मॉनीटर) करेगा (करेंगे)।
- (2) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज इन विनियमों के उपबंधों (प्रावधानों) के संबंध में सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा किए गए प्रकटीकरणों (डिस्क्लोज़र) की पर्याप्तता / सटीकता का भी अनुश्रवण करेगा (करेंगे) ।
- (3) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उप-विनियम (1) एवं (2) में विनिर्दिष्ट बाध्यताओं के संबंध में बोर्ड को ऐसी रीति से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा (करेंगे), जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
- (4) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज समुचित ढाँचा (फ्रेमवर्क) निर्धारित करेगा (करेंगे) जिसमें पर्याप्त जनशक्ति और ऐसी अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सम्मिलित है जो इस विनियम के उपबंधों (प्रावधानों) के अनुपालन के लिए अपेक्षित हो ।

अध्याय-XI

चूक (व्यतिक्रम) की दशा में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

अधिनियम, नियमों या विनियमों के उल्लंघन के लिए दायित्व

- 98. (1) सूचीबद्ध एंटिटी या उसका कोई अन्य व्यक्ति जो इन विनियमों के किसी उपबंध (प्रावधान) का उल्लंघन करता हो, प्रतिभूति विधियों के अनुसार कार्रवाई के लिए दायी होने के अतिरिक्त, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा उस रीति से निम्नलिखित कार्रवाइयों के लिए दायी होगा जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्रों या मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स) में विनिर्दिष्ट की जाएँ:
 - (क) जुर्माने लगाना;
 - (ख) व्यापार (ट्रेडिंग) का निलंबन;
 - (ग) संप्रवर्तक (प्रोमोटर) / संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप), जैसा लागू हो, की निर्धारित प्रतिभूतियों की धारिता (होल्डिंग) पर, निक्षेपागारों के समन्वय से, रोक लगाना:
 - (घ) कोई अन्य कार्रवाई, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।
- (2) उप-विनियम (1) के खंड (ख) तथा खंड (ग) के अनुसार की गई कार्रवाइयों को उस रीति से वापस लिया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्रों या मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स) में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

जुर्माना अदा करने में असफलता

99. यदि सूचीबद्ध एंटिटी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा उस पर लगाया गया कोई जुर्माना समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उसे लिखित में नोटिस दिए जाने के पश्चात् भी, अदा करने में असफल रहती है, तो स्टॉक एक्सचेंज कार्रवाई श्रूरू कर सकेगा।

अध्याय-XII

विविध

अन्य विनियमों में संशोधन

- 100. इन विनियमों की अनुसूची-IX में विनिर्दिष्ट विनियम उस रीति में और उस विस्तार तक संशोधित हो जाएंगे, जैसा उसमें कथित है । कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
- 101. (1) इन विनियमों के लागू होने या निर्वचन (व्याख्या) के संबंध में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् मार्गदर्शन टिप्पणों (गाइडेन्स नोट्स) या परिपत्रों (सर्कुलर्स) के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा।
- (2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मार्गदर्शक टिप्पणों या परिपत्रों में निम्नलिखित सभी विषयों या निम्नलिखित में से किसी विषय का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात:
 - (क)प्रक्रिया संबंधी पहलू, जिनमें दी जाने वाली सूचना और प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज सम्मिलित हैं;
 - (ख) प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएँ;
 - (ग) सूचीबद्धता (लिस्टिंग) शर्ते ।

विनियमों के कड़े प्रवर्तन को शिथिल करने की शक्ति

- 102. बोर्ड निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) तथा प्रतिभूति बाजार के हित में और प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए, इन विनियमों की किसी अपेक्षा के कड़े प्रवर्तन को शिथिल कर सकेगा, यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि:
 - (क) ऐसे किसी अधिनियम (िकन्हीं अधिनियमों), नियम (िकन्हीं नियमों), विनियम (िकन्हीं विनियमों) के किसी उपबंध (प्रावधान) को तरजीह दी जानी अपेक्षित है, जिसके (िजनके) अधीन सूचीबद्ध एंटिटी का गठन किया गया हो या जिसके (िजनके) द्वारा वह विनियमित होती हो; या
 - (ख) इस अपेक्षा से निवेशकों को अनावश्यक कठिनाई होगी; या
 - (ग) प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षा किसी उद्योग (इंडस्ट्री) विशेष या सूचीबद्ध एंटिटियों के किसी वर्ग विशेष के लिए सुसंगत नहींहै; या
 - (घ) अपेक्षा तकनीकी स्वरूप की है; या
 - (ङ) अननुपालन उन कारकों की वजह से हुआ है जो एंटिटियों के किसी वर्ग को प्रभावित करते हों लेकिन जो उन एंटिटियों के नियंत्रण से परे हों।

निरसन और व्यावृत्तियाँ

- 103. (1) इन विनियमों के प्रारंभ से ही, वे सभी परिपत्र विखंडित हो जाएँगे, जिनके अंतर्गत सूचीबद्धता करारों (लिस्टिंग एग्रीमेंट्स) के उपबंध (प्रावधान) नियत किए गए या उनमें परिवर्तन किए गए, जिनमें अनुसूची-X में विनिर्दिष्ट परिपत्र भी सम्मिलित हैं।
- (2) ऐसा विखंडन हो जाने पर भी, इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व प्रवृत्त (लागू) परिपत्रों [उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट] या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) और सूचीबद्ध एंटिटी के बीच किए गए सूचीबद्धता करारों की बाबत की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई अथवा किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात या किसी कार्रवाई, जिसमें प्रारंभ की गई कोई जाँच या प्रारंभ किया गया कोई अन्वेषण अथवा जारी की गई कोई कारण बताओ सूचना सम्मिलित है, के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

अनुसूचियाँ अनुसूची-। – प्रतिभूतियों के निबंधन [विनियम 12 *देखें*]

सूचीबद्ध एंटिटी इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (क्लीयरिंग) सेवाओं या तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) की सुविधा का इस्तेमाल निम्नानुसार करेगी :-

- (1) सूचीबद्ध एंटिटी या तो सीधे या अपने निर्गम रिजस्ट्रार और/या शेयर अंतरण अभिकर्ता के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (स्थानीय, प्रादेशिक या राष्ट्रीय), सीधे जमा, तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) आदि का इस्तेमाल निर्गमित प्रतिभूतियों पर लाभांश / ब्याज / मोचन या चुकौती की रकम अदा करने के लिए करेगी।
- (2) सूचीबद्ध एंटिटी या शेयर अंतरण अभिकर्ता अपने निवेशकों के बैंक संबंधी विवरण निम्नानुसार रखेगा -
 - (क) गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में प्रतिभूतियाँ धारण करने वाले निवेशकों के संबंध में, यह जानकारी निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़) से मांगकर।
 - (ख) कागज़ी रूप में प्रतिभूतियाँ धारण करने वाले निवेशकों के संबंध में, निवेशकों के बैंक संबंधी विवरणों को उनके अपने स्तर पर अद्यतन करके ।
- (3) जिन मामलों में या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान करने के लिए अपेक्षित बैंक संबंधी विवरण (जैसे चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान (एमआईसीआर), भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट (आईएफएससी), आदि उपलब्ध न हों या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संबंधी अनुदेश विफल रहे हों या उन्हें बैंक द्वारा नामंजूर कर दिया गया हो, तो उन मामलों में सूचीबद्ध एंटिटी या शेयर अंतरण अभिकर्ता भुगतान करने के लिए 'सममूल्य पर देय' (पेएबल ऐट पार) वारंट / चेक जारी करेगा:

परंतु यह कि सूचीबद्ध एंटिटी ऐसे भुगतान संबंधी अनुदेशों पर निवेशकों के बैंक खाते संबंधी विवरण अनिवार्य रूप से प्रिंट कराएगी और जिन मामलों में निवेशकों के बैंक संबंधी विवरण उपलब्ध न हों, तो उन मामलों में सूचीबद्ध एंटिटी ऐसे भुगतान संबंधी अनुदेशों पर निवेशक का पता अनिवार्य रूप से प्रिंट कराएगी।

अनुसूची-॥: कंपनी शासन

भाग-क: निदेशक बोर्ड के समक्ष रखी जाने वाली न्यूनतम जानकारी [विनियम 17(7) *देखें*]

- क. वार्षिक प्रचालन योजनाएँ और बजट तथा अन्य नवीनतम जानकारी।
- ख. पूँजीगत बजट और अन्य नवीनतम जानकारी।
- ग. सूचीबद्ध एंटिटी और उसके ऑपरेटिंग डिवीज़न या कारबार खंडों (बिज़नेस सेगमेंट्स) के तिमाही परिणाम ।
- घ. लेखापरीक्षा समिति और निदेशक बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त ।
- च. कारण बताओ सूचना, मांग नोटिस, अभियोजन (प्रॉसीक्यूशन) संबंधी नोटिस और शास्ति (पेनल्टी) संबंधी नोटिस, जो तात्विक रूप से महत्त्वपूर्ण हों ।
- छ. घातक या गंभीर दुर्घटनाएँ, हानिकारक घटनाएँ, बहि:स्राव (एफ्लुअंट) या प्रदूषण संबंधी कोई महत्त्वपूर्ण समस्या ।
- ज. सूचीबद्ध एंटिटी के प्रति और द्वारा वित्तीय बाध्यताओं में कोई महत्त्वपूर्ण (तात्विक) चूक, या सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा बेचे गए माल के लिए बड़ा भुगतान न किया जाना ।
- झ. कोई मामला, जिसमें पब्लिक या प्रोडक्ट दायित्व संबंधी संभाव्य बड़े दावे शामिल हों, जिसमें कोई ऐसा निर्णय या आदेश सम्मिलित है जिसके अंतर्गत सूचीबद्ध एंटिटी के संचालन के संबंध में अवक्षेप किया गया हो या दूसरे उद्यम (इंटरप्राइस) के संबंध में प्रतिकूल राय दी गई हो जिससे सूचीबद्ध एंटिटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हों।
- ञ. संयुक्त उद्यम या सहयोग करार के ब्यौरे।
- ट. संव्यवहार जिनमें गुडविल, ब्रैंड इक्विटी, या बौद्धिक संपदा (संपत्ति) के प्रति बड़ा भुगतान शामिल है।
- ठ. श्रमिकों संबंधी महत्त्वपूर्ण समस्याएँ और उनके प्रस्तावित हल । मानव संसाधन / उद्योग संबंधों में कोई महत्त्वपूर्ण गतिविधि जैसे मजदूरी करार पर हस्ताक्षर करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना कार्यान्वित करना, आदि ।
- ड. निवेशों, समनुषंगियों, आस्तियों की बिक्री जो महत्त्वपुर्ण (तात्विक) हों और जो सामान्य कामकाज का हिस्सा न हो ।

- ढ. विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के तिमाही ब्यौरे और विनिमय दर के प्रतिकूल उतार-चढ़ाव (मूवमेंट) के जोखिमों को कम करने के लिए प्रबंध-मंडल द्वारा उठाए गए कदम ।
- ण. किन्हीं विनियामक, कानूनी या सूचीबद्धता संबंधी अपेक्षाओं और शेयरधारक सेवा (जैसे लाभांश का भुगतान न किया जाना, शेयर अंतरण (ट्रांसफर) में विलंब आदि) का अनन्पालन ।

भाग-ख: अनुपालन प्रमाणपत्र

[विनियम 17(8) *देखें*]

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा:

- क. उन्होंने वर्ष के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा, अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कर ली है:
 - (1) इन विवरणों में तात्विक रूप से कोई गलत विवरण अंतर्विष्ट नहीं हैं या इनमें किसी महत्त्वपूर्ण (तात्विक) तथ्य का लोप नहीं किया गया है या इनमें ऐसे विवरण अंतर्विष्ट नहीं हैं जो भ्रामक हों;
 - (2) ये विवरण कुल मिलाकर सूचीबद्ध एंटिटी के कार्यकलापों का सही और निष्पक्ष (ऋजु) चित्र प्रस्तुत करते हैं और जो विद्यमान लेखा मानकों, लागू विधियों तथा विनियमों के अनुपालन में हैं।
- ख. उनकी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे कोई संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) नहीं किए गए जो कपटपूर्ण, अवैध हों या जिनसे सूचीबद्ध एंटिटी की आचार संहिता का अतिक्रमण हुआ हो।
- ग.वे वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने की और उन्हों बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकराते हैं और उन्होंने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में सूचीबद्ध एंटिटी की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कर लिया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या प्रचालन संबंधी किमयों, यदि कोई हों, जिनकी उन्हें जानकारी हो, के संबंध में और इन किमयों को दूर करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों के संबंध में उन्होंने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा सिमिति को प्रकटीकरण कर दिए हैं।
- घ. उन्होंने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दे दी है:
 - (1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन;
 - (2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और यह कि उन्हें वित्तीय विवरणों के टिप्पणों (नोट्स) में प्रकट कर दिया गया है; और
 - (3) कपट की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, यदि कोई हों, जो उनकी जानकारी में आई हों और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में सूचीबद्ध एंटिटी की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका रखने वाले प्रबंध-मंडल या कर्मचारी का उनमें शामिल होना।

भाग-गः लेखापरीक्षा समिति की भूमिका और लेखापरीक्षा समिति द्वारा जानकारी की समीक्षा [विनियम 18(3) देखें|

- क. लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:
 - (1) सूचीबद्ध एंटिटी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना और उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही है, पर्याप्त है और विश्वसनीय है;
 - (2) सूचीबद्ध एंटिटी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, उनके पारिश्रमिक और उनकी नियुक्ति की शर्तों के संबंध में सिफारिश करना;
 - (3) कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किन्हीं अन्य सेवाओं के लिए कानूनी लेखापरीक्षकों को भ्गतान का अनुमोदन करना;
 - (4) प्रबंध-मंडल के साथ मिलकर, वार्षिक वित्तीय विवरणों और उनके संबंध में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा,

अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में, करना:

- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित की जाने वाली निदेशकों की जिम्मेदारी (के उत्तरदायित्व) के विवरण में सम्मिलित किए जाने हेतु अपेक्षित मामले;
- (ख) लेखा नीतियों एवं पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उनके कारण;
- (ग) प्रमुख लेखा प्रविष्टियाँ, जिनमें सम्मिलित है प्रबंध-मंडल द्वारा विवेक के आधार पर किए गए प्राक्कलन;
- (घ) लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए महत्त्वपूर्ण समायोजन;
- (ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन;
- (च) किन्हीं संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों का प्रकटीकरण;
- (छ) प्रारूप (ड्राफ्ट) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन;
- (5) प्रबंध-मंडल के साथ मिलकर, तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा, अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, करना;
- (6) प्रबंध-मंडल के साथ मिलकर, निर्गम [सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू), साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू), अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू), आदि] के माध्यम से जुटाई गई निधियों (फंड्स) के उपयोग / को लगाए जाने संबंधी विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) / प्रॉस्पेक्टस / नोटिस में कथित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों हेतु उपयोग की गई निधियों के विवरण और सार्वजनिक या साधिकार निर्गम के आगमों (प्रोसीड्स) के उपयोग का अनुश्रवण (को मॉनीटर) करने वाली अनुश्रवण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की समीक्षा करना तथा इस मामले में कदम उठाने के संबंध में बोर्ड को समृचित सिफारिश करना;
- (7) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता तथा उनके कार्य-निष्पादन, और लेखापरीक्षा की प्रक्रिया की प्रभावकारिता की समीक्षा और उसका अनुश्रवण (उसे मॉनीटर) करना;
- (8) संबद्ध पक्षकारों के साथ सूचीबद्ध एंटिटी के संव्यवहारों (ट्रांजेक्शन्स) की मंजूरी देना या बाद में कोई बदलाव करना;
- (9) अंतर-कारपोरेट (इंटर-कारपोरेट) ऋणों और निवेशों की संवीक्षा करना;
- (10) सूचीबद्ध एंटिटी के उपक्रमों या आस्तियों का मूल्यांकन करना, जहाँ ऐसा करना आवश्यक हो;
- (11) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मुल्यांकन करना;
- (12) प्रबंध-मंडल के साथ मिलकर, कानूनी और आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता की समीक्षा करना;
- (13) आंतरिक नियंत्रण संबंधी कृत्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा करना जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट) की संरचना, स्टाफ तथा विभाग प्रमुख की ज्येष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आंतरिक लेखापरीक्षा का दायरा और उसकी आवृत्ति, सम्मिलित है;
- (14) किन्हीं महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करना और उनके संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना:
- (15) जिन मामलों में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में बड़ी धोखाधड़ी या अनियमितता का संदेह हो या बड़ी विफलता हो, उन मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए किन्हीं आंतरिक अन्वेषणों (इंटरनल इन्वेस्टीगेशन) के निष्कर्षों की समीक्षा करना और उस मामले की सूचना बोर्ड को देना;
- (16) लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले कानूनी लेखापरीक्षकों के साथ, लेखापरीक्षा के स्वरूप और उसके दायरे के बारे में विचार-विमर्श करना और लेखापरीक्षा के बाद भी विचार-विमर्श करना, ताकि चिंताजनक विषयों का पता चल सके;
- (17) निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़), डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों का भुगतान न किए जाने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में बड़ी चूकों के कारणों का पता लगाना;

- (18) पर्दाफाश किए जाने (विसल ब्लोअर) व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना;
- (19) अभ्यर्थी की अर्हताओं (योग्यताओं), अनुभव और ज्ञान को आंकने के पश्चात् मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन देना;
- (20) ऐसा कोई अन्य कृत्य करना, जिसका उल्लेख लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में हो।
- ख. लेखापरीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी:
 - (1) वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों के संबंध में प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण:
 - (2) प्रबंध-मंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए महत्त्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों (लेखापरीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित) का विवरण;
 - (3) प्रबंध-मंडल के पत्रों / कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किए गए आंतरिक नियंत्रण की त्रृटियों से संबंधित पत्रों;
 - (4) आंतरिक नियंत्रण की त्रुटियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें;
 - (5) मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, उसे हटाया जाना और उसके पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा किए जाने के अध्यधीन होंगी;
 - (6) विचलनों का विवरण:
 - (क) विचलन (विचलनों) के तिमाही विवरण (जिनमें अनुश्रवण एजेंसी की रिपोर्ट सम्मिलित है), यदि लागू हो, स्टॉक एक्सचेंज (स्टॉक एक्सचेंजों) को विनियम 32(1) के अनुसार प्रस्तुत किए जाएँ;
 - (ख) विनियम 32(7) के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेज / प्रॉस्पेक्टस / नोटिस में कथित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों हेतु उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।

भाग-घ: समितियों (लेखापरीक्षा समिति से भिन्न) की भूमिका [विनियम 19(4) एवं 20(4) *देखें*]

क. नामांकन (नॉमिनेशन) और पारिश्रमिक समिति की भूमिका : समिति की भूमिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

- (1) निदेशक की अर्हताओं (योग्यताओं), सकारात्मक गुणों और उनकी स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड निर्धारित करना और निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश निदेशक बोर्ड को करना;
- (2) स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु मानदंड निर्धारित करना;
- (3) निदेशक बोर्ड की विविधता के संबंध में नीति बनाना;
- (4) ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार निदेशक बनाए जाने के लिए अर्हित (के योग्य) हों तथा जिन्हें ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल में नियुक्त किया जा सकता हो, और उनकी नियुक्ति तथा उन्हें हटाए जाने के संबंध में निदेशक बोर्ड को सिफारिश करना;
- (5) स्वतंत्र निदेशकों की कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अविध को बढ़ाए जाने या जारी रखने के संबंध में सिफारिश करना ।

ख हितधारक (स्टेकहोल्डर्स) संबंध समिति

यह समिति सूचीबद्ध एंटिटी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों [जिनमें शेयरों के अंतरण (ट्रांसफर), वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने और घोषित लाभांश प्राप्त न होने संबंधी शिकायतें सम्मिलित हैं। पर विचार करेगी और उनका निवारण करेगी ।

भाग-ङ : वैवेकिक अपेक्षाएँ

[विनियम 27(1) *देखें*]

क. बोर्ड

गैर-कार्यपालक अध्यक्ष हकपूर्वक अध्यक्ष का कार्यालय चला सकेगा जिसका खर्चा सूचीबद्ध एंटिटी उठाएगी और उसे अपने कर्तव्यों के पालन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जा सकेगी।

ख. शेयरधारक के अधिकार

वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा, जिसमें पिछले छह महीनों के दौरान घटी महत्त्वपूर्ण घटनाओं का सारांश सम्मिलित है, प्रत्येक शेयरधारक के पते पर भेजी जा सकेगी।

ग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन

सूचीबद्ध एंटिटी अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन से युक्त वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की दिशा में कदम उठा सकेगी ।

घ. अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग पद

सूचीबद्ध एंटिटी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगी।

ङ. आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग

आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकेगा।

अनुसूची- III

भाग-क: घटनाओं या जानकारी के प्रकटीकरण: विनिर्दिष्ट प्रतिभृतियाँ

[विनियम 30 *देखें*]

निम्नलिखित घटनाओं के घटित होने पर/की जानकारी होने पर सुचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रकटीकरण करेगी:

क. वे घटनाएँ जिनका प्रकटीकरण विनियम 30 के उप-विनियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट महत्ता (तात्विकता) संबंधी मार्गदर्शक सिद्धाँतों को लागू किए बिना किया जाएगा :

1. अर्जन (जिनमें अर्जन किए जाने का करार सम्मिलित है), इंतजाम की स्कीम [समामेलन (अमैलगमेशन) / विलयन (मर्जर) / अविलयन (डीमर्जर) / पुनर्संरचना (रीस्ट्रक्चिरंग)], अथवा सूचीबद्ध एंटिटी की किसी यूनिट (किन्हीं यूनिटों), डिवीज़न (डिवीज़नों) या समनुषंगी का विक्रय या व्ययन अथवा कोई अन्य पुनर्संरचना।

स्पष्टीकरण.- इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ. शब्द 'अर्जन' से अभिप्रेत होगा.-

- (i) नियंत्रण का अर्जन करना, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से; या,
- (ii) किसी कंपनी में शेयरों या मताधिकारों का अर्जन करना या अर्जन करने के लिए सहमत होना, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, इस प्रकार कि -
 - (क) सूचीबद्ध एंटिटी उक्त कंपनी के शेयरों या मताधिकारों में से कुल मिलाकर पाँच प्रतिशत या उससे अधिक शेयर या मताधिकार धारण करती हो, या;
 - (ख) इस उप-पैरा के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उप-खंड (क) के अधीन किए गए अंतिम प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) की तुलना में धारिता (होल्डिंग) में परिवर्तन हुआ हो और ऐसा परिवर्तन उक्त कंपनी की कुल शेयरधारिता या मताधिकारों के दो प्रतिशत से अधिक हो।
- 2. प्रतिभूतियों का निर्गमन (इश्युएन्स) या समपहरण (फॉर्फिचर), शेयरों का विभाजन (स्प्लिट) या समेकन (कन्सॉलिडेशन), प्रतिभूतियों का क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक ऑफ सिक्यूरिटीज़), प्रतिभूतियों के अंतरणीयता (ट्रांसफरेबिलिटी) पर कोई निर्बंधन अथवा मौजूदा प्रतिभूतियों के निबंधनों या उसकी संरचना में परिवर्तन जिसमें समपहरण, समपहृत प्रतिभूतियों का पुन:निर्गमन करना, कॉल के परिवर्तन, प्रतिभूतियों का मोचन (रिडेंप्शन), आदि सिम्मिलित है।
- 3. रेटिंग (रेटिंगों) में संशोधन।

- निदेशक बोर्ड की बैठकों के निष्कर्ष: सूचीबद्ध एंटिटी, निम्नलिखित पर विचार करने के लिए आयोजित की गई बैठक की समाप्ति के 30 मिनट के भीतर, एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रकट करेगी:
 - क) लाभांश और/या नकद बोनस जिनकी सिफारिश की गई हो या जो घोषित किए गए हों अथवा कोई लाभांश देने का विनिश्चय (निर्णय) और वह तारीख जिस तारीख को लाभांश अदा किया जाएगा/भेजा जाएगा;
 - ख) लाभांश का कोई रद्दकरण, इस प्रकार रद्द किए जाने के कारणों सहित;
 - ग) प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लिए जाने संबंधी विनिश्चय (निर्णय);
 - घ) निधि जुटाए जाने के प्रस्ताव संबंधी विनिश्चय;
 - ङ) पूँजीकरण के माध्यम से बोनस शेयरों को निर्गमित करके पूँजी में वृद्धि, साथ ही वह तारीख जब ऐसे बोनस शेयर जमा किए जाएँगे/भेजे जाएँगे;
 - च) समपहृत शेयरों या प्रतिभूतियों का पुन:निर्गमन, अथवा भावी निर्गम के लिए रिज़र्व में रखे शेयरों या प्रतिभूतियों का निर्गमन अथवा किसी नए रूप या प्रकार के शेयरों या प्रतिभूतियों का सृजन अथवा किन्हीं अन्य अधिकारों, विशेषाधिकारों या फायदों के प्रति अभिदान:
 - छ) पूँजी के किन्हीं अन्य परिवर्तनों, जिनमें कॉल सम्मिलित हैं, के संक्षिप्त विवरण;
 - ज) वित्तीय परिणाम:
 - झ) सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से स्वैच्छिक असूचीबद्धता संबंधी विनिश्चय (निर्णय)।
- 5. करार [जैसे शेयरधारक करार, संयुक्त उद्यम करार, कुटुंब का (के) समझौता करार] [जहाँ तक कि वह (वे) सूचीबद्ध एंटिटी के प्रबंध-मंडल या नियंत्रण को प्रभावित करता हो (करते हों)], [मीडिया कंपनियों के साथ करार / संधि (संधियाँ)/संविदा (संविदाएँ)] जो बाध्यकारी हों और जो कारबार के सामान्य कामकाज में न आते/आती हों, उनका (उनके) पुनरीक्षण या उनका (उनके) संशोधन और उनकी समाप्ति।
- 6. संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा या सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा कपट/चूक अथवा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या संप्रवर्तक की गिरफ्तारी ।
- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव, आदि), लेखापरीक्षक (ऑडिटर) और अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) में परिवर्तन।
- 8. शेयर अंतरण अभिकर्ता (शेयर ट्रांसफर एजेंट) की नियुक्ति या को हटाया जाना ।
- 9. कंपनी ऋण पुनर्संरचना (कारपोरेट डैट रीस्ट्रक्चरिंग)।
- 10. बैंक के साथ एकबारगी निपटान।
- 11. बीआईएफआर को मामला भेजना और किसी पक्षकार (पार्टी)/किन्हीं लेनदारों द्वारा परिसमापन (वाइंडिंग-अप) को अर्जी दाखिल करना।
- 12. सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों या लेनदारों या उनके किसी वर्ग को जारी किए गए नोटिस, भेजे गए कॉल लैटर्स, संकल्प और परिपत्र अथवा जिनकी सुचना मीडिया में दिए गए विज्ञापन के जरिए दी गई।
- 13. सूचीबद्ध एंटिटी की वार्षिक और असामान्य साधारण बैठकों की कार्यवाहियाँ।
- 14. सूचीबद्ध एंटिटी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में संशोधन, संक्षेप में।
- 15. विश्लेषक या संस्थागत निवेशक (विनिधानकर्ता) की बैठक की कार्यक्रम-सूची और सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों को वित्तीय परिणामों के संबंध में दी गई प्रस्तुतियाँ (प्रेजेंटेशन्स)।
- ख. वे घटनाएँ जिनका प्रकटीकरण विनियम 30 के उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट महत्ता संबंधी मार्गदर्शक सिद्धाँतों के लागू होने पर किया जाएगाः
- 1. किसी यूनिट/डिवीज़न के वाणिज्यिक उत्पादन (कमर्शियल प्रोडक्शन) या वाणिज्यिक प्रचालनों (कमर्शियल ऑपरेशन्स) का प्रारंभ होना या उनके प्रारंभ होने की तारीख का मुल्तवी होना।

- 2. कार्यनीतिक, तकनीकी, विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) के इंतजामों, या विपणन गठजोड़ (मार्केटिंग टाई-अप), नया कारबार अपनाने या किसी यूनिट /डिवीज़न के कार्यों (ऑपरेशन्स) के बंद होने (पूरी तरह से या थोड़ा-थोड़ा करके) की वजह से कारबार के सामान्य स्वरूप एवं प्रकृति में परिवर्तन।
- 3. क्षमता बढ़ना या नया प्रोडक्ट लाना।
- 4. ऑर्डर/कॉण्ट्रैक्ट देना, लेना /प्राप्त करना, दिए गए /लिए गए ऑर्डर/कॉण्ट्रैक्ट में बदलाव करना या उन्हें समाप्त करना जो सामान्य कामकाज का हिस्सा न हो ।
- 5. करार [जैसे उधार-करार (उधार लेने वाले के रूप में) या कोई अन्य करार जो बाध्यकारी हों और जो कारबार के सामान्य कामकाज में न आते हों] और उनका (उनके) पुनरीक्षण या उनका (उनके) संशोधन या उनकी समाप्ति।
- 6. प्राकृतिक विपत्ति (भूकंप, बाढ़, आग, आदि), अनिवार्य बाध्यता या हड़ताल, तालाबंदी, आदि जैसी घटनाओं के कारण सूचीबद्ध एंटिटी की किसी एक या एक से अधिक यूनिटों या किसी डिवीज़न के प्रचालनों में विघ्न ।
- 7. सूचीबद्ध एंटिटी पर लागू विनियामक ढाँचे में परिवर्तन की वजह से पड़े प्रभाव।
- 8. मुकदमा (मुकदमे) / विवाद / विनियामक कार्रवाई (कार्रवाइयाँ), उनके प्रभाव सहित ।
- 9. सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशकों (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से भिन्न) या कर्मचारियों द्वारा कपट / चूक आदि ।
- 10. प्रतिभृतियाँ खरीदने के विकल्प जिनमें कोई ईएसओपी/ईएसपीएस स्कीम सम्मिलित है।
- 11. किसी पर व्यक्ति के लिए गारंटी देना या उसकी क्षतिपूर्ति करना या प्रतिभू (जमानतदार) बनना ।
- 12. मुख्य अनुज्ञप्तियाँ (लाइसेंस) या विनियामक अनुमोदन प्रदान किया जाना, उन्हें वापस लिया जाना, उन्हें अभ्यर्पित (सरेंडर) किया जाना, रद्द या निलंबित किया जाना।
- ग. कोई अन्य जानकारी /घटना (जैसे प्रमुख उद्घटना जिससे कारबार के प्रभावित होने की संभावना हो) उदाहरणार्थ नई प्रौद्योगिकियों का आना, पेटेंटों का समापन, लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन जिससे लेखों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो, आदि तथा उनके संक्षिप्त ब्यौरे और कोई अन्य जानकारी जिसके बारे में केवल सूचीबद्ध एंटिटी को पता हो जो सूचीबद्ध एंटिटी की प्रतिभूतियों के धारकों को उसकी स्थित आंकने में तथा ऐसी प्रतिभृतियों में मिथ्या बाजार के सुजन से बचने में समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हो ।
- घ. उपरोक्त पैरा (क), (ख) एवं (ग) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सूचीबद्ध एंटिटी बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट घटना / जानकारी के प्रकटीकरण कर सकेगी ।

भाग-ख: सूचीबद्ध एंटिटी के कार्य-निष्पादन / कार्यों को प्रभावित करने वाली जानकारी और/या कीमत संवदेनशील जानकारी का प्रकटीकरण: असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ एवं असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर

[विनियम 51(2) देखें]

- क. सूचीबद्ध एंटिटी ऐसी समस्त जानकारी की सूचना स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को तत्परता से देगी, जो सूचीबद्ध एंटिटी के कार्य-निष्पादन / कार्यों को प्रभावित करती हो या जो कीमत संवेदनशील जानकारी हो अथवा जो असंपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों (नॉन-कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर) के ब्याज या लाभांश के भुगतान अथवा असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) या मोचनीय अधिमानी शेयरों (रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स) के मोचन (रिडेंप्शन) को प्रभावित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:
 - (1) असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों तथा असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों की बाबत ब्याज / अधिमानी लाभांश अथवा मोचन या चुकौती (प्रतिसंदाय) की रकम या दोनों के समय पर भुगतान में प्रत्याशित चूक और डिबेंचरों के लिए प्रतिभूति के सृजन, जैसे ही उसका पता चले, में भी चूक;
 - (2) कोई कुर्की या प्रतिषेधात्मक आदेश जिनके अंतर्गत सूचीबद्ध एंटिटी को रजिस्ट्रीकृत धारकों के खाते से असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर अंतरित (ट्रांसफर) करने से अवरुद्ध किया गया हो और इसके साथ इस प्रकार प्रभावित प्रतिभूतियों की संख्याओं, रजिस्ट्रीकृत धारकों के नामों के विवरण तथा उनके डीमैट खाते के ब्यौरे;

- (3) कोई कार्रवाई जिसके परिणामस्वरूप असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का पूर्णत: या भागत: मोचन (रिडेंप्शन), संपरिवर्तन (कन्वर्जन), रद्दकरण, रिटायरमेंट हो जाता हो अथवा असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों की पूर्णत: या भागत: घटाव, उनका मोचन, रद्दकरण, रिटायरमेंट हो जाता हो;
- (4) कोई कार्रवाई जो असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों पर लाभांश के भुगतान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी जिसमें असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज या मोचन (रिडेंप्शन) की रकम के भुगतान में निर्गमकर्ता द्वारा चूक या आस्तियों पर भार सृजित करने में असफलता सम्मिलित है;
- (5) उसकी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों, जो स्टॉक एक्सचेंज (स्टॉक एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों, में से किसी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूति (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर) के रूप या स्वरूप में अथवा उनके धारकों के अधिकारों या विशेषाधिकारों में कोई परिवर्तन और इस प्रकार परिवर्तित हुई प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को आवेदन, यदि स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा ऐसा अपेक्षित हो;
- (6) कारबार / क्रियाकलापों के साधारण स्वरूप में कोई परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति के कारण कार्य (प्रचालन) में विघ्न पड़ना, और वाणिज्यिक उत्पादन (कमर्शियल प्रोडक्शन) / वाणिज्यिक प्रचालनों (कमर्शियल ऑपरेशन्स) का प्रारंभ होना;
- (7) कोई घटनाएँ जैसे हड़ताल तथा तालाबंदी जो ब्याज के भुगतान / लाभांश के भुगतान / मूलधन की चुकौती (प्रतिसंदाय) की क्षमता को प्रभावित करती हों;
- (8) नियत तारीखों को ब्याज का भुगतान किए जाने / का भुगतान न किए जाने, नियत तारीखों को मूलधन का भुगतान किए जाने / का भुगतान न किए जाने के संबंध में डिबेंचर न्यासियों के किसी पत्र या उनके द्वारा की गई टिप्पणियों के ब्यौरे अथवा प्रतिभूति, सूचीबद्ध एंटिटी और/या आस्तियों से संबंधित कोई अन्य मामला उनके संबंध में उसकी टिप्पणियों सहित, यदि कोई हों;
- (9) नियत तारीख से तीन महीनों से अधिक की अविध तक ब्याज या लाभांश / मूलधन की रकम / मोचन (रिडेंप्शन) के भगतान में विलंब / चुक;
- (10) निर्धारित समयावधि के भीतर आस्तियों पर भार सुजित करने में असफलता;
- (11) ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याजों या मूलधन की बाध्यताओं या दोनों की समय पर चुकौती (प्रतिसंदाय) करने में हुई चूक / हुए विलंब (देरी) का कोई मामला (के कोई मामले), जिनमें किसी निवेशक (किन्हीं निवेशकों) / उधार देने वाले (उधार देने वालों) के साथ सूचीबद्ध एंटिटी की देयराशियों / के ऋणों (डैट) की चुकौती संबंधी कार्यक्रमों के पुनर्निर्धारण या को मुल्तवी किए जाने का कोई प्रस्ताव सम्मिलित है।

 स्पष्टीकरण : इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ, 'चूक' से पहले से तय तारीख को ब्याज या मूलधन की रकम का पूर्ण रूप से भुगतान न किया जाना अभिप्रेत होगा और ऋण (डैट) के प्रति किसी ब्याज या मूलधन की चुकौती (सर्विसिंग) में पहली
- (12) उसके निदेशक बोर्ड की संरचना में कोई मुख्य परिवर्तन, जिससे नियंत्रण, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में परिभाषित है, में परिवर्तन हो सकता हो;
- (13) रेटिंग में कोई संशोधन;
- (14) निदेशक बोर्ड द्वारा उनकी बैठक में निम्नलिखित अनुमोदन:-

बार विलंब (देरी) होने पर ही चूक मान ली जाएगी ।

- (क) कोई ब्याज अदा करने का निर्णय;
- (ख) पूँजी (कैपिटल) की किसी बढ़ोतरी के संक्षिप्त विवरण, चाहे वह पूँजीकरण के माध्यम से बोनस प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से हो, या डिबेंचर धारकों को प्रस्तावित की जाने वाली साधिकार (राइट्स) प्रतिभूतियों के माध्यम से हो, या किसी अन्य माध्यम से हो;
- (15) असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों या असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित समस्त जानकारी, रिपोर्ट, सूचनाएँ (नोटिस), मांग पत्र (कॉल लैटर्स), परिपत्र (सर्कुलर्स), कार्यवाहियाँ, आदि;

(16) कोई अन्य परिवर्तन जो असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों / असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों के धारकों के अधिकारों तथा उनकी बाध्यताओं को प्रभावित करेगा, कोई अन्य जानकारी [जो जनता के लिए (पब्लिक डोमेन में) उपलब्ध न हो] सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के धारकों को उसकी स्थित स्पष्ट करने तथा ऐसी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में मिथ्या बाजार के सृजन से बचने के लिए आवश्यक हो या ऐसी कोई अन्य जानकारी जो सूचीबद्ध एंटिटी के कार्यों (प्रचालन) / कार्य-निष्पादन को प्रभावित करती हो और कीमत संवेदनशील जानकारी।

भाग-ग : महत्त्वपूर्ण (तात्विक) घटनाओं या जानकारी का प्रकटीकरण : भारतीय निक्षेपागार रसीदें (डिपॉजिटरी रिसीट्स) |विनियम 68(2) देखें|

- क. सूचीबद्ध एंटिटी समस्त घटनाओं, जो महत्त्वपूर्ण (तात्विक) हों, और / या समस्त जानकारी, जो कीमत संवेदनशील हो या जो सूचीबद्ध एंटिटी के कार्य-निष्पादन / कार्यों (प्रचालन) पर प्रभाव डालती हो, की सूचना स्टॉक एक्सचेंजं (एक्सचेंजों) को तत्परता से उसी समय तथा उतनी देगी जब तथा जितनी वह अपने देश के या अन्य देशों के, जहाँ उसकी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध की हों, सूचीबद्धता प्राधिकरण (लिस्टिंग अथॉरिटी) या किसी अन्य प्राधिकरण को अथवा उसके अपने देश या अन्य देशों के, जहाँ उसकी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों, अन्य स्टॉक एक्सचेंजं (एक्सचेंजों) को सूचित करे, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:
 - (1) किसी विनियामक या कानूनी प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई कोई कार्रवाई या अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) और वह प्रयोजन जिससे ऐसी कार्रवाई या अन्वेषण शुरू किया गया;
 - (2) कोई कुर्की या प्रतिषेधात्मक आदेश जिनके अंतर्गत सूचीबद्ध एंटिटी को रजिस्ट्रीकृत धारकों के नामों से प्रतिभूतियाँ अंतरित (ट्रांसफर) करने से अवरुद्ध किया गया हो और उसके रजिस्ट्रीकृत धारकों के विवरण;
 - (3) निदेशक बोर्ड की बैठक जो निम्नलिखित पर विचार करने या निर्णय लेने हेतु आयोजित की गई हो:
 - (क) लाभांश और/या नकद बोनस जिनकी सिफारिश की गई हो या जो घोषित किए गए हों अथवा कोई लाभांश देने का विनिश्चय (निर्णय);
 - (ख) वर्ष के कुल व्यापारावर्त (टर्नओवर), सकल लाभ / हानि, मूल्यह्रास (डेप्रीसिएशन) के लिए उपबंध (प्रावधान), कर संबंधी उपबंध (प्रावधान) और शुद्ध लाभ (पिछले वर्ष की तुलना में) और रिजर्व, पूंजीगत लाभों, पिछले वर्षों के संचित लाभों अथवा पूर्णतः या अंशतः कोई लाभांश प्रदान करने हेतु अन्य विशेष स्रोत में से विनियोजित रकम, भले ही इसके लिए यह टिप्पणी अपेक्षित हो कि ऐसी जानकारी अनंतिम है या लेखापरीक्षा (ऑडिट) किए जाने के अध्यधीन है;
 - (ग) लाभांश अथवा साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम या इक्विटी शेयरों में अभिदान करने के अधिकार से युक्त डिबेंचरों के निर्गम की सिफारिश या घोषणा अथवा लाभांश का भुगतान न करना (पासिंग ओवर);
 - (घ) सूचीबद्ध एंटिटी के इक्विटी शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेने (बाय-बैक) के संबंध में कोई निर्णय;
 - (4) निम्नलिखित में परिवर्तन:
 - (क) मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड में;
 - (ख) प्रबंध निदेशक में;
 - (ग) बहियों और खातों की लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए लेखापरीक्षकों में;
 - (घ) अनुपालन अधिकारी में;
 - (ङ) निर्गम रजिस्ट्रार और / या शेयर अंतरण अभिकर्ता, देशी निक्षेपागार या विदेशी अभिरक्षक बैंक में;
 - (5) किसी वर्ग के इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकारों में कोई परिवर्तन, जिनमें भारतीय निक्षेपागार रसीदें विनिमेय (एक्सचेंजेबल) हों;
 - (6) पूँजी (कैपिटल) की किसी बढ़ोतरी के संक्षिप्त विवरण, चाहे वह पूँजीकरण के माध्यम से बोनस शेयरों के निर्गमन के माध्यम से हो, इक्विटी शेयरों के साधिकार निर्गम के माध्यम से हो, या किसी अन्य माध्यम से हो;

- (7) समपहृत शेयरों या प्रतिभूतियों के पुन:निर्गमन, अथवा भावी निर्गम के लिए रिज़र्व में रखे शेयरों या प्रतिभूतियों का निर्गमन अथवा नए शेयरों या प्रतिभूतियों के किसी रूप या प्रकार का सृजन अथवा किन्हीं अन्य अधिकारों, विशेषाधिकारों या फायदों का अभिदाय करने के संक्षिप्त विवरण:
- (8) पूँजी के किन्हीं अन्य परिवर्तनों के संक्षिप्त विवरण, जिनमें कॉल सम्मिलित हैं;
- (9) सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा किन्हीं भारतीय निक्षेपागार रसीदों को खरीदने हेतु कोई विकल्प प्रदान किए जाने की दशा में, निम्नलिखित विवरण :
 - (क) ऐसे विकल्पों के अंतर्गत आने वाली भारतीय निक्षेपागार रसीदों की संख्या, उनके निबंधन और वह समय जिसके भीतर उनका प्रयोग किया जा सकेगा;
 - (ख) ऐसे विकल्पों में बाद में होने वाले कोई परिवर्तन या उनका रद्दकरण या उनका प्रयोग;
- (10) नोटिस, संकल्प, परिपत्र, कॉल लैटर्स या अन्य कोई परिपत्र आदि जो निम्नलिखित के संबंध में जारी किए गए हों या जिनकी सूचना कहीं दी गई हो:
 - (क) सूचीबद्ध एंटिटी की सभी वार्षिक और असामान्य साधारण बैठकों की कार्यवाहियाँ, जिनमें बैठकों की सूचनाएँ
 और बैठक की कार्यवाहियाँ सम्मिलित हैं;
 - (ख) इसके गठन संबंधी (कांस्टिट्यूशन) दस्तावेजों में संशोधन, जैसे ही उन्हें साधारण बैठक में सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए;
 - (ग) अपने देश में या दूसरे देशों में, जहाँ ऐसी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों, अपेक्षाओं का अनुपालन;
 - (घ) कोई विलयन (मर्जर), समामेलन (अमैलगमेशन), पुनर्गठन (रिकंस्ट्रक्शन), पूँजी घटाव, स्कीम या इंतजाम जिसमें सूचीबद्ध एंटिटी शामिल हो और जिसमें इक्विटी शेयरधारकों, आईडीआर धारकों या उनके किसी वर्ग की बैठकें और ऐसी सभी बैठकों की कार्यवाहियाँ सम्मिलित हैं;
- (11) कोई अन्य जानकारी जो भारतीय निक्षेपागार रसीदों के धारकों (आईडीआर होल्डर्स) को सूचीबद्ध एंटिटी की स्थिति आंकने में तथा भारतीय निक्षेपागार रसीदों में मिथ्या बाजार बनने से बचने में समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हो;
- ख. सूचीबद्ध एंटिटी, उपरोक्त विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं की अनुपालना के अलावा, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को घटनाओं जैसे कि हड़तालों, तालाबंदियों या बिजली की कटौती के कारण बन्दी, आदि तथा अन्य तात्विक घटनाओं या कीमत संवेदनशील जानकारी की सूचना तुरंत देगी या ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत देगी जो घटित होने के या तत्पश्चात् घटना की समाप्ति पर दोनों ही समय सूचीबद्ध एंटिटी के कार्य-निष्पादन / प्रचालन पर तात्विक (महत्त्वपूर्ण) प्रभाव डालेंगे, उसी समय और उस हद तक जितना वह अपने देश (होम कण्ट्री) में या किसी अन्य देशों में, जहाँ ऐसी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं, प्रतिभूतियों के धारकों को प्रकटीकरण करती हो;
- ग. उपरोक्त के अलावा, सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को, ऐसी कोई जानकारी प्रकट करेगी जो किसी अन्य विदेशी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रकट की जाती हो या जो किसी अन्य विदेशी प्रतिभूति बाजार, जहाँ उसकी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध या कोटेड हों, में सार्वजनिक की जाती हों, ऐसा प्रकटीकरण या प्रकाशन करने के साथ-साथ या यथाशीघ्र, इसके तुरंत बाद जैसा उपयुक्त तौर पर व्यावहारिक हो;
- घ. सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा मांगे जाने पर सूचीबद्ध एंटिटी से संबंधित कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगी जिसकी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जाए।

भाग-घ: सूचीबद्ध एंटिटी के प्रदर्शन / कार्यों (प्रचालन) पर प्रभाव डालने वाली जानकारी और/या कीमत संवेदनशील जानकारी का प्रकटीकरण: प्रतिभूत ऋण लिखत (सिक्यूरिटाइज़ड डैट इंस्ट्रमेंट्स)

[विनियम 83(2) *देखें*]

- क. सूचीबद्ध एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को सूचीबद्ध एंटिटी के प्रदर्शन / प्रचालन पर प्रभाव डालने वाली समस्त जानकारी और कीमत संवेदनशील जानकारी तत्परता से सचित करेगी जिनमें सम्मिलित हैं:
 - (1) कोई कुर्की या प्रतिषेधात्मक आदेश जिनके अंतर्गत सूचीबद्ध एंटिटी को रजिस्ट्रीकृत धारकों के खाते से प्रतिभूत ऋण लिखत अंतरित (ट्रांसफर) करने से अवरुद्ध किया गया हो और इसके साथ इस प्रकार प्रभावित प्रतिभूत ऋण लिखतों की संख्याओं, रजिस्ट्रीकृत धारकों के नामों के विवरण तथा उनके डीमैट खाते के ब्यौरे;
 - (2) कोई कार्रवाई जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूत ऋण लिखतों का पूर्णत: या भागत: मोचन (रिडेंप्शन), संपरिवर्तन (कन्वर्जन), रद्दकरण, रिटायरमेंट हो जाता हो;
 - (3) कोई कार्रवाई जो प्रतिभृत ऋण लिखतों पर ब्याज के भुगतान को प्रतिकृल रूप से प्रभावित करेगी;
 - (4) उसकी प्रतिभूत ऋण लिखतों, जो स्टॉक एक्सचेंज (स्टॉक एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों, में से किसी प्रतिभूत ऋण लिखत के रूप या स्वरूप में अथवा उनके धारकों के अधिकारों या विशेषाधिकारों में कोई परिवर्तन और इस प्रकार परिवर्तित हुई उक्त प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को आवेदन, यदि स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा ऐसा अपेक्षित हो;
 - (5) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध प्रतिभूत ऋण लिखतों की बाबत ब्याज या मोचन या चुकौती (प्रतिसंदाय) की रकम या दोनों के समय पर भुगतान में प्रत्याशित चूक, जैसे ही उसका पता चले;
 - (6) कारबार / क्रियाकलापों के साधारण रूप में परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति आदि के कारण कार्य (प्रचालन) में विघ्न पड़ना;
 - (7) समय-समय पर की जाने वाली क्रेडिट रेटिंग (साख निर्धारण) के परिणामस्वरूप रेटिंग में संशोधन;
 - (8) निवेशकों को नियत तारीख से तीन महीनों से अधिक की अवधि तक ब्याज या लाभांश / मूलधन की रकम के भुगतान में विलंब / चूक; और
 - (9) कोई अन्य परिवर्तन जो प्रतिभूत ऋण लिखतों के धारकों के अधिकारों तथा उनकी बाध्यताओं को प्रभावित करेगा, कोई अन्य जानकारी [जो जनता के लिए (पब्लिक डोमेन में) उपलब्ध न हो] सूचीबद्ध प्रतिभूत ऋण लिखतों के धारकों को उसकी स्थिति स्पष्ट करने तथा ऐसी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में मिथ्या बाजार के सृजन से बचने के लिए आवश्यक हो या ऐसी कोई अन्य जानकारी जो सूचीबद्ध एंटिटी के कार्यों (प्रचालन)/कार्य-निष्पादन को प्रभावित करती हो और कीमत संवेदनशील जानकारी।

अनुसूची-IV

भाग-क: वित्तीय परिणामों में प्रकटीकरण

[विनियम 33(1)(ङ) *देखें*]

सूचीबद्ध एंटिटी वित्तीय परिणाम तैयार करते समय निम्नलिखित को प्रकट करेगी:-

- क. लेखा नीतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, लेखा मानक 5 या भारतीय लेखा मानक 8, जो लागू हो, के अनुसार प्रकट किए जाएँगे, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में या भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेन्ट संस्थान द्वारा, जो भी लागू हो, विनिर्दिष्ट है।
- ख. यदि लेखापरीक्षक ने इस पैरा के अधीन प्रस्तुत या प्रकाशित किए गए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के संबंध में कोई मॉडिफाइड ओपिनियन या अन्य रिज़र्वेशन को अभिव्यक्त किया हो, तो सूचीबद्ध एंटिटी ऐसी मॉडिफाइड ओपिनियन या अन्य रिज़र्वेशन को और लाभ या हानि, शुद्ध मालियत (नेट वर्थ), कुल आस्तियों, व्यापारावर्त (टर्नओवर) /कुल आय, प्रति शेयर आमदनी या किसी अन्य वित्तीय मद (किन्हीं अन्य वित्तीय मदों), जो मॉडिफाइड ओपिनियन या अन्य रिज़र्वेशन (रिज़र्वेशन्स) के कारण प्रभावित हो सकेंगे, पर पड़ने वाले उनके संचयी प्रभाव को, ऐसे परिणाम प्रकाशित या प्रस्तुत करते समय, प्रकट करेगी।

- ग. यदि लेखापरीक्षक ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट या सीमित समीक्षा रिपोर्ट में किसी पिछले वित्तीय वर्ष या तिमाही के वित्तीय पिरणामों के संबंध में कोई मॉडिफाइड ओपिनियन या अन्य रिज़र्वेशन को अभिव्यक्त किया हो जिसका प्रभाव रिपोर्ट-अवधि (रिपोर्टेबल पीरियड) के दौरान लाभ या हानि पर पड़ता हो, तो सूचीबद्ध एंटिटी वित्तीय परिणामों में टिप्पण (नोट) के रूप में निम्नलिखित को सम्मिलित करेगी:
 - (i) मॉडिफाइड ओपिनियन या अन्य रिज़र्वेशन (रिज़र्वेशन्स) के संबंध में समाधान कैसे किया गया; या
 - (ii) यदि उसका समाधान न किया गया हो, तो उसके कारण और वे कदम जो सूचीबद्ध एंटिटी इस मामले में उठाना चाहती हो ।
- घ. यदि सूचीबद्ध एंटिटी ने किसी नए कारबार को इंगित करते हुए अपने नाम में परिवर्तन कर लिया हो, तो वह ऐसे नए कारबार से संबंधित शुद्ध बिक्री या आय, व्यय तथा कर के पश्चात् शुद्ध लाभ या हानि संबंधी आँकड़ों को वित्तीय परिणामों में अलग से प्रकट करेगी और नाम में परिवर्तन की तारीख से अगले तीन वर्षों तक ऐसे प्रकटीकरण करती रहेगी:
 - परंतु यह कि कर संबंधी व्यय सूचीबद्ध एंटिटी के उक्त नए कारबार और अन्य कारबार के बीच, कर से पूर्व शुद्ध लाभ के उनके अपने-अपने आँकड़ों के अनुपात में, बाँटा जाएगा, जो कर संबंधी प्रावधानों (विधियों) के अधीन उपलब्ध किसी छूट, कटौती या रियायत के अध्यधीन होगा।
- ङ. यदि सूचीबद्ध एंटिटी ने रिपोर्ट-अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन (कमर्शियल प्रोडक्शन) या वाणिज्यिक प्रचालन (कमर्शियल ऑपरेशन) शुरू न किए हों, तो सूचीबद्ध एंटिटी, वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने के बजाय, निम्नलिखित ब्यौरों को प्रकट करेगी:
 - (i) जुटाई गई रकम के ब्यौरे, अर्थात् सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा शेयरों या डिबेंचरों के लाए गए किसी निर्गम (इश्यू) के आगम (प्रोसीड्स);
 - (ii) उसके हिस्से (पोर्शन) जिनका उपयोग किया गया और जिनका उपयोग करना शेष रह गया;
 - (iii) जब तक उपयोग न कर लिया गया हो, तब तक किए गए निवेश के ब्यौरे;
 - (iv) उस परियोजना का संक्षिप्त विवरण, जो पूरी नहीं हुई है;
 - (v) परियोजना की स्थिति; और
 - (vi) वाणिज्यिक उत्पादन (कमर्शियल प्रोडक्शन) या वाणिज्यिक प्रचालनों (कमर्शियल ऑपरेशन) के प्रारंभ की प्रत्याशित तारीख:
 - परंतु यह कि ऊपर उल्लिखित ब्यौरे मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी के प्रमाणीकरण के आधार पर निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएँगे।
- च. असाधारण स्वरूप के संव्यवहारों से उत्पन्न आय और व्यय की सभी मदों को प्रकट किया जाएगा।
- छ. असाधारण मद, यदि लागू हों, लेखा मानक 5 (एएस 5 –अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्वावधि की मदें, और लेखा नीतियों में परिवर्तन) या कम्पनी (लेखा मानक) नियम, 2006, जो भी लागू हो, के अनुसार प्रकट किए जाएँगे ।
- ज. जिस सूचीबद्ध एंटिटी की आमदनी महत्त्वपूर्ण मौसमी परिवर्तनों पर निर्भर करती हो, वह सूचीबद्ध एंटिटी अपने क्रियाकलापों के मौसमी स्वरूप को प्रकट करेगी और सूचीबद्ध एंटिटी अपने वित्तीय परिणामों के साथ, आवर्ती (रोलिंग) आधार पर वर्तमान तथा पूर्ववर्ती वर्षों की तिमाही के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली बारह महीनों की अवधि की जानकारी दे सकेगी।
- झ. सूचीबद्ध एंटिटी किसी ऐसी घटना या ऐसे संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) को प्रकट करेगी जो तिमाही के दौरान या उससे पूर्व घटित हुई या हुआ है और जो तिमाही के परिणामों को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण (तात्विक) हो, जिसमें ये सम्मिलित होंगे किंतु यह समावेश इन्हीं तक सीमित नहीं होगा प्रसार एवं विविधीकरण कार्यक्रमों को पूरा किया जाना, हड़ताल और तालाबंदी, प्रबंधमंडल में परिवर्तन, पूँजी की संरचना में परिवर्तन, और सूचीबद्ध एंटिटी इसी प्रकार की महत्त्वपूर्ण (तात्विक) घटनाओं या इसी प्रकार के संव्यवहारों (ट्रांजेक्शन) को भी प्रकट करेगी जो तिमाही की समाप्ति के बाद घटित होती हों या होते हों।
- ञ. सूचीबद्ध एंटिटी लाभांशों, जिनकी अदायगी या सिफारिश वर्ष के दौरान की गई हो, जिनमें अंतरिम लाभांश सम्मिलित हैं, के संबंध में निम्नलिखित को प्रकट करेगी:

- (i) वितरित या वितरण के लिए प्रस्तावित लाभांश (प्रति शेयर) की रकम; अलग-अलग वर्गों के शेयरों के संबंध में रकमें अलग-अलग दिखाई जाएँगी और शेयरों के अभिहित मुल्य (नोमिनल वैल्य) भी दर्शाए जाएँगे;
- (ii) जहाँ वर्ष के दौरान आबंटित शेयरों के लिए आनुपातिक आधार पर लाभांश अदा किया जाता हो या अदा किए जाने का प्रस्ताव होता हो, वहाँ आबंटन की तारीख तथा आबंटित शेयरों की संख्या, प्रति शेयर लाभांश की आनुपातिक रकम और आनुपातिक आधार पर अदा किए गए या अदा किए जाने के लिए प्रस्तावित लाभांश की कुल रकम।
- ट. सूचीबद्ध एंटिटी वित्तीय परिणामों पर पड़ने वाले उस प्रभाव को प्रकट करेगी जो सूचीबद्ध एंटिटी की संरचना में होने वाले महत्त्वपूर्ण (तात्विक) परिवर्तनों, यदि कोई हों, के कारण पड़ता हो, जिनमें ये सम्मिलत होंगे किंतु यह समावेश इन्हीं तक सीमित नहीं होगा बिजनेस कॉम्बिनेशन, समनुषंगियों के अर्जन या व्ययन (डिस्पोज़ल) और दीर्घकालिक निवेश, पुनर्गठन का कोई अन्य रूप और कार्यों (प्रचालनों) का बंद होना।
- ठ. सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि सेगमेंट रिपोर्टिंग लेखा मानक-17 या भारतीय लेखा मानक 108, जो लागू हो, के अनुसार की जाए, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में या भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेन्ट संस्थान द्वारा, जो भी लागू हो, विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची-IV: भाग-ख: जिस सूचीबद्ध एंटिटी ने अपनी भारतीय निक्षापागार रसीदों को सूचीबद्ध कराया हो, उस सूचीबद्ध एंटिटी के वित्तीय परिणामों को तैयार करना और

उनमें प्रकटीकरण करना [विनियम 70(2) और 71(3) *देखें*]

सूचीबद्ध एंटिटी वित्तीय परिणाम को तैयार करते समय निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी :-

क. वित्तीय परिणामों के प्रकटीकरण की आवधिकता

(1) वित्तीय परिणाम वार्षिक, छमाही और /या तिमाही आधार पर दिए जा सकेंगे, जैसा उसके अपने देश की अपेक्षाओं के अधीन अपेक्षित हो ।

ख. वित्तीय परिणाम तैयार करने और उनका प्रकटीकरण करते समय अमल में लाए जाने वाले लेखा सिद्धाँत

- (1) सूचीबद्ध एंटिटी भारतीय जीएएपी या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) या यूएस जीएएपी के अनुसार अपने वित्तीय परिणाम तैयार कर सकेगी और उन्हें प्रकट कर सकेगी ।
- (2) यदि सूचीबद्ध एंटिटी यूएस जीएएपी के अनुसार वित्तीय परिणाम तैयार करे और उन्हें प्रकट करे, तो भारतीय जीएएपी की तुलना में एक समाधान विवरण (रेकॉन्सिलीएशन स्टेटमेंट) तथा भारतीय जीएएपी और यूएस जीएएपी के बीच महत्त्वपूर्ण अंतरों का सारांश साथ में लगाना होगा।
- (3) यदि वित्तीय परिणाम आईएफआरएस के अनुसार तैयार किए जाते हों, तो सूचीबद्ध एंटिटी केवल भारतीय जीएएपी और आईएफआरएस के बीच के महत्त्वपूर्ण अंतरों का सारांश साथ में लगाएगी।
- (4) यदि सूचीबद्ध एंटिटी आईएफआरएस से यूएस जीएएपी में या यूएस जीएएपी से आईएफआरएस में तब्दीली करे, तो पिछली अवधि से संबंधित लेखों का विवरण, तुलना हेतु, समुचित रूप से फिर से दिया जाएगा।
- (5) किन्हीं अंतरिम परिणामों के लिए जिस लेखा /रिपोर्टिंग मानक का अनुसरण किया गया वे लेखा /रिपोर्टिंग मानक वार्षिक परिणामों के लेखा /रिपोर्टिंग मानकों से संगत होंगे।
- (6) इस प्रकार प्रस्तुत किए गए वित्तीय परिणाम उसी प्रकार की लेखा नीतियों पर आधारित होंगे जिनका अनुसरण पिछले वर्ष किया गया था, परंतु यह कि यदि लेखा नीतियों में परिवर्तन हो, तो पिछले वर्ष के परिणामों का विवरण वर्तमान लेखा नीतियों के अनुसार फिर से दिया जाएगा, ताकि चालू (वर्तमान) वर्ष के परिणामों से उनकी तुलना हो सके।

ग. लेखापरीक्षा/सीमित समीक्षा

(1) यदि सूचीबद्ध एंटिटी भारतीय जीएएपी के अनुसार वित्तीय परिणाम तैयार करे और उन्हें प्रकट करे, तो सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके अपने देश की विधियों, नियमों या विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित वार्षिक,

- छमाही और/या तिमाही परिणामों की ऑडिटिंग एंड एश्यूरंस स्टैण्डर्डस के अनुसार चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी या उसके द्वारा सीमित समीक्षा के अध्यधीन होगी।
- (2) यदि सूचीबद्ध एंटिटी यूएस जीएएपी या आईएफआरएस के अनुसार वित्तीय परिणाम तैयार करती है और उन्हें प्रकट करती है, तो सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके अपने देश की विधियों, नियमों या विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित वार्षिक, छमाही और/या तिमाही परिणामों की लेखापरीक्षा संबंधी अंतरर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पेशेवर अकाउण्टेंट या प्रमाणित पब्लिक अकाउण्टेंट द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी या उसके द्वारा सीमित समीक्षा के अध्यधीन होगी। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी लेखापरीक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार की जाएगी।

घ. प्रकटीकरण

- (1) सूचीबद्ध एंटिटी वित्तीय परिणामों के साथ लेखापरीक्षा संप्रेक्षण या कोई अन्य लेखापरीक्षा रिजर्वेशन (ऑडिट रिजर्वेशन) प्रकट करने के साथ-साथ यह व्याख्यात्मक विवरण भी प्रकट करेगी कि पिछले लेखा वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों के संबंध में लेखापरीक्षा संप्रेक्षण या कोई अन्य लेखापरीक्षा (ऑडिट) रिजर्वेशन (रिजर्वेशनों) को कैसे वित्तीय परिणामों में ठीक किया गया है।
- (2) फॉर्मेट
 - (क)सूचीबद्ध एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि, यदि वित्तीय परिणाम तैयार करते समय भारतीय जीएएपी का अनुसरण किया जाता हो, तो वित्तीय परिणामों के प्रकटीकरण का फॉर्मेट वही होगा जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए ।
 - (ख) यदि भारतीय जीएएपी का अनुसरण नहीं किया जाता, तो ऐसे प्रकटीकरण का फॉर्मेट सूचीबद्ध एंटिटी के अपने देश, जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी सूचीबद्ध हो, की प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार होगा ।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी अपनी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण अपनी कामकाजी (फंक्शनल) मुद्रा /रिपोर्टिंग मुद्रा /राष्ट्रीय मुद्रा में करेगी और रिपोर्टिंग मुद्रा स्टर्लिंग पाउंड / यूरो /येन /अमरीकी डॉलर तक निर्बंधित होगी ।
- (4) सूचीबद्ध एंटिटी समेकित लाभ और हानियों, आस्तियों और दायित्वों तथा नकदी प्रवाहों के सबसे अंत के वर्ष /की अविधयों के विवरणों (यथास्थिति) को सुविधानुसार भारतीय रुपयों में बदलकर, एक्सचेंज की अंतिम दर (क्लोजिंग रेट) पर, उस तारीख को देगी जिस तारीख को वित्तीय जानकारी प्रस्तुत की गई हो।
- (5) सूचीबद्ध एंटिटी सुविधानुसार अंग्रेजी में अनुवाद प्रस्तुत करेगी और अन्य नोट इस प्रकार प्रस्तुत करेगी कि ऐसे वित्तीय विवरणों को आईडीआर धारक समझ सकें।

अनुसूची-V : वार्षिक रिपोर्ट [विनियम 34(3) एवं 53(च) *देखें*

वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण शामिल होंगे:

क संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण:

- 1.सूचीबद्ध एंटिटी "संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरणों" संबंधी लेखा मानक का अनुपालन करते हुए प्रकटीकरण करेगी ।
- 2.प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएँ निम्नानुसार होंगी:

| 豖. | निम्नलिखित के | वर्ष की समाप्ति पर रकमों के प्रकटीकरण और वर्ष के दौरान बकाया उधारों / अग्रिमों | |
|-----|------------------|---|--|
| सं. | खातों में | (एडवांस) / निवेशों की अधिकतम रकम के प्रकटीकरण | |
| 1 | नियंत्री | समनुषंगियों को उधार और उधार की प्रकृति के अग्रिम, नाम और रकम के अनुसार। | |
| | (होल्डिंग) कंपनी | सहयुक्तों को उधार और उधार की प्रकृति के अग्रिम, नाम और रकम के अनुसार। | |
| | | फर्मों/कंपनियों जिनमें निदेशक हितबद्ध हों, को उधार और उधार की प्रकृति के के | |
| | | अग्रिम, नाम और रकम के अनुसार । | |
| 2 | समनुषंगी | समनुषंगी कंपनी के लेखों में वही प्रकटीकरण जो मूल कंपनी पर लागू हैं । | |
| | (सब्सीडियरी) | | |
| 3 | नियंत्री | उधारग्राही द्वारा मूल कंपनी और समनुषंगी कंपनी के शेयरों में निवेश, जब कंपनी ने उधार | |
| | (होल्डिंग) कंपनी | एवं उधार की प्रकृति के अग्रिम दिए हों । | |

उपरोक्त प्रकटीकरणों के प्रयोजनार्थ, निदेशकों के हित का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 में दिया गया है।

3. उपरोक्त प्रकटीकरण सुचीबद्ध बैंकों को छोड़कर सभी सुचीबद्ध एंटिटियों के प्रति लागू होंगे।

ख. प्र**बंधन चर्चा और विश्लेषण:**

- इस खंड में, सूचीबद्ध एंटिटी की प्रतियोगी स्थिति के अनुसार तय की गई सीमाओं के भीतर, निम्नलिखित मामलों पर विचार-विमर्श सम्मिलित होगा :
 - (क) उद्योग (इंडस्ट्री) की संरचना और गतिविधियाँ
 - (ख) अवसर एवं आशंकाएँ
 - (ग) खंड (सेगमेंट) के अनुसार या उत्पाद (प्रोडक्ट) के अनुसार प्रदर्शन
 - (घ) दृष्टिकोण
 - (ङ) जोखिम और चिंताएँ
 - (च) आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था और उनकी पर्याप्तता
 - (छ) प्रचालन संबंधी कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर विचार-विमर्श
 - (ज) मानव संसाधन / औद्योगिक संबंध स्तर पर महत्त्वपूर्ण (तात्विक) गतिविधियाँ, जिनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या भी सम्मिलित है।

2. लेखा व्यवहार का प्रकटीकरण:

जहाँ वित्तीय विवरण तैयार करते समय, लेखा मानक में निर्धारित व्यवहार से भिन्न व्यवहार का अनुसरण किया गया हो, वहाँ वित्तीय विवरणों में उस तथ्य को प्रकट किया जाएगा, इसके साथ-साथ प्रबंध-मंडल का स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा कि उसे क्यों यह विश्वास है कि ऐसा वैकल्पिक व्यवहार अंडरलाइंग कारबार संव्यवहार (बिज़नेस ट्रांजेक्शन) का और सही एवं निष्पक्ष (ऋज्) चित्र प्रस्तुत करता है।

- ग. **कंपनी शासन संबंधी रिपोर्ट:** वार्षिक रिपोर्ट के कंपनी शासन संबंधी खंड में निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएँगे:
 - (1) सूचीबद्ध एंटिटी के शासन संहिता संबंधी दृष्टिकोण के संबंध में संक्षिप्त विवरण।
 - (2) निदेशक बोर्ड:
 - (क) संरचना और निदेशकों का प्रवर्ग [उदाहरण के लिए संप्रवर्तक (प्रोमोटर), कार्यपालक, गैर-कार्यपालक, स्वतंत्र गैर-कार्यपालक, नामनिर्देशिती (नॉमिनी) निदेशक – जिस संस्था का वह प्रतिनिधित्व कर रहा हो और क्या उधार देने वाले के रूप में या इक्विटी निवेशक (विनिधानकर्ता) के रूप में];
 - (ख) निदेशक बोर्ड की बैठक और पिछली वार्षिक साधारण बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थित;
 - (ग) उन अन्य निदेशक बोर्डों या समितियों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य या अध्यक्ष हो;
 - (घ) आयोजित की गई निदेशक बोर्ड की बैठकों की संख्या और किन तारीखों को ये बैठकें आयोजित की गई;
 - (ङ) निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटीकरण;
 - (च) गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों और संपरिवर्तनीय लिखतों (कन्वर्टिबल इंस्ट्रुमेंट्स) की संख्या;
 - (छ) वह वेब लिंक जहाँ स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए परिचय कार्यक्रमों के ब्यौरे प्रकट किए जाते हों।
 - (3) लेखापरीक्षा समिति:
 - (क) विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण;
 - (ख) संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम;
 - (ग) वर्ष के दौरान बैठकें और उनमें उपस्थिति।
 - (4) नामांकन (नॉमिनेशन) एवं पारिश्रमिक समिति:

- (क) विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण;
- (ख) संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम;
- (ग) वर्ष के दौरान बैठकें और उनमें उपस्थिति;
- (घ) स्वतंत्र निदेशकों हेतु कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन संबंधी मानदंड ।
- (5) निदेशकों का पारिश्रमिकः
 - (क) सूचीबद्ध एंटिटी और गैर-कार्यपालक निदेशकों के समस्त धनीय (आर्थिक) संबंध या संव्यवहार (ट्रांजेक्शन्स) वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किए जाएँगे;
 - (ख) गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए जाने संबंधी मानदंड । वैकल्पिक रूप से, इन्हें सूचीबद्ध एंटिटी के वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जा सकेगा और उनका संदर्भ वार्षिक रिपोर्ट में दिया जा सकेगा;
 - (ग) पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरणः कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित प्रकटीकरणों के अलावा, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएँगेः
 - (i) वैयक्तिक निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी पैकेज के सभी घटक जिन्हें संक्षिप्त रूप में मुख्य वर्गों जैसे वेतन, फायदे, बोनस, स्टॉक ऑप्शन्स, पेंशन आदि के रूप में दर्शाया गया हो;
 - (ii) नियत घटक और कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के साथ-साथ कार्य-निष्पादन संबंधी मानदंडों के ब्यौरे;
 - (iii) सेवा संविदाएँ (सर्विस कॉण्ट्रैक्ट), नोटिस की अवधि, पृथक्करण संबंधी (सेवरन्स) फीस;
 - (iv) स्टॉक ऑप्शन संबंधी ब्यौरे, यदि कोई हों, और क्या उसे छूट (डिस्काउंट) पर निर्गमित (इश्यू) किया गया है और उसके साथ-साथ वह अवधि जिसके दौरान वह प्रोद्भूत हुआ हो और जिसके दौरान उसका प्रयोग किया जा सकता हो।
- (6) हितधारकों की शिकायत संबंधी समिति:
 - (क) समिति की अध्यक्षता करने वाले गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम;
 - (ख) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम;
 - (ग) अब तक शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या;
 - (घ) उनकी संख्या जिनका समाधान शेयरधारकों के समाधानप्रद रूप में न किया गया हो;
 - (ङ) लंबित शिकायतों की संख्या।
- (7) साधारण निकाय की बैठकें:
 - (क) स्थान और समय, जहाँ पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकें आयोजित की गईं थीं;
 - (ख) क्या पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित किए गए;
 - (ग) क्या पिछले वर्ष डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट) के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित किया गया मतदान-स्वरूप के ब्यौरे;
 - (घ) वह व्यक्ति जिसने डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट) की प्रक्रिया संचालित की;
 - (ङ) क्या डाक मतपत्र के माध्यम से किसी विशेष संकल्प का संचालन किया जाना प्रस्तावित है;
 - (च) डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट) की प्रक्रिया।
- (8) संसूचना के माध्यम:
 - (क) तिमाही परिणाम;
 - (ख) वे समाचारपत्र जिनमें सामान्यतः परिणाम प्रकाशित किए जाते हों;

- (ग) कोई वेबसाइट, जहाँ प्रदर्शित किया जाता हो;
- (घ) क्या यह आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ भी प्रदर्शित करती है; और
- (ङ) संस्थागत निवेशकों को या विश्लेषकों को दिए गए प्रेजेंटेशन।
- (9) शेयरधारकों को दी जाने वाली साधारण जानकारी:
 - (क) वार्षिक साधारण बैठक तारीख, समय और स्थान;
 - (ख) वित्तीय वर्ष;
 - (ग) लाभांश की अदायगी की तारीख;
 - (घ) प्रत्येक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) का नाम और पता जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों और प्रत्येक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को वार्षिक सूचीबद्धता फीस की अदायगी के बारे में पृष्टि;
 - (ङ) स्टॉक कोड;
 - (च) बाजार कीमत संबंधी आँकड़े पिछले वित्तीय वर्ष के प्रत्येक महीने के दौरान सबसे अधिक कीमत, सबसे कम कीमत;
 - (छ) व्यापक आधारीय (ब्रॉड-बेस्ड) सूचकांकों, जैसे बीएसई सेन्सेक्स, क्रिसिल इंडेक्स आदि, की तुलना में प्रदर्शन;
 - (ज) यदि प्रतिभूतियों को व्यापार (ट्रेडिंग) से निलंबित कर दिया गया हो, तो निदेशकों की रिपोर्ट में उसका कारण स्पष्ट किया जाएगा;
 - (झ) निर्गम रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू एन इश्यू) और शेयर अंतरण अभिकर्ता (शेयर ट्रांसफर एजेंट);
 - (ञ) शेयर अंतरण (शेयर ट्रांसफर) व्यवस्था;
 - (ट) शेयरधारिता का वितरण;
 - (ठ) शेयरों का गैर-कागजीकरण और अर्थसुलभता (लिक्विडिटी);
 - (ड) बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स् या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स् या वारंट या अन्य संपरिवर्तनीय लिखतें (कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स), संपरिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभाव्य प्रभाव;
 - (ढ) कमॉडिटी का कीमत संबंधी जोखिम या विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिम और हैजिंग संबंधी गतिविधियाँ;
 - (ण) संयंत्र (प्लांट) के स्थान;
 - (त) पत्र-व्यवहार का पता।
- (10) अन्य प्रकटीकरणः
 - (क) तात्विक रूप से महत्त्वपूर्ण उन संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों संबंधी प्रकटीकरण जिनका सूचीबद्ध एंटिटी के हितों से, व्यापक रूप से, विरोध होने की संभावना हो;
 - (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, पूँजी बाजारों से संबंधित किसी मामले के संबंध में, सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा अनुपालन न किए जाने के ब्यौरे, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या बोर्ड या किसी कानूनी प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध एंटिटी पर लगाई गई शास्तियों (पेनल्टी), लगाए गए अवक्षेपों (स्ट्रिक्चर) के ब्यौरे;
 - (ग) सतर्कता संबंधी व्यवस्था (विजिल मैकेनिज़्म), पर्दाफाश किए जाने (विसल ब्लोअर) संबंधी नीति निर्धारित किए जाने संबंधी ब्यौरे, और यह अभिपृष्टि कि किसी भी कार्मिक (कर्मी) को लेखापरीक्षा समिति तक पहुँच रखने से वंचित नहीं रखा गया;
 - (घ) अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन और जो अपेक्षाएँ अनिवार्य न हों उन्हें अपनाए जाने के ब्यौरे;
 - (ङ) वह वेब लिंक जहाँ 'महत्त्वपूर्ण' समुनषंगियों को निर्धारण किए जाने संबंधी नीति प्रकट की जाती हो;
 - (च) वह वेब लिंक जहाँ संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के संबंध में कार्यवाही करने की नीति प्रकट की जाती हो;

- (छ) कमॉडिटी के कीमत संबंधी जोखिमों का और कमॉडिटी की हैजिंग संबंधी गतिविधियों का प्रकटीकरण।
- (11) कंपनी शासन (कारपोरेट गवर्नेंस) संबंधी रिपोर्ट की किसी अपेक्षा [ऊपर उप-पैरा (2) से (10) में उल्लिखित] का अनुपालन न किए जाने को (उसके कारणों सहित) प्रकट किया जाएगा।
- (12) कंपनी शासन संबंधी रिपोर्ट में यह भी प्रकट किया जाएगा कि अनुसूची-II के भाग-ङ में यथा विनिर्दिष्ट वैवेकिक अपेक्षाओं को किस हद तक अपनाया गया है।
- (13) विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) में विनिर्दिष्ट कंपनी शासन संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन के प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट के कंपनी शासन संबंधी खंड में किए जाएँगे।
- घ. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा यह कथन करते हुए कि निदेशक बोर्ड के सदस्यों और ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल कार्मिक ने निदेशक बोर्ड और ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल की आचार संहिता के अनुपालन की अभिपृष्टि कर ली है ।
- ङ कंपनी शासन संबंधी शर्तों के अनुपालन के संबंध में या तो लेखापरीक्षकों से या पेशेवर कंपनी सचिवों से अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लगाया जाएगा।
- च डीमैट सस्पेंस खाते/अनक्लेम्ड (अदावाकृत) सस्पेंस खाते के संबंध में प्रकटीकरण :
 - (1) सूचीबद्ध एंटिटी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित ब्यौरे तब तक प्रकट करेगी, जब तक डीमैट सस्पेंस खाते या अनक्लेम्ड सस्पेंस खाते, जो लागू हो, में शेयर हों:
 - (क) वर्ष के आरंभ में शेयरधारकों की और सस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयरों की कुल संख्या;
 - (ख) उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से शेयरों के अंतरण (ट्रांसफर) हेतु सूचीबद्ध एंटिटी से अनुरोध किया;
 - (ग) उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से शेयर अंतरित (ट्रांसफर) किए गए;
 - (घ) वर्ष के अंत में शेयरधारकों की और सस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयरों की कुल संख्या;
 - (ङ) यह कि इन शेयरों संबंधी मताधिकारों पर तब तक रोक लगी रहेगी जब तक कि ऐसे शेयरों का वास्तविक स्वामी इन शेयरों हेतु दावा नहीं करता ।

अनुसूची-VI: अदावाकृत शेयरों के संबंध में कार्यवाही करने की रीति

[विनियम 39(4) *देखें*

क. सूचीबद्ध एंटिटी निम्नलिखित प्रक्रिया-संबंधी अपेक्षाओं का कार्यभार शेयर अंतरण अभिकर्ता को सौंप सकेगी।

ख. भेजे जाने वाले अनुस्मारक (रिमाइन्डर)

- (1) सुचीबद्ध एंटिटी ऐसे पते पर कम से कम तीन अनुस्मारक (रिमाइन्डर) भेजेगी, जैसा नीचे उल्लिखित है:
 - (क) कागजी शेयरों हेतु, अनुस्मारक (रिमाइन्डर) आवेदन फॉर्म में दिए गए पते पर और साथ ही सूचीबद्ध एंटिटी के रिकॉर्ड के अनुसार अंतिम उपलब्ध पते पर भेजे जाएँगे।
 - (ख) डीमैट शेयरों हेतु, अनुस्मारक (रिमाइन्डर) निक्षेपागार के डाटाबेस में दर्ज पते पर या कागजी तौर पर किए गए आवेदन के मामले में आवदेन फॉर्म में दिए गए पते पर भेजे जाएँगे।

ग. अनुस्मारक (रिमाइन्डर) का उत्तर प्राप्त न होने के मामले में प्रक्रिया

- (1) डीमैट शेयरों हेतु, अदावाकृत शेयर निक्षेपागार सहभागियों में से किसी एक निक्षेपागार सहभागी के यहाँ डीमैट सस्पेंस खाते में जमा किए जाएँगे, जो सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा इस प्रयोजनार्थ खोला गया हो ।
- (2) कागजी शेयरों हेतु, सूचीबद्ध एंटिटी "अनक्लेम्ड (अदावाकृत) सस्पेंस खाते" नामक एक फोलियो में सभी शेयर अंतरित करेगी और निक्षेपागार सहभागियों में से किसी एक निक्षेपागार सहभागी के यहाँ अनक्लेम्ड सस्पेंस खाते में धारित शेयरों का गैर-कागजीकरण करेगी।
- (3) सूचीबद्ध एंटिटी उस प्रत्येक वैयक्तिक आबंटिती (इंडिविजुअल अलॉटी) की शेयरधारिता के ब्यौरे रखेगी जिसके शेयर ऐसे डीमैट सस्पेंस खाते या अनक्लेम्ड सस्पेंस खाते, जो लागू हो, में जमा किए जाते हों।

(4) डीमैट सस्पेंस खाता या अनक्लेम्ड सस्पेंस खाता, जो लागू हो, सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा केवल उन आबंटितियों (अलॉटीज़) की ओर से धारण किया जाएगा जो शेयरों के हकदार हों, और ऐसे सस्पेंस खाते में धारित शेयर किसी भी प्रकार से, चाहे जो भी हो, अंतरित (ट्रांसफर) नहीं किए जाएँगे, लेकिन ऐसा आबंटिती को शेयर आबंटित करने के प्रयोजनार्थ किया जा सकेगा जब कभी वह सुचीबद्ध एंटिटी से अनुरोध करे:

परंतु यह कि ऐसे सभी शेयर भी, जिनके संबंध में असंदत्त या अदावाकृत लाभांश (वह लाभांश जो अदा न किया गया हो या जिसका दावा न किया गया हो) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (5) के अधीन अंतरित (ट्रांसफर) किया गया हो, सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अंतरित (ट्रांसफर) किए जाएँगे।

घ. आबंटिती द्वारा दावे के मामले में प्रक्रिया

(1) जब कभी आबंटिती सूचीबद्ध एंटिटी से अनुरोध करे, तो, सूचीबद्ध एंटिटी, आबंटिती की पहचान का समुचित रूप से सत्यापन करने के पश्चात्, या तो अनक्लेम्ड सस्पेंस खाते या डीमैट सस्पेंस खाते, जो लागू हो, में पड़े शेयरों को आबंटिती के डीमैट खाते में, जितनी आबंटिती की हकदारी हो, जमा करेगी, या उन्हें फिर से कागजी रूप देकर (रीमैट करके) प्रमाणपत्र सौंपेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आबंटिती ने क्या विकल्प चुना है:

परंतु यह कि प्रमाणपत्रों का पुनःकागजीकरण केवल उसी मामले में किया जाएगा जहाँ शेयर मूल रूप से कागजी रूप में निर्गमित किए गए थे ।

ङ. कंपनी (कारपोरेट) फायदों [प्रोद्भूत (एक्रूइंग) प्रतिभूतियों के रूप में] और ऐसे अदावाकृत शेयरों संबंधी मताधिकारों के संबंध में कार्यवाही

- (1) ऐसे शेयरों पर प्रोद्भूत प्रतिभूतियों के आधार पर कोई कंपनी फायदे (कारपोरेट बेनिफिट्स) अर्थात् बोनस शेयर, विभाजन (सिप्लट) आदि, भी ऐसे डीमैट सस्पेंस खाते या अनक्लेम्ड सस्पेंस खाते, जो लागू हो, में सात वर्षों की अवधि तक जमा किए जाएँगे और उसके पश्चात् सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित धारा 124(5) के उपबंधों (प्रावधानों) के अनुसार और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अंतरित (ट्रांसफर) किए जाएँगे।
- (2) ऐसे अदावाकृत शेयरों संबंधी मताधिकारों पर तब तक रोक लगी रहेगी जब तक कि शेयरों का वास्तविक स्वामी इन शेयरों हेत दावा नहीं करता।

अनुसूची-VII: प्रतिभूतियों का अंतरण [विनियम 40(7) और 61(4) *देखें*]

क. पैन की अपेक्षा

- (1) प्रतिभूतियों के अंतरण (ट्रांसफर) को दर्ज (रजिस्टर) कराने हेतु, अंतरिती (ट्रांसफरी) और अंतरक (ट्रांसफरर) सूचीबद्ध एंटिटी को अपने-अपने पैन कार्ड की प्रति देंगे।
- (2) ऐसे प्रतिभूति बाजार संबंधी संव्यवहारों (ट्रांजेक्शन्स) हेतु और/या ऐसे बाजार से परे (ऑफ मार्केट) या निजी संव्यवहारों (प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स) हेतु, जिनमें कागजी शेयरों का अंतरण शामिल हो, अंतरिती और अंतरक प्रतिभूतियों के ऐसे अंतरण को दर्ज (रजिस्टर) करने हेतु सूचीबद्ध एंटिटी को पैन कार्ड की प्रति देंगे।
- (3) जिन मामलों में पैन कार्ड उपलब्ध न हो, अर्थात् सिक्किम के निवासियों के मामले में, उन मामलों में पैन कार्ड के स्थान पर पहचान का सबूत मांगा जा सकेगा ।
- (4) प्रतिभूतियों के धारक (धारकों) के पैन कार्ड संबंधी ब्यौरों के मेल न खाने के मामले में और विवाहपूर्व नाम तथा मौजूदा नाम में अंतर होने के मामले में [यदि धारक विवाहित महिलाएँ हों], सूचीबद्ध एंटिटी, यथास्थिति, अंतरिती (अंतरितियों) या अंतरक (अंतरकों) द्वारा प्रस्तुत किया गया पैन कार्ड ले सकेगी:
 - परंतु यह कि इसके लिए सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा ऐसे अंतरिती (अंतरितियों) या अंतरक (अंतरकों) के दावे की सत्यता को जाँचा जाएगा, जिसके लिए वह अंतरिती (अंतरितियों) या अंतरक (अंतरकों) की पहचान के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी सबूत एकत्र करेगी।

ख. हस्ताक्षर में फर्क

- (1) अंतरक (अंतरकों) के हस्ताक्षर में मामूली अंतर होने पर, सूचीबद्ध एंटिटी प्रतिभूतियों के अंतरण (ट्रांसफर) को दर्ज (रजिस्टर) करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगी:
 - (क) सूचीबद्ध एंटिटी पहले अंतरक (अंतरकों) को दस्तावेजों में उपरोक्त त्रुटि की सूचना तत्परता से स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेगी और अंतरक (अंतरकों) को यह सूचित करेगी कि यदि सूचीबद्ध एंटिटी का पत्र प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर सूचीबद्ध एंटिटी के पास अंतरक (अंतरकों) द्वारा आपत्ति, मान्य सबूत के साथ, दर्ज नहीं कराई जाती, तो प्रतिभृतियाँ अंतरित (ट्रांसफर) कर दी जाएँगी;
 - (ख) यदि अंतरक (अंतरकों) को सूचना मिल (डिलीवर हो) जाती है और पंद्रह दिनों के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ अंतरक (अंतरकों) से आपत्ति प्राप्त नहीं होती, तो सूचीबद्ध एंटिटी प्रतिभूतियाँ अंतरित (ट्रांसफर) कर देगी, बशर्ते कि सूचीबद्ध एंटिटी को मामले में किसी कपट या जालसाजी का संदेह न हो:

परंतु यह कि सूचीबद्ध एंटिटी सूचना के मिल जाने (की डिलिवरी) का सबूत अपने रिकार्ड में रखेगी।

- (2) अंतरक (अंतरकों) के हस्ताक्षर में काफी फर्क होने पर, या हस्ताक्षर न होने पर, सूचीबद्ध एंटिटी प्रतिभूतियों के अंतरण (ट्रांसफर) को दर्ज (रजिस्टर) करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगी:
 - (क) सूचीबद्ध एंटिटी अंतरिती (अंतरितियों) को मूल दस्तावेजों के साथ आपित्त ज्ञापन (ऑब्जेक्शन मैमो) तत्परता से, स्पीड पोस्ट द्वारा, भेजेगी, जिस पर इस कारण का उल्लेख होगा "हस्ताक्षर में काफी फर्क है / हस्ताक्षर नहीं है", और यह हिदायत दी जाएगी कि वह (वे) यह सुनिश्चित करे (करें) कि अंतरक (अंतरकों) के दस्तावेज (जिनके संबंध में निवेदन किया गया हो) प्रस्तुत कर दिए गए हों;
 - (ख) सूचीबद्ध एंटिटी उप-पैरा (2) के खंड (क) के अनुसार आपत्ति ज्ञापन (ऑब्जेक्शन मैमो) की एक प्रति, साथ-साथ, अंतरक (अंतरकों) को भी स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेगी;
 - (ग) उप-पैरा (2) के खंड (क) एवं (ख) में उल्लिखित उपरोक्त आपत्ति ज्ञापन (ऑब्जेक्शन मैमो) में, अंतरण हेतु अंतरक (अंतरकों) के निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों की अपेक्षा का भी उल्लेख होगा:
 - (i) अपने रिकार्ड में अंतरक (अंतरकों) के हस्ताक्षर में परिवर्तन करने हेतु शपथ-पत्र (एफिडेविट);
 - (ii) बिना हस्ताक्षर वाला तथा रद्द (कैन्सल्ड) चैक [मूल (ऑरिजिनल)] और अंतरक (अंतरकों) के हस्ताक्षर और पते के संबंध में बैंककार (बैंकर) का अनुप्रमाणन;
 - (iii) अंतरक (अंतरकों) के संपर्क संबंधी ब्यौरे और;
 - (घ) यदि अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) दोनों को सूचना मिल (डिलीवर हो) जाती है, अंतरक (अंतरकों) के दस्तावेज (जिनके संबंध में निवेदन किया गया हो) सूचीबद्ध एंटिटी को प्रस्तुत कर दिए जाते हों और बैंक द्वारा अनुप्रमाणित किया गया पता सूचीबद्ध एंटिटी के डाटाबेस में उपलब्ध पते से मेल खाता हो, तो सूचीबद्ध एंटिटी, प्रतिभूतियाँ अंतरित (ट्रांसफर) कर देगी, बशर्ते कि सूचीबद्ध एंटिटी को मामले में किसी कपट या जालसाजी का संदेह न हो:

परंतु यह कि सूचीबद्ध एंटिटी सूचना के मिल जाने (की डिलिवरी) का सबूत अपने रिकार्ड में रखेगी।

ग. प्रतिभूतियों के पारेषण (ट्रांसमिशन) के मामले में दस्तावेजों संबंधी अतिरिक्त अपेक्षाएँ

- (1) गैर-कागजीकृत रूप में धारित प्रतिभूतियों के पारेषण (ट्रांसिमशन) के मामले में, जहाँ प्रतिभूतियाँ एक ही नाम से [बिना नामिनिर्देशिती (नामित / नॉमिनी) के] धारित हों, सरल दस्तावेजी प्रक्रिया का अनुसरण करने के प्रयोजनार्थ, जैसा निक्षेपागारों द्वारा उप-विधियों (बॉय-लाज़) या प्रचालन-संबंधी अनुदेशों, जो लागू हों, के माध्यम से निर्धारित किया गया हो, प्रत्येक हिताधिकारी स्वामी (बेनिफिशियल ओनर) के खाते हेतु सीमा-रेखा (थ्रेस्होल्ड लिमिट) केवल पाँच लाख रुपये हैं।
- (2) कागजी रूप में धारित प्रतिभूतियों के पारेषण के मामले में:

- (क) जहाँ प्रतिभृतियाँ एक ही नाम से [नामनिर्देशिती (नामिती/नॉमिनी) सहित] धारित की जाती हों:
 - (i) पारेषण (ट्रांसिमशन) का निवेदन फॉर्म, जो नामनिर्देशिती (नामिती) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित हो;
 - (ii) मृत्यु प्रमाणपत्र की मूल प्रति या उसकी प्रतिलिपि, जो नोटरी पब्लिक द्वारा या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुप्रमाणित हो;
 - (iii) नामनिर्देशिती (नामिती) के पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति।
- (ख) जहाँ प्रतिभूतियाँ एक ही नाम से [बिना नामनिर्देशिती (नामिती/नॉमिनी) के] धारित की जाती हों, वहाँ प्रतिभूतियों के विधिक स्वामित्व की पहचान और उसके दावे के संबंध में, समुचित न्यायिकेतर स्टांप-पत्र (नॉन-ज्इिशल स्टांप पेपर) पर शपथ-पत्र (एफिडेविट) देना अपेक्षित होगा और इसके अतिरिक्त:
 - (i) आवेदन करने की तारीख को, प्रति सूचीबद्ध एंटिटी, केवल दो लाख रुपये के मूल्य तक की सीमा-रेखा (श्रेस्होल्ड लिमिट) की प्रतिभूतियों हेतु, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक या एक से अधिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकेंगे:
 - 1. ऐसे सभी कानूनी वारिस (वारिसों) से अनापत्ति प्रमाणपत्र, जिन्हें ऐसे पारेषण से आपत्ति न हो, या कुटुंब के समझौते के विलेख (फैमिली सैटलमेंट डीड) की प्रति जो विधिवत रूप से नोटरी की गई हो या राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हो और मृत धारक के सभी कानूनी वारिसों द्वारा निष्पादित की गई हो;
 - 2. समुचित न्यायिकेतर स्टांप-पत्र (नॉन-जूडिशल स्टांप पेपर) पर तैयार की गई क्षतिपूर्ति (इन्डेमिनटी), जिसके अंतर्गत सूचीबद्ध एंटिटी को क्षतिपूर्ति का उल्लेख हो;
 - (ii) आवेदन करने की तारीख को, प्रति सूचीबद्ध एंटिटी, दो लाख रुपये के मूल्य की सीमा-रेखा (श्रेस्होल्ड लिमिट) से अधिक की प्रतिभूतियों हेतु, उत्तराधिकार संबंधी प्रमाणपत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन-पत्र (लैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन) या न्यायालय की डिक्री प्रस्तुत की जाएगी;
 - (iii) हालाँकि सूचीबद्ध एंटिटी, अपने विवेक से, प्रतिभूतियों के मूल्य की सीमा-रेखा (थ्रेस्होल्ड लिमिट) दो लाख रुपये से बढ़ा सकेगी।

बनुसूची-VIII – प्ररूप ख के साथ संलग्न वार्षिक लेखापरीक्षित परिणामों की समीक्षा करने की रीति [विनियम 33(6) एवं 33(7), 52(3)(ख) एवं 52(3)(ग) तथा 95 देखें]

क. स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा समीक्षा

स्टॉक एक्सचेंज विनियम 33 के उप-विनियम (3) के खंड (घ) तथा विनियम 51 के उप-विनियम (3) के खंड (क) के अनुसार प्रस्तुत प्ररूप ख और उसके साथ संलग्न वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा (अपनाएँगे):

- (1) स्टॉक एक्सचेंज प्ररूप ख के साथ संलग्न रिपोर्टों की प्रारंभिक जाँच करेगा जिसके अंतर्गत संबंधित सूचीबद्ध एंटिटी से आवश्यक स्पष्टीकरण माँगना शामिल है और माँडिफाइड ओपिनियन (ओपिनियन्स) की महत्ता (तात्विकता) के आधार पर उस पर विचार करेगा (करेंगे)।
- (2) मॉडिफाइड ओपिनियन (ओपिनियन्स) का सूचीबद्ध एंटिटी के लाभ तथा हानि और वित्तीय स्थिति पर जितना प्रभाव पड़ता है, उसके आधार पर इन मॉडिफाइड ओपिनियन (ओपिनियन्स) की महत्ता (तात्विकता) तय करने के मानदंड निर्धारित होंगे।
- (3) एकरूपता के प्रयोजनार्थ, स्टॉक एक्सचेंज प्रारंभिक जाँच के मानदंड तय करने के लिए एक दूसरे से परामर्श करेंगे ।
- (4) इसके अलावा, यदि संबंधित सूचीबद्ध एंटिटी के शेयर एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हों, तो स्टॉक एक्सचेंज कार्य बाँटने के लिए भी एक दूसरे से परामर्श करेंगे।
- (5) उपरोक्त मानदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जाँच-पड़ताल करने पर, स्टॉक एक्सचेंज वे मामले बोर्ड के पास भिजवा देगा (देंगे), जिनके संबंध में उसकी (उनकी) राय में, और जाँच-पड़ताल की जानी आवश्यक हो।

(6) स्टॉक एक्सचेंज उन सूचीबद्ध एंटिटियों की सूची प्रदर्शित करेगा (करेंगे), जिन्होंने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्टें प्ररूप ख के साथ दाखिल कर दी हों।

ख. अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा

- (1) अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति का गठन बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसमें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सेचेंजों), कारपोरेट कार्य मंत्रालय आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- (2) अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से प्राप्त होने वाले मामलों की समीक्षा करेगी और मॉडिफाइड ओपिनियन (ओपिनियन्स) से युक्त वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों के संबंध में कार्यवाही करने में बोर्ड का मार्गदर्शन करेगी।
- (3) लेखापरीक्षा रिपोर्टों में मॉडिफाइड ओपिनियन (ओपिनियन्स) का विश्लेषण करने के पश्चात्, अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति निम्नलिखित सिफारिशें दे सकेगी:
 - (क) यदि अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति की यह राय हो कि मॉडिफाइड ओपिनियन का प्रभाव महत्त्वपूर्ण नहीं है, तो वह बाद के वित्तीय वर्ष में ऐसी मॉडिफाइड ओपिनियन में सुधार करने की सिफारिश कर सकेगी;
 - (ख) यदि अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा सिमिति की यह राय हो कि मॉडिफाइड ओपिनियन का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है और प्ररूप ख में संबंधित सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक है, तो यह मामला भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड के पास भिजवाया जा सकेगा, तािक वे इस संबंध में अपनी राय दे सकें कि क्या मॉडिफाइड ओपिनियन तर्कसंगत है;
 - (ग) फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड की राय के आधार पर, अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति निम्नलिखित की सिफारिश कर सकेगी:
 - (i) यदि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड की यह राय हो कि मॉडिफाइड ओपिनियन तर्कसंगत है, तो अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति, मॉडिफाइड ओपिनियन के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए, नीचे पैरा (ङ) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से स्टॉक एक्सचेंज (एक्सेचेंजों) को संशोधित प्रोफार्मा वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने की सिफारिश कर सकेगी;
 - (ii) यदि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड की यह राय हो कि मॉडिफाइड ओपिनियन तर्कसंगत नहीं है, तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान सूचीबद्ध एंटिटी के कानूनी लेखापरीक्षक के यहाँ मामले को यथोचित रूप से उठा सकेगा;
 - (घ) यदि मॉडिफाइड ओपिनियन का सटीक निर्धारण न किया जा सकता हो (क्वान्टीफिएबल न हो), तो अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति बाद के वित्तीय वर्ष में ऐसे मॉडिफाइड ओपिनियन में सुधार करने की सिफारिश कर सकेगी।
- ग. अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति की सिफारिशों और/या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड की राय के आधार पर, बोर्ड संबंधित सूचीबद्ध एंटिटी को अपनी मॉडिफाइड ओपिनियन में सुधार करने का और/या पैरा (ख) के उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित प्रोफार्मा वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।
- घ. बोर्ड, निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) के हित में, किसी भी स्तर पर, ऐसी कोई अन्य आवश्यक कारर्वाई कर सकेगा जैसी यह ठीक समझे ।

ङ. संशोधित प्रोफार्मा वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करना

- (1) सूचीबद्ध एंटिटी संशोधित प्रोफार्मा वित्तीय परिणाम प्रस्तृत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएगी:
 - (क) सूचीबद्ध एंटिटी, बोर्ड से ऐसा निदेश प्राप्त होने की तारीख से दो महीनों के भीतर, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को संशोधित प्रोफार्मा वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करेगी, जिसमें मॉडिफाइड ओपिनियन के प्रभाव को सम्मिलित किया जाएगा;
 - (ख) ऐसे मॉडिफाइड ओपिनियन का लेखा संबंधी प्रभाव बाद के वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों में पूर्व अवधि मद के रूप में दिखाया जाएगा ।

च. सभी प्ररूप ख और उनके साथ संलग्न वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा वर्ष में दो बार, प्रत्येक वर्ष के जून महीने और दिसम्बर महीने को समाप्त होने वाली छमाही तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, की जाएगी, और इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित समय-सीमाएँ निर्धारित की गई हैं:

| क्रियाकलाप | कब तक पूरा किया जाना है |
|---|--|
| सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्टे और प्ररूप क | विनियमों के अनुसार |
| /प्ररूप ख दाखिल करना | |
| स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा छमाही (प्रत्येक वर्ष जनवरी | प्रत्येक वर्ष जून महीने और दिसम्बर महीने को समाप्त |
| - जून और जुलाई - दिसम्बर) के दौरान प्राप्त रिपोर्टों की | होने वाली छमाही की समाप्ति से एक महीने के भीतर |
| प्रारंभिक जाँच और बोर्ड के पास मामले भिजवाना | |
| अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति द्वारा मामलों की | स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से रिपोर्ट प्राप्त होने की |
| समीक्षा | तारीख से एक महीने के भीतर |
| भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग | अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति के निर्णय |
| रिव्यू बोर्ड के पास मामले भिजवाना | की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर |
| फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड से उत्तर की प्राप्ति | अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति द्वारा |
| | मामले भिजवाए जाने की तारीख से एक महीने के |
| | भीतर |
| संबंधित सूचीबद्ध एंटिटी और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को | अर्हित लेखापरीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति / |
| मामले के संबंध में लिए गए निर्णय की सूचना | फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड के निर्णय की तारीख |
| | से पंद्रह दिनों के भीतर |
| संबंधित सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा संशोधित प्रोफार्मा वित्तीय | संबंधित एंटिटी को सूचना-पत्र की तारीख से दो |
| परिणाम प्रस्तुत करना | महीनों के भीतर |

अनुसूची-∣X - अन्य विनियमों में संशोधन [विनियम 100 *देखें*]

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में संशोधन

(i) विनियम 7 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

"प्रतिभूति जमा (सिक्यूरिटी डिपॉजिट)

- 7. (1) निर्गमकर्ता, अभिदान (सब्सक्रिप्शन) सूची के खुलने से पहले, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास वह रकम जमा करेगा और जमा रखेगा जिसकी गणना जनता को अभिदान हेतु प्रस्तावित प्रतिभृतियों की रकम के एक प्रतिशत की दर से की जाए।
- (2) उप-विनियम (1) में नियत रकम बोर्ड और/या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से जमा की जाएगी।
- (3) उप-विनियम (1) में नियत रकम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्रतिदेय या समपहरणीय होगी।"
- (ii) विनियम 98 में, खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएँगे, अर्थात:-
 - "(छ) निर्गमकर्ता कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि जिन अंडरलाइंग इक्विटी शेयरों के प्रति भारतीय निक्षेपागार रसीद (आईडीआर) निर्गमित किए जाते हों, उन अंडरलाइंग इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में आईडीआर की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) से पहले उसके अपने देश में सूचीबद्ध करा लिया गया हो या सूचीबद्ध करा लिया जाएगा।
 - (ज) निर्गमकर्ता कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि आईडीआर के अंडरलाइंग शेयर तुलनात्मक दृष्टि से उसी वर्ग के विद्यमान शेयरों से *एक समान* दर्जे के होंगे ।"
- (iii) विनियम 101 में, उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

- "(1) निर्गमकर्ता कंपनी एक या एक से अधिक मर्चेंट बैंककार नियुक्त करेगी, जिनमें से कम से कम एक अग्रणी मर्चेंट बैंककार होगा और अन्य मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) को भी, अग्रणी मर्चेंट बैंककार के परामर्श से, नियुक्त करेगी और अनुसूची-॥ में यथा विनिर्दिष्ट करार (करारनामे) के फॉर्मेट की तर्ज पर मर्चेंट बैंककार के साथ करार करेगी।"
- (iv) विनियम 101 के पश्चात और विनियम 102 से पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-

"अन्य मध्यवर्तियों और अन्यों के साथ करार

- **101क.** (1) निर्गमकर्ता कंपनी रिजस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता (रिजस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट) को नियुक्त करेगी जिसकी सभी निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़) के साथ संयोजकता (कनेक्टिविटी) हो।
- (2) निर्गमकर्ता कंपनी विदेशी अभिरक्षक (ओवरसीज़ कस्टोडियन) बैंक और देशी निक्षेपागार के साथ करार करेगी ।
- (3) अग्रणी मर्चेंट बैंककार, स्वतंत्र रूप से यह आकलन करने के पश्चात् कि बाध्यताओं को निभाने हेतु अन्य मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) और अन्यों की क्षमता कितनी है, उनकी नियुक्ति के संबंध में निर्गमकर्ता कंपनी को सलाह देगा।"
- (v) विनियम 102 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

वोली संबंधी ऑकड़े (बिड डाटा) प्रदर्शित करना और आबंटन पत्र जारी करना

- **102.** (1) बही निर्माण प्रक्रिया हेतु ऑन-लाइन बोली प्रणाली उपलब्ध कराने वाले स्टॉक एक्सचेंज अपने वेबसाइट पर, बही निर्माण वाले भारतीय निक्षेपागार रसीदों के निर्गम से संबंधित आँकड़े, अनुसूची-XI के भाग-ख(II) में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में, बोलियों के खुलने की तारीख से बोलियों के बंद होने के पश्चात् कम से कम तीन दिनों तक, प्रदर्शित करेगा (करेंगे)।
- (2) निर्गमकर्ता कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आईडीआर) के लिए आबंटन पत्र सभी आबंटितियों को साथ-साथ ही जारी कर दिए जाएँ और यह कि यदि उसी समय खेद पत्र जारी करना असंभव हो, तो इस आशय की एक सूचना (नोटिस) मीडिया में जारी की जाए, तािक वह आबंटन पत्रों के प्रेषित होने के पश्चात् सुबह-सुबह दिखाई पड़े।"
- (vi) विनियम 106ञ निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात:-

"अभिदान (सब्स्क्रिप्शन) की अवधि और आबंटन पत्र जारी करना

- **106ज**. (1) साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) भारत में अभिदान के लिए उसके अपने देश की विधियों के अधीन यथा लागू अविध हेत खुला रहेगा, किंतु किसी भी दशा में दस दिनों से कम के लिए नहीं ।
- (2) निर्गमकर्ता कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि वह अधिकारों का आबंटन पत्र आईडीआर धारकों को उसी समय भेज दे जब वे उसके अपने देश या अन्य देशों (जहाँ उसकी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों) की अपेक्षा के अनुसार, निर्गमकर्ता कंपनी के शेयरधारकों को भेजे जाते हों।"
- (vii) विनियम 106ड में, शब्द, संख्या तथा चिह्न "विनियम 7," का लोप हो जाएगा ।
- (viii) अध्याय-XI, अध्याय-XII के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा।
- (ix) विनियम 107, 108, 109, 110 एवं 111 क्रमशः 111, 112, 113, 114 एवं 115 के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएँगे, और बनाए गए किसी विनियम अथवा बोर्ड द्वारा जारी किसी परिपत्र (सर्कुलर) या मार्गदर्शक सिद्धाँत (गाइडलाइन्स) में उनके प्रति किसी संदर्भ को तदनुसार पढ़ा जाएगा ।
- (x) अध्याय-X के पश्चात् और अध्याय-XII से पूर्व, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-

"अध्याय-XI

स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) का सैद्धाँतिक अनुमोदन

- **107.** (1) यथास्थिति, निर्गमकर्ता या निर्गमकर्ता कंपनी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से निम्नानुसार सैद्धाँतिक अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी:
 - (क) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या भारतीय निक्षेपागार रसीदों (इसमें इसके पश्चात् 'आईडीआर' के रूप में उल्लिखित) के निर्गम (इश्यू) के मामले में, उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से, जहाँ निर्गमकर्ता या निर्गमकर्ता कंपनी का, यथास्थिति, अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभृतियों या आईडीआर को सुचीबद्ध कराने का प्रस्ताव हो; और
 - (ख) अन्य निर्गमों के मामले में, बाद में प्रतिभृतियों के निर्गमन से पूर्व, निम्नानुसार:
 - (i) जहाँ प्रतिभूतियाँ केवल राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनलों वाले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों, वहाँ ऐसे सभी स्टॉक एक्सचेंजों से;
 - (ii) जहाँ प्रतिभूतियाँ राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनलों वाले किसी भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न हों, वहाँ उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों से, जहाँ निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव हो;
 - (iii) जहाँ विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनलों वाले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के साथ-साथ उस (उन) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध हों, जिनके राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनल न हों, वहाँ राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनलों वाले सभी स्टॉक एक्सचेंजों से।

सूचीबद्धता (लिस्टिंग) हेतु आवेदन

- **108.** (1) यथास्थिति, निर्गमकर्ता या निर्गमकर्ता कंपनी सूचीबद्धता से पहले की औपचारिकताएँ बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं के भीतर पूरा करेगी।
- (2) यथास्थिति, निर्गमकर्ता या निर्गमकर्ता कंपनी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) हेतु आवेदन, आबंटन की तारीख से बीस दिनों के भीतर, एक या एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ, करेगी।
- (3) सूचीबद्धता हेतु आवेदन करने में आबंटन की तारीख से बीस दिनों से अधिक का विलंब होने की दशा में, यथास्थिति, निर्गमकर्ता या निर्गमकर्ता कंपनी आबंटितियों को विलंब (देरी) के प्रत्येक दिन के लिए, आबंटन की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के बाद से ऐसी प्रतिभूतियों के सूचीबद्ध होने तक कम से कम दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, शास्तिक ब्याज (पिनल इंटरेस्ट) अदा करेगी।
- (4) यथास्थिति, निर्गमकर्ता या निर्गमकर्ता कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से सूचीबद्धता की अनुज्ञा (अनुमित) प्राप्त न होने, या बोर्ड द्वारा जारी किए गए संप्रेक्षण पत्र (ऑबजर्वेशन लेटर) को वापस लिए जाने, जहाँ लागू हो, की दशा में, प्रतिभूतियाँ सूचीबद्धता के लिए पात्र नहीं होंगी और यथास्थिति, निर्गमकर्ता या निर्गमकर्ता कंपनी अभिदान (सब्स्क्रिप्शन) की धनराशि, यदि कोई हो, संबंधित आबंटितियों को, आबंटन की तारीख से दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सिहत, तुरंत लौटाने की दायी होगी।

सूचीबद्धता करार

- **109.** (1) प्रत्येक निर्गमकर्ता या निर्गमकर्ता कंपनी, जो अपनी प्रतिभूतियों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने की इच्छक हो, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार करेगी।
- (2) प्रत्येक निर्गमकर्ता या निर्गमकर्ता कंपनी, जिसने अपनी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध कराने के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के साथ पहले ही करार किया हो (किए हों), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 की अधिसूचना की तारीख से छह महीनों के भीतर ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक नया सूचीबद्धता करार करेगी।

स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) की बाध्यता

- 110. स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित तारीखों में से बाद वाली तारीख से तीस दिनों के भीतर, सैद्धाँतिक अनुमोदन प्रदान करेगा (करेंगे) / प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करेगा (करेंगे) या, यथास्थिति, निर्गमकर्ता या निर्गमकर्ता कंपनी द्वारा सैद्धाँतिक अनुमोदन / सूचीबद्धता हेत् किए गए आवेदन को नामंजुर करेगा (करेंगे):
 - (क) यथास्थिति, निर्गमकर्ता या निर्गमकर्ता कंपनी से सैद्धाँतिक अनुमोदन / सूचीबद्धता हेतु आवेदन की प्राप्ति की तारीख;
 - (ख) जिन मामलों में स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) ने उनसे कोई स्पष्टीकरण माँगा हो, उन मामलों में, यथास्थिति, निर्गमकर्ता या निर्गमकर्ता कंपनी से समाधानप्रद उत्तर की प्राप्ति की तारीख।"
- (xi) अनुसूची-VIII में, भाग ङ में, पैरा 5 में, मद XVI में, उप-मद ख के पश्चात् तथा उप-मद ग से पूर्व, निम्नलिखित उप-मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
 - "(खक) फ्रैक्शनल हकदारी के संबंध में कार्यवाही: फ्रैक्शनल हकदारी के संबंध में कार्यवाही की रीति, अर्थात् फ्रैक्शनल साधिकारों के मूल्य, यदि कोई हो, के समतूल्य का नकदी आदि में संदाय ।"
- (xii) अनुसूची-XIX में, भाग-क में, पैरा 13 में, उप-पैरा (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(च) भिन्न-भिन्न मानदंडों, यदि कोई हों, के आधार पर शेयरों के भिन्न-भिन्न वर्ग ।"
- (xiii) अनुसूची-XIX में, भाग-क में, पैरा 14 में, उप-पैरा (क) से पूर्व, निम्नलिखित सामान्य अनुदेश अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्:-

"सामान्य अनुदेश:

- (1) वित्तीय परिणामों के प्रकटीकरण का फॉर्मेट निर्गमकर्ता कंपनी के अपने देश, जहाँ निर्गमकर्ता कंपनी सूचीबद्ध हो, की प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार हो सकेगा।
- (2) निर्गमकर्ता कंपनी निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरणों के प्रकार की सूचना देगा, जिसका वह अनुसरण करेगा, अर्थात् भारतीय जीएएपी, आईएफआरएस या यूएस जीएएपी, और ऐसे फॉर्मेट में किसी बदलाव की सूचना स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस देकर आईडीआर धारकों को दी जाएगी।"
- (xiv) अनुसूची-XIX में, भाग-ख में, पैरा II में, उप-पैरा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(5) भिन्न-भिन्न मानदंडों, यदि कोई हों, के आधार पर शेयरों के भिन्न-भिन्न वर्ग ।"
- (xv) अनुसूची-XX में, संदर्भ वाले शीर्षक में संख्या "110", संख्या "114" से प्रतिस्थापित हो जाएगी ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 में संशोधन

(i) विनियम 12 के पश्चात् और विनियम 13 से पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्रतिभूतियों का आबंटन और ब्याज का भुगतान

- **12क.** (1) निर्गमकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि जनता को निर्गमित (इश्यू की गई) ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के मामले में, जनता को प्रस्तावित प्रतिभृतियों का आबंटन सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के बंद होने के तीस दिनों के भीतर किया जाएगा।
- (2) जहाँ उप-विनियम (1) में नियत अवधि के भीतर ऋण प्रतिभूतियों का आबंटन नहीं किया जाता और/या आवेदन की धनराशि नहीं लौटाई जाती, वहाँ निर्गमकर्ता पंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अदा करने का वचन देगा ।
- (3) सभी आबंटितियों के डीमैट खातों में जमा, आबंटन की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर कर दिया जाएगा ।"
- (ii) विनियम 19 के पश्चात् और विनियम 20 से पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्:-

"सूचीबद्धता करार

- **19क.** (1) प्रत्येक निर्गमकर्ता, जो अपनी ऋण प्रतिभूतियों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का इच्छुक हो, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार करेगा।
- (2) प्रत्येक निर्गमकर्ता, जिसने अपनी ऋण प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध कराने के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के साथ पहले ही करार किया हो, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 की अधिसूचना की तारीख से छह महीनों के भीतर ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक नया सूचीबद्धता करार करेगा।

प्रतिभूति जमा (सिक्यूरिटी डिपॉजिट)

- **19ख.** (1) निर्गमकर्ता, अभिदान (सब्सक्रिप्शन) सूची के खुलने से पहले, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास वह रकम जमा करेगा और जमा रखेगा जिसकी गणना जनता को अभिदान हेतु प्रस्तावित प्रतिभूतियों की रकम के एक प्रतिशत की दर से की जाए।
- (2) उप-विनियम (1) में नियत रकम बोर्ड और/या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से जमा की जाएगी।
- (3) उप-विनियम (1) में नियत रकम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्रतिदेय या समपहरणीय होगी ।"
- (iii) विनियम 23 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

"सतत सूचीबद्धता शर्तें

23. ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) लाने वाले या निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेस्मेंट) आधार पर निर्गमित (इश्यू की गई) ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता चाहने वाले सभी निर्गमकर्ता, ऋण प्रतिभूतियों संबंधी अपने-अपने सूचीबद्धता करार (सूचीबद्धता करारनामें) में विनिर्दिष्ट सूचीबद्धता की शर्तों का अनुपालन करेंगे।"

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2013 में संशोधन

(i) विनियम 16 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"सूचीबद्धता करार

- **16क.** (1) प्रत्येक निर्गमकर्ता, जो अपने असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर), या बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयरों (नॉन-क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर) या नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों (इनोवेटिव पर्पेचुअल डैट इंस्ट्र्मेंट) को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का इच्छक हो, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार करेगा।
- (2) प्रत्येक निर्गमकर्ता, जिसने अपने असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों, या बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयरों या नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों सूचीबद्ध कराने के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के साथ पहले ही करार किया हो, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 की अधिसूचना की तारीख से छह महीनों के भीतर ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक नया सूचीबद्धता करार करेगा।

प्रतिभूति जमा (सिक्यूरिटी डिपॉजिट)

- **16ख.** (1) निर्गमकर्ता, अभिदान (सब्सक्रिप्शन) सूची के खुलने से पहले, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास वह रकम जमा करेगा और जमा रखेगा जिसकी गणना जनता को अभिदान हेतु प्रस्तावित प्रतिभूतियों की रकम के एक प्रतिशत की दर से की जाए।
- (2) उप-विनियम (1) में नियत रकम बोर्ड और/या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से जमा की जाएगी।
- (3) उप-विनियम (1) में नियत रकम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्रतिदेय या समपहरणीय होगी।"
- (ii) विनियम 20 में, उप-विनियम (2) एवं (3) का लोप हो जाएगा।
- (iii) अनुसूची-I में, पैरा-III में, उप-पैरा (ii) में, शीर्षक "आबंटन पत्रों या प्रतिदाय (धनवापसी) आदेशों के प्रेषण में विलंब" के अंतर्गत शब्दों और चिह्न "अपश्चात् किया जायेगा ।" के पश्चात् और शब्दों "निर्गमकर्ता इस बात से भी सहमत है" से पूर्व, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"निर्गमकर्ता इस बात से सहमत है कि सभी आबंटितियों (अलॉटी) के डीमैट खातों में जमा (क्रेडिट) आबंटन की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर कर दिया जाएगा ।"

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूत ऋण लिखतों [सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स] का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 में संशोधन

- (i) विनियम 31 में, उप-विनियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(9) निर्गमकर्ता द्वारा आबंटितियों (अलॉटी) के डीमैट खातों में जमा (क्रेडिट) आबंटन की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर कर दिया जाएगा।"
- (ii) विनियम 35 के पश्चात् और विनियम 36 से पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्:-

"सूचीबद्धता करार

- **35क.** (1) प्रत्येक विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी, जो प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्यूरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्र्मेंट) को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का इच्छुक हो, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार करेगा।
- (2) प्रत्येक विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी, जिसने प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्यूरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट) सूचीबद्ध कराने के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के साथ पहले ही करार किया हो, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 की अधिसूचना की तारीख से छह महीनों के भीतर ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक नया सुचीबद्धता करार करेगा।

प्रतिभूति जमा (सिक्यूरिटी डिपॉजिट)

- **35ख** (1) निर्गमकर्ता, अभिदान (सब्सक्रिप्शन) सूची के खुलने से पहले, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास वह रकम जमा करेगा और जमा रखेगा जिसकी गणना जनता को अभिदान हेतु प्रस्तावित प्रतिभृतियों की रकम के एक प्रतिशत की दर से की जाए ।
- (2) उप-विनियम (1) में नियत रकम बोर्ड और/या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से जमा की जाएगी।
- (3) उप-विनियम (1) में नियत रकम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्रतिदेय या समपहरणीय होगी।"
- (iii) विनियम 36 में, उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-
 - "(3) प्रतिभूत ऋण लिखतों के निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के मामले में, विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी (विशेष प्रयोजन की सुभिन्न सत्ता / स्पेशल पर्पज़ डिस्टिंक्ट एंटिटी) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के पास सूचीबद्धता की विशिष्टियाँ (के विवरण) विनियम 35 के उप-विनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन के साथ, ऐसी जानकारी अंतर्विष्ट करते हुए दाखिल करेगी जो द्वितीयक बाजार (सेकेंडरी मार्केट) में किसी निवेशक (विनिधानकर्ता) के लिए उसकी प्रतिभूत ऋण लिखतों के संबंध में सोच-समझकर निवेश संबंधी निर्णय लेने हेतु आवश्यक हो और विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी, यथा विहित, ऐसी जानकारी तत्परता से उसी प्रकार प्रसारित करेगी, जैसा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज समय-समय पर निर्धारित करे (करें)।"
- (iv) विनियम 37 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

"सतत सूचीबद्धता शर्तें

37. विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न एंटिटी या उसका न्यासी ऐसी जानकारी, जिसमें स्कीमों से संबंधित वित्तीय जानकारी सम्मिलित है, स्टॉक एक्सचेंजों तथा निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को प्रस्तुत करेगा और ऐसी अन्य सतत बाध्यताओं का अनुपालन करेगा जैसा सूचीबद्धता करार (सूचीबद्धता करारनामे) में नियत किया जाए।"

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में संशोधन

विनियम 31 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से सैद्धाँतिक अनुमोदन

31क. जो सूचीबद्ध एंटिटी अपनी स्कीम की यूनिटों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध कराने का इरादा रखती हो, वह सूचीबद्ध एंटिटी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से 'सैद्धाँतिक' अनुमोदन उसी प्रकार अभिप्राप्त करेगी, जैसा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों (एक्सचेंजों) द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

सूचीबद्धता करार

- **31ख.** (1) प्रत्येक पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड), जो अपनी स्कीमों की यूनिटों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने की इच्छुक हो, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ करार करेगी ।
- (2) प्रत्येक पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड), जिसने अपनी स्कीमों की यूनिटों को सूचीबद्ध कराने के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के साथ पहले ही करार किया हो, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम, 2015 की अधिसूचना की तारीख से छह महीनों के भीतर ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक नया सूचीबद्धता करार करेगी।"

अनुसूची-X -भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के उन परिपत्रों (सर्कुलर्स) की सूची, जो विखंडित हो गए [विनियम 103 *देखें*]

| क्र.सं. | संख्या | तारीख | विषय |
|---------|--------------------------------|------------------|--|
| 1. | एसई/2376 | 3 अप्रैल, 1992 | सूचीबद्धता करार (लिस्टिंग एग्रीमेंट) के खंड 41 में संशोधन |
| 2. | एसई/2936 | 6 अप्रैल, 1992 | 1% सूचीबद्धता जमा (लिस्टिंग डिपॉज़िट) |
| 3. | एसएमडी/एसईडी/एन/जेजे/4984/94 | 23 सितम्बर, 1994 | बी/एस एवं निधियों के उपयोग के ब्यौरे, आदि प्रस्तुत करना – सूचीबद्धता करार का खंड 32 एवं 43 |
| 4. | एसएमडी/एसईडी/सीआईआर/94/6669 | 31 अक्तूबर, 1994 | 1% सूचीबद्धता जमा का समपहरण |
| 5. | एसएमडी-I(एन)/जेजे/2331/95 | 26 जून, 1995 | नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो स्टेटमेंट) प्रस्तुत करना |
| 6. | एसएमडी-I(एन)/जेजे/2621/95 | 11 जुलाई, 1995 | नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत किए जाने का प्रभावी वर्ष |
| 7. | एसएमडी/आरसीजी/जेजे/1819/96 | 15 मई, 1996 | 30 दिनों के भीतर आबंटन – सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 8. | 03/एसएमडी/96 | 17 मई, 1996 | सूचीबद्धता करार के खंड 32 में संशोधन |
| 9. | आरआरटीआई सर्कुलर नं. 2 (97-98) | 4 जून, 1997 | लाभांश/ब्याज का भुगतान - निकटतम रुपये तक पूर्णांकित रूप में |
| 10. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-22/97 | 22 सितम्बर, 1997 | सूचीबद्धता करार के खंड 40क (40ए) एवं 40ख (40बी) में संशोधन |
| 11. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-06/98 | 12 फरवरी, 1998 | सूचीबद्धता करार में संशोधन - शेयरों का अंतरण (ट्रांसफर) – आर चंद्रशेखरन समिति |
| 12. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-12/98 | 7 अप्रैल, 1998 | सूचीबद्धता करार के खंड 36 एवं 41 में संशोधन – भावे समिति |
| 13. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-13/98 | 16 अप्रैल, 1998 | सूचीबद्धता करार में संशोधन - कीमत संवेदनशील जानकारी |
| 14. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-26/97 | 17 सितम्बर, 1998 | तिमाही परिणाम – पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) - पारस्परिक निधि के लिए तिमाही परिणाम प्रस्तुत करना लागू नहीं होगा |
| 15. | एसएमडी/पॉलिसी सीआईआर-04/99 | 8 मार्च, 1999 | सूचीबद्धता करार – खंड 32 एवं खंड 41 में संशोधन – वाई2के (Y2K) के सिलसिले में तैयारी की स्थिति |

| 16. | एसएमडीआरपी/सीआईआर-07/99 | 9 अप्रैल, 1999 | गैर-कागजी प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेडिंग) और |
|-----|---------------------------------------|----------------------|--|
| | | · | व्यापारों (ट्रेडस) का निपटान – बही बंदी / |
| | | | रिकॉर्ड तिथि की बाबत नोटिस की अवधि – 42 |
| | | | से 30 दिन |
| 17. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-8/99 | | सूचीबद्धता करार के खंड 32 एवं खंड 41 में |
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | संशोधन - नाम में परिवर्तन के पश्चात् नए |
| | | | कारबार से व्यापारावर्त (टर्नओवर) और आय के |
| | | | ्र संबंध में प्रकटीकरण से संबंधित - सॉफ्टवेयर / |
| | | | सूचना प्रोद्यौगिकी कारबार संबंधी |
| 18. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-12/99 | 18 मई, 1999 | सूचीबद्धता करार – संशोधन - अनुपालन |
| | | | अधिकारी कंपनी सचिव होगा - मालेगाम |
| | | | समिति |
| 19. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-14/98 | 19 मई, 1999 | सूचीबद्धता करार - संशोधन - पूरा तुलनपत्र |
| | | | प्रस्तुत करना – खंड 32 |
| 20. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-18/99 | 1 जुलाई, 1999 | सूचीबद्धता करार - संशोधन - कंपनी वित्तीय |
| | | | वर्ष की अंतिम तिमाही की समाप्ति से दो महीनों |
| | | | के भीतर लेखापरीक्षित परिणाम प्रकाशित / |
| | | | प्रस्तुत करेगी |
| 21. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-24/99 | 14 जुलाई, 1999 | सूचीबद्धता करार – संशोधन - साख निर्धारण |
| | | | एजेंसियों को सही एवं पर्याप्त जानकारी प्रदान |
| 22. | एसएमडी-II/पॉलिसी/सीआईआर-08/2000 | 4 फरवरी, 2000 | सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| | , , | | |
| 23. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-10/2000 | 21 फरवरी, 2000 | |
| 24. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-13/2000 | 9 मार्च, 2000 | |
| 25. | एसएमडी-॥/पॉलिसी/सीआईआर-14/2000 | 6 अप्रैल, 2000 | सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 26. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-15/2000 | 10 अप्रैल, 2000 | एक्सचेंजों में सुपुर्दगी न किए जाने की अवधि |
| | | | (नो डिलिवरी पीरियड) में कमी |
| 27. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-21/2000 | 10 मई, 2000 | सूचीबद्धता करार का खंड 43 - निधियों के |
| | | | उपयोग का विवरण |
| 28. | पीएमआईएमडी/8755/2000 | 31 मई, 2000 | प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के |
| | | | नियम 19(2)(ख) से छूट हेतु मामले भेजना |
| 29. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-26/2000 | 4 जुलाई, 2000 | सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 30. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-30/00 | 25 जुलाई, 2000 | सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| | | <u> </u> | |

| 31. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-35/2000 | 4 अगस्त, 2000 | |
|-----|-----------------------------------|------------------|--|
| | | , | |
| 32. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-42/2000 | 12 सितम्बर, 2000 | सूचीबद्धता करार – खंड 49 में संशोधन |
| 33. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-55/00 | 6 दिसम्बर, 2000 | |
| 34. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर- 03/01 | 22 जनवरी, 2001 | कंपनी शासन (कारपोरेट गवर्नेंस) का प्रवर्तन |
| 35. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-7/01 | 1 फरवरी, 2001 | शेयरधारिता का वितरण |
| 36. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-15/2001 | 8 मार्च, 2001 | पूँजी के बाद वाले निर्गम की सूचीबद्धता |
| 37. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-28/01 | 2 मई, 2001 | सतत आधार पर गैर-संप्रवर्तक (नॉन-प्रोमोटर) की शेयरधारिता तथा शेयरधारकों की न्यूनतम संख्या |
| 38. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-29/01 | 22 मई, 2001 | सूचीबद्धता की सशर्त अनुमति प्रदान करने की पद्धति |
| 39. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-44/01 | 31 अगस्त, 2001 | सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 40. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-46/2001 | 27 सितम्बर, 2001 | कंपनियों द्वारा शेयरों के अंतरण में विलंब |
| 41. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-47/01 | 4 अक्तूबर, 2001 | सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 42. | डीसीसी/एफआईटीटीसीआईआर-3/2001 | 15 अक्तूबर, 2001 | लाभांशों या अन्य नकदी फायदों के वितरण के लिए ईसीएस की सुविधा |
| 43. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-48 /2001 | 19 अक्तूबर, 2001 | सूचीबद्धता करार के खंड 41 के अधीन तिमाही वित्तीय परिणामों में सेगमेंट रिपोर्टिंग |
| 44. | एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-53/01 | 31 दिसम्बर, 2001 | सूचीबद्धता करार के खंड 49 में संशोधन |
| 45. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर -1 /02 | 2 जनवरी, 2002 | विषय: सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 46. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-10/2002 | 7 मई, 2002 | सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 47. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-11 /02 | 10 मई, 2002 | सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 48. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-13/02 | 20 जून, 2002 | इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्फॉरमेशन फाइलिंग एंड रीट्राइवल सिस्टम (ईडीआईएफएआर) |
| 49. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-16/2002 | 26 जून, 2002 | |
| 50. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-17/02 | 3 जुलाई, 2002 | इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्फॉरमेशन फाइलिंग एंड रीट्राइवल सिस्टम (ईडीआईएफएआर) |
| 51. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-23 /02 | 17 सितम्बर, 2002 | इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्फॉरमेशन फाइलिंग एंड रीट्राइवल सिस्टम (ईडीआईएफएआर) |
| 52. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-27/02 | 20 दिसम्बर, 2002 | इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्फॉरमेशन फाइलिंग एंड रीट्राइवल सिस्टम (ईडीआईएफएआर) |

| 53. | एसएमडी/पॉलिसी/सीआईआर-2/2003 | 10 जनवरी, 2003 | सूचीबद्धता करार में संशोधन – खंड 32 एवं |
|-----|--|--------------------|---|
| | | | खंड 41 |
| 54. | एसएमडी/पॉलिसी/लिस्टिंग/सीआईआर-5/2003 | 12 फरवरी, 2003 | सूचीबद्धता करार के उपबंधों (प्रावधानों) का अनुपालन न किए जाने के संबंध में |
| 55. | सेबी/एसएमडी/पॉलिसी/लिस्ट/सीआईआर- | 8 मई, 2003 | सूचीबद्धता करार में संशोधन – न्यायालय के |
| | 17/2003 | | समक्ष दाखिल की गई इंतजाम (अरेंजमेंट) / |
| | | | विलयन (मर्जर) / समामेलन (अमैलगमेशन) / |
| | | | पुनर्निर्माण (रिकंस्ट्रक्शन) की स्कीमों से संबंधित प्रकटीकरण के संबंध में |
| 56. | सेबी/एसएमडी/एसई/सीआईआर- | 2 जून, 2003 | इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्फॉरमेशन फाइलिंग एंड |
| | 23/2003/18/06 | | रीट्राइवल सिस्टम (ईडीआईएफएआर) |
| 57. | सेबी/एसएमडी/एसई/25/2003/19/06 | 19 जून, 2003 | सूचीबद्धता फीस |
| 58. | सेबी/एमआरडी/एसई/31/2003/26/08 | 26 अगस्त, 2003 | सूचीबद्ध कंपनियों में कंपनी शासन - सूचीबद्धता करार का खंड 49 |
| | | | सूपावद्धता करार का खंड 49 |
| 59. | एमआरडी/पॉलिसी/सीआईआर-35/2003/29/09 | 29 सितम्बर, 2003 | पूँजी के बाद वाले निर्गम की सूचीबद्धता |
| | | | |
| 60. | सेबी/एमआरडी/एसई/एटी/36/2003/30/09 | 30 सितम्बर, 2003 | कारपोरेट (कंपनी) ऋण प्रतिभूतियों हेतु |
| | | | द्वितीयक बाजार |
| 61. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/एसई/43/2003 | 20 नवम्बर, 2003 | बही बंदी / रिकॉर्ड तिथि को निर्धारित करने हेतु नोटिस की अवधि में कमी |
| 62. | सेबी/एमआरडी/एसई/एटी/46/2003 | 22 दिसम्बर, 2003 | कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों हेत् द्वितीयक बाजार |
| 02. | त्रवा/एनजारङा/एतश्र्याम्का/2005 | 22 14 (1+4)(, 2003 | – स्पष्टीकरण |
| 63. | सेबी/एमआरडी/एसई/एटी/सीआईआर-20/2004 | 30 अप्रैल, 2004 | सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा नामों में बार-बार |
| 00. | विचा द्राचा रका द्राक्ष स्ट्राक्ष विचाराचा इचा र-20/2004 | 00 MANI, 2004 | परिवर्तन |
| 64. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/सीजी/1/2004/12/10 | 29 अक्तूबर, 2004 | सूचीबद्ध कंपनियों में कंपनी शासन - |
| | | | सूचीबद्धता करार का खंड 49 |
| 65. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/सीआईआर- | 1 नवम्बर, 2004 | ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए मॉडल सूचीबद्धता करार |
| | 39/2004/11/01 | | |
| 66. | सेबी/डीएनपीडी/सीआईआर-28/2004/12/07 | 8 दिसम्बर, 2004 | इक्विटी सूचीबद्धता करार के खंड 16 में संशोधन |
| | | | - नोटिस अवधि की अपेक्षा |
| 67. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/सीजी/1/2005/29/3 | 29 मार्च, 2005 | कंपनी शासन - सूचीबद्धता करार का खंड 49 |
| | | | |
| | 1 | I. | 1 |

| | | | 1 |
|-----|---|------------------|---|
| 68. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/सीजी/1/2006/13/1 | 13 जनवरी, 2006 | सूचीबद्ध कंपनियों में कंपनी शासन - सूचीबद्धता करार का खंड 49 |
| 69. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/आईडीआर/1/2006/3/4 | 3 अप्रैल, 2006 | भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आईडीआर) के लिए सूचीबद्धता करार |
| 70. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/एलए/2006/13/4 | 13 अप्रैल, 2006 | इक्विटी सूचीबद्धता करार के खंड 40क एवं खंड 35 में संशोधन |
| 71. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/एलए/1/2007/20/0 | 20 मार्च, 2007 | डिबेंचरों हेतु सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 72. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/एलए/2/2007/26/4 | 26 अप्रैल, 2007 | इक्विटी सूचीबद्धता करार के खंड 32 में संशोधन |
| 73. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/एलए/3/2007/10/07 | 10 जुलाई, 2007 | इक्विटी सूचीबद्धता करार के खंड 41 में संशोधन |
| 74. | एमआईआरएसडी/डीपीएस।।।/सीआईआर-11/07 | 6 अगस्त, 2007 | डिबेंचरों संबंधी जानकारी का प्रसार |
| 75. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/एलए/4/2007/27/12 | 27 दिसम्बर, 2007 | इक्विटी सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 76. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/सीजी/1/2008/08/04 | 8 अप्रैल, 2008 | सूचीबद्ध कंपनियों में कंपनी शासन - सूचीबद्धता करार का खंड 49 |
| 77. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/एलए/ 5/2008/4/09 | 4 सितम्बर, 2008 | इक्विटी सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 78. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/सीजी/2/2008/23/10 | 23 अक्तूबर, 2008 | सूचीबद्ध कंपनियों में कंपनी शासन - सूचीबद्धता करार का खंड 49 |
| 79. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/एलए/2009/3/2 | 3 फरवरी, 2009 | इक्विटी सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 80. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/एलए/1/2009/24/04 | 24 अप्रैल, 2009 | इक्विटी सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 81. | सेबी/आईएमडी/बॉण्ड/1/2009/11/05 | 11 मई, 2009 | ऋण प्रतिभूतियों हेतु सरल सूचीबद्धता करार |
| 82. | एमआरडी/डीओपी/ सीआईआर-05/2009 | 20 मई, 2009 | कागजी शेयरों के अंतरण हेतु स्थायी खाता संख्या (पैन) संबंधी अपेक्षा |
| 83. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/आईडीआर/1/2009/ 16/06 | 16 जून , 2009 | भारतीय निक्षेपागार रसीदों की सूचीबद्धता के लिए मॉडल सूचीबद्धता करार |
| 84. | एमआरडी/डीओपी/एसई/सीआईआर-07/2009 | 21 जुलाई, 2009 | सभी प्रकार की कंपनी कार्रवाइयों (कारपोरेट एक्शन) के लिए सुपुर्दगी न किए जाने की अवधि (नो-डिलिवरी पीरियड) की समाप्ति |
| 85. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/एलए/2/2009/21/7 | 21 जुलाई, 2009 | इक्विटी सूचीबद्धता करार में संशोधन–खंड 28क |
| 86. | सेबी/सीएफडी/डीआईएल/एलए/3/2009/03/09 | 3 सितम्बर, 2009 | इक्विटी सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 87. | सेबी/आईएमडी/डीओएफ-1/बॉण्ड/सीआईआर- 5/2009 | 26 नवम्बर, 2009 | ऋण प्रतिभूतियों हेतु सरल ऋण सूचीबद्धता करार - संशोधन |

| 88. | सेबी/आईएमडी/डीओएफ-1/बॉण्ड/सीआईआर- 1/2010 | 7 जनवरी, 2010 | ऋण प्रतिभूतियों हेतु सरल ऋण सूचीबद्धता करार - संशोधन |
|------|--|------------------|---|
| 89. | सेबी/एमआरडी/डीओपी/एसई/आरटीए/सीआईआर- 03/2010 | 7 जनवरी, 2010 | कागजी शेयरों के पारेषण (ट्रांसमिशन) के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) संबंधी अपेक्षा |
| 90. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/1/2010 | 5 अप्रैल, 2010 | सूचीबद्धता संबंधी शर्तें - इक्विटी सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 91. | सीआईआर/सीएफडी/डीसीआर/3/2010 | 16 अप्रैल, 2010 | इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्फॉरमेशन फाइलिंग एंड रीट्राइवल (ईडीआईएफएआर) सिस्टम को बंद करना |
| 92. | सीआईआर/सीएफडी /डीसीआर/5/2010 | 7 मई, 2010 | सूचीबद्ध कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों को आसानी से पहुँचयोग्य बनाना |
| 93. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/6/2010 | 17 मई, 2010 | एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्धता चाहने वाले निर्गमकर्ताओं के लिए सूचीबद्धता संबंधी शर्तें - मॉडल एसएमई इक्विटी सूचीबद्धता करार |
| 94. | सेबी/सीआईआर/आईएसडी/2/2010 | 26 अक्तूबर, 2010 | व्यापार (ट्रेडिंग) के नियमों तथा गैर-कागजी (डीमटीरियलाइज़्ड) रूप में शेयरधारिता के संबंध में स्पष्टीकरण |
| 95. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/10/2010 | 16 दिसम्बर, 2010 | इक्विटी सूचीबद्धता करार में संशोधन |
| 96. | सीआईआर/आईएमडी/डीएफ/5/2011 | 16 मार्च, 2011 | प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्युरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट्स) हेतु सूचीबद्धता करार |
| 97. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/3/2011 | 3 जून, 2011 | भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आईडीआर) का मोचन (रिडेम्प्शन) - अंडरलाइंग इक्विटी शेयरों में |
| 98. | सीआईआर/एमआरडी/डीपी/ 07 /2011 | 16 जून, 2011 | सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा नाम में परिवर्तन |
| 99. | सीआईआर/आईएसडी/ 3/2011 | 17 जून, 2011 | संप्रवर्तक / संप्रवर्तक समूह की शेयरधारिता गैर- कागजीकृत रूप में होना |
| 100. | सेबी/सीआईआर/आईएसडी/05/2011 | 30 सितम्बर, 2011 | डी-मैट रूप में संप्रवर्तक की 100% धारिता के संबंध में स्पष्टीकरण |
| 101. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/7/2011 | 5 अक्तूबर, 2011 | इक्विटी, आईडीआर तथा एसएमई इक्विटी सूचीबद्धता करारों में संशोधन |
| 102. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/1/2012 | 8 फरवरी, 2012 | इक्विटी सूचीबद्धता करार के खंड 40क एवं 43 में संशोधन |
| 103. | सेबी/सीआईआर/आईएसडी/1/2012 | 30 मार्च, 2012 | डी-मैट रूप में संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) की 100% धारिता के संबंध में छूट |

| 104. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/4/2012 | 16 अप्रैल, 2012 | इक्विटी सूचीबद्धता करार में संशोधन - वित्तीय |
|------|-----------------------------------|--------------------|--|
| | | | परिणामों के प्रकटीकरण हेतु फॉर्मेट |
| 105. | सीआईआर/एमआईआरएसडी/8/2012 | 5 जुलाई, 2012 | इक्विटी शेयरों के अंतरण हेतु समय-सीमा में कटौती और ऋण प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु समय-सीमा का निर्धारन |
| 106. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/6/2012 | 13 जुलाई, 2012 | इक्विटी सूचीबद्धता करार में संशोधन - सूचीबद्ध |
| | | , v | एंटिटियों के शेयरधारकों द्वारा ई-मतदान हेतु प्लेटफार्म |
| 107. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/7/2012 | 13 अगस्त, 2012 | सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा दाखिल की गई लेखापरीक्षा रिपोर्टों के संबंध में कार्यवाही की रीति |
| 108. | सीआईआर/ओआईएई/1/2012 | 13 अगस्त, 2012 | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स) के जरिए सूचीबद्ध कंपनियों के खिलाफ निवेशक शिकायतों का निवारण। |
| 109. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/8/2012 | 13 अगस्त, 2012 | कारबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट |
| 110. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/10/2012 | 28 अगस्त, 2012 | भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आईडीआर) का मोचन (रिडेम्प्शन) - अंडरलाइंग इक्विटी शेयरों में |
| 111. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/11/2012 | 29 अगस्त, 2012 | प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने की रीति |
| 112. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/2/2013 | 3 जनवरी, 2013 | इक्विटी सूचीबद्धता करार के खंड 36 के संबंध में स्पष्टीकरण |
| 113. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/3/2013 | 17 जनवरी, 2013 | ईएसओपी में संशोधन |
| 114. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/5/2013 | 4 फरवरी, 2013 | कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन इंतजाम की स्कीम - स्टॉक एक्सचेंजों और सूचीबद्ध कंपनियों के लिए संशोधित अपेक्षाएँ |
| 115. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/6/2013 | 1 मार्च, 2013 | भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आईडीआर) की आंशिक द्विपथीय अदला-बदली को समर्थ बनाने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धाँत |
| 116. | सीआईआर/एमआरडी/डीपी/10/2013 | 21 मार्च, 2013 | विषय: निवेशकों को नकद भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धतियों का प्रयोग |
| 117. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/7/2013 | 13 मई, 2013 | ईएसओपी – स्पष्टीकरण |

| 118. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/8/2013 | मई 21, 2013 | कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन इंतजाम की |
|------|---|------------------|--|
| 110. | चाजाइआर/साएकशाश्राआइएल/0/2013 | नइ ८१, ८७१३ | |
| | | | स्कीम - स्टॉक एक्सचेंजों और सूचीबद्ध कंपनियों |
| | | | के लिए संशोधित अपेक्षाएँ – स्पष्टीकरण |
| | | | |
| 119. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/9/2013 | 5 जून, 2013 | सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा दाखिल लेखापरीक्षा |
| | | | रिपोर्टों के संबंध में कार्यवाही की रीति – |
| | | | स्पष्टीकरण |
| 120. | सीआईआर/एमआरडी/डीएसए/31/2013 | 30 सितम्बर, 2013 | संचालन संबंधी मानक पद्धति (स्टैण्डर्ड |
| | | | ऑपरेटिंग प्रोसिज़र) |
| 121. | सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसीसैल/13/2013 | 18 नवम्बर, 2013 | सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा इक्विटी सूचीबद्धता |
| | | | करार के उपबंधों (प्रावधानों) का अनुपालन - |
| | | | स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अनुश्रवण |
| 122. | सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसीसैल/14/2013 | 29 नवम्बर, 2013 | ईएसओपी - स्पष्टीकरण - एलाइनमेंट हेतु |
| | | | समय-सीमा का विस्तार |
| | | | |
| 123. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/1/2014 | 25 मार्च, 2014 | इक्विटी सूचीबद्धता करार के खंड 24(i) के |
| | | | अधीन अपेक्षित लेखापरीक्षकों के प्रमाणपत्र हेतु |
| | | | फॉर्मेट |
| 124. | सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसीसैल/2/2014 | 17 अप्रैल, 2014 | सूचीबद्ध एंटिटियों में कंपनी शासन – इक्विटी |
| | | | सूचीबद्धता करार के खंड 35ख एवं 49 में |
| | | | संशोधन |
| 125. | सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसीसैल/3/2014 | 27 जून, 2014 | ईएसओपी - स्पष्टीकरण - एलाइनमेंट हेतु समय- |
| | | | सीमा का विस्तार |
| 126. | सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/4/2014 | 1 अगस्त, 2014 | स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अनुपालन का अनुश्रवण |
| 127. | सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसीसैल/7/2014 | 15 सितम्बर, 2014 | सूचीबद्ध एंटिटियों में कंपनी शासन – इक्विटी |
| | | | सूचीबद्धता करार के खंड 49 में संशोधन |
| 128. | सीआईआर / सीएफडी / सीएमडी/1/2015 | 8 अप्रैल, 2015 | सूचीबद्धता करार के खंड 49(II)(क)(1) की |
| | | | अपेक्षा का अनुपालन न किए जाने के संबंध में |
| | | | जुर्माने का ढाँचा |

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन. III/4/ असा./69/जैड.बी./15(193)]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd September, 2015

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following Regulations, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement.

- **1.** (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
 - (2) They shall come into force on the ninetieth day from the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that the provisions of sub-regulation (4) of regulation 23 and regulation 31A shall come into force on the date of notification of these regulations.

Definitions.

- 2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:—
 - (a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
 - (b) "associate" shall mean any entity which is an associate under sub-section (6) of Section 2 of the Companies Act, 2013 or under the applicable accounting standards:

Provided that this definition shall not be applicable for the units issued by mutual fund which are listed on a recognised stock exchange(s) for which the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 shall be applicable;

- (c) "Board" means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Act;
- (d) "board of directors" or "board of trustees" shall mean the board of directors or board of trustees, whichever applicable, of the listed entity;
- (e) "chief executive officer" or "managing director" or "manager" shall mean the person so appointed in terms of the Companies Act, 2013;
- (f) "chief financial officer" or "whole time finance director" or "head of finance", by whatever name called, shall mean the person heading and discharging the finance function of the listed entity as disclosed by it to the recognised stock exchange(s) in its filing under these regulations;
- (g) "committee" shall mean committee of board of directors or any other committee so constituted;
- (h) "designated securities" means specified securities, non-convertible debt securities, non-convertible redeemable preference shares, perpetual debt instrument, perpetual non-cumulative preference shares, Indian depository receipts, securitised debt instruments, units issued by mutual funds and any other securities as may be specified by the Board;
- (i) "financial year" shall have the same meaning as assigned to it under sub-section (41) of Section 2 of the Companies Act, 2013;
- (j) "global depository receipts" means global depository receipts as defined in sub-section (44) of Section 2 of the Companies Act, 2013;
- (k) "half year" means the period of six months commencing on the first day of April or October of a financial year;
- (l) "half yearly results" means the financial results prepared in accordance with these regulations in respect of a half year;
- (m) "holding company" means a holding company as defined in sub-section (46) of Section 2 of the Companies Act, 2013;

- (n) 'Indian depository receipts' means Indian depository receipts as defined in sub-section(48) of Section 2 of the Companies Act, 2013;
- (o) "key managerial personnel" means key managerial personnel as defined in sub-section (51) of Section 2 of the Companies Act, 2013;
- (p) "listed entity" means an entity which has listed, on a recognised stock exchange(s), the designated securities issued by it or designated securities issued under schemes managed by it, in accordance with the listing agreement entered into between the entity and the recognised stock exchange(s);
- (q) "listing agreement" shall mean an agreement that is entered into between a recognised stock exchange and an entity, on the application of that entity to the recognised stock exchange, undertaking to comply with conditions for listing of designated securities;
- (r) "main board" means main board as defined in clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 106N of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
- (s) "net worth" means net worth as defined in sub-section (57) of section 2 of the Companies Act, 2013;
- (t) 'non-convertible debt securities' which is 'debt securities' as defined under regulation 2(1)(e) of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- (u) 'non-convertible redeemable preference shares', 'perpetual debt instrument'/innovative perpetual debt instrument' and 'perpetual non-cumulative preference share' shall have the same meaning as assigned to them in the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013;
- (v) "offer document" shall have the same meaning assigned to it under clause (x) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, clause (j) of sub-regulation(1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, clause (p) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013, clause (r) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and clause (l) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008, as may be applicable;
- (w) "promoter" and "promoter group" shall have the same meaning as assigned to them respectively in clauses (za) and (zb) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.
- (x) "public" means public as defined under clause (d) of rule 2 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957:
- (y) "public shareholding" means public shareholding as defined under clause (e) of rule 2 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957;
- (z) "quarter" means the period of three months commencing on the first day of April, July, October or January of a financial year;

(za)"quarterly results" means the financial results prepared in accordance with these regulations in respect of a quarter;

(zb) "related party" means a related party as defined under sub-section (76) of section 2 of the Companies Act, 2013 or under the applicable accounting standards:

Provided that this definition shall not be applicable for the units issued by mutual funds which are listed on a recognised stock exchange(s);

(zc) "related party transaction" means a transfer of resources, services or obligations between a listed entity and a related party, regardless of whether a price is charged and a "transaction" with a related party shall be construed to include a single transaction or a group of transactions in a contract:

Provided that this definition shall not be applicable for the units issued by mutual funds which are listed on a recognised stock exchange(s);

(zd)"relative" means relative as defined under sub-section (77) of section 2 of the Companies Act, 2013 and rules prescribed there under:

Provided this definition shall not be applicable for the units issued by mutual fund which are listed on a recognised stock exchange(s);

- (ze)"schedule" means a schedule annexed to these regulations;
- (zf) "securities laws" means the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Depositories Act, 1996, and the provisions of the Companies Act, 1956 and Companies Act, 2013, and the rules, regulations, circulars or guidelinesmade thereunder.
- (zg) 'securitiseddebt instruments' as defined in the Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008;
- (zh) "servicer" means servicer as defined under clause(t) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Public Offer And Listing Of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008;
- (zi) "small and medium enterprises" or "SME" shall mean an entity which has issued specified securities in accordance with the provisions of Chapter XB of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
- (zj) "SME Exchange" means an SME exchange as defined under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 106N of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
- (zk) "stockexchange" means a recognised stock exchange as defined under clause (f) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956;
- (zl) 'specified securities' means 'equity shares' and 'convertible securities' as defined under clause (zj) of subregulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
- (zm) "subsidiary" means a subsidiary as defined under sub-section(87) of section 2 of the Companies Act, 2013:
- (2) All other words and expressions used but not defined in these regulations, but defined in the Act or the Companies Act, 2013, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Depositories Act, 1996 and/or the rules and regulations made thereunder shall have the same meaning as respectively assigned to them in such Acts or rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

Applicability of the regulations.

- **3.** Unless otherwise provided, these regulations shall apply to the listed entity who has listed any of the following designated securities on recognised stock exchange(s):
 - (a) specified securities listed on main board or SME Exchange or institutional trading platform;
 - (b) non-convertible debt securities, non-convertible redeemable preference shares, perpetual debt instrument, perpetual non-cumulative preference shares;
 - (c) Indian depository receipts;
 - (d) securitised debt instruments;
 - (e) units issued by mutual funds;
 - (f) any other securities as may be specified by the Board.

CHAPTER II

PRINCIPLES GOVERNING DISCLOSURES AND OBLIGATIONS OF LISTED ENTITY

Principles governing disclosures and obligations.

- **4.** (1) The listed entity which has listed securities shall make disclosures and abide by its obligations under these regulations, in accordance with the following principles:
 - (a) Information shall be prepared and disclosed in accordance with applicable standards of accounting and financial disclosure.

- (b) The listed entity shall implement the prescribed accounting standards in letter and spirit in the preparation of financial statements taking into consideration the interest of all stakeholders and shall also ensure that the annual audit is conducted by an independent, competent and qualified auditor.
- (c) The listed entity shall refrain from misrepresentation and ensure that the information provided to recognised stock exchange(s) and investors is not misleading.
- (d) The listed entity shall provide adequate and timely information to recognised stock exchange(s) and investors.
- (e) The listed entity shall ensure that disseminations made under provisions of these regulations and circulars made thereunder, are adequate, accurate, explicit, timely and presented in a simple language.
- (f) Channels for disseminating information shall provide for equal, timely and cost efficient access to relevant information by investors.
- (g) The listed entity shall abide by all the provisions of the applicable laws including the securities laws and also such other guidelines as may be issued from time to time by the Board and the recognised stock exchange(s) in this regard and as may be applicable.
- (h) The listed entity shall make the specified disclosures and follow its obligations in letter and spirit taking into consideration the interest of all stakeholders.
- (i) Filings, reports, statements, documents and information which are event based or are filed periodically shall contain relevant information.
- (j) Periodic filings, reports, statements, documents and information reports shall contain information that shall enable investors to track the performance of a listed entity over regular intervals of time and shall provide sufficient information to enable investors to assess the current status of a listed entity.
- (2) The listed entity which has listed its specified securities shall comply with the corporate governance provisions as specified in chapter IV which shall be implemented in a manner so as to achieve the objectives of the principles as mentioned below.
 - (a) **The rights of shareholders**: The listed entity shall seek to protect and facilitate the exercise of the following rights of shareholders:
 - (i) right to participate in, and to be sufficiently informed of, decisions concerningfundamental corporate changes.
 - (ii) opportunity to participate effectively and vote in general shareholder meetings.
 - (iii) beinginformed of the rules, including voting procedures that govern general shareholder meetings.
 - (iv) opportunity to ask questions to the board of directors, to place items on the agenda of general meetings, and to propose resolutions, subject to reasonable limitations.
 - (v) Effective shareholder participation in key corporate governance decisions, such as the nomination and election of members of board of directors.
 - (vi) exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors.
 - (vii) adequate mechanism to address the grievances of the shareholders.
 - (viii) protection of minority shareholders from abusive actions by, or in the interest of, controlling shareholders acting either directly or indirectly, and effective means of redress.
 - (b) **Timely information**: The listed entity shall provide adequate and timely information to shareholders, including but not limited to the following:
 - (i) sufficient and timely information concerning the date, location and agenda of general meetings, as well as full and timely information regarding the issues to be discussed at the meeting.
 - (ii) Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership.
 - (iii) rights attached to all series and classes of shares, which shall be disclosed to investors before they acquire shares.
 - (c) **Equitable treatment**: The listed entity shall ensure equitable treatment of all shareholders, including minority and foreign shareholders, in the following manner:
 - (i) All shareholders of the same series of a class shall be treated equally.
 - (ii) Effective shareholder participation in key corporate governance decisions, such as the nomination and election of members of board of directors, shall be facilitated.
 - (iii) Exercise of voting rights by foreign shareholders shall be facilitated.
 - (iv) The listed entity shall devise a framework to avoid insider trading and abusive self-dealing.

- (v) Processes and procedures for general shareholder meetings shall allow for equitable treatment of all shareholders.
- (vi) Procedures of listed entity shall not make it unduly difficult or expensive to cast votes.
- (d) **Role of stakeholders in corporate governance:** The listed entity shall recognise the rights of its stakeholders and encourage co-operation between listed entity and the stakeholders, in the following manner:
 - (i) The listed entity shall respect the rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements.
 - (ii) Stakeholders shall have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.
 - (iii) Stakeholders shall have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis to enable them to participate in corporate governance process.
 - (iv) The listed entity shall devise an effective whistle blower mechanism enabling stakeholders, including individual employees and their representative bodies, to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices.
- (e) **Disclosure and transparency**: The listed entity shall ensure timely and accurate disclosure on all material matters including the financial situation, performance, ownership, and governance of the listed entity, in the following manner:
 - (i) Information shall be prepared and disclosed in accordance with the prescribed standards of accounting, financial and non-financial disclosure.
 - (ii) Channels for disseminating information shall provide for equal, timely and cost efficient access to relevant information by users.
 - (iii) Minutes of the meeting shall be maintained explicitly recording dissenting opinions, if any.
- (f) **Responsibilities of the board of directors:** The board of directors of the listed entity shall have the following responsibilities:
 - (i)Disclosure of information:
 - (1) Members of board of directors and key managerial personnel shall disclose to the board of directors whether they, directly, indirectly, or on behalf of third parties, have a material interest in any transaction or matter directly affecting the listed entity.
 - (2) The board of directors and senior management shall conduct themselves so as to meet the expectations of operational transparency to stakeholders while at the same time maintaining confidentiality of information in order to foster a culture of good decision-making.
 - (ii) Key functions of the board of directors:-
 - (1) Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action, risk policy, annual budgets and business plans, setting performance objectives, monitoring implementation and corporate performance, and overseeing major capital expenditures, acquisitions and divestments.
 - (2) Monitoring the effectiveness of the listed entity's governance practices and making changes as needed.
 - (3) Selecting, compensating, monitoring and, when necessary, replacing key managerial personnel and overseeing succession planning.
 - (4) Aligning key managerial personnel and remuneration of board of directors with the longer term interests of the listed entity and its shareholders.
 - (5) Ensuring a transparent nomination process to the board of directors with the diversity of thought, experience, knowledge, perspective and gender in the board of directors.
 - (6) Monitoring and managing potential conflicts of interest of management, members of the board of directors and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions.
 - (7) Ensuring the integrity of the listed entity's accounting and financial reporting systems, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in particular, systems for risk management, financial and operational control, and compliance with the law and relevant standards.
 - (8) Overseeing the process of disclosure and communications.
 - (9) Monitoring and reviewing board of director's evaluation framework.
 - (iii) Other responsibilities:
 - (1) The board of directors shall provide strategic guidance to the listed entity, ensure effective monitoring of the management and shall be accountable to the listed entity and the shareholders.

- (2) The board of directors shall set a corporate culture and the values by which executives throughout a group shall behave.
- (3) Members of the board of directors shall act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interest of the listed entity and the shareholders.
- (4) The board of directors shall encourage continuing directors training to ensure that the members of board of directors are kept up to date.
- (5) Where decisions of the board of directors may affect different shareholder groups differently, the board of directors shall treat all shareholders fairly.
- (6) The board of directors shall maintain high ethical standards and shall take into account the interests of stakeholders.
- (7) The board of directors shall exercise objective independent judgement on corporate affairs.
- (8) The board of directors shall consider assigning a sufficient number of non-executive members of the board of directors capable of exercising independent judgement to tasks where there is a potential for conflict of interest.
- (9) The board of directors shall ensure that, while rightly encouraging positive thinking, these do not result in over-optimism that either leads to significant risks not being recognised or exposes the listed entity to excessive risk.
- (10) The board of directors shall have ability to 'step back' to assist executive management by challenging the assumptions underlying: strategy, strategic initiatives (such as acquisitions), risk appetite, exposures and the key areas of the listed entity's focus.
- (11) When committees of the board of directors are established, their mandate, composition and working procedures shall be well defined and disclosed by the board of directors.
- (12) Members of the board of directors shall be able to commit themselves effectively to their responsibilities.
- (13) In order to fulfil their responsibilities, members of the board of directors shall have access to accurate, relevant and timely information.
- (14) The board of directors and senior management shall facilitate the independent directors to perform their role effectively as a member of the board of directors and also a member of a committee of board of directors.
- (3) In case of any ambiguity or incongruity between the principles and relevant regulations, the principles specified in this Chapter shall prevail.

CHAPTER III

COMMON OBLIGATIONS OF LISTED ENTITIES

General obligation of compliance.

5. The listed entity shall ensure thatkey managerial personnel, directors, promoters or any other person dealing with the listed entity, complies with responsibilities or obligations, if any, assigned to them under these regulations.

Compliance Officer and his Obligations.

- **6.** (1) A listed entity shall appoint a qualified company secretary as the compliance officer.
- (2) The compliance officer of the listed entity shall be responsible for-
 - (a) ensuring conformity with the regulatory provisions applicable to the listed entity in letter and spirit.
 - (b) co-ordination with and reporting to the Board, recognised stock exchange(s) and depositories with respect to compliance with rules, regulations and other directives of these authorities in manner as specified from time to time.
 - (c) ensuring that the correct procedures have been followed that would result in the correctness, authenticity and comprehensiveness of the information, statements and reports filed by the listed entity under these regulations.
 - (d) monitoring email address of grievance redressal division as designated by the listed entity for the purpose of registering complaints by investors:

Provided that the requirements of this regulation shall not be applicable in the case of units issued by mutual funds which are listed on recognised stock exchange(s) but shall be governed by the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996.

Share Transfer Agent.

- 7. (1) The listed entity shall appoint a share transfer agent or manage the share transfer facility in-house:

 Provided that, in the case of in-house share transfer facility, as and when the total number of holders of securities of the listed entity exceeds one lakh, the listed entity shall either register with the Board as a Category II share transfer agent or appoint Registrar to an issue and share transfer agent registered with the Board.
- (2) The listed entity shall ensure that all activities in relation to bothphysical and electronic share transfer facility are maintained either in house or by Registrar to an issue and share transfer agent registered with the Board.
- (3) The listed entity shall submit a compliance certificate to the exchange, duly signed by both the compliance officer of the listed entity and the authorised representative of the share transfer agent, wherever applicable, within one month of end of each half of the financial year, certifying compliance with the requirements of sub-regulation (2).
- (4) In case of any change or appointment of a new share transfer agent, the listed entity shall enter into a tripartite agreement between the existing share transfer agent, the new share transfer agent and the listed entity, in the manner as specified by the Board from time to time:

Provided that in case the existing share transfer facility is managed in-house, the agreement referred above shall beentered into between the listed entity and the new share transfer agent.

- (5) The listed entity shall intimate such appointment, referred to in sub-regulation (4), to the stock exchange(s) within seven days of entering into the agreement.
- (6) The agreement referred to in sub-regulation (4) shall be placed in the subsequent meeting of the board of directors:

 Provided that the requirements of this regulation shall not be applicable to the units issued by mutual funds that are listed.

Provided that the requirements of this regulation shall not be applicable to the units issued by mutual funds that are listed on recognised stock exchange(s).

Co-operation with intermediaries registered with the Board.

8. The listed entity, wherever applicable, shall co-operate with and submit correct and adequate information to the intermediaries registered with the Board such as credit rating agencies, registrar to an issue and share transfer agents, debenture trustees etc, within timelines and procedures specified under the Act, regulations and circulars issued there under:

Provided that requirements of this regulation shall not be applicable to the units issued by mutual funds listed on a recognised stock exchange(s) for which the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 shall be applicable.

Preservation of documents.

- **9.** The listed entity shall have a policy for preservation of documents, approved by its board of directors, classifying them in at least two categories as follows-
 - (a) documents whose preservation shall be permanent in nature;
 - (b) documents with preservation period of not less than eight years after completion of the relevant transactions:

Provided that the listed entity may keep documents specified in clauses (a) and (b) in electronic mode.

Filing of information.

- **10.**(1) The listed entity shall file the reports, statements, documents, filings and any other information with the recognised stock exchange(s) on the electronic platform as specified by the Board or the recognised stock exchange(s).
- (2) The listed entity shall put in placeinfrastructureas required for compliance with sub-regulation (1).

Scheme of Arrangement.

11. The listed entity shall ensure that any scheme of arrangement/amalgamation/merger/reconstruction /reduction of capital etc. to be presented to any Court or Tribunal does not in any way violate, override or limit the provisions of securities laws or requirements of the stock exchange(s):

Provided that this regulation shall not be applicable for the units issued by Mutual Fund which are listed on a recognised stock exchange(s).

Payment of dividend or interest or redemption or repayment.

- **12.** The listed entity shall use any of the electronic mode of payment facility approved by the Reserve Bank of India, in the manner specified in Schedule I, for the payment of the following:
 - (a) dividends;
 - (b) interest;
 - (c) redemption or repayment amounts:

Provided that where it is not possible to use electronic mode of payment, 'payable-at-par' warrants or cheques may be issued:

Provided further that where the amount payable as dividend exceeds one thousand and five hundred rupees, the 'payable-at-par' warrants or cheques shall be sent by speed post.

Grievance Redressal Mechanism.

- 13.(1) The listed entity shall ensure that adequate steps are taken for expeditious redressal of investor complaints.
- (2) The listed entity shall ensure that it is registered on the SCORES platform or such other electronic platform or system of the Board as shall be mandated from time to time, in order to handle investor complaints electronically in the manner specified by the Board.
- (3) The listed entity shall file with the recognised stock exchange(s) on a quarterly basis, within twenty one days from the end of each quarter, a statement giving the number of investor complaints pending at the beginning of the quarter, those received during the quarter, disposed of during the quarter and those remaining unresolved at the end of the quarter.
- (4) The statement as specified in sub-regulation (3) shall beplaced, on quarterly basis, before the board of directors of the listed entity.

Fees and other charges to be paid to the recognized stock exchange(s).

14. The listed entity shall pay all such fees or charges, as applicable, to the recognised stock exchange(s), in the manner specified by the Board or the recognised stock exchange(s).

CHAPTER IV

OBLIGATIONS OF LISTED ENTITY WHICH HAS LISTED ITS SPECIFIED SECURITIES

Applicability.

- **15.**(1) The provisions of this chapter shall apply to a listed entity which has listed its specified securities on any recognised stock exchange(s) either on the main board or on SME Exchange or on institutional trading platform:
- (2) The compliance with the corporate governance provisions as specified in regulations 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 and para C, D and E of Schedule V shall not apply, in respect of -
 - (a) the listed entity having paid up equity share capital not exceeding rupees ten crore and net worth not exceeding rupees twenty five crore, as on the last day of the previous financial year:

Provided that where the provisions of the regulations specified in this regulation becomes applicable to a listed entity at a later date, such listed entity shall comply with the requirements those regulations within six months from the date on which the provisions became applicable to the listed entity.

(b) the listed entity which has listed its specified securities on the SME Exchange:

Provided that for other listed entities which are not companies, but body corporate or are subject to regulations under other statues, the provisions of corporate governance provisions as specified in regulation 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 and para C, D and E of Schedule V shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

(3) Notwithstanding sub-regulation (2) above, the provisions of Companies Act, 2013 shall continue to apply, wherever applicable.

Definitions.

- 16.(1) For the purpose of this chapter, unless the context otherwise requires -
 - (a) "control" shall have the same meaning as assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (b) "independent director" means a non-executive director, other than a nominee director of the listed entity:
 - (i) who, in the opinion of the board of directors, is a person of integrity and possesses relevant expertise and experience;
 - (ii) who is or was not a promoter of the listed entity or its holding, subsidiary or associate company;
 - (iii) who is not related to promoters or directors in the listed entity, its holding, subsidiary or associate company;

- (iv) who, apart from receiving director's remuneration, has or had no material pecuniary relationship with the listed entity, its holding, subsidiary or associate company, or their promoters, or directors, during the two immediately preceding financial years or during the current financial year;
- (v) none of whose relatives has or had pecuniary relationship or transaction with the listed entity, its holding, subsidiary or associate company, or their promoters, or directors, amounting to two per cent. or more of its gross turnover or total income or fifty lakh rupees or such higher amount as may be prescribed from time to time, whichever is lower, during the two immediately preceding financial years or during the current financial year;
- (vi) who, neither himself, nor whose relative(s)
 - (A) holds or has held the position of a key managerial personnel or is or has been an employee of the listed entity or its holding, subsidiary or associate company in any of the three financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed;
 - (B) is or has been an employee or proprietor or a partner, in any of the three financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed, of
 - (1)a firm of auditors or company secretaries in practice or cost auditors of the listed entity or its holding, subsidiary or associate company; or
 - (2) any legal or a consulting firm that has or had any transaction with the listed entity, its holding, subsidiary or associate company amounting to ten per cent or more of the gross turnover of such firm;
 - (C) holds together with his relatives two per cent or more of the total voting power of the listed entity; or
 - (D) is a chief executive or director, by whatever name called, of any non-profit organisation that receives twenty-five per cent or more of its receipts or corpus from the listed entity, any of its promoters, directors or its holding, subsidiary or associate company or that holds two per cent or more of the total voting power of the listed entity;
- (E) is a material supplier, service provider or customer or a lessor or lessee of the listed entity; (vii) who is not less than 21 years of age.
- (c) "material subsidiary" shall mean a subsidiary, whose income or net worth exceeds twenty percent of the consolidated income or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year.

Explanation.- The listed entity shall formulate a policy for determining 'material' subsidiary.

(d) "senior management" shall mean officers/personnel of the listed entity who are members of its core management team excluding board of directors and normally this shall comprise all members of management one level below the executive directors, including all functional heads.

Boardof Directors.

- **17.**(1) The composition of board of directors of the listed entity shall be as follows:
 - (a) board of directors shall have an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one woman director and not less than fifty percent of the board of directors shall comprise of non-executive directors;
 - (b) where the chairperson of the board of directors is a non-executive director, at least one-third of the board of directors shall comprise of independent directors and where the listed entity does not have a regular non-executive chairperson, at least half of the board of directors shall comprise of independent directors:

Provided that where the regular non-executive chairperson is a promoter of the listed entity or is related to any promoter or person occupying management positions at the level of board of director or at one level below the board of directors, at least half of the board of directors of the listed entity shall consist of independent directors.

Explanation.-For the purpose of this clause, the expression "related to any promoter" shall have the following meaning:

(i) if the promoter is a listed entity, its directors other than the independent directors, its employees or its nominees shall be deemed to be related to it;

- (ii) if the promoter is an unlisted entity, its directors, its employees or its nominees shall be deemed to be related to it.
- (2) The board of directors shall meet at least four times a year, with a maximum time gap of one hundred and twenty days between any two meetings.
- (3) The board of directors shall periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the listed entity, prepared by the listed entity as well as steps taken by the listed entity to rectify instances of non-compliances.
- (4) The board of directors of the listed entity shall satisfy itself that plans are in place for orderly succession for appointment to the board of directors and senior management.
- (5) (a) The board of directors shall lay down a code of conduct for all members of board of directors and senior management of the listed entity.
 - (b) The code of conduct shall suitably incorporate the duties of independent directors as laid down in the Companies Act, 2013.
- (6) (a) The board of directors shall recommend all fees or compensation, if any, paid to non-executive directors, including independent directors and shall require approval of shareholders in general meeting.
 - (b) The requirement of obtaining approval of shareholders in general meeting shall not apply to payment of sitting fees to non-executive directors, if made within the limits prescribed under the Companies Act, 2013 for payment of sitting fees without approval of the Central Government.
 - (c) The approval of shareholders mentioned in clause (a), shall specify the limits for the maximum number of stock options that may be granted to non-executive directors, in any financial year and in aggregate.
 - (d) Independent directors shall not be entitled to any stock option.
- (7) The minimum information to be placed before the board of directors is specified in Part A of Schedule II.
- (8) The chief executive officer and the chief financial officer shall provide the compliance certificate to the board of directors as specified in Part B of Schedule II.
- (9) (a) The listed entity shall lay down procedures to inform members of board of directors about risk assessment and minimization procedures.
 - (b) The board of directors shall be responsible for framing, implementing and monitoring the risk management plan for the listed entity.
- (10) The performance evaluation of independent directors shall be done by the entire board of directors:

Provided that in the above evaluation the directors who are subject to evaluation shall not participate:

Audit Committee.

- **18.**(1) Every listed entity shall constitute a qualified and independent audit committee in accordance with the terms of reference, subject to the following:
 - (a) The audit committee shall have minimum three directors as members.
 - (b) Two-thirds of the members of audit committee shall be independent directors.
 - (c) All members of audit committee shall be financially literate and at least one member shall have accounting or related financial management expertise.
 - Explanation (1).-For the purpose of this regulation, "financially literate" shall mean the ability to read and understand basic financial statements i.e. balance sheet, profit and loss account, and statement of cash flows. Explanation (2).-For the purpose of this regulation, a member shall be considered to have accounting or related financial management expertise if he or she possesses experience in finance or accounting, or requisite professional certification in accounting, or any other comparable experience or background which results in the individual's financial sophistication, including being or having been a chief executive officer, chief financial officer or other senior officer with financial oversight responsibilities.
 - (d) The chairperson of the audit committee shall be an independent director and he shall be present at Annual general meeting to answer shareholder queries.
 - (e) The Company Secretary shall act as the secretary to the audit committee.
 - (f) The audit committee at its discretion shall invite the finance director or head of the finance function, head of internal audit and a representative of the statutory auditor and any other such executives to be present at the meetings of the committee:
 - Provided that occasionally the audit committee may meet without the presence of any executives of the listed entity.

- (2) The listed entity shall conduct the meetings of the audit committee in the following manner:
 - (a) The audit committee shall meet at least four times in a year and not more than one hundred and twenty days shall elapse between two meetings.
 - (b) The quorum for audit committee meeting shall either two members or one third of the members of the audit committee, whichever is greater, with at least two independent directors.
 - (c) The audit committee shall have powers to investigate any activity within its terms of reference, seek information from any employee, obtain outside legal or other professional advice and secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.
- (3) The role of theaudit committee and the information to be reviewed by the audit committee shall be as specified in Part C of Schedule II.

Nomination and remuneration committee.

- 19. (1) The board of directors shall constitute the nomination and remuneration committee as follows:
 - (a) the committee shall comprise of atleast three directors;
 - (b) all directors of the committee shall be non-executive directors; and
 - (c) at least fifty percent of the directors shall be independent directors.
- (2) The Chairperson of the nomination and remuneration committee shall be an independent director:

Provided that the chairperson of the listed entity, whether executive or non-executive, may be appointed as a member of the Nomination and Remuneration Committee and shall not chair such Committee.

- (3) The Chairperson of the nomination and remuneration committee may be present at the annual general meeting, to answer the shareholders' queries; however, it shall be up to the chairperson to decide who shall answer the queries.
- (4) The role of the nomination and remuneration committee shall be as specified as in Part D of the Schedule II.

Stakeholders Relationship Committee.

- **20.**(1) The listed entity shall constitute a Stakeholders Relationship Committee to specifically look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, debenture holders and other security holders.
- (2) The chairperson of this committee shall be a non-executive director.
- (3) The board of directors shall decide other members of this committee.
- (4) The role of the Stakeholders Relationship Committee shall be as specified as in Part D of the Schedule II.

Risk Management Committee.

- **21.**(1)The board of directors shall constitute a Risk Management Committee.
- (2) The majority of members of Risk Management Committee shall consist of members of the board of directors.
- (3) The Chairperson of the Risk management committee shall be a member of the board of directors and senior executives of the listed entity may be members of the committee.
- (4) The board of directors shall define the role and responsibility of the Risk Management Committee and may delegate monitoring and reviewing of the risk management plan to the committee and such other functions as it may deem fit.
- (5) The provisions of this regulation shall be applicable to top 100 listed entities, determined on the basis of market capitalisation, as at the end of the immediate previous financial year.

Vigil mechanism.

- 22.(1) The listed entity shall formulate a vigil mechanism for directors and employees to report genuine concerns.
- (2) The vigil mechanism shall provide for adequate safeguards against victimization of director(s) or employee(s) or any other person who avail the mechanism and also provide for direct access to the chairperson of the audit committee in appropriate or exceptional cases.

Related party transactions.

- **23.**(1)The listed entity shall formulate a policy on materiality of related partytransactions and on dealing with related party transactions:
 - Explanation.- A transaction with a related party shall be considered material if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ten percent of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity.
- (2) All related party transactions shall require prior approval of the audit committee.

- (3) Audit committee may grant omnibus approval for related party transactions proposed to be entered into by the listed entity subject to the following conditions, namely-
 - (a) the audit committee shall lay down the criteria for granting the omnibus approval in line with the policy on related party transactions of the listed entity and such approval shall be applicable in respect of transactions which are repetitive in nature;
 - (b) the audit committee shall satisfy itself regarding the need for such omnibus approval and that such approval is in the interest of the listed entity;
 - (c) the omnibus approval shall specify:
 - (i) the name(s) of the related party, nature of transaction, period of transaction, maximum amount of transactions that shall be entered into,
 - (ii) the indicative base price / current contracted price and the formula for variation in the price if any;and
 - (iii) such other conditions as the audit committee may deem fit:

Provided that where the need for related party transaction cannot be foreseen and aforesaid details are not available, audit committee may grant omnibus approval for such transactions subject to their value not exceeding rupees one crore per transaction.

- (d) the audit committee shall review, at least on a quarterly basis, the details of related party transactions entered into by the listed entity pursuant to each of the omnibus approvals given.
- (e) Such omnibus approvals shall be valid for a period not exceeding one year and shall require fresh approvals after the expiry of one year:
- (4) All material related party transactions shall require approval of the shareholders through resolution and the related parties shall abstain from voting on such resolutions whether the entity is a related party to the particular transaction or not.
- (5) The provisions of sub-regulations (2), (3) and (4) shall not be applicable in the following cases:
 - (a) transactions entered into between two government companies;
 - (b) transactions entered into between a holding company and its wholly owned subsidiary whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval.

Explanation.-For the purpose of clause (a), "government company(ies)" means Government company as defined in subsection (45) of section 2 of the Companies Act, 2013.

- (6) The provisions of this regulation shall be applicable to all prospective transactions.
- (7) For the purpose of this regulation, all entities falling under the definition of related parties shall abstain from voting irrespective of whether the entity is a party to the particular transaction or not.
- (8) All existing material related party contracts or arrangements entered into prior to the date of notification of these regulations and which may continue beyond such date shall be placed for approval of the shareholders in the first General Meeting subsequent to notification of these regulations.

Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity.

- **24.**(1) At least one independent director on the board of directors of the listed entity shall be a director on the board of directors of an unlisted material subsidiary, incorporated in India.
- (2) The audit committee of the listed entity shall also review the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary.
- (3) The minutes of the meetings of the board of directors of the unlisted subsidiary shall be placed at the meeting of the board of directors of the listed entity.
- (4) The management of the unlisted subsidiary shall periodically bring to the notice of the board of directors of the listed entity, a statement of all significant transactions and arrangements entered into by the unlisted subsidiary. Explanation. For the purpose of this regulation, the term "significant transaction or arrangement" shall mean any individual transaction or arrangement that exceeds or is likely to exceed ten percent of the total revenues or total expenses or total assets or total liabilities, as the case may be, of the unlisted material subsidiary for the immediately preceding accounting year.
- (5) A listed entity shall not dispose of shares in its material subsidiary resulting in reduction of its shareholding (either on its own or together with other subsidiaries) to less than fifty percent or cease the exercise of control over the subsidiary without passing a special resolution in its General Meeting except in cases where such divestment is made under a scheme of arrangement duly approved by a Court/Tribunal.

- (6) Selling, disposing and leasing of assets amounting to more than twenty percent of the assets of the material subsidiary on an aggregate basis during a financial year shall require prior approval of shareholders by way of special resolution, unless the sale/disposal/lease is made under a scheme of arrangement duly approved by a Court/Tribunal.
- (7) Where a listed entity has a listed subsidiary, which is itself a holding company, the provisions of this regulation shall apply to the listed subsidiary in so far as its subsidiaries are concerned.

Obligations with respect to independent directors.

25.(1) A person shall not serve as an independent director in more than seven listed entities:

Provided that any person who is serving as a whole time director in any listed entity shall serve as an independent director in not more than three listed entities.

- (2) The maximum tenure of independent directors shall be in accordance with the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, in this regard, from time to time.
- (3) The independent directors of the listed entity shall hold at least one meeting in a year, without the presence of non-independent directors and members of the management and all the independent directors shall strive to be present at such meeting.
- (4) The independent directors in the meeting referred in sub-regulation (3) shall, interalia-
 - (a) review the performance of non-independent directors and the board of directors as a whole;
 - (b) review the performance of the chairperson of the listed entity, taking into account the views of executive directors and non-executive directors;
 - (c) assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the management of the listed entity and the board of directors that is necessary for the board of directors to effectively and reasonably perform their duties.
- (5) An independent director shall be held liable, only in respect of such acts of omission or commission by the listed entity which had occurred with his knowledge, attributable through processes of board of directors, and with his consent or connivance or where he had not acted diligently with respect to the provisions contained in these regulations.
- (6) An independent director who resigns or is removed from the board of directors of the listed entity shall be replaced by a new independent director by listed entity at the earliest but not later than the immediate next meeting of the board of directors or three months from the date of such vacancy, whichever is later:

Provided that where the listed entity fulfils the requirement of independent directors in its board of directors without filling the vacancy created by such resignation or removal, the requirement of replacement by a new independent director shall not apply.

- (7) The listed entity shall familiarise the independent directors through various programmes about the listed entity, including the following:
 - (a) nature of the industry in which the listed entity operates;
 - (b) business model of the listed entity;
 - (c) roles, rights, responsibilities of independent directors; and
 - (d) any other relevant information.

Obligations with respect to directors and senior management.

- **26.**(1) A director shall not be a member in more than ten committees or act as chairperson of more than five committees across all listed entities in which he is a director which shall be determined as follows:
 - (a) the limit of the committees on which a director may serve in all public limited companies, whether listed or not, shall be included and all other companies including private limited companies, foreign companies and companies under Section 8 of the Companies Act, 2013 shall be excluded;
 - (b) for the purpose of determination of limit, chairpersonship and membership of the audit committee and the Stakeholders' Relationship Committee alone shall be considered.
- (2) Every director shall inform the listed entity about the committee positions he or she occupies in other listed entities and notify changes as and when they take place.
- (3) All members of the board of directors and senior management personnel shall affirm compliance with the code of conduct of board of directors and senior management on an annual basis.

- (4) Non-executive directors shall disclose their shareholding, held either by them or on a beneficial basis for any other persons in the listed entity in which they are proposed to be appointed as directors, in the notice to the general meeting called for appointment of such director.
- (5) Senior management shall make disclosures to the board of directors relating to all material, financial and commercial transactions, where they have personal interest that may have a potential conflict with the interest of the listed entity at large.

Explanation.- For the purpose of this sub-regulation, conflict of interest relates to dealing in the shares of listed entity, commercial dealings with bodies, which have shareholding of management and their relatives etc.

Other corporate governance requirements.

- 27.(1) The listed entity may, at its discretion, comply with requirements as specified in Part E of Schedule II.
- (2) (a) The listed entity shall submit a quarterly compliance report on corporate governance in the format as specified by the Board from time to time to the recognised stock exchange(s) within fifteen days from close of the quarter.
 - (b) Details of all material transactions with related parties shall be disclosed along with the report mentioned in clause (a) of sub-regulation (2).
 - (c) The report mentioned in clause (a) of sub-regulation (2) shall be signed either by the compliance officer or the chief executive officer of the listed entity.

In-principle approval of recognized stock exchange(s).

- **28.**(1) The listed entity, before issuing securities, shall obtain an 'in-principle' approval from recognised stock exchange(s) in the following manner:
 - (a) where the securities are listed only on recognised stock exchange(s) having nationwide trading terminals, from all such stock exchange(s);
 - (b) where the securities are not listed on any recognised stock exchange having nationwide trading terminals, from all the stock exchange(s) in which the securities of the issuer are proposed to be listed;
 - (c) where the securities are listed on recognised stock exchange(s) having nationwide trading terminals as well as on the recognised stock exchange(s) not having nationwide trading terminals, from all recognised stock exchange(s) having nationwide trading terminals:
- (2) The requirement of obtaining in-principle approval from recognised stock exchange(s), shall not be applicable for securities issued pursuant to the scheme of arrangement for which the listed entity has already obtained No-Objection Letter from recognised stock exchange(s) in accordance with regulation 37.

Prior Intimations.

- **29.**(1) The listed entity shall give prior intimation to stock exchange about the meeting of the board of directors in which any of the following proposalsis due to be considered:
 - (a) financialresults viz. quarterly, half yearly, or annual, asthecasemaybe;
 - (b) proposal for buyback of securities;
 - (c) proposal for voluntary delisting by the listed entity from the stock exchange(s);
 - (d) fund raising by way of further public offer, rights issue, American Depository Receipts/Global Depository Receipts/Foreign Currency Convertible Bonds, qualified institutions placement, debt issue, preferential issue or any other method and for determination of issue price:

Provided that intimation shall also be given in case of any annual general meeting or extraordinary general meeting or postal ballot that is proposed to be held for obtaining shareholder approval for further fund raising indicating type of issuance.

- (e) declaration/recommendation of dividend, issue of convertible securities including convertible debentures or of debentures carrying a right to subscribe to equity shares or the passing over of dividend.
- (f) the proposal for declaration of bonus securities where such proposal is communicated to the board of directors of the listed entity as part of the agenda papers:
 - Provided that in case the declaration of bonus by the listed entity is not on the agenda of the meeting of board of directors, prior intimation is not required to be given to the stock exchange(s).

- (2) The intimation required under sub-regulation (1), shall be given at least two working days in advance, excluding the date of the intimation and date of themeeting:
 - Provided that intimation regarding item specified in clause (a) of sub-regulation (1), to be discussed at the meeting of board of directors shall be given at least five days in advance (excluding the date of the intimation and date of the meeting), and such intimation shall include the date of such meeting of board of directors.
- (3) The listed entity shall give intimation to the stock exchange(s) at least eleven working days before any of the following proposal is placed before the board of directors -
 - (a) any alteration in the form or nature of any of its securities that are listed on the stock exchange or in the rights or privileges of the holders thereof.
 - (b) any alteration in the date on which, the interest on debentures or bonds, or the redemption amount of redeemable shares or of debentures or bonds, shall be payable.

Disclosure of events or information.

- **30.** (1) Every listed entity shall make disclosures of any events or information which, in the opinion of the board of directors of the listed company, is material.
 - (2) Events specified in Para Aof Part A of Schedule III are deemed to be material events and listed entity shall make disclosure of such events.
 - (3) The listed entity shall make disclosure of events specified in Para B of Part A of Schedule III, based on application of the guidelines for materiality, as specified in sub-regulation (4).
 - (4) (i) The listed entity shall consider the following criteria for determination of materiality of events/information:
 - (a)the omission of an event or information, which is likely to result in discontinuity or alteration of event or information already available publicly; or
 - (b)the omission of an event or information is likely to result in significant market reaction if the said omission came to light at a later date;
 - (c)In case where the criteria specified in sub-clauses (a) and (b) are not applicable, an event/information may be treated as being material if in the opinion of the board of directors of listed entity, the event / information is considered material.
 - (ii) The listed entity shall frame a policy for determination of materiality, based on criteria specified in this sub-regulation, duly approved by its board of directors, which shall be disclosed on its website.
 - (5) The board of directors of the listed entity shall authorize one or more Key Managerial Personnel for the purpose of determining materiality of an event or information and for the purpose of making disclosures to stock exchange(s) under this regulation and the contact details of such personnel shall be also disclosed to the stock exchange(s) and as well as on the listed entity's website.
 - (6) The listed entity shall first disclose to stock exchange(s) of all events, as specified in Part A of Schedule III, or information as soon as reasonably possible and not later than twenty four hours from the occurrence of event or information:

Provided that in case the disclosure is made after twenty four hours of occurrence of the event or information, the listed entity shall, along with such disclosures provide explanation for delay:

Provided further that disclosure with respect to events specified in sub-para4 of Para A of Part A of Schedule III shall be made within thirty minutes of the conclusion of the board meeting.

- (7) The listed entity shall, with respect to disclosures referred to in this regulation, make disclosures updating material developments on a regular basis, till such time the event is resolved/closed, with relevant explanations.
- (8) The listed entity shall disclose on its website all such events or information which has been disclosed to stock exchange(s) under this regulation, and such disclosures shall be hosted on the website of the listed entity for a minimum period of five years and thereafter as per the archival policy of the listed entity, as disclosed on its website.
- (9) The listed entity shall disclose all events or information with respect to subsidiaries which are material for the listed entity.

(10) The listed entity shall provide specific and adequate reply to all queries raised by stock exchange(s) with respect to any events or information:

Provided that the stock exchange(s) shall disseminate information and clarification as soon as reasonably practicable.

- (11) The listed entity may on its own initiative also, confirm or deny any reported event or information to stock exchange(s).
- (12) In case where an event occurs or an information is available with the listed entity, which has not been indicated in Para A or B of Part A of Schedule III, but which may have material effect on it, the listed entity is required to make adequate disclosures in regard thereof.

Holding of specified securities and shareholding pattern.

- **31.**(1) The listed entity shall submit to the stock exchange(s) a statement showing holding of securities and shareholding pattern separately for each class of securities, in the format specified by the Board from time to timewithin the following timelines -
 - (a) one day prior to listing of its securities on the stock exchange(s);
 - (b) on a quarterly basis, within twenty one days from the end of each quarter; and,
 - (c) within ten days of any capital restructuring of the listed entity resulting in a change exceeding two per centof the total paid-up share capital:

Provided that in case of listed entities which have listed their specified securities on SME Exchange, the above statements shall be submitted on a half yearly basis within twenty one days from the end of each half year.

- (2) The listed entity shall ensure that hundred percent of shareholding of promoter(s) and promoter group is in dematerialized form and the same is maintained on a continuous basis in the manner as specified by the Board.
- (3) The listed entity shall comply with circulars or directions issued by the Board from time to time with respect to maintenance of shareholding in dematerialized form.

Disclosure of Class of shareholders and Conditions for Reclassification.

- **31A.** (1) All entities falling under promoter and promoter group shall be disclosed separately in the shareholding pattern appearing on the website of all stock exchanges having nationwide trading terminals where the specified securities of the entity are listed, in accordance with the formats specified by SEBI.
 - (2) The stock exchange, specified in sub-regulation (1), shall allow modification or reclassification of the status of the shareholders, only upon receipt of a request from the concerned listed entity or the concerned shareholders along with all relevant evidence and on being satisfied with the compliance of conditions mentioned in this regulation.
 - (3) In case of entities listed on more than one stock exchange, the concerned stock exchanges shall jointly decide on the application of the entity/ shareholders, as specified in sub-regulation(2).
 - (4) In case of transmission/succession/inheritance, the inheritor shall be classified as promoter.
 - (5) When a new promoter replaces the previous promoter subsequent to an open offer or in any other manner, reclassification may be permitted subject to approval of shareholders in the general meeting and compliance of the following conditions:
 - (a) Such promoter along with the promoter group and the Persons Acting in Concert shall not hold more than ten per cent of the paid-up equity capital of the entity.
 - (b) Such promoter shall not continue to have any special rights through formal or informal arrangements. All shareholding agreements granting special rights to such entities shall be terminated.
 - (c) Such promoters and their relatives shall not act as key managerial person for a period of more than three years from the date of shareholders' approval:

Provided that the resolution of the said shareholders' meeting must specifically grant approval for such promoter to act as key managerial person.

- (6) Where anentity becomes professionally managed and does not have any identifiable promoter the existing promoters may be re-classified as public shareholders subject to approval of the shareholders in a general meeting. Explanation.- For the purposes of this sub-regulation anentity may be considered as professionally managed, if-
 - (i) No person or group along with persons acting in concert taken together shall hold more than one per cent paid-up equity capital of the entity including any holding of convertibles/outstanding warrants/ Depository Receipts:

- Provided that any mutual fund, bank, insurance company, financial institution, foreign portfolio investor may individually hold up to ten per cent paid-up equity capital of the entity including any holding of convertibles/outstanding warrants/Depository Receipts.
- (ii) The promoters seeking reclassification and their relatives may act as key managerial personnel in the entity only subject to shareholders' approval and for a period not exceeding three years from the date of shareholders' approval.
- (iii) The promoter seeking reclassification along with his promoter group entities and the persons acting in concert shall not have any special right through formal or informal arrangements. All shareholding agreements granting special rights to such outgoing entities shall be terminated.
- (7) Without prejudice to sub-regulations (5) and (6), re-classification of promoter as public shareholders shall be subject to the following conditions:
 - (a) Such promoter shall not, directly or indirectly, exercise control, over the affairs of the entity.
 - (b) Increase in the level of public shareholding pursuant to re-classification of promoter shall not be counted towards achieving compliance with minimum public shareholding requirement under rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, and the provisions of these regulations.
 - (c) The event of re-classification shall be disclosed to the stock exchanges as a material event in accordance with the provisions of these regulations.
 - (d) Board may relax any condition for re-classification in specific cases, if it is satisfied about non-exercise of control by the outgoing promoter or its persons acting in concert.
- (8) If any public shareholder seeks to re-classify itself as promoter, it shall be required to make an open offer in accordance with the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

Statement of deviation(s) or variation(s).

- **32.**(1) The listed entity shall submit to the stock exchange the following statement(s) on a quarterly basis for public issue, rights issue, preferential issue etc.,-
 - (a) indicating deviations, if any, in the use of proceeds from the objects stated in the offer document or explanatory statement to the notice for the general meeting, as applicable;
 - (b) indicatingcategory wise variation (capital expenditure, sales and marketing, working capital etc.) between projected utilisation of funds made by it in its offer document or explanatory statement to the notice for the general meeting, as applicable and the actual utilisation of funds.
- (2) The statement(s) specified in sub-regulation (1), shall be continued to be given till such time theissue proceeds have been fully utilised or the purpose for which these proceeds were raised has been achieved.
- (3) The statement(s) specified in sub-regulation (1), shall be placed before the audit committee for review and after such review, shall be submitted to the stock exchange(s).
- (4) The listed entity shall furnish an explanation for the variation specified in sub-regulation (1), in the directors' report in the annual report.
- (5) The listed entity shall prepare an annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/prospectus/notice, certified by the statutory auditors of the listed entity, and place it before the audit committee till such time the full money raised through the issue has been fully utilized.
- (6) Where the listed entity has appointed a monitoring agency to monitor utilisation of proceeds of a public or rights issue, the listed entity shall submit to the stock exchange(s) any comments or report received from the monitoring agency.
- (7) Where the listed entity has appointed a monitoring agency to monitor the utilisation of proceeds of a public or rights issue, the monitoring report of such agency shall be placed before the audit committee on an annual basis, promptly upon its receipt.
 - Explanation.- For the purpose of this sub-regulation, "monitoring agency" shall mean the monitoring agency specified in regulation 16 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.
- (8) For the purpose of this regulation, any reference to "quarterly/quarter" in case of listed entity which have listed their specified securities on SME Exchange shall respectively be read as "half yearly/half year".

Financial results.

33.(1) While preparing financial results, the listed entity shall comply with the following:

- (a) The financial results shall be prepared on the basis of accrual accounting policy and shall be in accordance with uniform accounting practices adopted for all the periods.
- (b) The quarterly and year to date results shall be prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Accounting Standard 25 or Indian Accounting Standard 31 (AS 25/ Ind AS 34 Interim Financial Reporting), as applicable, specified in Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules framed thereunder or as specified by the Institute of Chartered Accountants of India, whichever is applicable.
- (c) The standalone financial results and consolidated financial results shall be prepared as per Generally Accepted Accounting Principles in India:
 - Provided that in addition to the above, the listed entity may also submit the financial results, as per the International Financial Reporting Standards notified by the International Accounting Standards Board.
- (d) The listed entity shall ensure that the limited review or audit reports submitted to the stock exchange(s) on a quarterly or annual basis are to be given only by an auditor who has subjected himself to the peer review process of Institute of Chartered Accountants of India and holds a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute of Chartered Accountants of India.
- (e) The listed entity shall make the disclosures specified in Part A of Schedule IV.
- (2) The approval and authentication of the financial results shall be done by listed entity in the following manner:
 - (a) The quarterly financial results submitted shall be approved by the board of directors:
 - Provided that while placing the financial results before the board of directors, the chief executive officer and chief financial officer of the listed entity shall certify that the financial results do not contain any false or misleading statement or figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading.
 - (b) The financial results submitted to the stock exchange shall be signed by the chairperson or managing director, or a whole time director or in the absence of all of them; it shall be signed by any other director of the listed entity who is duly authorized by the board of directors to sign the financial results.
 - (c) The limited review report shall be placed before theboard of directors, at its meeting which approves the financial results, before being submitted to the stock exchange(s).
 - (d) The annual audited financial results shall be approved by the board of directors of the listed entity and shall be signed in the manner specified in clause (b) of sub-regulation (2).
- (3) The listed entity shall submit the financial results in the following manner:
 - (a) The listed entity shall submit quarterly and year-to-date standalone financial results to the stock exchange within forty-five days of end of each quarter, other than the last quarter.
 - (b) In case the listed entity has subsidiaries, in addition to the requirement at clause (a) of sub-regulation (3), the listed entity may also submit quarterly/year-to-date consolidated financial results subject to following:
 - (i) the listed entity shall intimate to the stock exchange, whether or not listed entity opts to additionally submit quarterly/year-to-date consolidated financial results in the first quarter of the financial year and this option shall not be changed during the financial year.
 - Provided that this option shall also be applicable to listed entity that is required to prepare consolidated financial results for the first time at the end of a financial year in respect of the quarter during the financial year in which the listed entity first acquires the subsidiary.
 - (ii) in case the listed entity changes its option in any subsequent year, it shall furnish comparable figures for the previous year in accordance with the option exercised for the current financial year.
 - (c) The quarterly and year-to-date financial results may be either audited or unaudited subject to the following:
 - (i) In case the listed entity opts to submit unaudited financial results, they shall be subject to limited review by the statutory auditors of the listed entity and shall be accompanied by the limited review report.
 - Provided that in case of public sector undertakings this limited review may be undertaken by any practicing Chartered Accountant.
 - (ii) In case the listed entity opts to submit audited financial results, they shall be accompanied by the audit report.

- (d) The listed entity shall submit audited standalone financial results for the financial year, within sixty days from the end of the financial year along with the audit report and either Form A (for audit report with unmodified opinion) or Form B (for audit report with modified opinion):
 - Provided that if the listed entity has subsidiaries, it shall, while submitting annual audited standalone financial results also submit annual audited consolidated financial results along with the audit report and either Form A (for audit report with unmodified opinion) or Form B (for audit report with modified opinion).
- (e) The listed entity shall also submit the audited financial results in respect of the last quarter along-with the results for the entire financial year, with a note stating that the figures of last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year-to-date figures upto the third quarter of the current financial year.
- (f) The listed entity shall also submit as part of its standalone or consolidated financial results for the half year, by way of a note, a statement of assets and liabilities as at the end of the half-year.
- (4) The applicable formats of the financial results and Form A (for audit report with unmodified opinion) & Form B (for audit report with modified opinion) shall be in the manner as specified by the Board from time to time.
- (5) For the purpose of this regulation, any reference to "quarterly/quarter" in case of listed entity which has listed their specified securities on SME Exchange shall be respectively read as "half yearly/half year" and the requirement of submitting 'year-to-date' financial results shall not be applicable for a listed entity which has listed their specified securities on SME Exchange.
- (6) The Form B and the accompanying annual audit report submitted in terms of clause (d) of sub-regulation (3) shall be reviewed by the stock exchange(s) and Qualified Audit Report Review Committee in manner as specified in Schedule VIII.
- (7) The listed entity shall on the direction issued by the Board, carry out the necessary steps, for rectification of modified opinion and/or submission of revised pro-forma financial results, in the manner specified in Schedule VIII.

Annual Report.

- **34.** (1) The listed entity shall submit the annual report to the stock exchange within twenty one working days of it being approved and adopted in the annual general meeting as per the provisions of the Companies Act, 2013.
- (2) The annual report shall contain the following:
 - (a) audited financial statements i.e. balance sheets, profit and loss accounts etc;
 - (b) consolidated financial statements audited by its statutory auditors;
 - (c) cash flow statement presented only under the indirect method as prescribed in Accounting Standard-3 or Indian Accounting Standard 7, as applicable, specified in Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules framed thereunder or as specified by the Institute of Chartered Accountants of India, whichever is applicable;
 - (d) directors report;
 - (e) management discussion and analysis report either as a part of directors report or addition thereto;
 - (f) for the top hundred listed entities based on market capitalization (calculated as on March 31 of every financial year), business responsibility report describing the initiatives taken by them from an environmental, social and governance perspective, in the format as specified by the Board from time to time:

Provided that listed entities other than top 100 listed companies based on market capitalization and listed entities which have listed their specified securities on SME Exchange, may include these business responsibility reports on a voluntary basis in the format as specified.

(3) The annual report shall contain any other disclosures specified in Companies Act, 2013 along with other requirements as specified in Schedule V of these regulations.

Annual Information Memorandum.

35. The listed entity shall submit to the stock exchange(s) an Annual Information Memorandum in the manner specified by the Board from time to time.

Documents & Information to shareholders.

- **36.** (1) The listed entity shall send the annual report in the following manner to the shareholders:
 - (a) Soft copies of full annual report to all those shareholder(s) who have registered their email address(es) for the purpose;

- (b) Hard copy of statement containing the salient features of all the documents, as prescribed in Section 136 of Companies Act, 2013 or rules made thereunder to those shareholder(s) who have not so registered;
- (c) Hard copies of full annual reports to those shareholders, who request for the same.
- (2) The listed entity shall send annual report referred to in sub-regulation (1), to the holders of securities, not less than twenty-one days before the annual general meeting.
- (3) In case of the appointment of a new director or re-appointment of a director the shareholders must be provided with the following information:
 - (a) a brief resume of the director;
 - (b) nature of his expertise in specific functional areas;
 - (c) disclosure of relationships between directors inter-se;
 - (d) names of listed entities in which the person also holds the directorship and the membership of Committees of the board; and
 - (e) shareholding of non-executive directors.

Draft Scheme of Arrangement & Scheme of Arrangement.

- 37. (1)Without prejudice to provisions of regulation 11, the listed entity desirous of undertaking a scheme of arrangement or involved in a scheme of arrangement, shall file the draft scheme of arrangement, proposed to be filed before any Court or Tribunal under sections 391-394 and 101 of the Companies Act, 1956 or under Sections 230-234 and Section 66 of Companies Act, 2013, whichever applicable, with the stock exchange(s) for obtaining Observation Letter or No-objection letter, before filing such scheme with any Court or Tribunal,in terms of requirements specified by the Board or stock exchange(s) from time to time.
 - (2) The listed entity shall not file any scheme of arrangement under sections 391-394 and 101 of the Companies Act, 1956 or under Sections 230-234 and Section 66 of Companies Act, 2013 ,whichever applicable, with any Court or Tribunal unless it has obtained observation letter or No-objection letter from the stock exchange(s).
 - (3) The listed entity shall place the Observation letter or No-objection letter of the stock exchange(s) before the Court or Tribunal at the time of seeking approval of the scheme of arrangement:

 Provided that the validity of the 'Observation Letter' or No-objection letter of stock exchanges shall be six months from the date of issuance, within which the draft scheme of arrangement shall be submitted to the Court or Tribunal .
 - (4) The listed entity shall ensure compliance with the other requirements as may be prescribed by the Board from time to time.
 - (5) Upon sanction of the Scheme by the Court or Tribunal, the listed entity shall submit the documents, to the stock exchange(s), as prescribed by the Board and/or stock exchange(s) from time to time.

Minimum Public Shareholding.

38. The listed entity shall comply with the minimum public shareholding requirements specified in Rule 19(2) and Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 in the manner as specified by the Board from time to time: Provided that provisions of this regulation shall not apply to entities listed on institutional trading platform without making a public issue.

Issuance of Certificates or Receipts/Letters/Advices for securities and dealing with unclaimed securities.

- **39.** (1) Thelisted entity shall comply with Rule 19(3) of Securities Contract (Regulations) Rules, 1957 in respect of Letter/Advices of Allotment, Acceptance or Rights, transfers, subdivision, consolidation, renewal, exchanges, issuance of duplicates thereof or any other purpose.
- (2) The listed entity shall issue certificates or receipts or advices, as applicable, of subdivision, split, consolidation, renewal, exchanges, endorsements, issuance of duplicates thereof or issuance of new certificates or receipts or advices, as applicable, in cases of loss or old decrepit or worn out certificates or receipts or advices, as applicable within a period of thirty days from the date of such lodgement.
- (3) The listed entity shall submit information regarding loss of share certificates and issue of the duplicate certificates, to the stock exchange within two days of its getting information.
- (4) The listed entity shall comply with the procedural requirements specified in Schedule VI while dealing with securities issued pursuanttothepublicissueoranyother issue, physical or otherwise, which remain unclaimed and/or are lying in the escrow account, as applicable.

Transfer or transmissionor transposition of securities.

40. (1) Save as otherwise specified in provisions of securities laws or Companies Act, 2013 and rules made thereunder, the listed entity shall also comply with the requirements as specified in this regulation for effecting transfer of securities.

(2) The board of directors of a listed entity may delegate the power of transfer of securities to a committee orto complianceofficeror to theregistrar to an issue and/or share transfer agent(s):

Provided that the board of directors and/or the delegated authority shall attend to the formalities pertaining to transfer of securities at least once in a fortnight:

Provided further that the delegated authority shall report on transfer of securities to the board of directors in each meeting.

(3) On receipt of proper documentation, the listed entity shall register transfers of its securities in the name of the transferee(s) and issue certificates or receipts or advices, as applicable, of transfers; or issue any validobjection or intimation to the transferee or transferor, as the case may be, within a period of fifteen days from the date of such receipt of request for transfer:

Provided that the listed entity shall ensure that transmission requests are processed for securities held in dematerialized mode and physical mode within seven days and twenty one days respectively, after receipt of the specified documents:

Provided further that proper verifiable dated records of all correspondence with the investor shall be maintained by the listed entity.

- (4) The listed entity shall not register transfer when any statutory prohibition or any attachment or prohibitory order of a competent authority restrains it from transferring these curities from the name of the transferor(s).
- (5) The listed entity shall not register the transfer of its securities in the name of the transferee(s) when the transferor(s) objects to the transfer:

Provided that the transferor serves on the listed entity, within sixty working days of raising the objection, a prohibitory order of a Court of competent jurisdiction.

- (6) The listed entity shall not decline to, register or acknowledge any transfer of shares, on the ground of the transferor(s) being either alone or jointly with any other person or persons indebted to the listed entity on any account whatsoever.
- (7) The listed entity shall comply with all procedural requirements as specified in Schedule VII with respect to transfer of securities.
- (8) In case the listed entity has not effected transfer of securities within fifteen days or where the listed entity has failed to communicate to the transferee(s)any valid objection to the transfer, within the stipulated time period of fifteen days, the listed entity shall compensate the aggrieved party for the opportunity losses caused during the period of the delay:

Provided that during the intervening period on account of delay in transfer above, the listed entity shall provide all benefits, which have accrued, to the holder of securities in terms of provisions of Section 126 of Companies Act, 2013, and Section 27 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956:

Provided further that in case of any claim, difference or dispute under this sub-regulation the same shall be referred to and decided by arbitration as provided in the bye-laws and/or regulations of the stock exchange(s).

- (9) The listed entity shall ensure that the share transfer agent and/or the in-house share transfer facility, as the case may be, produces a certificate from a practicing company secretary within one month of the end of each half of the financial year, certifying that all certificates have been issued within thirty days of the date of lodgement for transfer, sub-division, consolidation, renewal, exchange or endorsement of calls/allotment monies.
- (10) The listed entity shall ensure that certificate mentioned at sub-regulation (9), shall be filed with the stock exchange(s) simultaneously.
- (11) In addition to transfer of securities, the provisions of this regulation shall also apply to the following:
 - (a) deletion of name of the deceased holder(s) of securities, where the securities are held in the name of two or more holders of securities;
 - (b) transmission of securities to the legal heir(s), where deceased holder of securities was the sole holder of securities;
 - (c) transposition of securities, when there is a change in the order of names in which physical securities are held jointly in the names of two or more holders of securities.

Other provisions relating to securities.

41. (1) The listed entity shall not exercise a lien on its fully paid shares and that in respect of partly paid shares it shall not exercise any lien except in respect of moneys called or payable at a fixed time in respect of such shares.

- (2) The listed entity shall, in case of any amount to be paid in advance of calls on any shares stipulate that such amount may carry interest but shall not in respect thereof confer a right to dividend or to participate in profits.
- (3) The listed entity shall not issue shares in any manner which may confer on any person, superior rights as to voting or dividend vis-à-vis the rights on equity shares that are already listed.
- (4) The listed entity shall, issue or offer in the first instance all shares (including forfeited shares), securities, rights, privileges and benefits to subscribe pro rata basis, to the equity shareholders of the listed entity, unless the shareholders in the general meeting decide otherwise.
- (5) Unless the terms of issue otherwise provide, the listed entity shall not select any of its listed securities for redemption otherwise than on pro-rata basis or by lot.

Record Date or Date of closure of transfer books.

- **42.** (1) The listed entity shall intimate the record date to all the stock exchange(s) where it is listed for the following purposes:
 - (a) declaration of dividend;
 - (b) issue of right or bonus shares;
 - (c) issue of shares for conversion of debentures or any other convertible security;
 - (d) shares arising out of rights attached to debentures or any other convertible security
 - (e) corporate actions like mergers, de-mergers, splits and bonus shares, where stock derivatives are available on the stock of listed entity or where listed entity's stocks form part of an index on which derivatives are available:
 - (f) such other purposes as may be specified by the stock exchange(s).
- (2) The listed entity shall give notice in advance of at least seven working days (excluding the date of intimation and the record date) to stock exchange(s) of record date specifying the purpose of the record date.
- (3) The listed entity shall recommend or declare all dividend and/or cash bonuses at least five working days (excluding the date of intimation and the record date) before the record date fixed for the purpose.
- (4) The listed entity shall ensure the time gap of at least thirty days between two record dates.
- (5) For securities held in physical form, the listed entity may, announce dates of closure of its transfer books in place of record date for complying with requirements as specified in sub-regulations (1) to (4):

Provided that the listed entity shall ensure that there is a time gap of at least thirty days between two dates of closure of its transfer books.

Dividends.

- **43.** (1) The listed entity shall declare and disclose the dividend on per share basis only.
- (2) The listed entity shall not forfeit unclaimed dividends before the claim becomes barred by law and such forfeiture, if effected, shall be annulled in appropriate cases.

Voting by shareholders.

- **44.** (1) The listed entity shall provide the facility of remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions.
- (2) The e-voting facility to be provided to shareholders in terms of sub-regulation (1), shall be provided in compliance with the conditions specified under the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, or amendments made thereto.
- (3) The listed entity shall submit to the stock exchange, within forty eight hours of conclusion of its General Meeting, details regarding the voting results in the format specified by the Board.
- (4) The listed entity shall send proxy forms to holders of securities in all cases mentioning that a holder may vote either for or against each resolution.

Change in name of the listed entity.

- **45.** (1) The listed entity shall be allowed to change its name subject to compliance with the following conditions:
 - (a) a time period of at least one year has elapsed from the last name change;
 - (b) at least fifty percent. of the total revenue in the preceding one year period has been accounted for by the new activity suggested by the new name; or
 - (c) the amount invested in the new activity/project is at least fifty percent. of the assets of the listed entity:

Provided that if any listed entity has changed its activities which are not reflected in its name, it shall change its name in line with its activities within a period of six months from the change of activities in compliance of provisions as applicable to change of name prescribed under Companies Act, 2013.

Explanation.- For the purpose of this regulation, -

- (i) 'assets' of the listed entity means the sum of fixed assets, advances, works in Progress / Inventories, investments, trade receivables, cash & cash equivalents;
- (ii) 'advances' shall include only those amounts extended to contractors and suppliers towards execution of project, specific to new activity as reflected in the new name.
- (2) On satisfaction of conditions at sub-regulation (1), the listed entity shall file an application for name availability with Registrar of Companies.
- (3) On receipt of confirmation regarding name availability from Registrar of Companies, before filing the request for change of name with the Registrar of Companies in terms of provisions laid down in Companies Act, 2013 and rules made thereunder, the listed entity shall seek approval from Stock Exchange by submitting a certificate from chartered accountant stating compliance with conditions at sub-regulation (1).

Website.

- **46.** (1) The listed entity shall maintain a functional website containing the basic information about the listed entity.
 - (2) The listed entity shall disseminate the following information on its website:
 - (a) details of its business;
 - (b) terms and conditions of appointment of independent directors;
 - (c) composition of various committees of board of directors;
 - (d) code of conduct of board of directors and senior management personnel;
 - (e) details of establishment of vigil mechanism/ Whistle Blower policy;
 - (f) criteria of making payments to non-executive directors, if the same has not been disclosed in annual report;
 - (g) policy on dealing with related party transactions;
 - (h) policy for determining 'material' subsidiaries;
 - (i) details of familiarization programmes imparted to independent directors including the following details:-
 - (i) number of programmes attended by independent directors (during the year and on a cumulative basis till date),
 - (ii) number of hours spent by independent directors in such programmes (during the year and on cumulative basis till date), and
 - (iii) other relevant details
 - (j) the email address for grievance redressal and other relevant details;
 - (k) contact information of the designated officials of the listed entity who are responsible for assisting and handling investor grievances;
 - (1) financial information including:
 - (i) notice of meeting of the board of directors where financial results shall be discussed;
 - (ii) financial results, on conclusion of the meeting of the board of directors where the financial results were approved;
 - (iii) complete copy of the annual report including balance sheet, profit and loss account, directors report, corporate governance report etc;
 - (m) shareholding pattern;
 - (n) details of agreements entered into with the media companies and/or their associates, etc;
 - (o) schedule of analyst or institutional investor meet and presentations made by the listed entity to analysts or institutional investors simultaneously with submission to stock exchange;

- (p) new name and the old name of the listed entity for a continuous period of one year, from the date of the last name change;
- (q) itemsin sub-regulation (1) of regulation 47.
- (3) (a) The listed entity shall ensure that the contents of the website are correct.
 - (b) The listed entity shall update any change in the content of its website within two working days from the date of such change in content.

Advertisements in Newspapers.

- **47.** (1) The listed entity shall publish the following information in the newspaper:
 - (a) notice of meeting of the board of directors where financial results shall be discussed
 - (b) financial results, as specified in regulation 33, along-with the modified opinion(s) or reservation(s), if any, expressed by the auditor:

Provided that if the listed entity has submitted both standalone and consolidated financial results, the listed entity shall publish consolidated financial results along-with (1) Turnover, (2) Profit before tax and (3) Profit after tax, on a stand-alone basis, as a foot note; and a reference to the places, such as the website of listed entity and stock exchange(s), where the standalone results of the listed entity are available.

- (c) statements of deviation(s) or variation(s) as specified in sub-regulation (1) of regulation 32 on quarterly basis, after review by audit committee and its explanation in directors report in annual report;
- (d) notices given to shareholders by advertisement.
- (2) The listed entity shall give a reference in the newspaper publication, in sub-regulation (1), to link of the website of listed entity and stock exchange(s), where further details are available.
- (3) The listed entity shall publish the information specified in sub-regulation (1) in the newspaper simultaneously with the submission of the same to the stock exchange(s).
 - Provided that financial results at clause (b) of sub-regulation (1), shall be published within 48 hours of conclusion of the meeting of board of directors at which the financial results were approved.
- (4) The information at sub-regulation (1) shall be published in at least one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the listed entity is situated:

Provided that the requirements of this regulation shall not be applicable in case of listed entities which have listed their specified securities on SME Exchange.

Accounting Standards.

48. The listed entity shall comply with all the applicable and notified Accounting Standards from time to time.

CHAPTER V

OBLIGATIONS OF LISTED ENTITY WHICH HAS LISTED ITS NON-CONVERTIBLE DEBT SECURITIES OR NON-CONVERTIBLE REDEEMABLE PREFERENCE SHARES OR BOTH

Applicability.

- 49. (1) The provisions of this chapter shall apply only to a listed entity which has listed its 'Non-convertible Debt Securities' and/or 'Non-Convertible Redeemable Preference Shares' on a recognised stock exchange in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 or Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013 respectively.
- (2) The provisions of this chapter shall also be applicable to "perpetual debt instrument" and "perpetual non-cumulative preference share" listed by banks.

Explanation (1).-For the purpose of this chapter, "Bank" means any bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934.

Explanation(2).- For the purpose of this chapter, if the listed entity has listed its non-convertible redeemable preference shares:

(i) The reference to "interest" may also read as dividend;

(ii) The provisions concerning debenture trustees and security creation (or asset cover or charge on assets) shall not be applicable for "non-convertible redeemable preference shares"

Intimation to stock exchange(s).

- **50.** (1) The listed entity shall give prior intimation to the stock exchange(s) at least eleven working days before the date on and from which the interest on debentures and bonds, and redemption amount of redeemable shares or of debentures and bonds shall be payable.
- (2) The listed entity shall intimate the stock exchange(s), its intention to raise funds through new non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares it proposes to list either through a public issue or on private placement basis, prior to issuance of such securities:
 - Provided that the above intimation may be given prior to the meeting of board of directors wherein the proposal to raise funds through new non convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares shall be considered.
- (3) The listed entity shall intimate to the stock exchange(s), at least two working days in advance, excluding the date of the intimation and date of the meeting, regarding the meeting of its board of directors, at which the recommendation or declaration of issue of non convertible debt securities or any other matter affecting the rights or interests of holders of non convertible debt securities or non convertible redeemable preference shares is proposed to be considered.

Disclosure of information having bearing on performance/operation of listed entity and/or price sensitive information.

51.(1) The listed entity shall promptly inform the stock exchange(s) of all information having bearing on the performance/operation of the listed entity, price sensitive information or any action that shall affect payment of interest or dividend of non-convertible preference shares or redemption of non convertible debt securities or redeemable preference shares.

Explanation.-The expression 'promptly inform', shall imply that the stock exchange must be informed as soon as practically possible and without any delay and that the information shall be given first to the stock exchange(s) before providing the same to any third party.

(2) Without prejudice to the generality of sub-regulation(1), the listed entity who has issued or is issuing non convertible debt securities and/or non-convertible redeemable preference shares shall make disclosures specified in Part B of Schedule III.

Financial Results.

- **52.** (1) The listed entity shall prepare and submit un-audited or audited financial results on a half yearly basis in the format as specified by the Board within forty five days from the end of the half year to the recognised stock exchange(s).
- (2) The listed entity shall comply with following requirements with respect to preparation, approval, authentication and publication of annual and half-yearly financial results:
 - (a) Un-audited financial results shall be accompanied by limited review report prepared by the statutory auditors of the listed entity or in case of public sector undertakings, by any practising Chartered Accountant, in the format as specified by the Board:
 - Provided that if the listed entity intimates in advance to the stock exchange(s) that it shall submit to the stock exchange(s) its annual audited results within sixty days from the end of the financial year, un-audited financial results for the last half year accompanied by limited review report by the auditors need not be submitted to stock exchange(s).
 - (b) Half-yearly results shall be taken on record by the board of directors and signed by the managing director / executive director.
 - (c) The audited results for the year shall be submitted to the recognised stock exchange(s) in the same format as is applicable for half-yearly financial results.
 - (d) If the listed entity opts to submit un-audited financial results for the last half year accompanied by limited review report by the auditors, it shall also submit audited financial results for the entire financial year, as soon as they are approved by the board of directors.
 - (e) Modified opinion(s) in audit reports that have a bearing on the interest payment/ dividend payment pertaining to non-convertible redeemable debentures/ redemption or principal repayment capacity of the listed entity

shall be appropriately and adequately addressed by the board of directors while publishing the accounts for the said period.

- (3) (a) The annual audited financial results shall be submitted along with the annual audit report and either Form A for audit report with unmodified opinion, or Form B for audit report with modified opinion.
 - (b) The Form B and the accompanying annual audit report submitted in terms of clause (a) shall be reviewed by the stock exchange(s) and the Qualified Audit Report Review Committee in the manner specified in Schedule VIII.
 - (c) The listed entity shall on the direction issued by the Board, carry out the necessary steps, for rectification of modified opinion and/or submission of revised pro-forma financial results, in the manner specified in Schedule VIII.
 - (d) The applicable formats of Form A and Form B shall be specified by the Board from time to time.
- (4) The listed entity, while submitting half yearly / annual financial results, shall disclose the following line items along with the financial results:
 - (a) credit rating and change in credit rating (if any);
 - (b) asset cover available, in case of non convertible debt securities;
 - (c) debt-equity ratio;
 - (d) previous due date for the payment of interest/ dividend for non-convertible redeemable preference shares/ repayment of principal of non-convertible preference shares /non convertible debt securities and whether the same has been paid or not; and,
 - (e) next due date for the payment of interest/ dividend of non-convertible preference shares /principal along with the amount of interest/ dividend of non-convertible preference shares payable and the redemption amount;
 - (f) debt service coverage ratio;
 - (g) interest service coverage ratio;
 - (h) outstanding redeemable preference shares (quantity and value);
 - (i) capital redemption reserve/debenture redemption reserve;
 - (i) net worth;
 - (k) net profit after tax;
 - (1) earnings per share:

Provided that the requirement of disclosures of debt service coverage ratio, asset cover and interest service coverage ratio shall not be applicable for banks or non banking financial companies registered with the Reserve Bank of India.

Provided further that the requirement of this sub- regulation shall not be applicable in case of unsecured debt instruments issued by regulated financial sector entities eligible for meeting capital requirements as specified by respective regulators.

- (5) While submitting the information required under sub- regulation (4), the listed entity shall submit to stock exchange(s), a certificate signed by debenture trustee that it has taken note of the contents.
- (6) The listed entity which has listed its non convertible redeemable preference shares shall make the following additional disclosures as notes to financials:
 - (a) profit for the half year and cumulative profit for the year;
 - (b) free reserve as on the end of half year;
 - (c) securities premium account balance (if redemption of redeemable preference share is to be done at a premium, such premium may be appropriated from securities premium account):
 - Provided that disclosure on securities premium account balance may be provided only in theyear in which non convertible redeemable preference shares are due for redemption;
 - (d) track record of dividend payment on non convertible redeemable preference shares: Provided that in case the dividend has been deferred at any time, then the actual date of payment shall be disclosed;
 - (e) breach of any covenants under the terms of the non convertible redeemable preference shares:

Provided that in case a listed entity is planning a fresh issuance of shares whose end use is servicing of the non convertible redeemable preference shares (whether dividend or principle redemption), then the same shall be disclosed whenever the listed entity decided on such issuances.

- (7) The listed entity shall submit to the stock exchange on a half yearly basis along with the half yearly financial results, a statement indicating material deviations, if any, in the use of proceeds of issue of non convertible debt securities and non-convertible redeemable preference shares from the objects stated in the offer document.
- (8) The listed entity shall, within two calendar days of the conclusion of the meeting of the board of directors, publish the financial results and statement referred to in sub-regulation (4), in at least one English national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India.

Annual Report.

- **53.** The annual report of the listed entity shall contain disclosures as specified in Companies Act, 2013 along with the following:
 - (a) audited financial statements i.e. balance sheets, profit and loss accounts etc;
 - (b) cash flow statement presented only under the indirect method as prescribed in Accounting Standard-3/ Indian Accounting Standard 7, mandated under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules framed thereunder or by the Institute of Chartered Accountants of India, whichever is applicable;
 - (c) auditors report;
 - (d) directors report;
 - (e) name of the debenture trustees with full contact details;
 - (f) related party disclosures as specified in Para A of Schedule V.

Asset Cover.

- **54.**(1) In respect of its listed non-convertible debt securities, the listed entity shall maintain hundred percent. asset cover sufficient to discharge the principal amount at all times for the non-convertible debt securities issued.
- (2) The listed entity shall disclose to the stock exchange in quarterly, half-yearly, year-to-date and annual financial statements, as applicable, the extent and nature of security created and maintained with respect to its secured listed non-convertible debt securities.
- (3) The requirement specified in sub-regulation (1), shall not be applicable in case of unsecured debt securities issued by regulated financial sector entities eligible for meeting capital requirements as specified by respective regulators.

Credit Rating.

55. Each rating obtained by the listed entity with respect to non-convertible debt securities shall be reviewed at least once a year by a credit rating agency registered by the Board.

Documents and Intimation to Debenture Trustees.

- **56.** (1) The listed entity shall forward the following to the debenture trustee promptly:
 - (a) a copy of the annual report at the same time as it is issued along with a copy of certificate from the listed entity's auditors in respect of utilisation of funds during the implementation period of the project for which the funds have been raised:

Provided that in the case of debentures or preference shares issued for financing working capital or general corporate purposes or for capital raising purposes the copy of the auditor's certificate may be submitted at the end of each financial year till the funds have been fully utilised or the purpose for which these funds were intended has been achieved.

- (b) a copy of all notices, resolutions and circulars relating to-
 - (i) new issue of non convertible debt securities at the same time as they are sent to shareholders/ holders of non convertible debt securities;
 - (ii) the meetings of holders of non-convertible debt securities at the same time as they are sent to the holders of non convertible debt securities or advertised in the media including those relating to proceedings of the meetings;
- (c) intimations regarding:
 - (i) any revision in the rating;
 - (ii) any default in timely payment of interest or redemption or both in respect of the non convertible debt securities;
 - (iii) failure to create charge on the assets;
- (d) a half-yearly certificate regarding maintenance of hundred percent. asset cover in respect of listed non convertible debt securities, by either a practicing company secretary or a practicing chartered accountant,

along with the half yearly financial results:

Provided that submission of such half yearly certificates is not applicable in cases where a listed entity is a bank or non banking financial companies registered with Reserve Bank of India or where bonds are secured by a Government guarantee.

- (2) The listed entity shall forward to the debenture trustee any such information sought and provide access to relevant books of accounts as required by the debenture trustee.
- (3) The listed entity may, subject to the consent of the debenture trustee, send the information stipulated in sub-regulation (1), in electronic form/fax.

Other submissions to stock exchange(s).

- **57.**(1) The listed entity shall submit a certificate to the stock exchange within two days of the interest or principal or both becoming due that it has made timely payment of interests or principal obligations or both in respect of the non convertible debt securities.
- (2) The listed entity shall provide an undertaking to the stock exchange(s) on annual basis stating that all documents and intimations required to be submitted to Debenture Trustees in terms of Trust Deed and Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 have been complied with.
- (3) The listed entity shall forward to the stock exchange any other information in the manner and format as specified by the Board from time to time.

Documents and information to holders of non-convertible debt securities and non-convertible preference shares 58.(1) The listed entity shall send the following documents:

- (a) Soft copies of full annual reports to all the holders of non-convertible preference sharewho have registered their email address(es) for the purpose;
- (b) Hard copy of statement containing the salient features of all the documents, as specified in Section 136 of Companies Act, 2013 and rules made thereunder to those holders of non convertible preference share who have not so registered;
- (c) Hard copies of full annual reports to those holders of non convertible debt securities and non convertible preference share, who request for the same.
- (d) Half yearly communication as specified in sub-regulation (4) and (5) of regulation 52, to holders of non convertible debt securities and non convertible preference shares;
- (2) The listed entity shall send the notice of all meetings of holders of non convertible debt securities and holders of non-convertible redeemable preference shares specifically stating that the provisions for appointment of proxy as mentioned in Section 105 of the Companies Act, 2013, shall be applicable for such meeting.
- (3) The listed entity shall send proxy forms to holders of non convertible debt securities and non-convertible redeemable preference shares which shall be worded in such a manner that holders of these securities may vote either for or against each resolution.

Structure of non convertible debt securities and non convertibleredeemable preference shares.

- **59.**(1) The listed entity shall not make material modification without prior approval of the stock exchange(s) where the non convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares, as applicable, are listed, to:
 - (a) the structure of the debenture in terms of coupon, conversion, redemption, or otherwise.
 - (b) the structure of the non-convertible redeemable preference shares in terms of dividend of non-convertible preference shares payable, conversion, redemption, or otherwise.
- (2) The approval of the stock exchange referred to in sub-regulation (1) shall be made only after:
 - (a) approval of the board of directors and the debenture trustee in case of non-convertible debt securities and
 - (b) after complying with the provisions of Companies Act, 2013 including approval of the consent of requisite majority of holders of that class of securities.

Record Date

60.(1) The listed entity shall fix a record date for purposes of payment of interest, dividend and payment of redemption or repayment amount or for such other purposes as specified by the stock exchange.

(2) The listed entity shall give notice in advance of atleasts evenworking days (excluding the date of intimation and the record date) to the recognised stock exchange(s) of the record date or of as many days as the stock exchange(s) may agree to or require specifying the purpose of the record date.

Terms of non convertible debt securities and non convertible redeemable preference shares.

61.(1) The listed entity shall ensure timely payment of interest or dividend of non-convertible redeemable preference shares or redemption payment:

Provided that the listed entity shall not declare or distribute any dividend wherein it has defaulted in payment of interest on debt securities or redemption thereof or in creation of security as per the terms of the issue of debt securities:

Provided further that this requirement shall not be applicable in case of unsecured debt securities issued by regulated financial sector entities eligible for meeting capital requirements as specified by respective regulators.

- (2)The listed entity shall not forfeit unclaimed interest/dividend and such unclaimed interest/dividend shall be transferred to the 'Investor Education and Protection Fund' set up as per Section 125 of the Companies Act, 2013.
- (3)Unless the terms of issue provide otherwise, the listed entity shall not select any of its listed securities for redemption otherwise than pro rata basis or by lot.
- (4) The listed entity shall comply with requirements as specified in regulation 40 for transfer of securities including procedural requirements specified in Schedule VII.

Website.

- 62.(1) The listed entity shall maintain a functional website containing the following information about the listed entity:
 - (a) details of its business;
 - (b) financial information including complete copy of the annual report including balance sheet, profit and loss account, directors report etc;
 - (c) contact information of the designated officials of the listed entity who are responsible for assisting and handling investor grievances;
 - (d) email address for grievance redressal and other relevant details;
 - (e) name of the debenture trustees with full contact details;
 - (f) the information, report, notices, call letters, circulars, proceedings, etc concerning non-convertible redeemable preference shares or non convertible debt securities;
 - (g) all information and reports including compliance reports filed by the listed entity;
 - (h) information with respect to the following events:
 - (i) default by issuer to pay interest on or redemption amount;
 - (ii) failure to create a charge on the assets;
 - (iii) revision of rating assigned to the non convertible debt securities:
- (2) The listed entity may also issue a press release with respect to the events specified in sub-regulation (1).
- (3) The listed entity shall ensure that the contents of the website are correct and updated at any given point of time.

CHAPTER VI

OBLIGATIONS OF LISTED ENTITY WHICH HAS LISTED ITS SPECIFIED SECURITIES AND EITHER NON-CONVERTIBLE DEBT SECURITIES OR NON-CONVERTBLE REDEEMABLE PREFERENCE SHARES OR BOTH

Applicability of Chapters IV and V.

- **63.** (1) Entity which has listed its 'specified securities' and 'non-convertible debt securities' or 'non-convertible redeemable preference shares' or both on any recognised stock exchange, shall be bound by the provisions in Chapter IV of these regulations.
- (2) The listed entity described in sub-regulation (1) shall additionally comply with the following regulations in Chapter V:

- (a) regulation 50(2),(3);
- (b) regulation 51;
- (c) regulation 52(3), (4), (5) and (6);
- (d) regulation 53
- (e) regulation 54
- (f) regulation 55
- (g) regulation 56
- (h) regulation 57
- (i) regulation 58
- (j) regulation 59
- (k) regulation 60
- (l) regulation 61:

Provided that the listed entity which has submitted any information to the stock exchange in compliance with the disclosure requirements under Chapter IV of these regulations, need not re-submit any such information under the provisions of this regulations without prejudice to any power conferred on the Board or the stock exchange or any other authority under any law to seek any such information from the listed entity:

Provided further that the listed entity, which has satisfied certain obligations in compliance with other chapters, shall not separately satisfy the same conditions under this chapter.

Delisting.

- **64.** (1) In the event specified securities of the listed entity are delisted from the stock exchange, the listed entity shall comply with all the provisions in Chapter V of these regulations.
- (2) In the event that non-convertible debt securities and non-convertible redeemable preference shares' of the listed entity do not remain listed on the stock exchange, the listed entity shall comply with all the provisions in Chapter IV of these regulations.

CHAPTER VII

OBLIGATIONS OF LISTED ENTITY WHICH HAS LISTED ITS INDIAN DEPOSITORY RECEIPTS

Applicability.

65. The provisions of this chapter shall apply to listed entity whose securities market regulators are signatories to the Multilateral Memorandum of Understanding of International Organization of Securities Commission issuing 'Indian Depository Receipts' as defined under Rule 13 of the Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014.

Definitions.

- 66. For the purpose of this chapter, unless the context otherwise requires -
 - (a) "IDR Holder(s)" shall mean holder(s) of Indian Depository Receipts.
 - (b) "Depository Agreement" shall mean an agreement between the listed entity and the domestic depository
 - (c) "Home Country" or "country of origin" shall mean the country or parent country where the listed entity is incorporated and listed.
 - (d) "Security holder" shall mean holder of the security or equity shares of the listed entity in the home country.

General Obligations of listed entity.

- **67.**(1) All correspondences filed with the stock exchange(s) and those sent to the IDR Holders shall be in English.
- (2) The listed entity shall comply, at all times, with the rules/regulations/laws of the country of origin.
- (3) The listed entity shall undertake that the competent Courts, Tribunals and regulatory authorities in India shall have jurisdiction in the event of any dispute, either with the stock exchange or any investor, concerning the India Depository Receipts offered or subscribed or bought in India.
- (4) The listed entity shall forward, on a continuous basis, any information requested by the stock exchange, in the interest of investors from time to time.
- (5) In case of any claim, difference or dispute under the provisions of this chapter and other provisions of these regulations applicable to the listed entity, the same shall be referred to and decided by arbitration as provided in the bye-laws and regulations of the stock exchange(s).

Disclosure of material events or information.

- **68.**(1) The listed entity shall promptly inform to the stock exchange(s) of all events which are material, all information which is price sensitive and/or have bearing on performance/operation of the listed entity.
- (2) Without prejudice to the generality of sub-regulation(1), the listed entity shall make the disclosures as specified in Part C of Schedule III.

Indian Depository Receipt holding pattern & Shareholding details.

- **69.**(1) The listed entity shall file with the stock exchange the Indian Depository Receipt holding pattern on a quarterly basis within fifteen days of end of the quarter in the format specified by the Board.
- (2) The listed entity shall file the following details with the stock exchange as is required to be filed in compliance with the disclosure requirements of the listing authority or stock exchange in its home country or any other jurisdiction where the securities of the listed entity are listed:
 - (a) Shareholding Pattern;
 - (b) Pre and post arrangement share holding pattern and Capital Structure in case of any corporate restructuring like mergers/amalgamations

Periodical Financial Results.

- **70.**(1) The listed entity shall file periodical financial results with the stock exchange in such manner and within such time and to the extent that it is required to file as per the listing requirements of the home country.
- (2) The listed entity shall comply with the requirements with respect to preparation and disclosures in financial results as specified in Part B of Schedule IV.

Annual Report.

- **71.**(1)The listed entity shall submit to stock exchange an annual report at the same time as it is disclosed to the security holder in its home country or in other jurisdictions where such securities are listed.
- (2) The annual report shall contain the following:
 - (a) Report of board of directors;
 - (b) Balance Sheet;
 - (c) Profit and Loss Account;
 - (d) Auditors Report;
 - (e) All periodical and special reports (if applicable);
 - (f) Any such other report which is required to be sent to security holders annually.
- (3) The listed entity shall comply with the requirements with respect to preparation and disclosures in financial results in annual report as specified in Part B of Schedule IV.

Corporate Governance.

- **72.**(1) The listed entity shall comply with the corporate governance provisions as applicable in its home country and other jurisdictions in which its equity shares are listed.
- (2) The listed entity shall submit to stock exchange a comparative analysis of the corporate governance provisions that are applicable in its home country and in the other jurisdictions in which its equity shares are listed along with the compliance of the same vis-à-vis the corporate governance requirements applicable under regulation 17 to regulation 27, to other listed entities.

Documents and Information to IDR Holder.

- **73.** The listed entity shall disclose/send the following documents to IDR Holders, at the same time and to the extent that it discloses to security holders in its home country or in other jurisdictions where its securities are listed:
 - (a) Soft copies of the annual report to all the IDR holders who have registered their email address(es) for the purpose
 - (b) Hard copy of the annual report to those IDR holders who request for the same either through domestic depository or Compliance Officer
 - (c) the pre and post arrangement capital structure and share holding pattern in case of any corporate restructuring like mergers / amalgamations and other schemes

Equitable Treatment to IDR Holders.

- 74. (1)If the listed entity's equity shares or other securities representing equity shares are also listed on the stock exchange(s) in countries other than its home country, it shall ensure that IDR Holders are treated in a manner equitable with security holders in home country.
- (2) The listed entity shall ensure that for all corporate actions, except those which are not permitted by Indian laws, it shall treat IDR holders in a manner equitable with security holders in the home country.
- (3) In case of take-over or delisting or buy-back of its equity shares, the listed entity shall, while following the laws applicable in its home country, give equitable treatment to IDR holders vis-à-vis security holder in home country.
- (4) The listed entity shall ensure protection of interests of IDR holders particularly with respect to all corporate benefits permissible under Indian laws and the laws of its home country and shall address all investor grievances adequately.

Advertisements in Newspapers.

- **75.** (1)The listed entity shall publish the following information in the newspaper:
 - (a) periodical financial results required to be disclosed;
 - (b) Notices given to its IDR Holders by advertisement;
- (2) The information specified in sub-regulation (1) shall be issued in at one English national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one Hindi national daily newspaper in India.

Terms of Indian Depository Receipts.

- **76.** (1) The listed entity shall pay the dividend as per the timeframe applicable in its home country or other jurisdictions where its securities are listed, whichever is earlier, so as to reach the IDR Holders on or before the date fixed for payment of dividend to holders of its equity share or other securities.
- (2) The listed entity shall not forfeit unclaimed dividends before the claim becomes barred by law in the home country of the listed entity, as may be applicable, and that such forfeiture, when effected, shall be annulled in appropriate cases.
- (3) The Indian Depository Receipts shall have two-way fungibility in the manner specified by the Board from time to time.

Structure of Indian Depository Receipts.

- 77. (1) The listed entity shall ensure that the underlying shares of IDRs shall rank *pari-passu* with the existing shares of the same class and the fact of having different classes of shares based on different criteria, if any, shall be disclosed by the listed entity in the annual report.
- (2) The listed entity shall not exercise a lien on the fully paid underlying shares, against which the IDRs are issued, and that in respect of partly paid underlying shares, against which the IDRs are issued and shall also not exercise any lien except in respect of moneys called or payable at a fixed time in respect of such underlying shares.
- (3) The listed entity, subject to the requirements under the laws and regulations of its home country, if any amount be paid up in advance of calls on any underlying shares against which the IDRs are issued, shall stipulate that such amount may carry interest but shall not in respect thereof confer a right to dividend or to participate in profits.

Record Date.

- **78.** (1) The listed entity, where it is required so to do in its home country or other jurisdictions where its securities may be listed, shall fix the record date for the purpose of payment of dividends or distribution of any other corporate benefits to IDR Holders.
- (2) The listed entity shall give notice in advance ofatleast fourworkingdaysto the recognised stock exchange(s) of record date specifying the purpose of the record date.

Voting.

- **79.** (1) The listed entity shall, either directly or through an agent, send out proxy forms to IDR Holders in all cases mentioning that a security holder may vote either for or against each resolution.
- (2) Voting rights of the IDR Holders shall be exercised in accordance with the depository agreement.

Delisting of Indian Depository Receipt.

80.(1) The listed entity shall, if it decides to delist Indian Depository Receipts, give fair and reasonable treatment to IDR holders.

- (2) The listed entity shall comply with such norms and conditions for delisting Indian Depository Receipts as specified by the Board or stock exchange in this regard.
- (3) The listed entity shall, in case underlying equity shares are delisted, shall delist and cancel the Indian Depository Receipts.

CHAPTER VIII

OBLIGATIONS OF LISTED ENTITY WHICH HAS LISTED ITS SECURITISED DEBT INSTRUMENTS Applicability.

- **81.** (1) The provisions of this chapter shall apply to Special Purpose Distinct Entity issuing securitised debt instruments and trustees of Special Purpose Distinct Entity shall ensure compliance with each of the provisions of these regulations.
- (2) The expressions "asset pool", "clean up call option", "credit enhancement", "debt or receivables", "investor", "liquidity provider", "obligor", "originator", "regulated activity", "scheme", "securitization", "securitized debt instrument", "servicer", "special purpose distinct entity", "sponsor" and "trustee" shall have the same meaning as assigned to them under Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008;

Intimation and filings with stock exchange(s).

- **82.** (1)The listed entity shall intimate the Stock exchange, of its intention to issue new securitized debt instruments either through a public issue or on private placement basis (if it proposes to list such privately placed debt securities on the Stock exchange) prior to issuing such securities.
- (2) The listed entity shall intimate to the stock exchange(s), at least two working days in advance, excluding the date of the intimation and date of the meeting, regarding the meeting of its board of trustees, at which the recommendation or declaration of issue of securitized debt instruments or any other matter affecting the rights or interests of holders of securitized debt instruments is proposed to be considered.
- (3) The listed entity shall submit such statements, reports or information including financial information pertaining to Schemes to stock exchangewithinseven days from the end of the month/ actual payment date, either by itself or through the servicer, on a monthly basis in the format as specified by the Board from time to time:

Provided that where periodicity of the receivables is not monthly, reporting shall be made for the relevant periods.

(4) The listed entity shall provide the stock exchange, either by itself or through the servicer, loan level information, without disclosing particulars of individual borrowers, in manner specified by stock exchange.

Disclosure of information having bearing on performance/operation of listed entity and/or price sensitive information.

- **83.**(1) The listed entity shall promptly inform the stock exchange(s) of all information having bearing on the on performance/operation of the listed entity and price sensitive information.
- (2) Without prejudice to the generality of sub-regulation(1), the listed entity shall make the disclosures specified in Part D of Schedule III.

Explanation.- The expression 'promptly inform', shall imply that the stock exchange must be informed must as soon as practically possible and without any delay and that the information shall be given first to the stock exchange(s) before providing the same to any third party.

Credit Rating.

- **84.** (1) Every rating obtained by the listed entity with respect to securitised debt instruments shall be periodically reviewed, preferably once a year, by a credit rating agency registered by the Board.
- (2) Any revision in rating(s) shall be disseminated by the stock exchange(s).

Information to Investors.

- **85.**(1) The listed entity shall provide either by itself or through the servicer, loan level information without disclosing particulars of individual borrower to its investors.
- (2) The listed entity shall provide information regarding revision in rating as a result of credit rating done periodically in terms of regulation 84 above to its investors.
- (3) The information at sub-regulation (1) and (2) may be sent to investors in electronic form/fax if so consented by the investors.

(4) The listed entity shall display the email address of the grievance redressal division and other relevant details prominently on its website and in the various materials / pamphlets/ advertisement campaigns initiated by it for creating investor awareness.

Terms of Securitized Debt Instruments.

- **86.**(1) The listed entity shall ensure that no material modification shall be made to the structure of the securitized debt instruments in terms of coupon, conversion, redemption, or otherwise without prior approval of the recognised stock exchange(s) where the securitized debt instruments are listed and the listed entity shall make an application to the recognised stock exchange(s) only after the approval by Trustees.
- (2) The listed entity shall ensure timely interest/redemption payment.
- (3) The listed entity shall ensure that where credit enhancement has been provided for, it shall make credit enhancement available for listed securitized debt instruments at all times.
- (4) The listed entity shall not forfeit unclaimed interest and principal and such unclaimed interest and principal shall be, after a period of seven years, transferred to the Investor Protection and Education Fund established under the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund)Regulations, 2009.
- (5) Unless the terms of issue provide otherwise, the listed entity shall not select any of its listed securitized debt instruments for redemption otherwise than on pro rata basis or by lot and shall promptly submit to the recognised stock exchange(s) the details thereof.
- (6) The listed entity shall remain listed till the maturity or redemption of securitised debt instruments or till the same are delisted as per the procedure laid down by the Board

Provided that the provisions of this sub-regulation shall not restrict the right of the recognised stock exchange(s) to delist, suspend or remove the securities at any time and for any reason which the recognised stock exchange(s) considers proper in accordance with the applicable legal provisions.

Record Date.

- **87.**(1) The listed entity shall fix a record date for payment of interest and payment of redemption or repayment amount or for such other purposes as specified by the recognised stock exchange(s).
- (2) The listed entity shall give notice in advance of atleasts evenworking days (excluding the date of intimation and the record date) to the recognised stock exchange(s) of the record date or of as many days as the Stock Exchange may agree to or require specifying the purpose of the record date.

CHAPTER IX

OBLIGATIONS OF LISTED ENTITY WHICH HAS LISTED ITS MUTUAL FUND UNITS

Applicability.

- **88.**(1)The provisions of this chapter shall apply to the asset management company managing the mutual fund scheme whose units are listed on the recognised stock exchange(s).
- (2) Notwithstanding anything contained in this chapter, the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and directions issued thereunder shall apply on the listed entity and to the schemes whose units are listed on the recognised stock exchange(s).

Definitions.

89. The expressions "Asset Management Company", "Net Asset Value", "Scheme", "Unit" and "Unit Holder" shall have the same meaning as assigned to them under Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996;

Submission of Documents.

- 90. (1) The listed entity shall intimate to the recognised stock exchange(s) the information relating to daily Net Asset Value, monthly portfolio, half yearly portfolio of those schemes whose units are listed on the recognised stock exchange(s) in the format as specified under Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and directions issued there under.
- (2) The listed entity shall intimate to the recognised stock exchange(s) in the manner specified by the recognised stock exchange(s) of:
 - (a) movement in unit capital of those schemes whose units are listed on the recognised stock exchange(s);
 - (b) rating of the scheme whose units are listed on the recognised stock exchange(s) and any changes in the rating thereof (wherever applicable);

- (c) imposition of penalties and material litigations against the listed entity and Mutual Fund;
- (d) any prohibitory orders restraining the listed entity from transferring units registered in the name of the unit holders.

Dissemination on the website of stock exchange(s).

91. The listed entity shall submit such information and documents, which are required to be disseminated on the listed entity's website in terms of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and directions issued there under, to the recognised stockexchange for dissemination.

CHAPTER X

DUTIES AND OBLIGATIONS OF THE RECOGNISED STOCK EXCHANGE(S)

Dissemination.

- **92.**(1) Upon receipt of relevant intimations, information, filings, reports, statements, documents or any other submissions in terms of these regulations, from the listed entity the recognised stock exchange(s) shall immediately disseminate the same on its website.
- (2) The disseminations by the recognised stock exchange(s) as mentioned in sub-regulation (1) shall be made in organised, user friendly and easily referable manner including by providing hyperlinks for easy accessibility.

Transferability.

93. The recognised stock exchange(s) shall coordinate with Depositories to ensure compliance with the applicable laws or directions of the Board or any competent court with regard to freezing / unfreezing, lock-in/ release of lock-in with respect to securities issued or managed by the listed entity.

Draft Scheme of Arrangement & Scheme of Arrangement.

- **94.** (1) The designated stock exchange, upon receipt of draft schemes of arrangement and the documents prescribed by the Board, as per sub-regulation (1) of regulation 37, shall forward the same to the Board, in the manner prescribed by the Board.
- (2) The stock exchange(s) shall submit to the Board its Objection Letter or No-Objection Letter on the draft scheme of arrangement after inter-alia ascertaining whether the draft scheme of arrangement is in compliance with securities laws within thirty days of receipt of draft scheme of arrangement or within seven days of date of receipt of satisfactory reply on clarifications from the listed entity and/or opinion from independent chartered accountant, if any, sought by stock exchange(s), as applicable.
- (3) The stock exchange(s), shall issue Observation Letter or No-objection letter to the listed entity within seven days of receipt of comments from the Board, after suitably incorporating such comments in the Observation Letter or No-objection letter:
 - Provided that the validity of the 'Observation Letter' or No-objection letter of stock exchanges shall be six months from the date of issuance.
- (4) The stock exchange(s) shall bring the observations or objections, as the case may be, to the notice of Court or Tribunal at the time of approval of the scheme of arrangement.
- (5) Upon sanction of the Scheme by the Court or Tribunal, the designated stock exchange shall forward its recommendations to the Board on the documents submitted by the listed entity in terms of sub-regulation (5) of regulation 37.

Form Baccompanying Annual Audit Report.

95. The recognised stock exchange(s) shall review the Form B and the accompanying annual audit report, submitted in terms of clause (d) of sub-regulation (3) of regulation 33 and clause (a) of sub-regulation (3) of regulation 52, in the manner specified in Schedule VIII.

Grievance Redressal.

96. The recognised stock exchange(s) shall redress/facilitate redressal of complaints of holders of listed securities from time to time.

Monitoring of Compliance/Non Compliance & Adequacy/Accuracy of the disclosures

- **97.** (1) The recognised stock exchange(s) shall monitor complianceby the listed entity with provisions of these regulations.
- (2) The recognised stock exchange(s) shall also monitor adequacy/accuracy of the disclosures made by listed entity with respect to provisions of these regulations.
- (3) The recognised stock exchange(s) shall submit a report to the Board, with respect to the obligations specified in subregulations (1) and (2), in the manner specified by the Board.

(4) The recognised stock exchange(s) shall put in place appropriate framework including adequate manpower and such infrastructure as may be required to comply with the provisions of this regulation.

CHAPTER XI

PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT

Liability for contravention of the Act, rules or the regulations.

- **98.**(1)The listed entity or any other person thereof who contravenes any of the provisions of these regulations, shall, in addition to liability for action in terms of the securities laws, be liable for the following actions by the respective stock exchange(s), in the manner specified in circulars or guidelines issued by the Board:
 - (a) imposition of fines;
 - (b) suspension of trading;
 - (c) freezing of promoter/promoter group holding of designated securities, as may be applicable, in coordination with depositories.
 - (d) any other action as may be specified by the Board from time to time
- (2) The manner of revocation of actions specified in clauses (b) and (c) of sub-regulation (1), shall be as specified in circulars or guidelines issued by the Board.

Failure to pay fine.

99. If listed entity fails to pay any fine imposed on it within such period as specified from time to time, by the recognised stock exchange(s), after a notice in writing has been served on it, the stock exchange may initiate action.

CHAPTER XII

MISCELLANEOUS

Amendments to other regulations.

100. The regulations specified in the Schedule IX to these regulations shall be amended in the manner and to the extent stated therein.

Power to remove difficulties.

- **101.** (1) In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Board may issue clarifications through guidance notes or circulars after recording reasons in writing.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such guidance notes or circulars may provide for all or any of the following matters, namely:
 - (a) procedural aspects including intimation to be given, documents to be submitted;
 - (b) disclosure requirements;
 - (c) listing conditions.

Power to relax strict enforcement of the regulations.

- 102. The Board may in the interest of investors and securities market and for the development of the securities market, relax the strict enforcement of any requirement of these regulations, if the Board is satisfied that:
 - (a) any provision of Act(s), Rule(s), regulation(s) under which the listed entity is established or is governed by, is required to be given precedence to; or
 - (b) the requirement may cause undue hardship to investors; or
 - (c) the disclosure requirement is not relevant for a particular industry or class of listed entities; or
 - (d) the requirement is technical in nature; or
 - (e) thenon-compliance is caused due to factors affecting a class of entities but being beyond the control of the entities.

Repeal and Savings

- **103.**(1) On and from the commencement of these regulations, all circulars stipulating or modifying the provisions of the listing agreements including those specified in Schedule X,shall stand rescinded.
- (2) Notwithstanding such rescission, anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any enquiry or investigation commenced or show cause notice issued in respect of the circulars specified in sub-regulation (1) or the Listing Agreements, entered into between stock exchange(s) and listed entity, in force prior to the commencement of these regulations, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

SCHEDULE I – TERMS OF SECURITIES

[See Regulation 12]

The listed entity shall use thefacility of electronic clearing services or real time gross settlement or national electronic funds transfer as follows:-

- (1) the listed entity either directly or through their Registrar to an Issue and/or Share Transfer Agent, shall use electronic clearing services (local, regional or national), direct credit, real time gross settlement, national electronic funds transfer etc for making payment of dividend/interest on securities issued/redemption or repayment amount.
- (2) the listed entity or Share Transfer Agent shall maintain bank details of their investors as follows -
 - (a) for investors holding securities in dematerialized mode, by seeking the same from the depositories.
 - (b) for investors holding securities in physical mode, by updating bank details of the investors at their end.
- (3) In cases where either the bank details such as Magnetic Ink Character Recognition, Indian Financial System Code, etc. that are required for making electronic payment are not available or the electronic payment instructions have failed or have been rejected by the bank, listed entity or share transfer agent shall issue 'payable-at-par' warrants/ cheques for making payments:

Provided that the listed entity shall mandatorily print the bank account details of the investors on such payment instruments and in cases where the bank details of investors are not available, the listed entity shall mandatorily print the address of the investor on such payment instructions.

SCHEDULE II: CORPORATE GOVERNANCE

PART A: MINIMUM INFORMATION TO BE PLACED BEFORE BOARD OF DIRECTORS

[See Regulation 17(7)]

- A. Annual operating plans and budgets and any updates.
- B. Capital budgets and any updates.
- C. Quarterly results for the listed entity and its operating divisions or business segments.
- D. Minutes of meetings of audit committee and other committees of the board of directors.
- E. The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the level of board of directors, including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.
- F. Show cause, demand, prosecution notices and penalty notices, which are materially important.
- G. Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems.
- H. Any material default in financial obligations to and by the listed entity, or substantial non-payment for goods sold by the listed entity.
- I. Any issue, which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgement or order which, may have passed strictures on the conduct of the listed entity or taken an adverse view regarding another enterprise that may have negative implications on the listed entity.
- J. Details of any joint venture or collaboration agreement.
- K. Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity, or intellectual property.
- L. Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in Human Resources/ Industrial Relations front like signing of wage agreement, implementation of Voluntary Retirement Scheme etc.
- M. Sale of investments, subsidiaries, assets which are material in nature and not in normal course of business.
- N. Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.
- O. Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.

PART B: COMPLIANCE CERTIFICATE

[See Regulation 17(8)]

The following compliance certificate shall be furnished by chief executive officer and chief financial officer:

- A. They have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of their knowledge and belief:
 - (1) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

- (2) these statements together present a true and fair view of the listed entity's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- B. There are, to the best of their knowledge and belief, no transactions entered into by the listed entity during the year which are fraudulent, illegal or violative of the listed entity's code of conduct.
- C. They accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that they have evaluated the effectiveness of internal control systems of the listed entity pertaining to financial reporting and they have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which they are aware and the steps they have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- D. They have indicated to the auditors and the Audit committee
 - (1) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - (2) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (3) instances of significant fraud of which they have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the listed entity's internal control system over financial reporting.

PART C: ROLE OF THE AUDIT COMMITTEE AND REVIEW OF INFORMATION BY AUDIT COMMITTEE

[See Regulation 18(3)]

- A. The role of the audit committee shall include the following:
 - (1) oversight of the listed entity's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;
 - (2) recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the listed entity;
 - (3) approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors;
 - (4) reviewing, with the management, the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the board for approval, with particular reference to:
 - (a) matters required to be included in the director's responsibility statement to be included in the board's report in terms of clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013;
 - (b) changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - (c) major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - (d) significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - (e) compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;
 - (f) disclosure of any related party transactions;
 - (g) modified opinion(s) in the draft audit report;
 - (5) reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the board for approval;
 - (6) reviewing, with the management, the statement of uses / application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document / prospectus / notice and the report submitted by the monitoring agency monitoring the utilisation of proceeds of a public or rights issue, and making appropriate recommendations to the board to take up steps in this matter;
 - (7) reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;
 - (8) approval or any subsequent modification of transactions of the listed entity with related parties;
 - (9) scrutiny of inter-corporate loans and investments;
 - (10) valuation of undertakings or assets of the listed entity, wherever it is necessary;
 - (11) evaluation of internal financial controls and risk management systems;
 - (12) reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems;
 - (13) reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;
 - (14) discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on;
 - (15) reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the board;
 - (16) discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;

- (17) to look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;
- (18) to review the functioning of the whistle blower mechanism;
- (19) approval of appointment of chief financial officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate;
- (20) Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the audit committee.
- B. The audit committee shall mandatorily review the following information:
 - (1) management discussion and analysis of financial condition and results of operations;
 - (2) statement of significant related party transactions (as defined by the audit committee), submitted by management;
 - (3) management letters / letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors;
 - (4) internal audit reports relating to internal control weaknesses; and
 - (5) the appointment, removal and terms of remuneration of the chief internal auditor shall be subject to review by the audit committee.
 - (6) statement of deviations:
 - (a) quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to stock exchange(s) in terms of Regulation 32(1).
 - (b) annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/prospectus/notice in terms of Regulation 32(7).

PART D: ROLE OF COMMITTEES (OTHER THAN AUDIT COMMITTEE)

[See Regulation 19(4) and 20(4)]

A. ROLE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE :Role of committee shall, inter-alia, include the following:

- (1) formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the board of directors a policy relating to, the remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees;
- (2) formulation of criteria for evaluation of performance of independent directors and the board of directors;
- (3) devising a policy on diversity of board of directors;
- (4) identifying persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down, and recommend to the board of directors their appointment and removal.
- (5) whether to extend or continue the term of appointment of the independent director, on the basis of the report of performance evaluation of independent directors.

B. Stakeholders Relationship Committee

The Committee shall consider and resolve the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer of shares, non-receipt of annual report and non-receipt of declared dividends.

PART E: DISCRETIONARY REQUIREMENTS

[See Regulation 27(1)]

A. The Board

A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.

B. Shareholder Rights

A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last sixmonths, may be sent to each household of shareholders.

C. Modified opinion(s) in audit report

The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.

D. Separate posts of chairperson and chief executive officer

The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief

executive officer.

E. Reporting of internal auditor

The internal auditor may report directly to the audit committee.

SCHEDULE III

PART A: DISCLOSURES OF EVENTS OR INFORMATION: SPECIFIED SECURITIES

[See Regulation 30]

The following shall be events/information, upon occurrence of which listed entity shall make disclosure to stock exchange(s):

A. Events which shall be disclosed <u>without any</u> application of the guidelines for materiality as specified in sub-regulation (4) of regulation (30):

1. Acquisition(s) (including agreement to acquire), Scheme of Arrangement (amalgamation/ merger/ demerger/restructuring), or sale or disposal of any unit(s), division(s) or subsidiary of the listed entity or any other restructuring.

Explanation.- For the purpose of this sub-para, the word 'acquisition' shall mean,-

- (i) acquiring control, whether directly or indirectly; or,
- (ii)acquiring or agreeing to acquire shares or voting rights in, a company, whether directly or indirectly, such that -
 - (a) the listed entity holds shares or voting rights aggregating to five per cent or more of the shares or voting rights in the said company, or;
 - (b) there has been a change in holding from the last disclosure made under sub-clause (a) of clause (ii) of the Explanation to this sub-para and such change exceeds two per cent of the total shareholding or voting rights in the said company.
- 2. Issuance or forfeiture of securities, split or consolidation of shares, buyback of securities, any restriction on transferability of securities or alteration in terms or structure of existing securities including forfeiture, reissue of forfeited securities, alteration of calls, redemption of securities etc.
- Revision in Rating(s).
- 4. Outcome of Meetings of the board of directors: The listed entity shall disclose to the Exchange(s), within 30 minutes of the closure of the meeting, held to consider the following:
 - a) dividends and/or cash bonuses recommended or declared or the decision to pass any dividend and the date on which dividend shall be paid/dispatched;
 - b) any cancellation of dividend with reasons thereof;
 - c) the decision on buyback of securities;
 - d) the decision with respect to fund raising proposed to be undertaken
 - e) increase in capital by issue of bonus shares through capitalization including the date on which such bonus shares shall be credited/dispatched;
 - f) reissue of forfeited shares or securities, or the issue of shares or securities held in reserve for future issue or the creation in any form or manner of new shares or securities or any other rights, privileges or benefits to subscribe to;
 - g) short particulars of any other alterations of capital, including calls;
 - h) financial results:
 - i) decision on voluntary delisting by the listed entity from stock exchange(s).
- 5. Agreements (viz. shareholder agreement(s), joint venture agreement(s), family settlement agreement(s) (to the extent that it impacts management and control of the listed entity), agreement(s)/treaty(ies)/contract(s) with media companies) which are binding and not in normal course of business, revision(s) or amendment(s) and termination(s) thereof.
- 6. Fraud/defaults by promoter or key managerial personnel or by listed entity or arrest of key managerial personnel or promoter.
- 7. Change in directors, key managerial personnel (Managing Director, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Company Secretary etc.), Auditor and Compliance Officer.
- 8. Appointment or discontinuation of share transfer agent.
- 9. Corporate debt restructuring.
- 10. One time settlement with a bank.
- 11. Reference to BIFR and winding-up petition filed by any party / creditors.
- 12. Issuance of Notices, call letters, resolutions and circulars sent to shareholders, debenture holders or creditors or any class of them or advertised in the media by the listed entity.
- 13. Proceedings of Annual and extraordinary general meetings of the listed entity.
- 14. Amendments to memorandum and articles of association of listed entity, in brief.

- 15. Schedule of Analyst or institutional investor meet and presentations on financial results made by the listed entity to analysts or institutional investors;
- B. Eventswhich shall be disclosed upon application of the guidelines for materiality referred subregulation (4) of regulation (30):
- Commencement or any postponement in the date of commencement of commercial production or commercial operations of any unit/division.
- 2. Change in the general character or nature of business brought about by arrangements for strategic, technical, manufacturing, or marketing tie-up, adoption of new lines of business or closure of operations of any unit/division (entirety or piecemeal).
- 3. Capacity addition or product launch.
- 4. Awarding, bagging/ receiving, amendment or termination of awarded/bagged orders/contracts not in the normal course of business.
- 5. Agreements (viz. loan agreement(s) (as a borrower) or any other agreement(s) which are binding and not in normal course of business) and revision(s) or amendment(s) or termination(s) thereof.
- 6. Disruption of operations of any one or more units or division of the listed entity due to natural calamity (earthquake, flood, fire etc.), force majeure or events such as strikes, lockouts etc.
- 7. Effect(s) arising out of change in the regulatory framework applicable to the listed entity
- 8. Litigation(s) / dispute(s) / regulatory action(s) with impact.
- 9. Fraud/defaults etc. by directors (other than key managerial personnel) or employees of listed entity.
- 10. Options to purchase securities including any ESOP/ESPS Scheme.
- 11. Giving of guarantees or indemnity or becoming a surety for any third party.
- 12. Granting, withdrawal, surrender, cancellation or suspension of key licenses or regulatory approvals.
- C. Any other information/event viz. major development that is likely to affect business, e.g. emergence of new technologies, expiry of patents, any change of accounting policy that may have a significant impact on the accounts, etc. and brief details thereof and any other information which is exclusively known to the listed entity which may be necessary to enable the holders of securities of the listed entity to appraise its position and to avoid the establishment of a false market in such securities.
- D. Without prejudice to the generality of para (A), (B) and (C) above, the listed entity may make disclosures of event/information as specified by the Board from time to time.

PART B: DISCLOSURE OF INFORMATION HAVING BEARING ON PERFORMANCE/OPERATION OF LISTED ENTITY AND/OR PRICE SENSITIVE INFORMATION: NON-CONVERTIBLE DEBT SECURITIES & NON-CONVERTIBLE REDEEMABLE PREFERENCE SHARES

[See Regulation 51(2)]

- A. The listed entity shall promptly inform to the stock exchange(s) of all information which shall have bearing on performance/operation of the listed entity or is price sensitive or shall affect payment of interest or dividend of non-convertible preference shares or redemption of non convertible debt securities or redeemable preference shares including:
 - (1) expected default in timely payment of interests/preference dividend or redemption or repayment amount or both in respect of the non-convertible debt securities and non-convertible redeemable preference sharesand also default in creation of security for debentures as soon as the same becomes apparent;
 - (2) any attachment or prohibitory orders restraining the listed entity from transferring non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares from the account of the registered holders along-with the particulars of the numbers of securities so affected, the names of the registered holders and their demat account details;
 - (3) any action which shall result in the redemption, conversion, cancellation, retirement in whole or in part of any non-convertible debt securities or reduction, redemption, cancellation, retirement in whole or in part of any non-convertible redeemable preference shares;
 - (4) any action that shall affect adversely payment of interest on non-convertible debt securities or payment of dividend on non-convertible redeemable preference shares including default by issuer to pay interest on non-convertible debt securities or redemption amount and failure to create a charge on the assets;
 - (5) any change in the form or nature of any of its non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares that are listed on the stock exchange(s) or in the rights or privileges of the holders thereof and make an application for listing of the securities as changed, if the stock exchange(s) so require;
 - (6) any changes in the general character or nature of business/activities, disruption of operation due to natural calamity, and commencement of commercial production/commercial operations;
 - (7) any events such as strikes and lock outs. which have a bearing on the interest payment/ dividend payment / principal repayment capacity;
 - (8) details of any letter or comments made by debenture trustees regarding payment/non-payment of interest on due dates, payment/non-payment of principal on the due dates or any other matter concerning the security, listed entity and /or the assets along with its comments thereon, if any;

- (9) delay/default in payment of interest or dividend/principal amount/redemption for a period of more than three months from the due date;
- (10) failure to create charge on the assets within the stipulated time period;
- (11) any instance(s) of default/delay in timely repayment of interests or principal obligations or both in respect of the debt securities including, any proposal for re-scheduling or postponement of the repayment programmes of the dues/debts of the listed entity with any investor(s)/lender(s).
 Explanation.- For the purpose of this sub-para, 'default' shall mean Non-payment of interest or principal amount in full on the pre-agreed date and shall be recognized at the first instance of delay in servicing of any interest or principal on debt.
- (12) any major change in composition of its board of directors, which may amount to change in control as defined in Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (13) any revision in the rating;
- (14) the following approvals by board of directors in their meeting:-
 - (a) the decision to pass any interest payment;
 - (b) short particulars of any increase of capital whether by issue of bonus securities through capitalization, or by way of right securities to be offered to the debenture holders, or in any other way;
- (15) all the information, report, notices, call letters, circulars, proceedings, etc concerning non-convertible redeemable preference shares or non-convertible debt securities;
- (16) any other change that shall affect the rights and obligations of the holders of non-convertible debt securities / non-convertible redeemable preference shares, any other information not in the public domain necessary to enable the holders of the listed securities to clarify its position and to avoid the creation of a false market in such listed securities or any other information having bearing on the operation/performance of the listed entity as well as price sensitive information.

PART C: DISCLOSURES OF MATERIAL EVENTS OR INFORMATION: INDIAN DEPOSITORY RECEIPTS

[See Regulation 68(2)]

- A. The listed entity shall promptly inform to the stock exchange(s) of all events which are material and/or all information which are price sensitive or have bearing on performance/operation of the listed entity at the same time and to the extent it intimates to the listing authority or any other authority in its home country or other jurisdictions where its securities may be listed or other stock exchange(s) in its home country or other jurisdictions where its securities may be listed including:
 - (1) any action or investigations initiated by any regulatory or statutory authority and the purpose for which it was initiated.
 - (2) any attachment or prohibitory orders restraining the listed entity from transferring securities out of the names of the registered holders and particulars of the registered holders thereof.
 - (3) the meeting of the board of directors which has been held to consider or decide on the following:
 - (a) all dividends and/or cash bonuses recommended or declared or the decision to pass any dividend or cash bonus:
 - (b) the total turnover, gross profit/loss, provision for depreciation, tax provisions and net profits for the year (with comparison with the previous year) and the amounts appropriated from reserves, capital profits, accumulated profits of past years or other special source to provide wholly or partly for any dividend, even if this calls for qualification that such information is provisional or subject to audit;
 - (c) the recommendation or declaration of dividend or rights issue or issue of convertible debentures or of debentures carrying a right to subscribe to equity shares or the passing over of the dividend;
 - (d) any decision on buy back of equity shares of the listed entity;
 - (4) Change in
 - (a) board of directors of listed entity by death, resignation, removal or otherwise;
 - (b) managing director;
 - (c) auditors appointed to audit the books and accounts;
 - (d) the compliance officer;
 - (e) the registrar to an issue and/or share transfer agent, domestic depository or the overseas custodian bank;

- (5) any change in the rights attaching to any class of equity shares into which the Indian Depository Receipts are exchangeable;
- (6) short particulars of any increase of capital whether by issue of bonus shares through capitalization, or by rights issue of equity shares, or in any other manner;
- (7) short particulars of the reissues of forfeited shares or securities, or the issue of shares or securities held in reserve for future issue or the creation in any form or manner of new shares or securities or any other rights, privileges or benefits to subscribe thereto;
- (8) short particulars of any other alterations of capital, including calls;
- (9) in the event of the listed entity granting any options to purchase any Indian Depository Receipts the following particulars:
 - (a) the number of Indian Depository Receipts covered by such options, terms thereof and the time within which they may be exercised;
 - (b) any subsequent changes or cancellation or exercise of such options;
- (10) Notices, resolutions, circulars, call letters or any other circulars etc. issued or advertised anywhere with respect to:
 - (a) proceedings at all annual and extraordinary general meetings of the listed entity, including notices of meetings and proceedings of meeting;
 - (b) amendments to its constitutional documents as soon as they have been approved by the listed entity in general meeting;
 - (c) compliance with requirements in home country or in other jurisdictions where such securities are listed;
 - (d) any merger, amalgamation, re-construction, reduction of capital, scheme or arrangement involving the listed entity including meetings of equity shareholders, IDR Holders or any class of them and proceedings at all such meetings;
- (11) any other information necessary to enable the IDR Holders to appraise the listed entity's position and to avoid the establishment of a false market in IDRs;
- B. The listed entity shall, apart from complying with all specific requirements as above, intimate the stock exchange(s) immediately of events such as strikes, lock outs, closure on account of power cuts, etc. and other material events or price sensitive information or events which shall have a material bearing on the performance / operations of the listed entity both at the time of occurrence of the event and subsequently after the cessation of the event at the same time and as to the extent that it discloses to holders of securities in its home country or in other jurisdictions where such securities are listed;
- C. In addition to above, the listed entity shall disclose to the stock exchange(s), any information which is disclosed to any other overseas stock exchange(s) or made public in any other overseas securities market, on which its securities may be listed or quoted, simultaneously with such disclosure or publication, or as soon thereafter as may be reasonably practicable;
- D. The listed entity shall submit to the stock exchange(s) on request any other information concerning the listed entity as the stock exchange(s) may reasonably require;

PART D: DISCLOSURE OF INFORMATION HAVING BEARING ON PERFORMANCE/ OPERATION OF LISTED ENTITY AND/OR PRICE SENSITIVE INFORMATION: SECURITISED DEBT INSTRUMENT

[See Regulation 83(2)]

- A. The listed entity shall promptly inform the stock exchange(s) of all information having bearing on the performance/operation of the listed entity and price sensitive information including:
 - (1) any attachment or prohibitory orders restraining the listed entity from transferring securitized debt instruments from the account of the registered holders and particulars of the numbers of securitized debt instruments so affected and the names of the registered holders and their demat account details;
 - (2) any action that shall result in the redemption, conversion, cancellation, retirement in whole or in part of any securitized debt instruments;
 - (3) any action that shall affect adversely payment of interest on securitized debt instruments;
 - (4) any change in the form or nature of any of its securitized debt instruments that are listed on the stock exchange(s) or in the rights or privileges of the holders thereof and to make an application for listing of the said securities as changed, if the stock exchange(s) so requires;

- (5) expected default in timely payment of interest or redemption or repayment amount or both in respect of the securitized debt instruments listed on the recognised stock exchange(s) as soon as the same becomes apparent;
- (6) changes in the General Character or nature of business/activities, disruption of operation due to natural calamity etc;
- (7) revision in rating as a result of credit rating done periodically;
- (8) delay/ default in payment of interest/principal amount to the investors for a period of more than three months from the due date; and
- (9) any other change that shall affect the rights and obligations of the holders of securitized debt instruments, any other information not in the public domain necessary to enable the holders of the listed securitized debt instruments to clarify its position and to avoid the creation of a false market in such listed securities or any other information having bearing on the operation/performance of the listed entity as well as price sensitive information.

SCHEDULE IV

PART A: DISCLOSURES IN FINANCIAL RESULTS

[See Regulation 33(1)(e)]

The listed entity shall disclose the following while preparing the financial results:-

- A. Changes in accounting policies, if any, shall be disclosed in accordance with Accounting Standard 5 or Indian Accounting Standard 8, as applicable, specified in Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules framed thereunder or by the Institute of Chartered Accountants of India, whichever is applicable.
- B. If the auditor has expressed any modified opinion(s) or other reservation(s) in respect of audited financial results submitted or published under this para, the listed entity shall disclose such modified opinion(s) or other reservation(s) and cumulative impact of the same on profit or loss, net worth, total assets, turnover/total income, earning per share or any other financial item(s) which may be impacted due to modified opinion(s) or other reservation(s), while publishing or submitting such results.
- C. If the auditor has expressed any modified opinion(s) or other reservation(s) in his audit report or limited review report in respect of the financial results of any previous financial year or quarter which has an impact on the profit or loss of the reportable period, the listed entity shall include as a note to the financial results
 - (i) how the modified opinion(s) or other reservation(s) has been resolved; or
 - (ii) if the same has not been resolved, the reason thereof and the steps which the listed entity intends to take in the matter.
- D. If the listed entity has changed its name suggesting any new line of business, it shall disclose the net sales or income, expenditure and net profit or loss after tax figures pertaining to the said new line of business separately in the financial results and shall continue to make such disclosures for the three years succeeding the date of change in name:

Provided that the tax expense shall be allocated between the said new line of business and other business of the listed entity in the ratio of the respective figures of net profit before tax, subject to any exemption, deduction or concession available under the tax laws.

- E. If the listed entity had not commercial production or commercial operations during the reportable period, the listed entity shall, instead of submitting financial results, disclose the following details:
 - (i) details of amount raised i.e. proceeds of any issue of shares or debentures made by the listed entity;
 - (ii) the portions thereof which is utilized and that remaining unutilized;
 - (iii) the details of investment made pending utilisation;
 - (iv) brief description of the project which is pending completion;
 - (v) status of the project and
 - (vi) expected date of commencement of commercial production or commercial operations:

Provided that the details mentioned above shall be approved by the board of directors based on certification by the chief executive officer and chief financial officer.

F. All items of income and expenditure arising out of transactions of exceptional nature shall be disclosed.

- G. Extraordinary items, if applicable, shall be disclosed in accordance with Accounting Standard 5 (AS 5 Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies) or Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, whichever is applicable.
- H. The listed entity, whose revenues are subject to material seasonal variations, shall disclose the seasonal nature of their activities and the listed entity may supplement their financial results with information for the twelve month period ending on the last day of the quarter for the current and preceding years on a rolling basis.
- I. The listed entity shall disclose any event or transaction which occurred during or before the quarter that is material to an understanding of the results for the quarter including but not limited to completion of expansion and diversification programmes, strikes and lock-outs, change in management, change in capital structure and the listed entity shall also disclose similar material events or transactions that take place subsequent to the end of the quarter.
- J. The listed entity shall disclose the following in respect of dividends paid or recommended for the year, including interim dividends:
 - (i) amount of dividend distributed or proposed for distribution per share; the amounts in respect of different classes of shares shall be distinguished and the nominal values of shares shall also be indicated;
 - (ii) where dividend is paid or proposed to be paid pro-rata for shares allotted during the year, the date of allotment and number of shares allotted, pro-rata amount of dividend per share and the aggregate amount of dividend paid or proposed to be paid on pro-rata basis.
- K. The listed entity shall disclose the effect on the financial results of material changes in the composition of the listed entity, if any, including but not limited to business combinations, acquisitions or disposal of subsidiaries and long term investments, any other form of restructuring and discontinuance of operations.
- L. The listed entity shall ensure that segment reporting is done in accordance with AS-17 or Indian Accounting Standard 108 as applicable, specified in Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules framed thereunder or by the Institute of Chartered Accountants of India, whichever is applicable.

SCHEDULE IV: PART B: PREPARATION AND DISCLSOURES IN FINANCIAL RESULTS OF LISTED ENTITY WHICH HAS LISTED ITS INDIAN DEPOSITORY RECEIPTS

[See Regulation 70(2) and 71(3)]

The listed entity shall comply with the following requirements while preparing the financial results:-

A. Periodicity of Disclosure of Financial Results

(1) Financial results may be given on annual, half yearly and/or quarterly basis, as required under the requirements of the home country.

B. Accounting Principle to be used in preparation and disclosure of financial Results:

- (1) The listed entity may prepare and disclose its financial results in accordance with Indian GAAP or International Financial Reporting Standards IFRS or US GAAP.
- (2) In case the listed entity prepares and discloses the financial results as per US GAAP, a reconciliation statement vis-a-vis Indian GAAP and summary of significant differences between the Indian GAAP and US GAAP has to be annexed.
- (3) If financial results are prepared in accordance with IFRS, then listed entity shall annex only the summary of significant differences between the Indian GAAP and IFRS.
- (4) If the listed entity is shifting from IFRS to US GAAP or vice versa then the accounts relating to the previous period shall be properly restated for comparison;
- (5) The Accounting / Reporting Standard followed for any interim results shall be consistent with that of the Annual results.
- (6) The financial results so submitted shall be based on the same set of accounting policies as those followed in the previous year provided that in case, there are changes in the accounting policies, the results of previous year shall be restated as per the present accounting policies, to make it comparable with current year results;

C. Auditing/Limited Review

- (1) In case the listed entity prepares and discloses the financial results as per Indian GAAP, the listed entity shall ensure that the annual, half yearly and/or quarterly results, as required under the laws, rules or regulations of home country, shall be audited or subject to limited review by a Chartered Accountant in accordance with Auditing ad Assurance Standards.
- (2) In case the listed entity prepares and discloses the financial results as per US GAAP or IFRS, the listed entity shall ensure that the annual, half yearly and/or quarterly results, as required under the laws, rules or regulations of home country shall be audited or subject to limited review by professional accountant or

certified public accountant in accordance with the International Standards on Auditing. The auditor's report shall also be prepared in accordance with the International Standards on Auditing.

D. Disclosures

(1) The listed entity shall disclose the audit qualification(s) or any other audit reservation(s) along with the financial results in addition to the explanatory statement as to how audit qualification(s) or any other audit reservation(s) in respect of the audited accounts of the previous accounting year have been addressed in the financial results;

(2) Format

- (a) The listed entity shall ensure that, if Indian GAAP is followed in preparation of the financial results the format of the disclosure of financial results shall be as prescribed by the Board.
- (b) In case if Indian GAAP is not followed, the format of such disclosure shall be as per the disclosure requirements of the listed entity in the home country where the listed entity is listed.
- (3) The listed entity shall make disclosures of its financial information in its functional currency/reporting currency/national currency and the reporting currency shall be restricted to Sterling Pound/Euro/Yen/US Dollar.
- (4) The listed entity shall provide convenient translation into Indian Rupees of the latest year's/periods statements (as the case may be) of consolidated profit and losses, assets and liabilities and cash flows, at the closing rate of exchange, as at the date on which the financial information is presented.
- (5) The listed entity shall provide convenient translations in English and other notes such that the IDR Holders are able to understand such financial statements

SCHEDULE V: ANNUAL REPORT

[See Regulation 34(3) and 53(f)]

The annual report shall contain the following additional disclosures:

A. Related Party Disclosure:

- 1. The listed entity shall make disclosures in compliance with the Accounting Standard on "Related Party Disclosures".
- 2. The disclosure requirements shall be as follows:

| Sr. no. | In the accounts of | Disclosures of amounts at the year end and the maximum amount of loans/ advances/ Investments outstanding during the year. | |
|------------|--------------------|--|--|
| 1 | Holding Company | Loans and advances in the nature of loans to subsidiaries by name and amount. Loans and advances in the nature of loans to associates by name and amount. Loans and advances in the nature of loans to firms/companies in which directors are interested by name and amount. | |
| 2 | Subsidiary | Same disclosures as applicable to the parent company in the accounts of subsidiary company. | |
| 3 | Holding Company | Investments by the loanee in the shares of parent company and subsidiary company, when the company has made a loan or advance in the nature of loan. | |

For the purpose of above disclosures directors' interest shall have the same meaning as given in Section184 of Companies Act, 2013.

3. The above disclosures shall be applicable to all listed entities except for listed banks.

B. Management Discussion and Analysis:

- This section shall include discussion on the following matters within the limits set by the listed entity's competitive position:
 - (a) Industry structure and developments.
 - (b) Opportunities and Threats.
 - (c) Segment-wise or product-wise performance.
 - (d) Outlook
 - (e) Risks and concerns.
 - (f) Internal control systems and their adequacy.
 - (g) Discussion on financial performance with respect to operational performance.
 - (h) Material developments in Human Resources / Industrial Relations front, including number of people employed.

2. Disclosure of Accounting Treatment:

Where in the preparation of financial statements, a treatment different from that prescribed in an Accounting Standard has been followed, the fact shall be disclosed in the financial statements, together with the management's explanation as to why it believes such alternative treatment is more representative of the true and fair view of the underlying business transaction.

- C. Corporate Governance Report: The following disclosures shall be made in the section on the corporate governance of the annual report.
 - (1) A brief statement on listed entity's philosophy on code of governance.
 - (2) Board of directors:
 - (a) composition and category of directors (e.g. promoter, executive, non-executive, independent non-executive, nominee director institution represented and whether as lender or as equity investor);
 - (b) attendance of each director at the meeting of the board of directors and the last annual general meeting;
 - (c) number of other board of directors or committees in which a directors is a member or chairperson;
 - (d) number of meetings of the board of directors held and dates on which held;
 - (e) disclosure of relationships between directors inter-se;
 - (f) number of shares and convertible instruments held by non- executive directors;
 - (g) web link where details of familiarisation programmes imparted to independent directors is disclosed.
 - (3) Audit committee:
 - (a) brief description of terms of reference;
 - (b) composition, name of members and chairperson;
 - (c) meetings and attendance during the year.
 - (4) Nomination and Remuneration Committee:
 - (a) brief description of terms of reference;
 - (b) composition, name of members and chairperson;
 - (c) meeting and attendance during the year;
 - (d) performance evaluation criteria for independent directors.
 - (5) Remuneration of Directors:
 - (a) all pecuniary relationship or transactions of the non-executive directors vis-à-vis the listed entity shall be disclosed in the annual report;
 - (b) criteria of making payments to non-executive directors. alternatively, this may be disseminated on the listed entity's website and reference drawn thereto in the annual report;
 - (c) disclosures with respect to remuneration: in addition to disclosures required under the Companies Act, 2013, the following disclosures shall be made:
 - (i) all elements of remuneration package of individual directors summarized under major groups, such as salary, benefits, bonuses, stock options, pension etc;
 - (ii) details of fixed component and performance linked incentives, along with the performance criteria;
 - (iii) service contracts, notice period, severance fees;
 - (iv) stock option details, if any and whether issued at a discount as well as the period over which accrued and over which exercisable.
 - (6) Stakeholders' grievance committee:
 - (a) name of non-executive director heading the committee;
 - (b) name and designation of compliance officer;
 - (c) number of shareholders' complaints received so far;
 - (d) number not solved to the satisfaction of shareholders;
 - (e) number of pending complaints.
 - (7) General body meetings:
 - (a) location and time, where last three annual general meetings held;
 - (b) whether any special resolutions passed in the previous three annual general meetings;
 - (c) whether any special resolution passed last year through postal ballot details of voting pattern;
 - (d) person who conducted the postal ballot exercise;

- (e) whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot;
- (f) procedure for postal ballot.
- (8) Means of communication:
 - (a) quarterly results;
 - (b) newspapers wherein results normally published;
 - (c) any website, where displayed;
 - (d) whether it also displays official news releases; and
 - (e) presentations made to institutional investors or to the analysts.
- (9) General shareholder information:
 - (a) annual general meeting date, time and venue;
 - (b) financial year;
 - (c) dividend payment date;
 - (d) thenameandaddressofeachstock exchange(s)atwhich thelisted entity'ssecurities are listed and a confirmation about payment of annual listing feetoeach of such stock exchange(s);
 - (e) stock code;
 - (f) market price data- high, low during each month in last financial year;
 - (g) performance in comparison to broad-based indices such as BSE sensex, CRISIL Index etc;
 - (h) in case the securities are suspended from trading, the directors report shall explain thereasonthereof;
 - (i) registrar to an issue and share transfer agents;
 - (j) share transfer system;
 - (k) distribution of shareholding;
 - (1) dematerialization of shares and liquidity;
 - (m) outstanding global depository receipts or american depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity;
 - (n) commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities;
 - (o) plant locations;
 - (p) address for correspondence.
- (10) Other Disclosures:
 - (a) disclosures on materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of listed entity at large;
 - (b) details of non-compliance by the listed entity, penalties, strictures imposed on the listed entity by stock exchange(s) or the board or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years;
 - (c) details of establishment of vigil mechanism, whistle blower policy, and affirmation that no personnel has been denied access to the audit committee;
 - (d) details of compliance with mandatory requirements and adoption of the non-mandatory requirements;
 - (e) web link where policy for determining 'material' subsidiaries is disclosed;
 - (f) web link where policy on dealing with related party transactions;
 - (g) disclosure of commodity price risks and commodity hedging activities.
- (11) Non-compliance of any requirement of corporate governance report of sub-paras (2) to (10) above, with reasons thereof shall be disclosed.
- (12) The corporate governance report shall also disclose the extent to which the discretionary requirements as specified in Part E of Schedule II have been adopted.
- (13) The disclosures of the compliance with corporate governance requirements specified in regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46shall be made in the section on corporate governance of the annual report.
- D. Declaration signed by the chief executive officer stating that the members of board of directors and senior management personnel have affirmed compliance with the code of conduct of board of directors and senior management.
- E. Compliance certificate from either the auditors or practicing company secretaries regarding compliance of conditions of corporate governance shall be annexed with the directors' report.
- F. Disclosures with respect to demat suspense account/unclaimedsuspenseaccount

- (1) The listed entity shall disclose the following details in its annual report, as long as there are shares in the demat suspense account or unclaimed suspense account, as applicable:
 - (a) Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the beginning of the year;
 - (b) number of shareholders who approached listed entity for transfer of shares from suspense account during the year;
 - (c) number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year;
 - (d) aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the end of the year;
 - (e) that the voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

SCHEDULE VI: MANNER OF DEALING WITH UNCLAIMED SHARES

[See Regulation 39(4)]

A. The listed entity may delegate the following procedural requirements to a share transfer agent.

B. Reminders to be sent

- (1) The listed entity shall sendat leastthree remindersat theaddress as mentioned below:
 - (a) For shares in physical form, reminders shall be sent to the addressgiveninthe application formaswell aslastavailableaddressasper listed entity's record.
 - (b) For shares in demat form, reminders shall be sent to the address captured depository's database or address given in the application form, in case of application made in physical form.

C. Procedure in case of non receipt of response to reminders

- (1) For shares in demat form, the unclaimed sharesshallbe creditedtoademat suspenseaccount withoneof theDepositoryParticipants,openedbythelisted entityfor thispurpose.
- (2) For shares in physical form, the listed entity shalltransferallthe sharesinto onefoliointhenameof "UnclaimedSuspenseAccount" and shall dematerialise theshares held in theUnclaimedSuspense Accountwithoneof theDepositoryParticipants.
- (3) The listed entity shall maintain details of shareholding of each individual allottee whose shares are credited to such demat suspense account or unclaimed suspense account, as applicable.
- (4) The demat suspense account or unclaimed suspense account, as applicable shall be held by the listed entity purely on behalf of the allottees who are entitled to the shares and the shares held in such suspense account shall not be transferred in any mannerwhatsoever except forthe purposeofallotting thesharestothe allotteeasandwhen he/sheapproachesthelisted entity.
 - Provided that all such shares, in respect of which unpaid or unclaimed dividend has been transferred under Section 124 (5) of the Companies Act, 2013, shall also be transferred by the listed entity in accordance with Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder.

D. Procedure in case of claim by allottee

(1) As andwhentheallotteeapproachesthelisted entity, thelisted entityshall, afterproperverification of theidentity of the allottee either credit the shares lying in the Unclaimed Suspense Account or demat suspense account, as applicable, to the demat account of the allottee to the extent of the allottee's entitlement, or deliver the physical certificates after re-materialising the same, depending on what has been opted for by the allottee:

Provided that there materialising of the physical certificates shall be done only in case where the shares were originally issued in physical form.

E. Dealing with Corporate Benefits (in terms of securities accruing) and Voting Rights on such Unclaimed Shares

- (1) Any corporate benefits in terms of securities accruing on such shares viz. bonus shares, split etc., shall alsobecreditedtosuchdemat suspense account or unclaimedsuspenseaccount, as applicable for a period of seven years and thereafter shall be transferred by the listed entity in accordance with provisions of Section 124(5) read with Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder.
- (2) The voting rights on such unclaimed shares shall remain frozentill the right fullowner claims the shares.

SCHEDULE VII: TRANSFER OF SECURITIES

[See Regulation 40(7) and 61(4)]

A.REQUIREMENT OF PAN

- (1) For registration of transfer of securities, the transferee(s) as well as transferor(s) shall furnish a copy of their PAN card to the listed entity for registration of transfer of securities.
- (2) For securities market transactions and/or for off-market or private transactions involving transfer of shares in physical form, the transferee(s) as well as transferor(s) shall furnish copy of PAN card to the listed entity for registration of such transfer of securities.
- (3) In cases where PAN card is not available i.e. in case of residents of Sikkim, the requirement of PAN Card may be substituted with Identity proof.
- (4) In case of mismatch in PAN card details as well as difference in maiden name and current name, in case of married women, of the holder(s) of securities, the listed entity may collect the PAN card as submitted by the transferee(s) or transferor(s) as the case maybe:
 - Provided that this shall be subject to the listed entity verifying the veracity of the claim of such transferee(s) or transferor(s) by collecting sufficient documentary evidence in support of the identity of the transferee(s) or transferor(s).

B. DIFFERENCES IN SIGNATURE

- (1) In case of minor differences in the signature of the transferor(s), the listed entity shall follow the following procedure for registering transfer of securities:
 - (a) the listed entity shall promptly send to the first transferor(s), via speed post an intimation of the aforesaid defect in the documents and inform the transferor(s)that objection, supported by valid proof, is not lodged by the transferor(s) with the listed entity within fifteen days of receipt of the listed entity's letter, then these curities shall be transferred;
 - (b) if the intimation to the transferor(s) is delivered and the objection from the transferor(s) with supporting documents is not received within fifteen days, the listed entity shall transfer the securities provided the listed entity does not suspect fraud or forgery in the matter:

Provided that the listed entity shall maintain proof of delivery for in their record(s).

- (2) In case of major differences in, or non-availability of, the signature of the transferor(s), the listed entity shall follow the following procedure for registering transfer of securities:
 - (a) The listed entity shall promptly send to the transferee(s), via Speed Post, an Objection Memo along with the documents in original marking the reason as "material signature difference/ non-availability of signature" and an advice to ensure submission of requested documents of the transferor(s);
 - (b) The listed entity shall also send a copy of the Objection memo as per clause (a) of sub-para (2) to the transferor(s), via Speed Post, simultaneously;
 - (c) The above Objection Memo in clause (a) and (b) of sub-para (2) shall also state the requirement of additional documents of transferor(s) as follows for effecting the transfer:
 - (i) an Affidavit to update transferor(s) signature in its records;
 - (ii) an original unsigned cancelled cheque and banker's attestation of the transferor(s) signature and address);
 - (iii) contact details of the transferor(s) and;
 - (d) If the intimation to both the transferor(s) and the transferee(s) are delivered, requested documents of the transferor(s) are submitted to the listed entity and the address attested by the bank tallies with the address available in the database of listed entity, the listed entity, shall transfer the securities provided the listed entity does not suspect fraud or forgery in the matter:

Provided that listed entity shall maintain proof of delivery in their record(s).

C.ADITIONAL DOCUMENTATION REQUIREMENTS IN CASE OF TRANSMISSION OF SECURITIES

- (1) In case of transmission of securities held in dematerialized mode, where the securities are held in a single name without a nominee, for the purpose of following simplified documentation, as prescribed by the depositories vide bye-laws or operating instructions, as applicable, the threshold limit is rupees five lakhs only per beneficiary owner account.
- (2) In case of transmission of securities held in physical mode:
 - (a) where the securities are held in single name with a nominee:
 - (i) duly signed transmission request form by the nominee;
 - (ii) original or copy of death certificate duly attested by a notary public or by a gazetted officer;

- (iii) self attested copy of PAN card of the nominee.
- (b) where the securities are held in single name without a nominee, a affidavit made on appropriate non judicial stamp paper, to the effect of identification and claim of legal ownership to the securities shall be required and additionally
 - (i) for value of securities, threshold limit of upto rupees two lakh only, per listed entity, as on date of application, one or more of the following documents may be submitted:
 - No objection certificate from all legal heir(s) who do not object to such transmission or copy of family settlement deed duly notarized or attested by a gazetted officer and executed by all the legal heirs of the deceased holder;
 - 2. indemnity made on appropriate non judicial stamp paper, indemnifying the listed entity;
 - (ii) for value of securities, threshold limit, more than rupees two lakh, per listed entity, as on date of application, succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree shall be submitted;
 - (iii) the listed entity however, at its discretion, may enhance value of securities, threshold limit, of rupees two lakh.

SCHEDULE VIII - MANNER OF REVIEWING FORM B ACCOMPANYING ANNUAL AUDITED RESULTS

[See Regulations 33(6) and 33(7), 52(3)(b) and 52(3)(c) and 95]

A.REVIEW BY STOCK EXCHANGE(S)

The stock exchange(s) shall adopt the following procedure for reviewing the Form B and accompanying annual audit reports submitted in terms of clause (d) of sub-regulation (3) of regulation 33 and clause (a) of sub-regulation (3) of 52:

- (1) Stock exchange(s) shall carry out preliminary scrutiny of reports accompanied by Form B including seeking necessary explanation from the listed entity concerned and consider the same based on materiality of the modified opinion(s).
- (2) The parameters for ascertaining the materiality of modified opinion(s) shall be the impact of these modified opinions on the profit and loss and financial position of the listed entity.
- (3) For the purpose of uniformity, stock exchange(s) shall consult one another for deciding the criteria for preliminary scrutiny.
- (4) Further, stock exchange(s) shall also consult one another for distributing the work in case shares of the listed entity concerned are listed on more than one stock exchange(s).
- (5) Upon examining the audit reports based on the above parameters, stock exchange(s) shall refer those cases, which, in their opinion, need further examination, to the Board.
- (6) Stock exchange(s) shall display the list of listed entities which have filed their audit reports along with Form B.

B. REVIEW BY THE QUALIFIED AUDIT REPORT REVIEW COMMITTEE

- (1) The qualified audit report review committee shall be constituted by the board comprising of representatives from Institute of Chartered Accountants of India, stock exchange(s), Ministry of Corporate Affairs etc.
- (2) The qualified audit report review committee shall review the cases received from the stock exchange(s) and guide the Board in processing the annual audit reports with modified opinion(s).
- (3) After analyzing the modified opinion(s) in audit reports, qualified audit report review committee may make the following recommendations:
 - (a) If qualified audit report review committee is of the view that the impact of modified opinion is not significant, it may recommend rectification of such modified opinion in the subsequent financial year;
 - (b) If qualified audit report review committee is of the view that the impact of modified opinionis significant and the explanation given by the listed entity concerned in Form B is unsatisfactory, the case may be referred to the Financial Reporting Review Board of Institute of Chartered Accountants of India, for their opinion on whether the modified opinion is justified.
 - (c) Based on the opinion of the financial reporting review board, qualified audit report review committee may recommend the following:

- (i) If Financial Reporting Review Board opines that modified opinion is justified, qualified audit report review committee may recommend submission of revised pro-forma financial results, incorporating the effect of the modified opinion, to the stock exchange(s) in the manner as specified in para (E) below.
- (ii) If financial reporting review board is of the view that modified opinion is not justified, Institute of Chartered Accountants of India may take up the matter appropriately with the statutory auditor of the listed entity.
- (d) If a modified opinion is not quantifiable, qualified audit report review committee may recommend rectification of such modified opinion in the subsequent financial year.
- **C.**Based on the recommendations of qualified audit report review committee and/or the opinion of Financial Reporting Review Board, the Board may direct the listed entity concerned to rectify its modified opinion and/or submit the revised pro-forma financial results in the manner specified in sub-para (3) of para (B).
- D. The Board may, at any stage, in the interest of investors, take any other necessary action as it deems fit.

E. SUBMISSION OF REVISED PRO-FORMA FINANCIAL RESULTS

- (1) The listed entity shall undertake the following steps for submission of revised pro-forma financial results:
 - (a) The listed entity shall submit revised pro-forma financial results, incorporating the effect of the modified opinion, to the stock exchange(s) within two months from the date of receipt of such direction from Board.
 - (b) The accounting impact of such modified opinion shall be carried out as a prior period item in the financial statements of the subsequent financial year.
- **F.** The review of all Form Bs and the accompanying annual audit reports shall be carried out twice a year based on the reports received up to half year ending on June and December of every year and for this purpose, the following timelines are prescribed:

| Activity | To be completed by |
|--|--|
| Filing of annual audit reports and Form A/Form B by the listed entity | As per the regulations |
| Preliminary scrutiny of the reports received during the half year (January - June and July - December each year) by stock exchange(s) and referring cases to the Board | One month from the end of half year ending on June and December each year. |
| Review of the cases by qualified audit report review committee | One month from the date of receipt of report from the stock exchange(s). |
| Referring cases to Financial Reporting Review Board of Institute of Chartered Accountants of India | Fifteen days from the date of decision of the qualified audit report review committee |
| Receipt of reply from Financial Reporting Review Board | One month from the date of referral by qualified audit report review committee |
| Communication of decision on the case to the listed entity concerned and the stock exchange(s). | Fifteen days from the date of decision of qualified audit report review committee / Financial Reporting Review Board |
| Submission of revised pro-forma financial results by the listed entity concerned. | Within two months from the date of letter of communication to the concerned entity. |

SCHEDULE IX- AMENDMENTS TO OTHER REGULATIONS

[See regulation 100]

1. Amendment to Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

(i) For regulation 7 the following shall be substituted, namely:-

"Security Deposit.

- 7. (1) The issuer shall deposit, before the opening of subscription list, and keep deposited with the stock exchange(s), an amount calculated at the rate of one per cent. of the amount of securities offered for subscription to the public.
- (2) The amount specified in sub-regulation (1) shall be deposited in the manner specified by Board and/or stock exchange(s).
- (3) The amount specified in sub-regulation (1) shall be refundable or forfeitable in the manner specified by the Board."
- (ii) In regulation 98, after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely,-
 - "(g) the issuing company shall ensure that the underlying equity shares against which IDRs are issued have been or will be listed in its home country before listing of IDRs in stock exchange(s).
 - (h) the issuing company shall ensure that the underlying shares of IDRs shall rank *pari-passu* with the existing shares of the same class."
- (iii) In regulation 101, for sub-regulation (1) the following shall be substituted, namely:-
 - "(1) The issuing company shall appoint one or more merchant bankers, at least one of whom shall be a lead merchant banker and shall also appoint other intermediaries, in consultation with the lead merchant banker and shall enter into an agreement with the merchant banker on the lines of format of agreement as specified in Schedule II."
- (iv) After regulation 101 and before regulation 102, the following regulation shall be inserted, namely:-

"Agreements with other intermediaries and others.

- **101A.** (1) The issuing company shall appoint a registrar and transfer agent which has connectivity with all the depositories.
- (2) The issuing company shall enter into an agreement with overseas custodian bank and domestic depository.
- (3) The lead merchant banker, after independently assessing the capability of other intermediaries and others to carry out their obligations, shall advise the issuing company on their appointment."
- (v) For regulation 102 the following shall be substituted, namely:-

"Display of bid data and issue of allotment letter.

- **102.** (1) The stock exchange(s) offering online bidding system for the book building process shall display on their website, the data pertaining to book built IDR issue, in the format specified in Part B(2) of Schedule XI, from the date of opening of the bids till at least three days after closure of bids.
- (2) The issuing company shall ensure that letter of allotment for the IDRs are issued simultaneously to all allottees and that in the event of it being impossible to issue letters of regret at the same time, a notice to that effect be issued in the media so that it appears on the morning after the letters of allotment have been dispatched."
- (vi) forregulation 106J the following shall be substituted, namely,-

Period of subscription and issue of allotment letter.

- **106J.** (1)A rights issue shall be open for subscription in India for a period as applicable under the laws of its home country but in no case less than ten days.
- (2) The issuing company shall ensure that it sends the allotment letter of rights to IDR Holders at the time they are sent to shareholders of the issuing company as per the requirement of its home country or other jurisdictions where its securities are listed.
- (vii) in regulation 106M, the words, number and symbol "regulation 7," shall be omitted.
- (viii) Chapter XI shall be renumbered as Chapter XII.
- (ix) Regulations 107, 108, 109, 110 and 111 shall be renumbered as 111, 112, 113, 114 and 115 respectively and any reference thereto in any regulation framed or any circular or guideline issued by the Board shall be read accordingly.
- (x) After Chapter X and before Chapter XII, the following Chapter shall be inserted, namely:—

"CHAPTER XI

LISTING OF SECURITIES ON STOCK EXCHANGES

In-principle approval of recognized stock exchange(s).

- **107.** (1) The issuer or the issuing company, as the case may be, shall obtain in-principle approval from recognised stock exchange as follows:
 - (a) in case of an initial public offer or an issue of Indian Depository Receipts (hereinafter referred to as 'IDRs'), from all the recognised stock exchange(s) on which the issuer or the issuing company, proposes to get its specified securities or IDRs, as the case may be, listed; and
 - (b) in case of other issues, before issuance of further securities, as follows:
 - (i) where the securities are listed only on recognised stock exchange(s) having nationwide trading terminals, from all such stock exchange(s);
 - (ii) where the securities are not listed on any recognised stock exchange having nationwide trading terminals, from all the stock exchange(s) on which the securities of the issuer are proposed to be listed;
 - (iii) where the specified are listed on recognised stock exchange(s) having nationwide trading terminals as well as on the recognised stock exchange(s) not having nationwide trading terminals, from all recognised stock exchange(s) having nationwide trading terminals.

Application for Listing.

- 108. (1) The issuer or the issuing company, as the case may be, shall complete the pre-listing formalities within the time lines specified by the Board from time to time.
- (2) The issuer or the issuing company, as the case may be, shall, make an application for listing, within twenty days from the date of allotment, to one or more recognized stock exchange(s) along with the documents specified by stock exchange(s) from time to time.
- (3) In case of delay in making application for listing beyond twenty days from the date of allotment, the issuer or the issuing company, as the case may be, shall pay penal interest to allottees for each day of delay at the rate of atleastten per cent. per annum from the expiry of thirty days from date of allotment till the listing of such securities to the allottees.
- (4) In the event of non-receipt of listing permission from the stock exchange(s) by the issuer or the issuing company, as the case may be, or withdrawal of Observation Letter issued by the Board, wherever applicable, the securities shall not be eligible for listing and the issuer or the issuing company, as the case may be, shall be liable to refund the subscription monies, if any, to the respective allottees immediately alongwith interest at the rate of ten per cent. per annum from the date of allotment.

Listing Agreement.

- **109.** (1) Every issuer or the issuing company desirous of listing its securities on a recognised stock exchange shall execute a listing agreement with such stock exchange.
- (2) Every issuer or the issuing company which has previously entered into agreement(s) with a recognised stock exchange to list its securities shall execute a fresh listing agreement with such stock exchange within six months of the date of notification of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Obligation of stock exchange(s).

- 110. The stock exchange(s) shall grant in-principle approval/list the securities or reject the application for inprinciple approval /listing by the issuer or issuing company, as the case maybe, within thirty days from the later of the following dates:
 - (a) the date of receipt of application for in-principle approval/listing from issuer or the issuing company, as the case may be,;
 - (b) the date of receipt of satisfactory reply from the issuer or the issuing company, as the case may be, in cases where the stock exchange(s) has sought any clarification from them."
- (xi) In Schedule VIII, in part E in clause 5, in item XVI, after sub-item B and before sub-item C, the following sub-item shall be inserted, namely:-
 - "(BA) Dealing with Fractional Entitlement:Manner of dealing with fractional entitlement viz. payment of the equivalent of the value, if any, of the fractional rights in cash etc."
- (xii) In Schedule XIX, in part A, in item 13, after sub-item(e), the following sub-item shall be inserted, namely:-
 - "(f) Different classes of shares based on different criteria, if any."

(xiii) In Schedule XIX, in part A, in item 14, before sub-item (a), the following general instructions shall be inserted, namely:-

General Instructions:

- (1) The format of disclosure of financial results may be as per the disclosure requirements of the issuing company in the home country where the Issuing Company is listed.
- (2) The issuing company shall intimate to the investors in the offer document the type of disclosures that it will follow i.e. whether as per Indian GAAP, IFRS or US GAAP and any change in such format shall be informed to the IDR Holders by way of notices to the stock exchange.
- (xiv) In Schedule XIX, in Part B, in item 2, after sub-item (d), the following sub-item shall be inserted, namely:-
 - "(e) Different classes of shares based on different criteria, if any."
- (xv) In Schedule XX in the reference title the number "110" shall be substituted, with the number "114".

2. Amendment to Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008.

(i) After regulation 12 and before regulation 13, the following regulation shall be inserted, namely:-

"Allotment of securities and payment of interest.

- **12A.** (1) The Issuer shall ensure that that in case of listing of debt securities issued to public, allotment of securities offered to public shall be made within thirty days of the closure of the public issue.
- (2) Where the debt securities are not allotted and/or application moneys are not refunded within the stipulated period in sub-regulation (1), the issuer shall undertake to pay interest at the rate of fifteen per cent. per annum.
- (3) Credit to demat accounts of the allottees shall be made within two working days from the date of allotment."
- (ii) After regulation 19 and before regulation 20, the following regulations shall be inserted, namely:-

"Listing Agreement.

- **19A.** (1) Every issuer desirous of listing its debt securities on a recognised stock exchange shall execute an agreement with such stock exchange.
- (2) Every issuer which has previously entered into agreements with a recognised stock exchange to list its debt securities shall execute a fresh listing agreement with such stock exchange within six months of the date of notification of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Security Deposit.

- **19B.** (1) The issuer shall deposit, before the opening of subscription list, and keep deposited with the stock exchange(s) an amount calculated at the rate of one per cent. of the amount of securities offered for subscription to the public.
- (2) The amount stipulated in sub-regulation (1) shall be deposited in the manner specified by Board and/or stock exchange(s).
- (3)The amount stipulated in sub-regulation (1) shall be refundable or forfeitable in the manner specified by the Board."
- (iii) For regulation 23, the following shall be substituted, namely:-

"Continuous Listing Conditions.

23. All the issuers making public issues of debt securities or seeking listing of debt securities issued on private placement basis shall comply with the conditions of listing specified in the respective listing agreement for debt securities."

3. Amendment to Securities and Exchange Board of India(Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013.

(i) After regulation 16 and before regulation 17, the following regulations shall be inserted, namely:-

"Listing Agreement.

- **16A.** (1) Every issuer desirous of listing its non-convertible redeemable preference shares, or perpetual non-cumulative preference shares or innovative perpetual debt instruments on a recognised stock exchange, shall execute an agreement with such stock exchange.
- (2) Every issuer which has previously entered into agreements with a recognised stock exchange to list non-convertible redeemable preference shares, or perpetual non-cumulative preference shares or innovative perpetual debt instruments shall execute a fresh listing agreement with such stock exchange within six months of the date of

notification of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Security Deposit.

- **16B.** (1) The issuer shall deposit, before the opening of subscription list, and keep deposited with the stock exchange(s) an amount calculated at the rate of one per cent. of the amount of securities offered for subscription to the public.
- (2) The amount stipulated in sub-regulation (1) shall be deposited in the manner specified by Board and/or stock exchange(s).
- (3)The amount stipulated in sub-regulation (1) shall be refundable or forfeitable in the manner specified by the Board."
- (ii) In regulation 20, sub-regulations (2) and (3) shall be omitted.
- (iii) In Schedule I, in para. III, in sub-para (ii), under the heading "Delay in Dispatch of Allotment Letters or Refund Orders" after the word and sign "closure." and before the words "The issuer further agrees", the following shall be inserted, namely:-

"Issuer agrees that credit to demat accounts of the allottees shall be made within two working days from the date of allotment."

4. Amendment to Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008.

- (i) In regulation 31, after sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
 - "(9) Credit to demat accounts of the allottees shall be made by the issuer within two working days from the date of allotment."
- (ii) After regulation 35 and before regulation 36, the following regulation shall be inserted, namely:-

"Listing Agreement.

- **35A.** (1) Every special purpose distinct entity desirous of listing securitised debt instruments on a recognised stock exchange, shall execute an agreement with such stock exchange.
- (2) Every special purpose distinct entity which has previously entered into agreements with a recognised stock exchange to list securitised debt instruments shall execute a fresh listing agreement with such stock exchange within six months of the date of notification of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Security Deposit.

- **35B.** (1) The issuer shall deposit, before the opening of subscription list, and keep deposited with the stock exchange(s) an amount calculated at the rate of one per cent. of the amount of securities offered for subscription to the public.
- (2) The amount stipulated in sub-regulation (1) shall be deposited in the manner specified by Board and/or stock exchange(s)(s).
- (3) The amount stipulated in sub-regulation (1) shall be refundable or forfeitable in the manner specified by the Board."
- (iii) In regulation 36, sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely:-
 - "(3)Incase of a private placement of securitised debt instruments, the special purpose distinct entity shall file listing particulars with the recognised stock exchange, along with the application made under sub-regulation (1) of regulation 35, containing such information as may be necessary for any investor in the secondary market to make an informed investment decision in respect of its securitised debt instruments and the special purpose distinct entity shall promptly disseminate such information, as prescribed, in such manner as the recognised stock exchange(s) may determine from time to time".
- (iv) For regulation 37, the following shall be substituted, namely:-

"Continuous listing conditions.

37. The special purpose distinct entity or trustee thereof shall submit such information, including financial information relating to the schemes, to the stock exchanges and investors and comply with such other continuing obligations as may be stipulated in the listing agreement."

5. Amendment to Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996.

After regulation 31, the following regulation shall be inserted, namely:-

"In-principle approval from recognised stock exchange(s).

31A. The listed entity, which intends to list units of its scheme on the recognised stock exchange(s), shall obtain 'inprinciple' approval from recognised stock exchange(s) in the manner as specified by the recognised stock exchange(s) from time to time.

Listing Agreement.

- **31B.** (1) Everymutual fund desirous of listing units of its schemes on a recognised stock exchange shall execute an agreement with such stock exchange.
- (2) Every mutual fund which has previously entered into agreements with a recognised stock exchange to list units of its schemes shall execute a fresh listing agreement with such stock exchange within six months of the date of notification of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015."

SCHEDULE X- LIST OF SEBI CIRCULARS WHICH STAND RESCINDED [See Regulation 103]

| S.No | Number | Dated | Subject |
|------|----------------------------|-----------------------|---|
| 1. | SE/2376 | April 3, 1992 | Amendment to Clause 41 of Listing Agreement |
| 2. | SE/2936 | April 6, 1992 | 1% Listing Deposit |
| 3. | SMD/SED/N/JJ/4984/94 | September 23, | Submission of B/S & details of utilisation of |
| | | 1994 | funds, etc Cl32 and 43 of LA |
| 4. | SMD/SED/CIR/94/6669 | October 31, 1994 | Forfeiture of 1% Listing Deposit |
| 5. | SMD-I(N)/JJ/2331/95 | June 26, 1995 | Submission of Cash Flow Statement. |
| 6. | SMD-I(N)/JJ/2621/95 | July 11, 1995 | Effective Year of Submission of Cash Flow Statement |
| 7. | SMD/RCG/JJ/1819/96 | May 15, 1996 | Allotment within 30 days- amendment to LA |
| 8. | 03/SMD/96 | May 17, 1996 | Amendment to Clause 32 of the Listing Agreement. |
| 9. | RRTI CIRCULAR NO.2 (97-98) | June 4, 1997 | Payment of dividend/Interest rounded off to the nearest rupee |
| 10. | SMD/POLICY/CIR-22/97 | September 22, 1997 | Amendment to the Listing Agreement Clause 40A and 40B amendment |
| 11. | SMD/POLICY/CIR- 06/98 | February 12, 1998 | Amendment in the Listing Agreement Transfer of shares - R Chandrasekaran committee |
| 12. | SMD/Policy/CIR-12/98 | April 07, 1998 | Amendment to Listing Agreement Clause 36 and 41 - Bhave Committee |
| 13. | SMD/POLICY/CIR-13/98 | April 16, 1998 | Amendment to Listing Agreement price sensitive information |
| 14. | SMD/POLICY/CIR-26/97 | September 17, 1998 | Quarterly results - Mutual Fund providing quarterly results will not be applicable to a Mutual Fund |
| 15. | SMD/POLICY CIR-04/99 | March 8, 1999 | Listing Agreement – Amendment Clause 32 and Clause 41 - status on the Y2K preparedness level |
| 16. | SMDRP/CIR-07/99 | April 9, 1999 | Trading and settlement of trades in dematerialised securities notice period about book-closure / record date - 42 to 30 days |
| 17. | SMDRP/POLICY/CIR- 8 /99 | April 26, 1999 | Listing Agreement – Amendment Clause 32 and Clause 41 related to disclosure of turnover and income from new business subsequent to change in name - software/information technology business. |
| 18. | SMD/POLICY/CIR-12/99 | May 18, 1999 | Listing Agreement – Amendment Compliance Officer shall be the Company Secretary - MalegamCommitee |
| 19. | SMDRP/POLICY/CIR-14/98 | May 19, 1999 | Listing Agreement – Amendment Submission of complete Balance Sheet - Clause 32 |
| 20. | SMD/POLICY/CIR-18/99 | July 01, 1999 | Listing Agreement – Amendment company shall publish/submit the audited results within two |

| | | | months from the end of the last quarter of the financial year |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 21. | SMD/POLICY/CIR-24/99 | July 14, 1999 | Listing Agreement – Amendment provide correct and adequate information to Credit Rating Agencies |
| 22. | SMD-II/POLICY/CIR - 08 /2000 | February 04, 2000 | Amendments to the Listing Agreement |
| 23. | SMDRP/POLICY/CIR-10/2000 | February 21, 2000 | |
| 24. | SMDRP/POLICY/CIR-13/2000 | March 09, 2000 | |
| 25. | SMD-II/Policy/Cir- 14/2000 | April 06, 2000 | Amendments to the Listing Agreement |
| 26. | SMDRP/POLICY/CIR-15/2000 | April 10, 2000 | Reduction in the no delivery period at exchanges |
| 27. | SMDRP/POLICY/Cir-21/2000 | May 10, 2000 | Clause 43 of the Listing Agreement - Statement on utilisation of funds |
| 28. | PMIMD/8755/2000 | May 31, 2000 | Reference of cases for relaxation of Rule 19(2)(b) of Securities Contract (Regulation) Act, 1957 |
| 29. | SMD/POLICY/CIR-26/2000 | July 04, 2000 | Amendment to the Listing Agreement |
| 30. | SMDRP/Policy/Cir-30 /00 | July 25, 2000 | Amendment to the Listing Agreement |
| 31. | SMDRP/POLICY/CIR- 35/2000 | August 04, 2000 | |
| 32. | SMDRP/POLICY/ CIR-42/2000 | September 12, 2000 | Listing Agreement – Amendments to Clause 49 |
| 33. | SMDRP/POLICY/CIR-55/00 | December 06, 2000 | |
| 34. | SMDRP/POLICY/ CIR- 03/01 | January 22, 2001 | Enforcement of Corporate Governance |
| 35. | SMDRP/POLICY/ CIR-7/01 | February 01, 2001 | Distribution of Share Holding |
| 36. | SMDRP/Policy/Cir-15 /2001 | March 08, 2001 | Listing of further issue of capital |
| 37. | SMDRP/POLICY/ CIR- 28/01 | May 02, 2001 | Non-promoter holding on a continuous basis and minimum number of shareholders |
| 38. | SMDRP/Policy/Cir- 29 /01 | May 22, 2001 | Practice of granting conditional listing permission |
| 39. | SMDRP/Policy/Cir-44 /01 | August 31, 2001 | Amendment to the Listing Agreement |
| 40. | SMDRP/POLICY/CIR-46/2001 | September 27, 2001 | Delay in transfer of shares by companies |
| 41. | SMDRP/Policy/Cir- 47 /01 | October 04, 2001 | Amendment the Listing Agreement |
| 42. | DCC/FITTCIR-3//2001 | October 15, 2001 | facility of ECS for distributing dividends or other cash benefits |
| 43. | SMDRP/Policy/Cir- 48 /2001 | October 19, 2001 | Segment Reporting in Quarterly Financial Results under Clause 41 of the Listing Agreement |
| 44. | SMDRP/POLICY/ CIR- 53 /01 | Dec 31, 2001 | Amendments to Clause 49 of the Listing Agreement |
| 45. | SMD/POLICY/ CIR- 1 /02 | January 02, 2002 | Sub: Amendments to the Listing Agreement |
| 46. | SMD/Policy/Cir-10/2002 | May 07, 2002 | Amendment to the Listing Agreement |
| 47. | SMD/Policy/Cir-11 /02 | May 10, 2002 | Amendment to the Listing Agreement |
| 48. | SMD/POLICY/Cir-13/02 | June 20, 2002 | Electronic Data Information Filing And Retrieval (EDIFAR) |
| 49. | SMD/Policy/Cir-16 /2002 | June 26, 2002 | |
| 50. | SMD/POLICY/Cir-17/02 | July 3, 2002 | Electronic Data Information Filing and Retrieval system (EDIFAR). |
| 51. | SMD/Policy/Cir-23 /02 | September 17, 2002 | Electronic Data Information Filing And Retrieval (EDIFAR) |
| 52. | SMD/Policy/Cir- 27 /02 | December 20, 2002 | Electronic Data Information Filing And Retrieval (EDIFAR) |
| 53. | SMD/Policy/Cir-2 /2003 | January 10, 2003 | Amendment to Listing Agreement – Clause 32 and Clause 41. |
| 54. | SMD/Policy/Listing/Cir-5/2003 | February 12, 2003 | Non-compliance of provisions of listing agreement. |
| 55. | SEBI/SMD/Policy/List/Cir -17/2003 | May 08, 2003 | Amendment to the listing agreement regarding disclosure pertaining to schemes of arrangement/merger/amalgamation |

| | | | /reconstruction filed before the Court |
|-----|----------------------------------|-----------------------|---|
| 56. | SEBI/SMD/SE/Cir-23/2003/18/06 | June 02, 2003 | Electronic Data Information Filing And Retrieval (EDIFAR) |
| 57. | SEBI/SMD/SE/25/2003/ 19 /06 | June 19, 2003 | Listing Fees |
| 58. | SEBI/MRD/SE/31/2003/26/08 | August 26, 2003 | Corporate Governance in listed Companies – Clause 49 of the Listing Agreement |
| 59. | MRD/Policy/Cir – 35 /2003/29/09 | September 29, 2003 | Listing of further issue of capital |
| 60. | SEBI/MRD/SE/AT/36/2003/30/09 | September 30, 2003 | Secondary Market for Corporate Debt Securities. |
| 61. | SEBI/CFD/DIL/SE/43/2003 | November 20, 2003 | Reduction in Notice Period for fixing the Book closure/Record date |
| 62. | SEBI/MRD/SE/AT/46/2003 | December 22, 2003 | Secondary Market for Corporate Debt Securities - Clarifications |
| 63. | SEBI/MRD/Policy/AT/Cir-20/2004 | April 30, 2004 | Frequent change of names by listed companies |
| 64. | SEBI/CFD/DIL/CG/1/2004/12/10 | October 29, 2004 | Corporate Governance in listed Companies – Clause 49 of the Listing Agreement |
| 65. | SEBI/CFD/DIL/CIR- 39 /2004/11/01 | November 01, 2004 | Model Listing Agreement for listing of Debt Securities |
| 66. | SEBI/DNPD/CIR-28/2004/12/07 | December 08, 2004 | Amendments to Clause 16 of the Equity Listing Agreement – Requirement of Notice Period |
| 67. | SEBI/CFD/DIL/CG/1/2005/29/3 | March 29, 2005 | Corporate Governance – Clause 49 of the Listing Agreement |
| 68. | SEBI/CFD/DIL/CG/1/2006/13/1 | January 13, 2006 | Corporate Governance in listed Companies – Clause 49 of the Listing Agreement |
| 69. | SEBI/CFD/DIL/IDR/1/2006/3/4 | April 03, 2006 | Listing Agreement for Indian Depository Receipts (IDRs) |
| 70. | SEBI/CFD/DIL/LA/2006/13/4 | April 13, 2006 | Amendments to Clause 40A and Clause 35 of Equity Listing Agreement |
| 71. | SEBI/CFD/DIL/LA/1/2007/20/03 | March 20, 2007 | Amendments to the Listing Agreement for Debentures |
| 72. | SEBI/CFD/DIL/LA/2/2007/ 26/4 | April 26, 2007 | Amendments to Clause 32 of Equity Listing Agreement |
| 73. | SEBI/CFD/DIL/LA/3/2007/10/07 | July 10, 2007 | Amendments to Clause 41 of Equity Listing Agreement |
| 74. | MIRSD/DPS III//Cir- 11/07 | August 06, 2007 | Dissemination of Information on Debentures |
| 75. | SEBI/CFD/DIL/LA/4/2007/27/12 | December 27, 2007 | Amendments to Equity Listing Agreement |
| 76. | SEBI/CFD/DIL/CG/1/2008/08/04 | April 08, 2008 | Corporate Governance in listed Companies – Clause 49 of the Listing Agreement |
| 77. | SEBI/CFD/DIL/LA/ 5/2008/4/09 | September 04, 2008 | Amendment in Equity Listing Agreement |
| 78. | SEBI/CFD/DIL/CG/2/2008/23/10 | October 23, 2008 | Corporate Governance in listed Companies – Clause 49 of the Listing Agreement |
| 79. | SEBI/CFD/DIL/LA/2009/3/2 | February 03, 2009 | Amendments to Equity Listing Agreement |
| 80. | SEBI/CFD/DIL/LA/1/2009/24/04 | April 24, 2009 | Amendments to the Equity Listing Agreement |
| 81. | SEBI/IMD/BOND/1/2009/11/05 | May 11, 2009 | Simplified Listing Agreement for Debt Securities |
| 82. | MRD/DoP/ Cir-05/2009 | May 20, 2009 | PAN requirement for transfer of shares in physical form |
| 83. | SEBI/CFD/DIL/IDR/1/2009/16/06 | June 16, 2009 | Model Listing Agreement for listing of Indian Depository Receipts (IDRs) |
| 84. | MRD/DoP/SE/Cir-07/2009 | July 21, 2009 | Abolition of no-delivery period for all types of corporate actions. |
| 85. | SEBI/CFD/DIL/LA/2/2009/21/7 | July 21, 2009 | Amendments to the Equity Listing Agreement-Clause 28A |
| 86. | SEBI/CFD/DIL/LA/3/2009/03/09 | September 03, 2009 | Amendments to Equity Listing Agreement |
| 87. | SEBI/IMD/DOF-1/BOND/Cir-5/2009 | November 26, 2009 | Simplified Debt Listing Agreement for Debt Securities - Amendments |

| 88. | SEBI/IMD/DOF-1/BOND/Cir- 1/2010 | January 07, 2010 | Simplified Debt Listing Agreement for Debt Securities - Amendments |
|------|-------------------------------------|-----------------------|---|
| 89. | SEBI/MRD/DoP/SE/RTA/Cir- 03/2010 | January 07, 2010 | PAN requirement for transmission of shares in physical form |
| 90. | CIR/CFD/DIL/1/2010 | April 05, 2010 | Listing Conditions-Amendments to the Equity Listing Agreement |
| 91. | CIR/CFD/DCR/3/2010 | April 16, 2010 | Discontinuation of Electronic Data Information Filing and Retrieval (EDIFAR) System. |
| 92. | Cir/ CFD /DCR/5 /2010 | May 07, 2010 | Making Annual Reports of Listed Companies easily accessible Making Annual Reports of Listed Companies easily accessible |
| 93. | CIR/CFD/DIL/6/2010 | May 17, 2010 | Conditions of listing for issuers seeking listing on SME Exchange - Model SME Equity Listing Agreement |
| 94. | SEBI/Cir/ISD/ 2 /2010 | October 26, 2010 | Clarification on Trading Rules and shareholding in dematerialized mode |
| 95. | CIR/CFD/DIL/10/2010 | December 16, 2010 | Amendment to Equity Listing Agreement |
| 96. | Cir. /IMD/DF/5/2011 | March 16, 2011 | Listing Agreement for Securitized Debt Instruments |
| 97. | CIR/CFD/DIL/3/2011 | June 03, 2011 | Redemption of Indian Depository Receipts (IDRs) into Underlying Equity Shares |
| 98. | CIR/MRD/DP/ 07 /2011 | June 16, 2011 | Change of Name by Listed Companies |
| 99. | Cir/ISD/ 3/2011 | June 17, 2011 | Shareholding of promoter / promoter group to be in dematerialized mode |
| 100. | SEBI/Cir/ISD/ 05 /2011 | September 30, 2011 | Clarification on 100% promoter holding in demat form |
| 101. | CIR/CFD/DIL/7/2011 | October 05, 2011 | Amendments to the Equity, IDR and SME Equity Listing Agreements |
| 102. | CIR/CFD/DIL/1/2012 | February 08, 2012 | Amendment to Clause 40A and 43 of Equity Listing Agreement |
| 103. | SEBI/Cir/ISD/ 1 /2012 | March 30, 2012 | Exemptions from 100% promoter(s) holding in demat form |
| 104. | CIR/CFD/DIL/4/2012 | April 16, 2012 | Amendments to the Equity Listing Agreement - Formats for Disclosure of Financial Results |
| 105. | CIR/MIRSD/8 /2012 | July 05, 2012 | Reduction of Time-line for Transfer of Equity Shares and Prescription of Time-line for Transfer of Debt Securities |
| 106. | CIR/CFD/DIL/6/2012 | July 13, 2012 | Amendments to the Equity Listing Agreement - Platform for E-Voting by Shareholders of Listed Entities |
| 107. | CIR/CFD/DIL/7/2012 | August 13, 2012 | Manner of Dealing with Audit Reports filed by Listed Companies |
| 108. | CIR/OIAE/1/2012 | August 13, 2012 | Redressal of investor grievances against listed companies in SEBI Complaints Redress System (SCORES). |
| 109. | CIR/CFD/DIL/8/2012 | August 13, 2012 | Business Responsibility Reports |
| 110. | CIR/CFD/DIL/10/2012 | August 28, 2012 | Redemption of Indian Depository Receipts (IDRs) into Underlying Equity Shares |
| 111. | CIR/CFD/DIL/11/2012 | August 29, 2012 | Manner of achieving minimum public shareholding requirements in terms of SCRR, 1957 |
| 112. | CIR/CFD/DIL/2/2013 | January 03, 2013 | Clarification on Clause 36 of the Equity Listing Agreement |
| 113. | CIR/CFD/DIL/3/2013 | January 17, 2013 | Amendment to ESOP |
| 114. | CIR/CFD/DIL/5/2013 | February 04, 2013 | Scheme of Arrangement under the Companies Act, 1956 – Revised requirements for the Stock Exchanges and Listed Companies |
| 115. | CIR/CFD/DIL/6/2013 | March 01, 2013 | Guidelines for Enabling Partial Two-Way Fungibility of Indian Depository Receipts (IDRs) |

| 116 | CID A ADD /DD/10/2012 | M 1 01 0012 | |
|------|----------------------------|-----------------|--|
| 116. | CIR/MRD/DP/10/2013 | March 21, 2013 | Sub: Usage of electronic payment modes for |
| | | 3.5 4.3 3.04.3 | making cash payments to the investors |
| 117. | CIR/CFD/DIL/7/2013 | May 13, 2013 | ESOP - Clarification |
| 118. | CIR/CFD/DIL/8/2013 | May 21, 2013 | Scheme of Arrangement under the Companies |
| | | | Act, 1956 – Revised requirements for the Stock |
| | | | Exchanges and Listed Companies - Clarification |
| 119. | CIR/CFD/DIL/9/2013 | June 05, 2013 | Manner of Dealing with Audit Reports filed by |
| | | | Listed Companies"- Clarification |
| 120. | CIR/MRD/ DSA / 31 /2013 | September 30, | Standard Operating Procedure |
| | | 2013 | |
| 121. | CIR/CFD/POLICYCELL/13/2013 | November 18, | Compliance with the provisions of Equity Listing |
| | | 2013 | Agreement by listed companies – Monitoring by |
| | | | Stock Exchanges |
| 122. | CIR/CFD/POLICYCELL/14/2013 | November 29, | ESOP – Clarification- Extension of time line for |
| | | 2013 | alignment |
| 123. | CIR/CFD/DIL/1/2014 | March 25, 2014 | Format for Auditors' Certificate required under |
| | | , i | Clause 24(i) of the Equity Listing Agreement |
| 124. | CIR/CFD/POLICY CELL/2/2014 | April 17, 2014 | Corporate Governance in listed entities - |
| | | 1 / | Amendments to Clauses 35B and 49 of the Equity |
| | | | Listing Agreement |
| 125. | CIR/CFD/POLICYCELL/3/2014 | June 27, 2014 | ESOP – Clarification- Extension of time line for |
| | | ., | alignment |
| 126. | CIR/CFD/DIL/4/2014 | August 01, 2014 | Monitoring of Compliance by Stock Exchanges |
| 127. | CIR/CFD/POLICY CELL/7/2014 | September 15, | Corporate Governance in listed entities - |
| 127. | | 2014 | Amendments to Clause 49 of the Equity Listing |
| | | 2011 | Agreement |
| 128. | CIR/CFD/CMD/1/2015 | April 08, 2015 | Fine structure for non-compliance with the |
| 120. | CHOCI DICINIDI 1/2013 | 7 pm 00, 2013 | requirement of Clause 49(II)(A)(1) of Listing |
| | | | Agreement Of Clause 49(11)(A)(1) of Listing |
| | | | Agreement |

U.K. SINHA, Chairman [ADVT. III /4/ Exty. /69-ZB/15(193)]